The Bihar Goods and Services Tax Act, 2017

Act 12 of 2017

Keyword(s):
Actionable Claim, Aggregate Turnover, Agriculturist, Associated Enterprises, Authorised Representative, Business, Capital Goods, Central Tax, Company Secretary

Amendments appended: 14 of 2018, 21 of 2019, 7 of 2020, 9 of 2020, 16 of 2021,

1 of 2023, 12 of 2023, 16 of 2023, 15 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 वैशाख 1939 (श0)

(सं0 पटना 377)   पटना, सोमवार, 8 मई 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

8 मई 2017

सं० एल०जी०–01–12/2017/93 लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 3 मई 2017 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम—12, 2017]

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

बिहार सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंत:राज्यीय प्रदाय पर

कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार के राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार ।— (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर अधिनियम २०१७ कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो बिहार सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

2. परिभाषाएं । इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(1) "अनुयोज्य दावे" का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में उसका है ;

(2) "परिदान का पता" से माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसा पता अभिप्रेत है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है ;

(3) "अभिलेख पर पता" से पाने वाले का वह पता अभिप्रेत है, जो प्रदायकर्ता के अभिलेखों में उपलब्ध है ;

(4) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय

अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण नहीं है ;

(5) "अभिकर्ता" से फैक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढ़तिया, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेंट), नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(6) "संकलित आवर्त" से अखिल भारतीय आधार पर संगणित सामान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के सभी कराधेय प्रदायों (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट प्राप्त प्रदायों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और अंतरराज्यिक प्रदाय का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है ;

(7) "कृषक" से ऐसा कोई व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब अभिप्रेत है, जो,--

(क) स्वयं के श्रम द्वारा ; या

(ख) कुटुंब के श्रम द्वारा ; या

(ग) नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के मजदूरों द्वारा,

भूमि पर खेती करता है ;

(8) "अपील प्राधिकारी" से अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत धारा 107 में यथानिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(9) "अपील अधिकरण" से धारा 109 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(10) "नियत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे ;

(11) "निर्धारण" से इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्वत:निर्धारण, पुन: निर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण भी है ;

(12) "सहयुक्त उद्यमों" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92क में उसका है ;

(13) "संपरीक्षा" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उसके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है ;

(14) "प्राधिकृत बैंक" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम का संग्रहण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है ;

(15) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से धारा 116 के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि अभिप्रेत है ;

(16) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ;

(17) "कारबार" में निम्नलिखित सम्मिलित है,--

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पद्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो ;

(ख) उपखंड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार ;

(ग) उपखंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण**, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो ;**

(घ) कारबार के प्रारंभ या उसकी बंदी के संबंध में पूंजी माल सहित माल और सेवाओं का प्रदाय या अर्जन ;

(ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या वैसी ही किसी निकाय द्वारा किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए उसके सदस्यों के लिए सुविधाओं या फायदों वाले कोई व्यवस्था ;

(च) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश ;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, प्रदाय की गई सेवाएं ;

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगमान के रूप में उपलब्ध कराई गई

सेवाएं या ऐसे क्लब में के बुक-मेकर की अनुज्ञप्ति ; और

(झ) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं ;

(18) "कारबार शीर्षका" से किसी ऐसे उद्यम का विशिष्ट संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे पृथक्-पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागमके अध्यधीन है, जो उसके अन्य कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है ;

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या माल या सेवाएं संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,--

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति ;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति ;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग ;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त पद्धतियां ; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहां भी लागू हो), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं हैं ;

(19) "पूंजी माल" से ऐसा माल अभिप्रेत है, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत है और जिनका कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है ;

(20) "नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे कराधेय क्षेत्र में जहां उसके कारबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में यदा कदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है ;

(21) "केंद्रीय कर" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्ग्रहीत केंद्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

(22) "उपकर" का वही अर्थ हो, जो माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में उसका है ;

(23) "चार्टर्ड एकाउंटेंट" से चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड एकाउंटेंट अभिप्रेत है ;

(24) "आयुक्त" से धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसमें धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर का प्रधान आयुक्त और मुख्य आयुक्त भी सम्मिलित हैं ;

(25) "बोर्ड में आयुक्त" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त अभिप्रेत है ;

(26) "सामान्य पोर्टल" से धारा 146 में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रानिक पोर्टल अभिप्रेत है ;

(27) "सामान्य कार्य दिवस" से लगातार ऐसे दिन अभिप्रेत हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार या बिहार सरकार द्वारा राजपत्रित छुट्टी घोषित नहीं किया गया है ;

(28) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है ;

(29) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(30) "संयुक्त प्रदाय" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को किया गया कोई ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय प्रदायों से मिलकर बना है या उनका कोई समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतितः बांधा गया है और प्रदाय किया गया है, जिनमें एक मूल प्रदाय है ;

दृष्टांत : जहां माल का बीमा के साथ पैक और परिवहन किया जाता है, वहां माल का, पैकिंग सामग्री का, परिवहन का और बीमा का प्रदाय संयुक्त प्रदाय होगा और माल का प्रदाय मुख्य प्रदाय होगा ।

(31) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में "प्रतिफल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी है,--

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके प्रलोभन के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी ;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके प्रलोभन के लिए,

किसी कार्य या संयमित रहने का धनीय मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी :

परंतु माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में दिए गए निक्षेप को ऐसे प्रदाय के लिए किए गए संदाय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जब तक कि प्रदायकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करे ;

(32) "माल का निरंतर प्रदाय" से माल का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर प्रदायकर्ता, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, का प्रदाय भी है ;

(33) "सेवाओं का निरंतर प्रदाय" से सेवाओं का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी है ;

(34) "प्रवहरण" के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है ;

(35) "लागत लेखाकार" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखाकार अभिप्रेत है ;

(36) "परिषद्" से संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है ;

(37) "जमापत्र" से धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है ;

(38) "नामे नोट" से धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है ;

(39) "समझा गया निर्यात" से माल का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए ;

(40) "अभिहित प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(41) "दस्तावेज" के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (न) में यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी है ;

(42) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में "चुंगी वापसी" से ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित निवेश पर या किसी घरेलू निवेशों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट अभिप्रेत है;

(43) "इलेक्ट्रोनिक नकद खाते" से धारा 49 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक नकद खाता अभिप्रेत है ;

(44) "इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य" से डिजिटल या इलेक्ट्रोनिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पाद सहित माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है,

(45) "इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रोनिक सुविधा या प्लेटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो ;

(46) "इलेक्ट्रोनिक जमा खाते" से धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रोनिक जमा खाता अभिप्रेत है ;

(47) "छूट प्राप्त प्रदाय" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसकी, धारा 11 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन, कर की दर शून्य हो या कर से पूरी छूट दी गई है ;

(48) "विद्यमान विधि" से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाली विधायिका या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है ;

(49) "कुटुंब" से अभिप्रेत है,--

(ii) व्यक्ति का पति या पत्नी और बच्चे ; और

(iii) व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित है ;

(50) "नियत स्थापन" से (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं का प्रदाय

करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए जो पर्याप्त डिग्री के स्थायित्व और मानव और तकनीकी संसाधनों के उपयुक्त संरचना की विशिष्टता से वर्णित है ;

(51) "निधि" से धारा 57 के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है ;

(52) "माल" से मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिसका प्रदाय के पूर्व या प्रदाय की संविदा के अधीन पृथक् किए जाने का करार किया गया है ;

(53) "सरकार" से बिहार सरकार अभिप्रेत है ;

(54) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम" से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ;

(55) "माल और सेवा कर व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है ;

(56) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथानिर्दिष्ट उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, ऐसे राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड का समुद्रतल तथा उसकी अधोभूमि, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है ; 1976 का 80

(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ;

(58) "एकीकृत कर" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उदगृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

(59) "निवेश" से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल अभिप्रेत है ;

(60) "इनपुट सेवा" से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा अभिप्रेत है ;

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है ;

(62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" से माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर प्रभारित केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,--

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

किंतु इसमें उद्ग्रहण के प्रशमन के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है ;

(63) "इनपुट कर प्रत्यय" से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है ;

(64) "माल का राज्यान्तर्गत प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है ;

(65) "सेवाओं का राज्यान्तर्गत अंतरराज्यिक प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है ;

(66) "बीजक" या "कर बीजक" से धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है;

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक प्रदाय" से क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति अभिप्रेत है ;

(68) "छुटपुट कार्य" से किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है और छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(69) "स्थानीय प्राधिकारी" से निम्न अभिप्रेत हैं,--

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका ;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद्, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का कानूनी रूप से हकदार है या जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है ;

(घ) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड ;

(ङ) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद् ;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् ;

(70) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान" से,--

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र नियत स्थापन), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां प्रदाय की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(71) "सेवाओं के प्रदायकर्ता का अवस्थान" से,--

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र नियत स्थापन), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों से किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन है, वहां प्रदाय की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्रदायकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(72) "विनिर्माण" से कच्ची सामग्री या निवेश का ऐसी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का अविर्भाव होता है और "विनिर्माता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(73) "बाजार मूल्य" से ऐसी पूरी रकम अभिप्रेत होगी, जिसकी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और प्रदायकर्ता संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए, संदाय किए जाने की अपेक्षा होती है ;

(74) "मिश्रित प्रदाय" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समुच्चय का, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्-पृथक् प्रदाय अभिप्रेत हैं, जहां ऐसा प्रदाय कोई संयुक्त प्रदाय नहीं है ।

दृष्टांत : डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाए गए पैकेज का प्रदाय, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह प्रदाय मिश्रित प्रदाय होगा । इन मदों में से प्रत्येक मद का अलग-अलग भी प्रदाय किया जा सकता है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा । यदि इन मदों का अलग-अलग प्रदाय किया जाता है तो वह मिश्रित प्रदाय नहीं होगा ;

(75) "धन" से भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चैक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, साख पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चैक, मनी आर्डर, डाक या इलैक्ट्रानिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लेख

पत्र अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किंतु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विधा मूल्य है ;

(76) "मोटर यान" का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (28) में उसका है ;

(77) "अनिवासी कराधेय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदा कदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है, किंतु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है ;

(78) "गैर-कराधेय प्रदाय" से माल या सेवाओं या दोनों का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर से उदग्राहय नहीं है ;

(79) "गैर-कराधेय क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो कराधेय क्षेत्र से बाहर है;

(80) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(81) "अन्य राज्यक्षेत्र" में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खंड (114) के उपखंड (क) से उपखंड (ङ) में निर्दिष्ट हैं ;

(82) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "आउटपुट कर" से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है, किंतु इसमें विपरीत प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर को अपवर्जित किया गया है ;

(83) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "जावक प्रदाय" से किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या निपटान या किसी भी अन्य रीति से किया गया प्रदाय अभिप्रेत है ;

(84) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) कोई व्यष्टि ;

(ख) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब ;

(ग) कोई कंपनी ;

(घ) कोई फर्म ;

(ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ;

(च) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो ;

(छ) किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्‌वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की 2013 का 18
धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी ;

(ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्‌वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय ;

(झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी ;

(ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;

(ट) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ;

(ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन यथा परिभाषित 1860 का 21
सोसाइटी ;

(ड) न्यास ; और

(ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी में नहीं आता है ;

(85) "कारबार के स्थान" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) वह स्थान, जहां से सामान्य तौर से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है या प्राप्त करता है ; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित रखता है ; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है ;

(86) "प्रदाय का स्थान" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 5 में यथानिर्दिष्ट प्रदाय का स्थान अभिप्रेत है ;

(87) "विहित" से परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(88) "प्रधान" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(89) "कारबार का मुख्य स्थान" से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है ;

(90) "मुख्य प्रदाय" से ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय अभिप्रेत है, जो किसी संयुक्त प्रदाय का प्रबल तत्व है और जिसके लिए उस संयुक्त प्रदाय के भागरूप कोई अन्य प्रदाय आनुषंगिक है ;

(91) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "उचित अधिकारी" से राज्य कर का आयुक्त या ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है ;

(92) "तिमाही" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास समाविष्ट हों ;

(93) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के "प्राप्तिकर्ता" से,--

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है ;

(ख) जहां माल के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको माल प्रदत्त किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है ;

(ग) जहां किसी सेवा के प्रदाय के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सेवाएं दी जाती है,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे प्रदाय किया गया है, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा ;

(94) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किंतु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है ;

(95) "विनियम" से सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिश पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(96) माल के संबंध में "हटाए जाने" से,--

(क) उसके प्रदायकर्ता द्वारा या ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण अभिप्रेत है ; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण अभिप्रेत है ;

(97) "विवरणी" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिए विहित या उससे अन्यथा अपेक्षित कोई विवरणी अभिप्रेत है ;

(98) "विपरीत प्रभार" से धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता के बजाय माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व अभिप्रेत है ;

(99) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से धारा 108 में यथानिर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(100) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(101) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है ;

(102) "सेवाओं" से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं ;

(103) "राज्य" से बिहार राज्य अभिप्रेत है ;

(104) "राज्य कर" से इस अधिनियम के अधीन उदगृहीत कर अभिप्रेत है ;

(105) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में "प्रदायकर्ता" से उक्त माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा ;

(106) "कर अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है ;

(107) "कराधेय व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है ;

(108) "कराधेय प्रदाय" से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर से उदग्राहय है ;

(109) "कराधेय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं ;

(110) "दूर-संचार सेवा" से किसी प्रकार की ऐसी सेवा अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, आडियो टेक्स्ट सर्विस, वीडियो टैक्सी सर्विस, रेडियो पेजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी है) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेषण या ग्रहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रो मैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ;

(111) "केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ;

(112) "राज्य में आवर्त" या "संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर किए गए (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है) सभी कराधेय प्रदायों और छूट प्राप्त प्रदायों, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और अंतरराज्यिक प्रदाय का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित हैं ;

(113) "प्रायिक निवास स्थान" से,--

(क) किसी व्यक्ति की दशा में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह सामान्य तौर पर निवास करता है ;

(ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां व्यष्टि निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है ;

(114) "संघ राज्यक्षेत्र" से,--

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप ;

(ख) लक्षद्वीप ;

(ग) दादरा और नागर हवेली ;

(घ) दमन और दीव ;

(ङ) चंडीगढ़ ; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा ;

(115) "संघ राज्यक्षेत्र कर" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उदगृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

(116) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ;

(117) "विधिमान्य विवरणी" से धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई कोई ऐसी विवरणी अभिप्रेत है, जिस पर स्वत: निर्धारण कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है ;

(118) "वाऊचर" से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां प्रदाय किए जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी प्रदायकर्ताओं की पहचान या तो लिखत पर ही उपदर्शित है या संबद्ध **दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, जिसमें ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी हैं ;**

(119) "कार्य संविदा" से किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए ऐसी संविदा के निष्पादन में माल के रूप में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) कोई संविदा अभिप्रेत है ;

(120) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं ।

अध्याय 2

प्रशासन

3. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी । सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों के वर्ग नियुक्त करेगी, अर्थात्:-

(क) राज्य कर प्रधान आयुक्त या राज्य का मुख्य आयुक्त ;

(ख) राज्य कर विशेष आयुक्त ;

(ग) राज्य कर अपर आयुक्त ;

(घ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त ;

(ङ) राज्य कर उपायुक्त ;

(च) राज्य कर सहायक आयुक्त ; और

(छ) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे :

परंतु बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा ।

4. अधिकारियों की नियुक्ति । (1) राज्य सरकार, धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे ।

(2) आयुक्त का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राज्य होगा, विशेष आयुक्त तथा अपर आयुक्त का क्षेत्राधिकार उन्हें सौंपे गये सभी या किसी कृत्य के बावत संपूर्ण राज्य या, राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित, राज्य का कोई स्थानीय क्षेत्र होगा तथा, निर्दिष्ट किये गये शर्त्तों के अध्यधीन, अन्य सभी अधिकारियों का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राज्य या राज्य का ऐसा स्थानीय क्षेत्र होगा जैसा कि आयुक्त आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

5. अधिकारियों की शक्तियां । (1) राज्य कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

(2) राज्य कर अधिकारी, किसी अन्य ऐसे राज्य कर अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी शक्तियों का, उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य राज्य कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा ।

6. कतिपय परिस्थितियों में केंद्रीय कर अधिकारियों का समुचित प्राधिकारी के रूप में प्राधिकरण । (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,--

(क) जहां कोई उचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश देता है, वहां वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन, भी उस अधिनियम द्वारा यथा प्राधिकृत आदेश, केंद्रीय कर के अधिकारिता अधिकारी की प्रज्ञापना के अधीन, आदेश देगा,;

(ख) जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई उचित अधिकारी किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ करता है, वहां इस अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी उसी विषय वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं करेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-जहां लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी ।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

7. प्रदाय की परिधि ।— (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रदाय" पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,--

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या निपटान जैसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सभी प्ररूप ;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं ;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ; और

(घ) माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माने गए अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, या

(ख) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लोक प्राधिकारियों के रूप में किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, , जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

न तो माल के प्रदाय के रूप में और न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,--

(क) माल के प्रदाय के रूप में, न कि सेवाओं के प्रदाय के रूप में ; या

(ख) सेवाओं के प्रदाय के रूप में, न कि माल के प्रदाय के रूप में,

माना जाएगा ।

8. संयुक्त और मिश्रित प्रदायों पर कर का दायित्व ।— किसी संयुक्त या मिश्रित प्रदाय पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए किसी संयुक्त प्रदाय को, जिसमें से एक मुख्य प्रदाय है, ऐसे मुख्य प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा ; और

(ख) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए मिश्रित प्रदाय को उस

विशिष्ट प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम है ।

9. उद्ग्रहण और संग्रहण । (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मादक शराब के प्रदाय को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी राज्यान्तर्गत प्रदायों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, बिहार राज्य माल और सेवा कर नामक कर का, उद्ग्रहण और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

(2) अपरिष्कृत पैट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पैट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रदाय पर राज्य कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए ।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है ।

(4) किसी ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में विपरीत प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है ।

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके राज्यान्तर्गत प्रदायों पर कर, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा, यदि सेवाओं का प्रदाय उसके माध्यम से किया जाता है, और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है :

परंतु यदि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा :

परंतु यह और कि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है,

वहां ऐसा इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा ।

10. **प्रशमन उद्ग्रहण ।—**

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किंतु जो,--

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में आवर्त के ढ़ाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(ग) अन्य प्रदायकर्ताओं की दशा में, राज्य में आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रूपए की उक्त सीमा को एक करोड़ रूपए से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,-

(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है ;

(ख) वह ऐसे किसी माल का प्रदाय करने में लगा हुआ है, जिस पर अधिनियम के अधीन कर उदग्राहय नहीं है ;

(ग) वह माल के किसी अंतरराज्यिक जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है ;

(घ) वह किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा है ;

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए :

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी) स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस उपधारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया

विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा ।

(4) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा ।

(5) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे ।

11. कर से छूट देने की शक्ति ।—

(1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी ।

(2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी ।

(3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश की परिधि या प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंत:स्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानों वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था ।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश को यथास्थिति इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना या आदेश समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे

माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

अध्याय 4

प्रदाय का समय और मूल्य

12. माल के प्रदाय का समय ।—

(1) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उद्भूत होगा ।

(2) माल के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) बीजक जारी किए जाने की तारीख या धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे प्रदाय की बाबत बीजक जारी करने की अपेक्षा है ; या

(ख) वह तारीख, जिसको प्रदायकर्ता प्रदाय की बाबत संदाय प्राप्त करता है :

परंतु जहां कराधेय माल का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से एक हजार रूपए अधिक तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किए जाने की तारीख होगा ।

स्पष्टीकरण 1–खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "प्रदाय" को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहां तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है ।

स्पष्टीकरण 2–खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ऐसी तारीख, जिसको प्रदायकर्ता संदाय प्राप्त करता है, वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिनके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) माल प्राप्ति की तारीख ; या

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के ठीक पश्चात्वर्ती

तारीख :

परंतु जहां खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी ।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्‌वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय,--

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचान योग्य है ; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा ।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय,--

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है ।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को प्रदाय के मूल्य में जोड़े जाने का है, प्रदाय का समय वह तारीख होगा, जिसको प्रदायकर्ता ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है ।

13. सेवाओं के प्रदाय का समय ।—

(1) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उदभूत होगा ।

(2) सेवाओं के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) प्रदायकर्ता द्‌वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा-पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है, उस मामले में, जहां खंड (क) या खंड (ख) के उपबंध लागू नहीं होते हैं :

परंतु जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से एक हजार रूपए अधिक तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य

रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी करने की तारीख होगा ।

स्पष्टीकरण–खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए,--

(ii) प्रदाय को उस सीमा तक किया गया समझा जाएगा, जिस तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है ;

(iiii) "संदाय प्राप्त करने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि प्रदायकर्ता की लेखा-पुस्तकों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिनके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परंतु जहां खंड (क) या खंड (ख) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी :

परंतु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदाय की दशा में, जहां सेवा का प्रदायकर्ता भारत से बाहर स्थित है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय,--

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचान योग्य है ; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा ।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय,--

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह

तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है ।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को प्रदाय के मूल्य में जोड़े जाने का है, प्रदाय का समय वह तारीख होगा, जिसको प्रदायकर्ता ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है ।

14. माल या सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर की दर में परिवर्तन । धारा 12 या धारा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहां प्रदाय के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) यदि कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया गया है, उस दशा में,--

(ii) जहां उसके लिए बीजक जारी किया गया है और संदाय भी कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ;

(iiii) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किंतु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय बीजक जारी करने की तारीख होगा ; या

(iiiiii) जहां संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किंतु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां प्रदाय का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख होगा ;

(ख) कर की दर में परिवर्तन के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किए जाने की दशा में,--

(ii) जहां संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किंतु बीजक कर की दर में परिवर्तन के पहले जारी कर दिया गया है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा ;

(iiii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय भी प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा; या

(iiiiii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया

गया है, किंतु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय, बीजक जारी करने की तारीख होगा :

परंतु संदाय प्राप्त होने की तारीख, बैंक खाते में जमा करने की तारीख होगी यदि बैंक खाते में ऐसी जमा कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संदाय के प्राप्त होने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको प्रदायकर्ता की लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

15. **कराधेय प्रदाय का मूल्य** ।—

(1) जहां प्रदायकर्ता या प्रदाय का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और प्रदाय के लिए एक मात्र आधार उसकी कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों के उक्त प्रदाय के लिए वास्तविक रूप से संदत्त किया जाता है या संदेय है ।

(2) प्रदाय के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,--

(क) इस अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उदगृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि प्रदायकर्ता द्वारा पृथक् रूप में प्रभारित किया गया है ;

(ख) कोई ऐसी रकम, जिसका प्रदायकर्ता, ऐसे प्रदाय के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, किंतु जो प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ग) किसी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से प्रदायकर्ता द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैक करना भी है, और माल या सेवाओं के प्रदाय के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्रदायकर्ता द्वारा की गई किसी कृत्य के लिए प्रभारित कोई रकम ;

(घ) किसी प्रदाय के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित संदाय के लिए ब्याज या विलंब फीस या शास्ति ; और

(ङ) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायकियों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षत: जुड़ी हुई सहायिकियां ।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, सहायिकी की रकम को सहायिकी प्राप्त करने वाले प्रदायकर्ता के, प्रदाय के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा ।

(3) प्रदाय के मूल्य में कोई ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो,--

(क) प्रदाय के पूर्व या प्रदाय के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसे प्रदाय के संबंध में जारी बीजक में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है ; और

(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि,--

(ii) ऐसी छूट, ऐसे प्रदाय के समय या उसके पूर्व किए गए किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है ; और

(iiii) प्रदायकर्ता द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट के मद में मानी गई **इनपुट कर प्रत्यय, जिसकी राशि को प्राप्तिकर्ता द्वारा अधोमुख किया गया है ।**

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रदायों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) ऐसे व्यक्तियों को "सम्बद्ध **व्यक्ति" समझा जाएगा, यदि,--**

(ii) ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के कारबार के अधिकारी या निदेशक हैं ;

(iiii) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यताप्राप्त भागीदार है ;

(iiiiii) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी हैं ;

(iviv**) कोई व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों व्यक्तियों के परादेय मतदान स्टाक या शेयरों के पच्चीस प्रतिशत या अधिक पर स्वामित्व या नियंत्रण रखता है या धारण करता है ;**

(v**v) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है ;**

(vivi) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रण में हैं ;

(viivii) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं ; या

(viii**viii) वे एक ही कुटुंब के सदस्य हैं ;**

(ख) "व्यक्ति" पद के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी है ;

(ग) कोई व्यक्ति दुसरे व्यक्ति के कारबार से इस प्रकार सहबद्ध हैं, जिसमें वह दुसरे व्यक्ति का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, है, संबद्ध व्यक्ति समझे जाऐंगे **।**

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

16. इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें ।—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति से उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी ।

(2) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,--

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो ;

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है ।

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां प्रदायकर्ता द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है ;

(ग) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में, अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके, वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए ; और

(घ) वह धारा 39 के अधीन विवरणी न दे दे :

परंतु जहां माल, बीजक के विरुद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किश्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर

प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 1961 का 43

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा ।

17. प्रत्यय का प्रभाजन और निरूद्ध प्रत्यय । **(1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः किसी कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है और भागतः अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की रकम उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए** मानी गई सीमा तक निर्बंधित होगी।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य दर प्रदायों सहित कराधेय प्रदायों को पूर्ण करने के लिए और भागतः उक्त अधिनियमों **के अधीन छूट प्राप्त प्रदायों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे शून्य दर प्रदायों सहित उक्त कराधेय प्रदायों के लिए** मानी गई सीमा तक निर्बंधित होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा ।

(4) जहां कोई बैंकिंग कंपनी या कोई वित्तीय संस्थान, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, ऋणों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं का प्रदाय करने में लगी हुई है, वहाँ उसे **उपधारा (2) के उपबंधों का पालन करने का या हर माह उस मास के प्रत्ययों, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर वरणीय इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जाएगा :**

परंतु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किए गए प्रदायों पर संदत्त कर को लागू नहीं होगा ।

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :--

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहरण, सिवाय तब के जब उनका उपयोग,--

(i) निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :--

(अ) ऐसे यानों या प्रवहरणों के आगे के प्रदाय के लिए ; या

(आ) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या

(इ) ऐसे यानों या प्रवहरणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए ;

(iii) माल के परिवहन के लिए ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित प्रदाय के लिए :--

(ii) खाद्य और पेय पदार्थ, बाहय खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के एक तत्व के रूप में किया जाता है ;

(iiii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता ;

(iiiiii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां,--

(अ) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है ; या

(आ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक प्रदाय का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधेय प्रदाय करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के भागरूप किया जाता है ; और

(iviv) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत जैसे प्रवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे ।

(ग) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनका प्रदाय स्थावर संपत्ति संयंत्र और मशीनरी से भिन्न के सन्निर्माण के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के आगे के प्रदाय के लिए कोई आवक सेवा है ;

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अपने खाते में, किसी स्थावर संपत्ति के संयंत्र और मशीनरी से भिन्न सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है ।

स्पष्टीकरण– खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्माण" पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति, का पूंजीकरण के विस्तार तक, पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है ;

(ङ) ऐसा माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है ;

(च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, अपलिखित हुआ या दान या नि:शुल्क सैंपल द्वारा व्ययनित माल ;

(झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर ।

(6) सरकार ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसे उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्यय निर्धारित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण– इस अध्याय और अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए, "संयंत्र और मशीनरी" पद से ऐसे साधित्र, उपस्कर और प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी अभिप्रेत है, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों का जावक प्रदाय करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब भी हैं, किंतु इसमें निम्नलिखित अपवर्जित हैं,--

(ii) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल सन्निर्माण ;

(iiii) दूर-संचार टावर ; और

(iiiiii) कारखाना परिसर के बाहर बिछाई गई पाइप लाइनें ।

18. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता ।—

(1) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं,--

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन किया है, और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण दे दिया गया है, उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित निवेशों तथा स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ख) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है, रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ग) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना बंद करता है, वहां वह उस तारीख से, जिससे वह धारा 9 के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित निवेशो, स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ;

(घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का छूट प्राप्त प्रदाय कराधेय प्रदाय हो गया है, वहां ऐसा व्यक्ति उस तारीख से, जिसको ऐसा प्रदाय कराधेय हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ऐसे छूट प्राप्त प्रदाय के लिए अनन्य रूप से संबंधित स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता के बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रदाय से संबंधित कर बीजक जारी किए जाने की

तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उसे प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्व अंतरण के विशिष्ट उपबंधों के साथ, कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन, समामेलित, पट्टे पर दिए गए या अंतरित कारबार के उसके इलैक्ट्रानिक निवेश खाते में अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण विहित रीति से अनुज्ञात होगा, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,

(4) जहां इनपुट कर प्रत्यय को उपभोग करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है या जहां उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो गए हैं, वहां वह इलैक्ट्रानिक निवेश खाते या इलैक्ट्रानिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर, , ऐसी प्रतिशतता बिंदु को, जो विहित किया जाए, कम करके, इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है :

परंतु ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यय की रकम और उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम की संगणना ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(6) ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के प्रदाय की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय ऐसे प्रतिशतता बिंदु को घटाकर, जो विहित किया जाए, के बराबर रकम का या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा :

परंतु जहां स्क्रैप के रूप में रिफैक्टरी ईंटें, सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों का प्रदाय किया जाता है, वहां कराधेय व्यक्ति धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा ।

19. छुटपुट काम के लिए भेजे गए निवेशों और भेजे गए पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना ।—

(1) प्रधान को, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, छुटपुट काम के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए निवेशों पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा ।

(2) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान निवेशों को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, निवेशों पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(3) जहां प्रधान को, छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए निवेश भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर, छुटपुट कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होता है या छुटपुट

कार्य करने वाले व्यक्ति के कारबार के स्थान से धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार उसका प्रदाय नहीं किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे निवेशों का प्रदाय उस दिन किया गया था, जब उक्त निवेश भेजे गए थे :

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे निवेश भेजे जाते हैं, वहां किसी एक वर्ष की अवधि की संगणना छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा निवेशों के प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी ।

(4) प्रधान को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा ।

(5) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान पूंजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(6) जहां प्रधान को छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया पूंजी माल, भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे पूंजी माल का प्रदाय उस दिन किया गया था जब उक्त पूंजी माल भेजा गया था :

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे पूंजी माल भेजा जाता है, वहां तीन वर्ष की अवधि की संगणना छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी ।

(7) उपधारा (3) या उपधारा (6) में अंतर्विष्ट कोई बात छुटपुट कार्य करने के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों और औजारों को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रधान" से धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ।

20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति ।—

(1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा ।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है ;

(ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी ;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को उसके संबंध में मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा ;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को उनके संबंध में मानी गई इनपुट

सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है, और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके संबंध में ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है, आवर्त का संकलन के अनुपातत: होगा ;

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए उनके संबंध में मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के आधार पर, सुसंगत अवधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, के आवर्त का संकलन के अनुपातत: होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "सुसंगत अवधि",--

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त, है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी ;

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है ;

(ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता" पद से उस माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता अभिप्रेत है जिनका तथा इनपुट सेवा वितरक स्थायी खाता संख्यांक समान है ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल, जो कराधेय नहीं है, के प्रदाय में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उदगृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को आवर्त के का मूल्य से घटाकर अभिप्रेत है ।

21. आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति ।— जहां इनपुट सेवा कर वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

अध्याय 6

रजिस्ट्रीकरण

22. रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति ।—

(1) राज्य में मालों या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदाय को करने वाला प्रत्येक प्रदाता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रूपए से अधिक है :

परंतु विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करने वाला व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रूपए से अधिक है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन, विद्‌यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत तारीख से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है होने के लिए दायी होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्‌वारा चलाया गया कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा अंतरित किया जाता है तो, यथास्थिति, अंतरिति या उत्तराधिकारी, के कारण, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार की तारीख से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी उच्च न्यायालय या किसी अधिकरण के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कम्पनियों के किसी स्कीम की मंजूरी या किसी समामेलन या, यथास्थिति, निर्विलयन के अनुसरण किसी अंतरण की दशा में **अंतरिती ऐसी तारीख से जिससे उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश को प्रभाव देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार निगमन का प्रमाणपत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा**

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए,--

(i) अभिव्यक्ति "संकलित व्यापारवर्त" में, कराधेय व्यक्ति द्‌वारा की गई सभी प्रदाय, चाहे उसके अपने लेखे या उसके सभी मालिकों की ओर से, सम्मिलित है;

(ii) रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार द्‌वारा फुटकर-काम पूर्ण करने के पश्चात्, मालों की आपूर्ति, धारा 143 के निर्दिष्ट प्रधान द्‌वारा मालों की आपूर्ति मानी जाएगी और ऐसे मालों का मूल्य रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार का संकलित व्यापारवर्त में सम्मिलित नहीं होगा;

(iii) अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" से संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत हैं।

23. व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है ।—

(1) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात् :--

(क) कोई व्यक्ति जो अनन्य रूप से केवल ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के कारबार में लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है ;

(ख) कृषक, भूमि पर खेती की उपज के प्रदाय के विस्तार तक ।

(2) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है ।

24. कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण ।— धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,--

(i) व्यक्ति जो अंतरराज्यिक कराधेय प्रदाय करते हैं ;

(ii) कराधेय प्रदाय करने वाले आकस्मिक कराधेय व्यक्ति ;

(iii) व्यक्ति जिससे विपरीत प्रभार के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है;

(iv) व्यक्ति जिससे धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है ;

(v) कराधेय प्रदाय करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति ;

(vi) व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं ;

(vii) व्यक्ति जो, चाहे अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, अन्य कराधेय व्यक्तियों की ओर से कराधेय मालों या सेवाओं अथवा दोनों का प्रदाय करते हैं ;

(viii) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं ;

(ix) व्यक्ति जो की ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है, के माध्यम से धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रदाय से भिन्न मालों या सेवाओं अथवा दोनों का प्रदाय करता है;

(x) प्रत्येक इलैक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर ;

(xi) प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के स्थान से ऑन लाइन सूचना और डाटा आधार पहुंच या सुधार सेवाओं भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदाय करता है ;

(xii) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए ।

25. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया ।—

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परंतु आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिवस पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण--प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड से प्रदाय करता है, ऐसे तटीय राज्य, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है, में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है को राज्य में एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा :

परंतु एक राज्य में बहुल कारबार वर्टिकल रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार वर्टिकल के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है वह स्वयं को स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकता है और इस अधिनियम के सभी उपबंध वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जैसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं।

(4) एक व्यक्ति जिसने एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अथवा एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्र में प्राप्त किया है या एक राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना अपेक्षित है, प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा।

(5) जहां एक व्यक्ति जिसने एक स्थापना की बाबत राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या जिससे ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थापना है, तब ऐसे स्थापनाओं को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के स्थापनाओं के रूप में माना जाएगा ।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र होने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखेगा :

परंतु व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्या के बजाय, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या रख सकेगा ।

(7) उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक अनिवासी कराधेय व्यक्ति को ऐसे अन्य दस्तावेजों जो विहित किए जाए के आधार पर उप धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकता है ।

(8) जहां एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में विफल होता है, उचित अधिकारी, कोई कार्रवाई जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा ।

(9) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी--

(क) संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां), अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित बहुपार्श्व वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशी देशों के कौंसल-कार्यालय या राजदूतावास ; और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए को,

ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त मालों का सेवाओं अथवा दोनों की अधिसूचित प्रदाय पर शामिल है करों का प्रतिदाय, जैसा कि विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जाएगा ।

(10) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या ऐसी रीति में सम्यक् सत्यापन के पश्चात् और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा या खारिज किया जाएगा ।

(11) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसी तारीख

से लागू होगा, जो विहित किया जाए ।

(12) एक रजिस्ट्रीकरण या एक विशिष्ट पहचान संख्या उप धारा (10) के अधीन विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रदान किया गया समझा जाएगा, यदि आवेदक को उस अवधि के भीतर कोई कमी संसूचित नहीं की जाती है ।

26. रजिस्ट्रीकरण समझा जाना ।—

(1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन इस अधिनियम के अधीन, धारा 25 की उपधारा (10) में यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर खारिज नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना समझा जाएगा ।

(2) धारा 25 की उपधारा (10) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन का खारिज किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का खारिज किया जाना समझा जाएगा ।

27. आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट उपबंध ।—

(1) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति केवल रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् ही कराधेय प्रदाय करेगा :

परंतु उचित अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाए, उक्त नब्बे दिन की अवधि को नब्बे दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(2) एक आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य रकम में कर का अग्रिम निक्षेप करेगा :

परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन समय का कोई विस्तार चाहा गया है, ऐसा कराधेय व्यक्ति, ऐसी अवधि जिसके लिए विस्तार चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम निक्षेप करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निक्षेप की गई रकम, ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक नकद खाते में जमा की जाएगी और धारा 49 के अधीन उपबंधित रीति से उपयोग किया जाएगा ।

28 रजिस्ट्रीकरण का संशोधन ।—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित की गई है, रजिस्ट्रेशन के समय या तत्पश्चात् दी गई सूचना में किसी परिवर्तन को ऐसे प्ररूप ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, उचित अधिकारी को सूचित करेगा ।

(2) उचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन दी गई या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गई सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, संशोधनों का अनुमोदन करेगा या खारिज करेगा :

परंतु ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, के संशोधन की बाबत समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु यह और कि उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा ।

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी अनुमोदन या संशोधनों का खारिज किया जाना या अनुमोदित किया जाना, इस अधिनियम के अधीन खारिज किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा ।

29. रजिस्ट्रीकरण का रद्दीकरण ।—

(1) उचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों, द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,--

(क) कारबार किन्हीं कारणों से जिसके अंतर्गत स्वत्वधारी की मृत्यु, किसी अन्य विधिक सत्ता के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा निपटान भी है, बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया गया है;

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कोई कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है।

(2) उचित अधिकारी, ऐसी तारीख, जिसके अंतर्गत किसी भूतलक्षी तारीख से जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां--

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है, जैसा विहित किया जाए; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर अदा करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नहीं दी है; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है; या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है ; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है:

परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधेय व्यक्ति का इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्य के भुगतान के दायित्व **या इस अधिनियम या**

इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, रद्दीकरण की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए, अवधारित कोई कर या अन्य शोध्य चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दीकरण की तारीख से पहले या पश्चात् अवधारित किए जाते हैं, के भुगतान के दायित्व की किसी बाध्यता के निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा ।

(4) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा ।

(5) प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में विकलन के माध्यम से, विहित रूप में संगणित ऐसी बीजक रकम का संदाय करेगा जो रद्दीकरण की तारीख से ठीक पूर्व दिन को स्टॉक में धारित निवेशों और स्टॉक में धारित अर्द्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य राशि या प्रकल्पित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर की राशि, दोनों में जो अधिक हो:

परंतु पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी के मामले में कराधेय व्यक्ति उक्त पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के समान ऐसी रकम जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु जो विहित किए जाए, से घटाकर आये या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर, जो भी अधिक हो, संदत्त करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन देय रकम ऐसी रीति जो विहित की जाए, से प्रकल्लित की जाएगी।

30. रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण का प्रतिसंहरण ।—

(1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा पर रद्द किया गया है, रद्दीकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो विहित की जाए, आदेश द्वारा या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जाएगा ।

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण का प्रतिसंहरण माना जाएगा ।

अध्याय 7

कर बीजक, जमा पत्र और नामे पत्र

31. कर बीजक।—

(1) कराधेय मालों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे समय से पहले या उस समय पर,--

(क) प्राप्तिकर्ता का प्रदाय, जहां प्रदाय में मालों का संचलन अंतर्वलित है, के लिए माल को हटाए जाने; **या**

(ख) किसी अन्य मामले में, मालों के परिदान या प्राप्तिकर्ता को उन्हें उपलब्ध कराए जाने के समय या उससे पहले मालों का, **वर्णन, मात्रा और मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा**:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा मालों या प्रदायों का प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनकी बावत विहित समय में और रीति में कर बीजक जारी किया जाएगा

(2) कराधेय सेवाओं का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवाओं के प्रदान के पूर्व या पश्चात् परंतु विहित अवधि के भीतर, वर्णन, मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनकी बाबत—

(क) प्रदाय के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा; या

(ख) कर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की **तारीख से प्रारंभ होने और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक की अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के विरुद्ध पुनरावलोकित बीजक जारी कर सकेगा;**

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और ऐसी रीति जो विहित की जाए के अध्यधीन रहते हुए कर बीजक जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा **यदि, मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का मूल्य दो सौ रूपए से कम है ;**

(ग) छूट प्राप्त मालों और सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला या धारा 10 के उपबंधों के अधीन का संदाय **करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टिताएं अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक प्रदाय का बिल जारी करेगा** :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रदाय का बिल जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा, **यदि प्रदाय किया गया माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य दो सौ रूपए से कम है** ;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों के किसी प्रदाय की बाबत **अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसे संदाय का** साक्ष्यस्वरूप **ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट**,

जो विहित की जाए, कोई रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा ;

(ङ) जहां, माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के संबंध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाउचर जारी करता है, परंतु तत्पश्चात कोई प्रदाय नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसने संदाय किया है, ऐसे संदाय के विरुद्ध कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा ;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदात्ता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में एक बीजक जारी करेगा ;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, प्रदायकर्ता, को संदाय करते समय एक संदाय वाउचर जारी करेगा ।

(4) माल के निरंतर प्रदाय की दशा में, जहां लेखाओं के क्रमवार विवरण या क्रमवार संदाय अंतर्वलित हैं, वहां बीजक, प्रत्येक ऐसे विवरण जारी करते समय या उससे पूर्व या, यथास्थिति, प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त करते समय या उससे पूर्व, जारी किया जाएगा ।

(5) उपधारा (3) के खंड (घ) के उपबंधों के अध्यधीन सेवाओं की निरंतर प्रदाय की दशा में,--

(क) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता लगाया जा सकता है, वहां बीजक संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ;

(ख) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां सेवाओं को प्रदायकर्ता संदाय द्वारा प्राप्त करने, के समय या उससे पूर्व बीजक जारी किया जाएगा ;

(ग) जहां संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा गया है, वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ।

(6) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन प्रदाय के पूरा होने से पूर्व सेवाओं का प्रदाय बंद हो जाता है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब प्रदाय बंद होता है और ऐसा बीजक ऐसी बंदी से पूर्व किए गए प्रदाय की सीमा तक जारी किया जाएगा ।

(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजा जा रहा या लिया जा रहा माल प्रदाय किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक, आप्रदाय के समय या उससे पूर्व अथवा हटाए जाने की तारीख से छह मास तक, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कर बीजक" पद के अंतर्गत पूर्व में की गई प्रदाय के बाबत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक शामिल होगा ।

32. कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध ।—

(1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय के की बाबत इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार के

सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

33. कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में कर की रकम का उपदर्शन।— इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई प्रदाय किसी प्रतिफल के लिए किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रदाय के लिए कर संदाय करने का दायी है निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों, कर बीजक और अन्य ऐसे अन्य दस्तावेज में, कर की रकम जो उस मूल्य का भाग होगी जिस पर ऐसी प्रदाय की जाती है, प्रमुखत: उपदर्शित करेगा ।

34. जमा और नामे पत्र ।—

(1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में प्रभारित कर योग्य मूल्य या कर ऐसी प्रदाय के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किए गए माल को वापस किया जाता है या जहां प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें ऐसे माल या सेवाएं या दोनों की प्रदाय की है, प्रदाय प्राप्तिकर्ता को ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट जमापत्र जारी कर सकेगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है, ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा जमा पत्र जारी किया गया है परंतु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी प्रदाय की गई थी, के अंत के पश्चात् सितंबर मास या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पूर्वतर हो से अपश्चात्, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा :

परंतु यदि ऐसी प्रदाय पर कर और ब्याज का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है तो प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर ऐसी प्रदाय के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय की है प्राप्त कर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाए, से अंतर्विष्ट नामे पत्र जारी करेगा ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के संबंध में कोई नामे पत्र जारी करता है, ऐसे नामेपत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे पत्र जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व, ऐसे रीति में जो विहित की जाए, समायोजित करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "नामे पत्र" पद के अंतर्गत पूरक बीजक हैं ।

अध्याय 8

लेखे और अभिलेख

35. लेखे और अन्य अभिलेख ।—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने यथावर्णित कारबार के मूल स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में,--

(क) माल के उत्पादन और विनिर्माण ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदाय ;

(ग) माल का स्टाक ;

(घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय ;

(ङ) संदेय और संदत्त आउटपुट कर ; **और**

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं,

की सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और अनुरक्षित करेगा :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में एक से अधिक कारबार का स्थान विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारबार के ऐसे स्थानों में रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशिष्टियां इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रख सकेगा और अनुरक्षित कर सकेगा ।

(2) भांडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाया गया किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या ऑपरेटर और प्रत्येक परिवाहक, चाहे **वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं,** प्रेषक, प्रेषिती **और ऐसे माल के अन्य सुसंगत ब्यौरे जो विहित किए जाएं, के अभिलेख रखेगा ।**

(3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी कराधेय व्यक्तियों के वर्ग को **के अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित करने के लिए कर योग्य व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा ।**

(4) जहां आयुक्त समझता है कि कर योग्य व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखे रखने और अनुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत

करेगा, जो विहित की जाए ।

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां उचित अधिकारी माल या सेवाओ या दोनों जिसका लेखा नहीं दिया गया है, पर संदेय कर की रकम, अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा प्रदाय की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

36. लेखों के प्रतिधारण की अवधि । धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन लेखों की बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उनको ऐसे लेखों और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से 72 मास की समाप्ति तक प्रतिधारण करेगा :

पंरतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही चाहे उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो, में कोई पक्षकार है, या अध्याय 19 के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषयवस्तु से संबंधित लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के लिए प्रतिधारित करेगा ।

अध्याय 9

विवरणियां

37. जावक प्रदायों के ब्यौरे देना ।—

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसे प्ररूप में और रीति में जो विहित की जाए, किसी कर अवधि के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की की गई जावक प्रदायों **के ब्यौरे उक्त कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 10वें दिन से पूर्व देगा और ऐसे ब्यौरे उक्त प्रदाययों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे :**

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अवधि के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन से 15वें दिन तक की अवधि के दौरान जावक प्रदाययों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा **:**

परंतु यह और कि आयुक्त, कारणों को अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किएं जाएं, के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और भी कि केंद्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार, आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक प्रदाययों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, 17वें दिन को या इससे पूर्व इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, परंतु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन से पूर्व नहीं, तथा उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे तदनुसार संशोधित हो जाऐंगे**।**

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा:

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने, जो भी पूर्वतर है, के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, "जावक प्रदायों **के ब्यौरे" पद के अंतर्गत किसी कर-अवधि के दौरान की गई जावक प्रदाययों के संबंध में जारी बीजक, नामे पत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे है ।**

38. आवक प्रदायों के ब्यौरे देना ।—

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपनी आवक प्रदायों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन संसूचित जावक प्रदाययों और जमा या नामे पत्रों से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटाएगा, यदि अपेक्षित हो और उसमें ऐसी प्रदाययों, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा घोषित नहीं की गई है, की बावत प्राप्त आवक प्रदाययों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा ।

(2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलैक्ट्रानिक रूप में किसी कर अवधि के दौरान कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों, की आवक प्रदायों जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी आवक प्रदायों, जिन पर इस अधिनियम के अधीन विपरीत आधार पर कर संदेय है तथा समन्वित माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल या सेवा या दोनों की आवक कराधेय प्रदायों या जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन समन्वित माल और सेवा कर संदेय है, और ऐसी प्रदायों के संबंध में प्राप्त जमा या नामे पत्रों उक्त कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 10वें दिन के पश्चात् परंतु 15वें दिन से पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, के ब्यौरे देगा :

परंतु आयुक्त, कारणों को अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, के ऐसे वर्ग जो उसमें विनिर्दिष्ट किएं जाएं, के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केंद्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई प्रदायों और उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे ।

(4) धारा 39 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा दी गई विवरणी में उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई प्रदाययों के ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने किसी कर अवधि के लिए उपधारा (2) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी त्रुटि लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने, जो भी पूर्वतर है, के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

39. विवरणियां देना ।—

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलैक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक प्रदाययां, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और अन्य ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जायें, **ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के 20वें दिन या इससे पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, विवरणी देगा ।**

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, राज्य में आवर्त **कोई माल या सेवा या दोनों की आवक प्रदाययों, संदेय कर और संदत्त कर की विवरणी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 18 दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप में संदत्त करेगा ।**

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा ।

(4) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कराधेय **व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् 13 दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा ।**

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलैंडर मास के अंत के पश्चात् 20 दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा ।

(6) आयुक्त, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देने के लिए समय-सीमा विस्तारित कर सकेगा :

परंतु केंद्रीय कर आयुक्त के द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर ऐसी विवरणी देने की अंतिम तारीख, से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा ।

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई प्रदाय ऐसी कर अवधि के दौरान की गई या नहीं ।

(9) धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात्, कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या

प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह, इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, के लिये दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परंतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी नहीं दी गई है ।

40. प्रथम विवरणी ।— प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बना, से उस तारीख तक जिसको उसे रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया, के मध्य अवधि में जावक प्रदाईयाँ की हैं, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उसकी घोषणा करेगा ।

41. इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति ।—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निबंधनों जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन यथा स्वनिर्धारित, पात्र इनपुट कर, का अपनी विवरणी में प्रत्यय लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसकी इलैक्ट्रानिक खाते में जमा की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमा का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा ।

42. इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेना ।—

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए दिए गए प्रत्येक आवक प्रदाय के ब्यौरे का–

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में "प्रदायकर्ता" कहा गया है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गई जावक प्रदाय के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ ;

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन संदत्त समन्वित माल और सेवा कर के साथ ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए,

ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, मिलान किया जाएगा ।

(2) इनपुट कर प्रत्यय का ऐसा दावा जिसके संबंध में आवक पूर्ति की बावत बीजकों या नामे पत्रा, जो तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों के साथ या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन आयातित माल के संबंध में उसके द्वारा संदत्त समन्वित माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(3) जहां आवकप्रदाय के संबंध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी प्रदाय के लिए प्रदायकर्ता द्वारा घोषित कर से अधिक है या प्रदायकर्ता द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक प्रदाय घोषित नहीं की गई है, वहां विसंगति दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए संसूचित किया जाएगा ।

(4) इनपुट कर जमा के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(5) किसी ऐसी **रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको उस मास की विधिमान्य विवरणी में प्रदायकर्ता द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, को उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी में प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर में ऐसी रीति में जोड़ा जाएगा, जो विहित की जाए ।**

(6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की आवृत्ति के कारण आधिक्य पाई जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें आवृत्ति संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोड़ा जाएगा ।

(7) प्राप्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि प्रदायकर्ता धारा 39 की उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है ।

(8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, प्रत्यय लेने की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्रतिदाय प्राप्तिकर्ता को उसकी इलैक्ट्रानिकी नकद खाते **में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,** प्रत्यय करके **किया जाएगा :**

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए गए ब्याज की रकम प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी ।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

43. आउटपुट कर दायित्व का मिलान, प्रतिलोम और प्रतिदाय ।—

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रदायकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी करावधि के लिए जावक प्रदाय के संबंध में **के लिए प्रस्तुत प्रत्येक** जमा पत्र **के ब्यौरे का—**

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा उसी करावधि या अन्य पश्चात्वर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए ; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति के लिए,

ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा ।

(2) प्रदायकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए ऐसा दावा, जिसका प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मिलान हो जाता है, को

अंतिम रूप से स्वीकृत की जाएगी तथा ऐसी स्वीकृति प्रदायकर्ता को रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(3) जहां जावक प्रदायों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी जमा पत्र की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नहीं की गई है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(4) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों के आवृत्ति की संसूचना प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(5) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गई है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गई है, की विधिमान्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्वर्ती मास, जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में ऐसी रकम, जो दावों की आवृत्ति के लेखे पाई जाती है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ऐसी आवृत्ति संसूचित की जाती है ।

(7) प्रदायकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता जमा पत्र के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा 39 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है ।

(8) कोई प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया जाता है वहां उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्रतिदाय प्रदायकर्ता को उसकी इलैक्ट्रानिकी नकद खाता में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम का प्रत्यय करके किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी ।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा प्रदायकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

44. वार्षिक विवरणी ।—

(1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिकी रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के पश्चात् 31 दिसंबर को या उससे पूर्व

एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाए, के साथ एक समाधान विवरण के साथ इलैक्ट्रानिकी रूप में उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

45. अंतिम विवरणी ।— प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

46. विवरणी व्यतिक्रमियों को सूचना ।— जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39, धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तब वहां पन्द्रह दिन के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, एक सूचना जारी की जाएगी ।

47. विलंब फीस का उदग्रहण ।—

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 या धारा 38 के अधीन अपेक्षित जावक या आवक प्रदायों के ब्यौरे या धारा 39 या धारा 45 के अधीन वांछित विवरणियाँ नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रूपए विलंब फीस का संदाय करेगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो सम्यक् तारीख तक धारा 44 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसके कारबार के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रूपए की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा ।

48. माल और सेवा कर व्यवसायी ।—

(1) माल और सेवा कर व्यवसायी के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, हटाने की रीति तथा उनके कार्य करने के लिए सुसंगत शर्तें अन्य, वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे धारा 38 के अधीन आवक प्रदायों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या फाइल किए गए अन्य ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।

अध्याय 10

कर संदाय

49. कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय ।—

(1) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिकी निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किया गया प्रत्येक जमा का ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति की संधारित **इलैक्ट्रानिकी** नकद खाता **में प्रत्यय किया जाएगा।**

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्व निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी संधारित **इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय** खाते, **में धारा 41 के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा ।**

(3) इलैक्ट्रानिकी नकद खाते **में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या तदधीन न बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम** का संदाय करने के **लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा ।**

(4) इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय खाता **में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा ।**

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय खाता **में उपलब्ध—**

(क) एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम का पहले उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ख) केंद्रीय कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम का पहले उपयोग केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ग) राज्य कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम का पहले उपयोग, राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम का पहले उपयोग संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ङ) केंद्रीय कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा ; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा ।

(6) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक नकद खाता या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता रकम में शेष का धारा 54 के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा ।

(7) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलैक्ट्रानिक देयता रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरक्षण किया जाएगा ।

(8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :--

(क) पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के स्व निर्धारित कर और अन्य शोध्य ;

(ख) चालू कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के स्व निर्धारित कर और अन्य शोध्य ;

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी है ।

(9) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को पास कर दिया है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने की तारीख को इलैक्ट्रानिकी नकद खाता में जमा करने की तारीख समझा जाएगा ;

(ख) पद,--

(i) "कर बकाया" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है ; और

(ii) "अन्य शोध्य" से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम अभिप्रेत है ।

50. आस्थगित कर संदाय पर ब्याज ।—

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं, अठारह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, पर ब्याज का संदाय करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्वर्ती दिन से यथाविहित ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी ।

(3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का अनुचित या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में अनुचित या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह,

यथास्थिति, ऐसे अनुचित या आधिक्य दावे या ऐसी अनुचित या आधिक्य कटौती पर केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा ।

51. स्रोत पर कर कटौती ।—

(1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार,--

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को ; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को ; या

(ग) सरकारी अभिकरणों को ; या

(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

(जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "कटौतीकर्ता" कहा गया है), प्रदायकर्ता (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "जिससे कटौती की गई है" कहा गया है) को कराधेय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिये किए गए संदाय या किए गए प्रत्यय से वहां, जहां ऐसा प्रदाय का कुल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रूपए से अधिक है, के एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकेगी :

परंतु कोई कटौती तब नहीं की जाएगी यदि आप्रदाय का स्थान और में प्रदायकर्ता का स्थान, किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में है जो, प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण राज्य या कि यथास्थिति संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है ।

स्पष्टीकरण—पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए आप्रदाय के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को विवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के अंत से दस दिन के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को संदाय किया जाएगा ।

(3) कटौती करने वाला, जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(4) यदि कोई कटौतीकर्ता, जिससे कटौती की जा रही है, को स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सरकार को इस प्रकार कटौती की गई रकम का प्रत्यय करने के पांच दिन के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, सौ रूपए की राशि का संदाय करेगा ।

(5) जिससे कटौती की जा रही है वह अपने इलैक्ट्रानिक नकद खाता में कटौती किए गए और धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए कर की रकम के अतिरिक्त धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में ब्याज का संदाय करेगा ।

(7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ।

(8) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के मद्दे उदभूत कटौती के कटौतीकर्ता या जिससे कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय धारा 54 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा :

परंतु कटौतीकर्ता को कोई प्रतिदाय अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि कटौती की गई रकम को, जिससे कटौती की जा रही है, के इलैक्ट्रानिकी नकद खाता **में प्रत्यय कर दिया गया है ।**

52. स्रोत पर कर का संग्रहण ।—

(1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रचालक" कहा गया है), जो अभिकर्ता नहीं है, के माध्यम से अन्य प्रदायकर्त्ताओं द्वारा की गयी ऐसे कराधेय प्रदायों जिनकी बावत प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया गया है, के शुद्ध मूल्य का एक प्रतिशत **से** अनधिक ऐसी दर, जो परिषद की सिफारिशों पर सरकार अधिसूचित करे, से संगणित राशि का संग्रहण करेगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयजनों के लिए अभिव्यक्ति ''कराधेय प्रदायों का शुद्ध मूल्य'' से किसी माह में प्रचालक के माध्यम से सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, धारा 9 की उप–धारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न, मालों या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदायों के संकलित मूल्य में से घटाये गये उक्त माह में प्रदायकर्त्ताओं को वापस किये गये कराधेय प्रदायों का संकलित मूल्य

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति प्रचालक से किसी एनी ढंग से वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन संग्रहित रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके माध्यम से किए जाने वाले मालो या सेवाओं या दोनों की जावक प्रदायों, जिनके अंतर्गत उसके माध्यम से वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत से दस दिन के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(5) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके माध्यम से की जाने वाली मालो या सेवाओं या दोनों की जावक प्रदायों, जिसके अंतर्गत उसके माध्यम से वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंत के पश्चात् 31 दिसंबर से पूर्व इलैक्ट्रानिकी रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई है, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय

के अधीन रहते हुए ठीक करेगा :

परंतु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने की अनुमतिवित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नीयत तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् नहीं दी जाएगी।

(7) प्रदायकर्ता, जिसने प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय की है,संगृहित रकम और उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणी में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,अपनी इलैक्ट्रानिक नकद खाता में प्रत्यय का दावा करेगा ।

(8) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत प्रदाय के ब्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदाय के तत्स्थानी ब्यौरों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा ।

(9) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदाय के ब्यौरे धारा 37 के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते है तो इस विसंगति की संसूचनादोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, दी जाएगी ।

(10) वह रकम,जिसके संबंध में उपधारा (9) के अधीनकिसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको प्रदायकर्ताओं द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में,जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई थी,ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त प्रदायकर्ता के उस मास के पश्चात्वर्ती मास की विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गई थी केआउटपुट कर दायित्वमेंऐसी रीति से, जो विहित की जाए,जोड़ा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों का मूल्य प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों के मूल्य से,अधिक है ।

(11) संबंधित प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (10) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसा प्रदाय के संबंध में धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर से जोड़ी गई रकम पर उस तारीख से जब ऐसा कर भुगतेय था, से भुगतान की तारीख तक संगणित ब्याज सहित कर का संदाय करेगा ।

(12) उपायुक्त से अन्यून श्रेणी का कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके क्रम में प्रचालक को निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए सूचना की तामील कर सकेगा—

(क) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय ; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से प्रदाय कर रहे प्रदायकर्ताओं द्वारा गोदामों या भांडागारों,चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, में रखे मालों का स्टाक, जो प्रचालक द्वारा प्रबंधित हो और ऐसे प्रदायकर्ताओं ने जिसे कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित किया है,

जो सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(13) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधारा (12) के अधीन सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

(14) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (12) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 122 के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संबंधित प्रदायकर्ता" पद से प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय करने वाला प्रदायकर्ता अभिप्रेत है ।

53. इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण ।— धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर बकाया **के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग,** जो **धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में उपदर्शितहै, किये जाने पर राज्य कर के रूप में संगृहित रकम** से **इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम** को **घटा दिया जाएगा और राज्यसरकार राज्यकर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर,जो विहित किया जाए, अंतरित करेगी ।**

अध्याय 11

प्रतिदाय

54. कर प्रतिदाय ।—

(1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर भुगतित **ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा** भुगतित **किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष** की समाप्ति **से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा :**

परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रानिकी नकद खाता में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा ।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, जो उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों परभुगतित **कर के प्रतिदाय का पात्र है, ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें ऐसीप्रदाय प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से छह मास** की समाप्ति **से पूर्व आवेदन कर सकेगा ।**

(3) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा :

पंरतु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा स्वीकार **नहीं किया जाएगा—**

(i) कर का भुगतान **किए बिना की गई शून्य दर प्रदाय** ;

(ii) जहां इनपुट कर प्रत्यय के संचित होने का कारण इनपुट कर दर की तुलना में आउटपुट आपूर्ति कर दर का उच्चतर होना है (शून्य कर दर एवं पूर्णतः कर मुक्त मामलों को छोड़कर), सिवाय वैसे मालों एवं सेवाओं या दोनों की आपूर्ति जो परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय;

परंतु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में स्वीकार **नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है :**

परंतु यह भी कि इनपुट कर प्रत्ययके किसी प्रतिदाय को स्वीकार **नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ताऐसी प्रदायों पर** भुगतित **एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है ।**

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) यह साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कि आवेदक को प्रतिदाय देय **है; और**

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (धारा 33 में निर्दिष्ट दस्तावेज सहित**) जैसा कि आवेदक यह साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई है, का संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को उससे** संग्रहित **किया गया था या उसके द्वारा** भुगतित **किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को पास नहीं किया गया है :**

परंतु जहां प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रूपए से कम है,तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को पास नहीं किया गया है।

(5) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम का धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में जमा **करेगा ।**

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा शून्य-दर वाले **मालों या सेवाओं या दोनों के प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में** औपबंधिक **आधार पर दावा की गई रकम, जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा की विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा ।**

(7) उचित अधिकारी उपधारा (5) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में जमा **किए जाने के स्थान पर आवेदक को** भुगतान **किया जाएगा यदि ऐसी रकम**

निम्नलिखित से संबंधित है—

(क) शून्य-दरवालेमालों या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य-दर वाले प्रदायोंके लिए किया गया है, पर संदत्त कर का प्रतिदाय ;

(ख) उपधारा (3) के अधीनइनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, का प्रतिदाय ;

(ग) ऐसेप्रदाय पर भुगतित **कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णत: या अंशतः उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है ;**

(घ) धारा 77 के अनुसरण में कर का प्रतिदाय ;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा भुगतित कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को पास नहीं किया हो ; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज ।

(9) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सिवाय उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसरण के,कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

(10) जहां किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कोईप्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में चूक किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, उचित अधिकारी—

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर,ब्याज या शास्ति का भुगतान किए जाने तक देय प्रतिदाय के भुगतान को रोक सकेगा ;

(ख) देयप्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम की, जिसका भुगतान करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन अभुगतित रहती है, कटौती कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट तारीख" से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है ।

(11) जहां कोई आदेश जिससे प्रतिदाय उद्भूत हुआ है किसी अपील या अग्रत्तर कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करे, विधारित कर सकेगा ।

(12) जहां उपधारा (11) के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया गया है तो धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या और कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है ।

(13) इस धारा में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा

जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए धारा 39 के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां दाखिल न कर दी हो ।

(14) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रूपए से कम है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(1) "प्रतिदाय" में शून्य-दर मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या समझे गए निर्यात के रूप में मालों की प्रदाय पर कर प्रतिदाय या उपधारा (3) के अधीन यथाउपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है ।

(2) "सुसंगत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में, यथास्थिति, जहां स्वयं ऐसे मालों के लिए या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में भुगतित कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,--

(i) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है ; या

(ii) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं ; या

(iii) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख ;

(ख) मालों के प्रदाय कोनिर्यात समझे जाने की दशा में जहां भुगतित कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है ;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां भुगतित कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख—

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की प्रदाय को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है ; या

(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय कीबीजक जारी करने से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था ;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के संसूचनकी तारीख ;

(ङ) उपधारा (3) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्त वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उदभूत

होता है ;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन भुगतान **किया जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख ;**

(छ) प्रदायकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख ; और

(ज) किसी और दशा में कर के भुगतान **की तारीख ।**

55. कतिपय मामलों में प्रतिदाय । सरकार परिषद् की सिफारिशों पर,अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन,जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है,विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग,जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं,जो कि ऐसे निबंधनों और शर्तों,जो विहित की जाए,के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित प्रदाय पर भुगतित **कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे ।**

56. विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज ।— यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के समाप्ति के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज भुगतेय **होगा :**

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश,जो अंतिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप पारित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के समाप्ति **के पश्चात् की तारीख से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज** भुगतेय **होगा ।**

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन उचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा ।

57. उपभोक्ता कल्याण निधि ।— सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में निम्नलिखित को जमा **किया जाएगा—**

(क) धारा 54 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रकम ;

(ख) निधि में जमा **की गई रकम के विनिधान से कोई आय ; और**

(ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियां ।

58. निधि का उपयोग ।—

(1) निधि में जमा की गई सभी राशियों का सरकार द्वारा उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथाविहित प्ररूप में तैयार करेगा ।

अध्याय 12

कर निर्धारण

59. स्वत: निर्धारण ।— प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय करों का स्वत: निर्धारण करेगा और धारा 39 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

60. अनंतिम निर्धारण ।—

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराधेय व्यक्ति मालों या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ है तो वह उचित अधिकारी कोलिखित में औपबंधिक आधार पर कर के भुगतान के कारणों को देते हुए अनुरोध करेगा और उचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन से अपश्चात् अवधि के भीतर औपबंधिक आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के भुगतान को अनुज्ञात करेगा ।

(2) औपबंधिक आधार पर कर के भुगतान को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराधेय व्यक्ति विहित प्ररूप मे एकबंध-पत्र और ऐसा प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति, जो उचित अधिकारी उचित समझे, जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित कर और औपबंधिक रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का भुगतान करने के लिए बाध्य करती हो, निष्पादित करता है ।

(3) उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को विचार में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा :

परंतु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मालों या सेवाओं की प्रदाय या दोनों पर औपबंधिक निर्धारण के अधीन संदेय कर, किंतु जिसका भुगतान धारा 39 की उपधारा (7) या तद्धीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक नहीं किया गया है, पर धारा 50 की उपधारा (1) के

अधीन निर्दिष्ट दर पर मालों या सेवाओं या दोनों की उक्त प्रदाय के संबंध में कर का भुगतान करने की नियत तारीख के पश्चात् वास्तविक भुगतान की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा चाहे ऐसी रकम का भुगतान अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो ।

(5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो धारा 54 की उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रतिदाय पर धारा 56 में यथा उपबंधित ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।

61. विवरणियों की संवीक्षा ।—

(1) उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा करेगा और ध्यान में आई विसंगतियों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सूचना देगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(3) उचित अधिकारी द्वारासूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि,जो उसके द्वारा मंजूर की जाए,में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में,जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी,सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो उचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा,जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य बकाया का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

62. विवरणियों को फाइल नहीं करने वाले का निर्धारण ।—

(1) धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उचित अधिकारी उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को विचार में लेने के पश्चात् और अपनी सर्वोत्तम विवेक से उक्त व्यक्ति का कर निर्धारण करेगा तथा वित्त वर्ष, जिससे अभुगातित कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से

तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के भुगतान या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान करने का दायित्व जारी रहेगा ।

63. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण ।— धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किंतु जो कर का संदाय करने का दायी था तो उचित अधिकारी उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को विचार में लेने के पश्चात् और अपनी सर्वोत्तम जानकारी से उक्त व्यक्ति का करेगा तथा वित्त वर्ष, जिससे अभुगातित कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा :

परंतु व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जाएगा ।

64. कतिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण ।—

(1) उचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करते हुए निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है :

परंतु यदि कराधेय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित है, का अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकने और ऐसा दायित्व मालों की प्रदाय से सम्बंधित होने की दशा में ऐसे मालों के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण के दायी कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा और वह कर का और इस धारा के अधीन देय अन्य रकम का भुगतान करने का दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश को रद्द कर देगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

अध्याय 13

लेखापरीक्षा

65. कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा ।—

(1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान या अपने कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेंगे ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व विहित रीति से सूचित किया जायेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा :

परंतु जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए अधिकतम **छह मास** की और अवधि **के लिए कालावधि का विस्तार कर सकेगा ।**

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "लेखापरीक्षाका आरंभ" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस तारीख **को कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए अभिलेख और दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करा दिए जाते हैं याकारबार के स्थान पर, लेखापरीक्षा के वास्तविक आरंभ** की तारीख, **इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हों**।

(5) लेखापरीक्षा के प्रक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा,--

(i) **उसकी अपेक्षानुसार लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करना ;**

(ii) **उसे ऐसी जानकारी, जो वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा के समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने की ।**

(6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर उचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्षों, उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों से सूचित करेगा ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या

इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो उचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा ।

66. विशेष लेखापरीक्षा ।—

(1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के प्रक्रम में सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून अधिकारी का मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित में यह मत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से जांच करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा ।

(2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार नब्बे दिन की कालावधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट जिसमे अन्य विशिष्टियों का वर्णन करते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, उक्त सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा :

परंतु सहायक आयुक्त उसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड अकाउंटेंटया लागत लेखाकार द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्विक और पर्याप्त कारण से उक्त कालावधि का नब्बे दिन की और कालावधि से विस्तार कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन की गई है ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा के खर्च जिसके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंटया लागत लेखाकार का पारिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा निर्धारण और भुगतान किया जाएगा तथा ऐसा निर्धारण अंतिम होगा ।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो उचितअधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा ।

अध्याय 14

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

67. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति ।—

(1) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि—

(क) जहां किसी कराधेय व्यक्ति ने मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय अपने पास रखे गए मालों के स्टाक के संबंध में किसी संव्यवहार को छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है; या

(ख) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे मालों को रख रहा है जिन पर कर का संदाय नहीं किया गया है या उसने अपने लेखाओं या मालों को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन देय कर का अपवंचन होने की संभावना है,

तो वह लिखित में राज्यकर के किसी अधिकारी को कराधेय व्यक्ति के कारबार या मालों के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून उचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि कोई माल जो अधिहरण के लिए दायी है या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसे मालों को अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मालों के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश तामिल कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय मालों को नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनसे व्यौहार नहीं करेगा :

परंतु इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियां या चीजें या कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज बहियां या चीजें जिन्हें इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना जारी करने के लिए आधार नहीं बनाया गया

है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना जारी करने की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील करने की या तोड़ने की या किसी अलमारी, इलैक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, संदूक, जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे परिसर, अलमारी,इलैक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, संदूक तक उसके पहुंच को रोका जाता है, वहां उन्हें तोड़कर खोल सकेगा ।

(5) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उपधारा (2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों को अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना समुचित अधिकारी के मत में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, लेने का हकदार होगा ।

(6) उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल औपबंधिक आधार पर बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमश: ऐसी रीति और ऐसे मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए, या यथास्थिति, लागू कर, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

(7) जहां उपधारा (2) के अधीन किन्हीं मालों का अभिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छह मास की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है तो मालों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :

परंतु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह मास की अवधि का उचित अधिकारी द्वारा अधिकतम छह मास की और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा ।

(8) सरकार, शीघ्र नष्ट होने या खतरनाक या, समय के साथ मालों के मूल्य में अवक्षयण होने वाली प्रकृति के मालों या मालों के लिए भंडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा मालों या मालों के ऐसे वर्ग को, जिसका उचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण के पश्चात्यथासंभव शीघ्र निपटान किया जाएगा, निर्दिष्ट कर सकेगी ।

(9) जहां कोई माल, जो उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, जिनका उचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वाराउपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में , जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा ।

(10) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 उपधारा (5) में "मजिस्ट्रेट" शब्द, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "आयुक्त" शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया था ।

(11) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा और उनपर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो, अभिग्रहण बनाये रखेगा ।

(12) आयुक्त या उसके द्‌वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी कराधेय व्यक्ति द्‌वारा मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सम्बन्ध में कर बीजक या प्रदाय का बिल के निर्गमन की जाँच करने के उद्देश्य से उसके कारबार परिसर से माल या सेवाओं या दोनों का **क्रय कर सकेगा और ऐसे अधिकारी द्‌वारा इस प्रकार क्रय किए गए मालों के वापस करने पर कारबार परिसर का प्रभारी व्यक्ति इस प्रकार संदत्त रकम का पूर्व में जारी कर बीजक या बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा ।**

68. संचलन में मालों का निरीक्षण ।—

(1) सरकार ऐसी रकम से अधिक मूल्य के, जो उसके द्‌वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, मालों के परिवहन करने वालेवाहन के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों की, जो विहित की जाए, रखे जाने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन वहन किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यौरों का ऐसी रीति में विधिमान्यकरण किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) जहां उपधारा (1)में निर्दिष्ट किसी परिवहन **को किसी स्थान पर उचित अधिकारी द्‌वारा रोक लिया जाता है तो वह उक्त** वाहन **के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधाराके अधीनविहित दस्तावेजों और युक्तियों की सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और युक्तियों** के **प्रस्तुत करने का** दायी होगा **तथा मालों के निरीक्षण** करवाने की भी स्वीकृति देगा।

69. गिरफ्तार करने की शक्ति ।

(1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किया है जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या उपधारा (2)के अधीन दंडनीय है तो वह आदेश द्‌वारा राज्यकर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार से अवगत करवाएगा और उसे चौबीस घंटें के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,--

(क) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यतिक्रम की दशा में मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा ;

(ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के लिए किसी उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास वहीं शक्तियां होंगी जो किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति के पास होती हैं और वह उन्ही उपबंधों के अधीन रहेगा जिनके अधीन किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति होता है।

70. व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति ।-

(1) इस अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति सन्निहित होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझा जाएगा ।

71. कारबार परिसरों तक पहुंच।-

(1) संयुक्त आयुक्त से अन्यून उचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक, लेखाबहियां, दस्तावेजों, कंप्यूटरों, कंप्यूटर प्रोग्रामों, कंप्यूटर साफ्टवेयर, चाहे किसी कंप्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा, अपेक्षित अन्य ऐसी चीजों जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच के लिए **जो राजस्व के** हितार्थ **आवश्यक हो, तक पहुंच होगी ।**

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति मांग किए जाने पर उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या उचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखा परीक्षा दल या धारा 66 के अधीन निर्दिष्ट लागत लेखाकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट को निम्नलिखित—

(i) **ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और उचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषित किया गया है** ;

(ii) **कच्चा चिट्ठा या उसका समतुल्य** ;

(iii) **वार्षिक वित्तीय लेखे,** सम्यक् रूप से अंकेक्षित, **जहां अपेक्षित हो** ;

(iv) **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो** ;

(v) **आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44क ख के अधीन आय-कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ; और**

(vi) **कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,**

अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा संवीक्षा करने के लिए उस दिन से,जबऐसी मांग की गई थी,पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अधिक **अवधि,जो उक्त अधिकारी या लेखा परीक्षा दल या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा** मंजूर **की जाए,उपलब्ध कराएगा ।**

72. उचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी।-

(1) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू-राजस्व के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी हैं, केंद्रीय कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारी, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में उचित अधिकारियों की सहायता करेंगे ।

(2) सरकार अधिसूचना के माध्यम से अधिकारियों के किसी अन्य वर्ग को सशक्त करते हुए इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उनसे, आयुक्त द्वारा कहे जाने की दशा में, उचित अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

अध्याय 15

मांग और वसूली

73. कपट या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से असंदत्त कर या कम संदत्त करया त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण ।—

(1) जहां उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कपट या जानबूझ कोई मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए कर तथ्यों को छिपाए जाने से भिन्न किसी कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया या उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताओ सूचना तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय करे ।

(2) उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना, उपधारा (10) में आदेश जारी करने के लिए में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न किन्ही कालावाधिओं मेंसंदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए या उपभोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा ।

(4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों के लिए प्रयुक्त आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जाएगा ।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति,उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील या उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन उसके द्वारा संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का अपने स्वयं के अवधारणा पर या उचित अधिकारी के अवधारणा पर कर का संदाय कर सकेगा और उचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा ।

(6) उचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय किसी शास्ति के लिए यथास्थिति,उपधारा (1) के अधीन सूचना या उपधारा (3) के अधीन विवरण तामील नहीं करेगा ।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप

से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करेगा।

(8) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का कारण बताओ सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) समुचित अधिकारीकर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कर, ब्याज और कर के दस प्रतिशत के समतुल्य रकम या दस हजार रूपए, जो भी अधिक हो, के बराबर शक्ति निर्धारित करेगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतेय होगा और एक आदेश जारी करेगा ।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को उस वित्त वर्ष, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था या त्रुटिवश प्रतिदाय प्राप्त किया गया था, के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (9) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वत: निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की निर्धारित तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है ।

74. कपट या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाने के कारण से असंदत्त कर या कम संदत्त करया त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण ।—

(1) जहां उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को छिपाए जाने के कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया या उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताओ सूचना तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और सूचना में निर्दिष्ट कर की राशी के समतुल्य राशि के शास्ति का संदाय करे ।

(2) उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना, उपधारा (10) में आदेश जारी करने के लिए में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम छहमास पूर्व जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न किन्ही कालावाधिओं में संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए या उपभोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा ।

(4) ऐसे व्यक्ति पर उपधारा (3) **के अधीन विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों के लिए** प्रयुक्त **आधार, कपट या कोई मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर तथ्यों को छिपाए जाने के सिवाय, वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, धारा ७३ की उपधारा** (1) **के अधीन सूचना की तामील समझा जाएगा ।**

(5) कर से प्रभार्य व्यक्तिउपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन उसके द्वारा संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का अपने स्वयं के अवधारणा पर याउचित अधिकारी के अवधारणा पर कर तथा ऐसे कर पर पंद्रह प्रतिशत के दर से संगणित शास्ति का संदाय कर सकेगा और उचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा ।

(6) उचितअधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय किसी शास्ति के लिए उपधारा (1) के अधीन सूचना तामील नहीं करेगा ।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करेगा।

(8) जहां उपधारा (1)के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) उचित अधिकारीकर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देय **कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा ।**

(10) समुचित अधिकारीउपधारा (9) के अधीन आदेश को उस वित्त वर्ष, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था या **त्रुटिवश प्रतिदाय प्राप्त किया गया था, के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।**

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश तामील की गई है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1—धारा 73 **और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--**

(i) **"उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी** ;

(ii) **जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ**

समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,"छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिन्हें कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को उचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा ।

75. कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध ।—

(1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) तथा धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से विवर्जित किया जाएगा ।

(2) जहां कोई अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन निर्गत सूचना इस कारण से मान्य **नहीं है कि कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो उचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई थी ।**

(3) जहां अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा ।

(4) सुने जाने के अवसर को वहां प्रदान किया जाएगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय अपेक्षित **है ।**

(5) उचित अधिकारी यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को समय प्रदान **करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा :**

परंतु ऐसा कोई स्थगन कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(6) उचित अधिकारी अपने आदेश में सुसंगत तथ्यों तथा निर्णय के आधार का अधिकथन करेगा ।

(7) आदेश में मांग किए गए कर, ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों के किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी ।

(8) जहां अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को परिवर्तित **करता है तो ब्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार** परिवर्तित **कर की रकम को** विचार **में लेते हुए तदनुसार** परिवर्तित **हो जाएगी ।**

(9) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए गए कर पर ब्याज संदेय होगा चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं ।

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में

यथाउपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है ।

(11) कोई मुद्दा, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच की कालावधि को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां विवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन कारण बताओ सूचना जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं ।

(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वत: निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णत: या अंशतः अभुगतित रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम अभुगतित रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी ।

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसी कृत्य या लोप के लिए उसीव्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं किया जाएगी ।

76. संगृहित किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर ।—

(1) अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात के होते हुए कि वह प्रदाय, जिनके संबंध में ऐसी रकम का संग्रह किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है तो उचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को कारण बताओ सूचना सूचना जारी करेगा कि सूचना में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम को उसके द्वारा सरकार को संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए ।

(3) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देय रकम का निर्धारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के अतिरिक्त उस पर धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा संगृहित रकम की तारीख से सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का भी दायी होगा ।

(5) वहां सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा जहां ऐसे व्यक्ति से, जिसको कारण बताओ सूचना जारी की गई है, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है ।

(6) समुचित अधिकारी सूचना जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(7) जहां आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को एक वर्ष की कालावधि की संगणना करने में विवर्जित किया जाएगा ।

(8) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के सुसंगत कारणों को अधिकथित करेगा ।

(9) उपधारा (1) याउपधारा (3) के अधीन सरकार को संदत्त रकम का उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रदायों के संबंध में व्यक्ति द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन किया जाएगा ।

(10) जहां उपधारा (9) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई आधिक्य शेष बचता है तो ऐसे आधिक्य की रकम का या तो निधि में प्रत्यय किया जाएगा या उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी रकम को चुकाया है ।

(11) वह व्यक्ति, जिसने रकम को चुकाया है, धारा 54 के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

77. गलती से संगृहित किया गया और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर ।—

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा राज्यान्तर्गतप्रदाय समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केंद्रीय कर और राज्य कर संदत्त किया है किंतु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतर्राज्यिकप्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है, को इस प्रकार संदत्त रकम का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतर्राज्यिकप्रदाय समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से राज्यान्तर्गतप्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है, से, यथास्थिति, संदेय राज्य कर की रकम पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

78. वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना ।— इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर संदत्त किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी :

परंतु जहां उचित अधिकारीराजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी तीन मास से कम विनिर्दिष्टकालावधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

79. कर की वसूली ।—

(1) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदत्त नहीं किया जाता है तो समुचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक ढंगों से रकम को वसूल कर सकेगा ,

अर्थात् :--

(क) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय किसी रकम को वैसे पैसे से जिस पर उसका स्वामित्व हो और **उचित** अधिकारी या अन्य किसी विनिर्दिष्ट आधिकारी के नियंत्रण में हो, **से इस प्रकार कटौती** कर सकेगा **या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से** उस **रकम की कटौती करने की अपेक्षा** कर सकेगा।

(ख) उचित अधिकारी भुगतेय राशि की वसूली या अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से उस राशि की वसूली की अपेक्षा उस व्यक्ति के मालों **जो** की **उचित** या अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रण में हो, को **निरुद्ध और** विक्रय करके कर सकेगे।

(ग) (i) उचित अधिकारी, लिखित सूचना के द्वारा, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को कोई धन सोध्य है या हो सकता है या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके मद् कोई धन धारण करता है या पश्चात्वर्ती रूप में धारण कर सकेगा, निदेश दे सकेगा कि वह सरकारी को, विनिर्दिष्ट रीति से धन शोध्य होने पर या धारण करने पर तुरन्त या सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर (जो धन शोध्य होने या धारण करने के पूर्व नहीं हो) उतना धन जितना इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति से शोध्य राशि चुकाने के लिए पर्याप्त हो, या कुल धन जब वह उक्त रकम के बराबर या उससे कम हो, जमा कर दें**;**

(ii) **प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपखंड** (i) **के अधीन सूचना जारी की जाती है ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशेषतया जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है तो किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय किए जाने से पूर्व इस बात के होते हुए भी कि तत्प्रतिकूल कोई नियम, पद्धति या अपेक्षा है, प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ;**

(iii) किसी व्यक्ति को, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की गई है, के उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम लागू होंगे ;

(iv) उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में भुगतान **के लिए समय का विस्तार कर सकेगा ;**

(v) उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की अनुपालन में कोई भुगतान **करने वाले किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन** भुगतान **करने वाला समझा जाएगा और ऐसे** भुगतान राशि **का सरकार में** जमा**किए जाने पर ऐसे व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व का, रसीद में विनिर्दिष्ट रकम** की सीमा **तक अच्छा और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा ;**

(vi) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति निर्वहन किए गए दायित्व के सीमा **तक या** व्यतिक्रमी के **कर, ब्याज और शास्ति** के दायित्व की सीमा तक **इनमें से जो भी कम हो,** व्यक्तिगत रूप से **सरकार के प्रति दायी होगा ;**

(vii) जहां किसी व्यक्ति पर उपधारा (1) के अधीन सूचना तामील की गई है वहां सूचना जारी करने वाले अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि मांग धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रम वाले व्यक्ति, को देय नहीं था, या जिस समय उस पर सूचना तामील की गई थी उस समय ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से कोई धन उस पर धारित नहीं था, और मांग धन या उसका कोई भाग ऐसे व्यक्ति को देय होने को या ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से ऐसे व्यक्ति का कोई धन उस पर धारित होने की संभावना नहीं है, तो इस धारा में

अंतर्विष्ट किसी बात से ऐसे व्यक्ति द्वारा सरकार को यथास्थिति ऐसा कोई धन या उसके किसी भाग का संदाय करने की अपेक्षा किया जाना नहीं समझा जाएगा;

(घ) समुचित अधिकारी इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का भुगतनार्थ जब्त कर सकेगा **और उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम** का भुगतान **नहीं कर दिया जाता है और उक्त देय रकम का कोई भाग या** जब्त संपति **की लागत या संपत्ति को रखने की लागत अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात्** भी अभुगतित **रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगतों सेसंदेय रकम को चुकाया जाएगा तथा आधिक्य** प्राप्त राशि **को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा** ;

(ङ) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से बकाया **रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलेक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजेगा,जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या** जहाँ **वह निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलेक्टर या उक्त अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्तिसे उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करेगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया था** ;

(च) दंड प्रक्रिया संहिता, **1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उचित अधिकारी समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपितकोईजुर्मानाथा** ;

(2) जहां इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या तद्धीन बनाए गए विनियमोंके अधीन निष्पादित कोई बंधपत्र या लिखत यह उपबंध करता है कि ऐसे लिखित के अधीन बकाया **किसी रकम को उपधारा (1) में अधिकथित रीति में वसूल किया जाएगा तो वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस धारा के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।**

(3) जहां कर, **ब्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय है और जो** अभुगतित **रहती है तो राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के प्रक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की ऐसी वसूली करेगा मानो वह राज्य कर का बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई रकम का सरकार के खाते में** जमा **करेगा ।**

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन वसूल की गई रकम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बकाया **रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में रकम का** जमा **प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में किया जाएगा ।**

80. कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय ।— किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए भुगतान **के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वत: निर्धारित दायित्व के अनुसार** बकाया **रकम से भिन्न किसी रकम के** भुगतान **को धारा 50 के अधीन ब्याज के** भुगतान **के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं**, **जो विहित की जाएं**, **के अधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में** भुगतान **करने के लिए** अनुमति दे **सकेगा :**

परंतु जहां किसी नीयत तारीख को किसी एक किस्त के भुगतान **में कोई व्यतिक्रम**

होता है तो ऐसी तारीख को देय शेष राशि बकाया हो जाएगा और तुरंत देय होगा तथा किसी और सूचना की ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना वसूली का दायी होगा ।

81. कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना ।— जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोध्य हो जाने के पश्चात् उसकी या उसके कब्जे की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उससे विक्रय,बंधक रखने, विनिमय या किसी अन्य विधि से अंतरण चाहे,जो भी हो, द्वारा अपने किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के आशय से करता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के आलोक में अमान्य हो जाएगा:

परंतु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण अमान्य नहीं होगा यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक किया गया हो या इस अधिनियम के अधीन ऐसी लंबित कार्यवाहियों, के बिना किसी सूचना के आधार पर किया गया हो या ऐसे व्यक्ति द्वारा देय किसी अन्य राशि के लिए किया गया हो या समुचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाताहो।

82. कर का संपत्ति पर पहला प्रभार होना ।— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सिवाय दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में अन्यथा उपबंधित के किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय कोई रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे कराधेय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा ।

83. कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की ।—

(1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबन के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा औपबंधिक रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा ।

(2) ऐसी औपबंधिक कुर्की का उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा ।

84. कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण।— जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "सरकारी शोध्य" कहा गया है) के संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती है तब—

(क) जहां ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है तो आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम के संबंध में जिसके द्वारा ऐसे सरकारी शोध्यों को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो उस पर तामील की गई मांग की सूचना में आती हैं, ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व किसी नई मांग सूचना की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे

निपटान के ठीक पूर्व थी ;

(ख) जहां सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है तो,--

(i) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा ;

(ii) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लंबित हैं, संसूचना देगा ;

(iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिस पर जहां वह ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रहेंगी ।

अध्याय 16

कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

85. कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व ।— (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागत: विक्रय, उपहार, पट्टा, इजाज्त और अनुज्ञप्ति, भाड़ा या किसी अन्य रीति, चाहे जो भी हो, अंतरण करता है तो कराधेय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्त: पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तक कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण तक शोध्य कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया हो किंतु जो असंदत्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के लिए दायी होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से चलाता है तो वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा प्रदाय किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का संदाय करनेऔर, यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है तो विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करने का , दायी होगा ।

86. अभिकर्ता और प्रधान व्यक्ति का दायित्व ।— जहां कोई अभिकर्ता अपने प्रधान व्यक्ति के निमित्त कराधेय वस्तुओं की प्रदाय करता है या उन्हें प्राप्त करता है तो ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक्त: इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर संदेय कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे ।

87. कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व । —

(1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के निर्णय **के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और** निर्णय **का आदेश किए जाने की तारीख** के **पूर्व** से **प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को उस तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश के प्रभावी होने की तारीख के बीच मालों या सेवाओं की या दोनों की प्रदाय की है या मालों को या सेवाओं को या दोनों को**

प्राप्त किया है तब ऐसा प्रदाय और प्राप्ति के संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के प्रदाय या प्राप्ति आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा और वह तद्नुसार कर का भुगतान **करने की दायी होगी ।**

(2) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तारीख तक की अवधि के लिएभिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जाएगा ।

88. परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व ।—

(1) जब कोई कंपनी को किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा, समाप्त किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं परिसंपत्तियां **को प्राप्त करने के लिए परिसमापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "परिसमापक" कहा गया है), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा ।**

(2) आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर, जब **वह परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, परिसमापक को और वह रकम, जो उसके मत में किसी कर, ब्याज या शास्ति, जो तब या तत्पश्चात् कंपनी द्वारा** भुगतेय **है या** भुगतेय **हो जाती है, अधिसूचित करेगा ।**

(3) जब किसी प्राइवेट कंपनी को समाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए,चाहे परिसमापन केक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर,ब्याज या शास्ति,जिसको वसूल नहींकिया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर बकाया **है, के दौरान** हर ऐसा व्यक्ति जो **कंपनी का निदेशक था,संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर,ब्याज या शास्तिका, सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा,दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है,** भुगतान **करने के लिए दायी होगा ।**

89. प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व ।—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, बकाया **है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर** बकाया **है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का, सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है,** भुगतान **करने के लिए दायी होगा ।**

(2) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और किसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है तो उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति पर **लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का, ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों की या**

सेवाओं की या दोनों की प्रदाय के विरूद्ध किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में, निदेशक था :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति के लिए लागू नहीं होगी ।

90. फर्म के भागीदारों का कर का संदाय करने के लिए दायित्व ।— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि याकिसी संविदामें तत्प्रतिकूल के होते हुए भी, जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है तो फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार ऐसे संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्त: दायी होगा :

परंतु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह या फर्म उक्त भागीदार की सेवानिवृत्ति की तारीख को इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा आयुक्त को संसूचित करेगा और ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक बकाया कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने का, चाहे उस तारीख को बकाया निर्धारित की जाए या नहीं, दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृति की तारीख से एक मास के भीतर नहीं दी जाती है तो पहले परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस तारीख तक बना रहेगा जब ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है ।

91. अभिरक्षों, न्यासियों आदि का दायित्व ।— जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर,ब्याज या शास्ति संदेय है, को किसी अव्यस्क या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अव्यस्क या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी अभिरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे अभिरक्षक या न्यासी या अभिरक्षक पर कर,ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अव्यस्क या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, यदि वह व्यस्क या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

92. प्रतिपाल्य अधिकरण ।— जहां किसी कराधेय व्यक्ति की संपदा या उसके किसी भाग जिसके अधीन कोई कारबार है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्तिकराधेय है, किसी प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति,चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है,कर,ब्याज या शास्तिउस पर उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी ठीक वैसे जैसे उसका कराधेय व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली की जाती, जैसे कि कराधेय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

93. कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध ।—

(1) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए

दायी है, तब—

(क) यदि व्यक्ति द्‌वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्‌वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति बकाया कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा ; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्‌वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसके विधिक प्रतिनिधि मृतक की संपदा से उस परिमाण तक, जहाँ तक संपदा ऐसे व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीनकर, ब्याज या शास्ति का भुगतान चुकाने में सक्षम है, भुगतान करने के लिए दायी होगा,

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्तिका अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो किंतु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् अभुगतित रहा हो या मृत्यु के बाद या अवधारित किया गया है ।

(2) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीनकर, ब्याज या शास्तिका भुगतान करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों को समूह का सदस्य है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के समूह का विभिन्न सदस्यों या व्यक्तियों के दलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है तब प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथक्त: इस अधिनियम के अधीनकराधेय व्यक्तिसे बंटवारे के समय तक कर, ब्याज या शास्तिका संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसेकर,ब्याज या शास्तिका अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो,जो बंटवारे के पश्चात् अभुगतित रह गया है या बंटवारा के बाद अवधारित किया गया है ।

(3) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीनकर, ब्याज या शास्तिका संदाय करने के लिए दायी है और फर्म का विघटन कर दिया गया है तब प्रत्येक व्यक्ति,जो भागीदार था, संयुक्त रूप से या पृथक्त: इस अधिनियम के अधीनफर्म से शोध्य, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या बंटवारा के पश्चात् अवधारित किया गया है ।

(4) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीनकर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है,--

(क) किसी अव्यस्क का अभिरक्षक है, जिसकी ओर से अभिरक्षक द्‌वारा कारबार चलाया जाता है ; या

(ख) कोई न्यासी है, जो हितग्राही किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि अभिरक्षा या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, अव्यस्क या हितग्राही कराधेय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन तक बकाया कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसेकर,ब्याज या शास्ति का अवधारण अभिरक्षा या न्यास के समापन से पूर्व किया गया हो जो अभुगतित रह गया है या समापन के पश्चात अवधारित किया गया हो।

94. अन्य मामलों में दायित्व ।—

(1) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है,--

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज या शास्ति का निर्धारण **ऐसे किया जाएगा मानो कारबार** बंद **हुआ ही न हो ;और**

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद करना होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के भुगतान **के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्त: दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का** निर्धारण **या शास्ति को उससे पूर्व अधिरोपित किया गया है या ऐसा बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों** पर **ऐसे लागू होंगे मानो वह कराधेय व्यक्ति था ।**

(2) जहां फर्म या व्यक्तियों के समूह **के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म के भागीदार या** समूह **के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या व्यक्तियों से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व** बकाया **कर, ब्याज या शास्ति का** भुगतान **करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्त: दायी होंगे ।**

(3) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधेय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का समूह **है, को या कराधेय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, जिसने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, को लागू होंगे और तदनुसार उस धारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का ऐसे विघटन या विभाजन के** समान **लगाया जाएगा ।**

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

(i) "सीमित दायित्व भागीदार" जिसे सीमित दायित्व भागीदार अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को भी एक फर्म माना जाएगा ;

(ii)"न्यायालय" से जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत है ।

अध्याय 17

अग्रिम विनिर्णय

95. परिभाषाएं ।— इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अग्रिम विनिर्णय" से किसी प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा किसी आवेदक को धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) में मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया अग्रिम विनिश्चय अभिप्रेत है ;

(ख) "अपीलप्राधिकरण" से धारा 99 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "आवेदक" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की इच्छुक व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "आवेदन" से धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्राधिकरण" से धारा 96 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

96. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का गठन ।—

(1) सरकार अधिसूचना द्वारा बिहार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करेगी :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी प्राधिकरण को राज्य के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) प्राधिकरण, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,--

(i) केंद्रीय कर के अधिकारियों में से एक सदस्य ; और

(ii)राज्यकर के अधिकारियों में से एक सदस्य,

जिन्हें क्रमश: केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

97. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन ।—

(1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने का इच्छुक आवेदक ऐसे प्रपत्र **और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों को** अभिलिखित **करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की इच्छा की गई है, एक आवेदन करेगा।**

(2) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय की इच्छा की जाती है, निम्नलिखित के संबंध में होगा,--

(क) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना ;

(ग) मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदायसमय और मूल्य का अवधारण ;

(घ) संदत्त या संदत्त समझे गए कर के इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता ;

(ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों पर कर दायित्व का अवधारण ;

(च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है ;

(छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों की बावत की गई कोई विशिष्ट कृत्य का परिणाम उन मालों या सेवाओं या दोनों का, इस पद के अर्थान्तार्गत , प्रदाय होताहै।

98. आवेदन की प्राप्ति की प्रक्रिया ।—

(1) किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अग्रेषित कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग करेगा :

परंतु किसी मामले में जहां प्राधिकारी द्वारा किन्हीं अभिलेखों की मांग की गई है तो ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा ।

(2) प्राधिकारी आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा :

परंतु प्राधिकारी वहां आवेदन को मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी ।

(4) जहां किसी आवेदन को उपधारा (2) के अधीन स्वीकार किया जाता है, ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या प्रधिकारों द्वारा अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, प्राधिकारों द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की उदघोषणा की जाएगी।

(5) जहां प्राधिकरण के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर मतैक्य नहीं रखते है, जिस पर अग्रिम विनिर्णय की मांग की गई है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं को अभिलिखित करेंगे, जिन पर वह मतैक्य नहीं रखते है और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई और विनिश्चय के लिए अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेंगे ।

(6) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर लिखित में अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा ।

(7) प्राधिकरण द्वारा उदघोषित अग्रीम विनिर्णय की प्रति, सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित

एवं ऐसी रीति में प्रमाणित जैसा की विहित किया जाय, आवेदक, सम्बंधित अधिकारी एवं अधिकारिता रखनेवाले अधिकारी को भेजी जायेगी।

99. अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन ।—

(1) सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अधिसूचना द्वाराबिहार माल और सेवाकर अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील प्राधिकरण का गठन करेगी :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी अपील प्राधिकरण को राज्य के लिए अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) अपील प्राधिकरण, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,--

(i) बोर्ड द्वारा यथा अभिहित केंद्रीय कर मुख्य आयुक्त ; और

(ii) आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला राज्यकर आयुक्त ।

100. अपील प्राधिकरण को अपील ।—

(1) धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन उदघोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यथित संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको ईप्सित विनिर्णय के विरुद्ध की गई अपील की संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक को संसूचना दिए जाने की तारीख से, **से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :**

परंतु अपील प्राधिकारी को **यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को तीसदिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगा ।**

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र **में, ऐसी फीस के साथ** एवं **ऐसी रीति में सत्यापन** के पश्चात् **किया जाएगा**,जैसा कि **विहित** किया जाये।

101. अपील प्राधिकरण के आदेश ।—

(1) अपील प्राधिकरण अपील या निर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह अपील किए गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने के लिए या उपांतरित करने के लिए उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) **में निर्दिष्ट आदेश,धारा 100 के अधीन** दाखिल **या धारा 98 की उपधारा (5) के अधीन निर्देश करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ।**

(3) जहां अपील प्राधिकरण के सदस्य, अपील या निर्देश में किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर मतैक्य नहींरखते है तो यह समझा जाएगा कि अपील या निर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया जा सकता है ।

(4) उदघोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति अपील प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एवं ऐसी रीति से प्रमाणित जैसा की विहित किया जाय, आवेदक, सम्बंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जायेगी।

102. अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि ।— प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा धारा 98 या धारा 101 के अधीन उसके द्वारा पारित किसी **आदेश** की ऐसी त्रुटियों

जो अभिलेख पटल पर स्पष्ट हो, और जो प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में सम्बंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक या अपीलार्थी द्वारा लाया जाता है, को आदेशपारित करने की तिथि से छः माह के भीतर संसोधितकर सकेगा :

परंतु ऐसी कोई परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने, इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय रकम को कम करने के रूप में होता है को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

103. अग्रिम विनिर्णय का लागू होना ।—

(1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा—

(क) उस आवेदक पर, जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिए धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी अपेक्षा **की थी** ;

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय तबतक **बाध्यकर होगा** जबतक कि **मूल अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्य या परिस्थितियां न बदल गई हों ।**

104. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना ।—

(1) जहां प्राधिकरण या **अपील प्राधिकरण यह पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी** पर **ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी** हुआ **ही नहीं था** :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश आवेदक को सुने जाने का अवसर प्रदान किये बगैर **पारित नहीं किया जाएगा।**

स्पष्टीकरण–धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी ।

105. प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की शक्तियां ।—

(1) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,--

(क) खोज और निरीक्षण ;

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ग) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत

करने के लिए बाध्य करना ।

(2) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत और उसकी धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

106. प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया ।— प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

अध्याय 18

अपील और पुनरीक्षण

107. अपील प्राधिकारी को अपीलें।—

(1) इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किये जाने के तीन मास के भीतर ऐसे अपील प्राधिकारी जैसा कि विहित किया जाय, को अपील कर सकेगा ।

(2) जहां किसी कार्यवाही के क्रम में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है वहां आयुक्त उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर ऐसी कार्यवाही के अभिलेख की मांग और परीक्षण कर सकेगा तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होते हैं, उक्त विनश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपील प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए किसी अधीनस्थ अधिकारी को निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां ऐसे आवेदन को अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन से ऐसे निबटा जायेगा मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन पर लागू होंगे ।

(4) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, यथास्थिति, तीन या छह मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र में होगी और ऐसी रीति में सत्यपित की जाएगी जो विहित किया जाए ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी यदि अपीलकर्ता ने–

(क) अक्षेपित आदेश से उद्भूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति का

पूर्ण या ऐसे भाग का संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारकिया गया है; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं किया हो ।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी ।

(8) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

(9) अपील प्राधिकारी, यदि उसे अपील सुनवाई की किसी अवस्था पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय देगा और लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित रखेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक के लिए नहीं दिया जाएगा ।

(10) अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था ।

(11) अपील प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, अपील किये गये आदेश या विनिश्चय को संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने का आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था :

परन्तु अधिहरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा वर्धित मूल्य के माल का अधिहरण या प्रतिदाय की रकम या इनपुटकर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि अपील प्राधिकरण की जहां यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या इनपुट कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्टसमय-सीमा के भीतर आदेश पारित किया गया है।

(12) अपील निपटारा करने वाला अपील प्राधिकरण का आदेश लिखित में होगा और अवधारण के बिन्दुओं, उनपर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों को लेखापित करेगा।

(13) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील को उसे फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और विनिश्चय करेगा :

परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि एक वर्ष की अवधि की गणना में अपवर्जित की जाएगी ।

(14) अपील के निपटारे पर अपील प्राधिकारी उसके द्‌वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा ।—

(15) अपील प्राधिकरण द्‌वारा पारित आदेश की एक प्रति आयुक्त या उसके द्‌वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को और केन्द्रीय कर अधिकारिता आयुक्त या उसके द्‌वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी ।

(16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा ।

108. पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां ।—

(1) धारा 121 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके द्‌वारा प्राप्त किसी सूचना पर याकेंद्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकेगा और जांच कर सकेगा तथा यदि वह यह मानता है कि उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है और राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय सारवान् तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध है या नहीं या भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक द्‌वारा की गई के पारिणामिक है, तो वह यदि आवश्यक हो तो ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रचालन को स्थगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक और उचित समझे जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को वर्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना भी है ।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि—

(क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन अपील के अध्यधीन है; या

(ख) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त हो गया है ; या

(ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर अवस्था पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है ; या

(घ) आदेश उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया जा चुका है :

परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी बिन्दु जो कि उपधारा (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपील में उठाया नहीं गया और विनिश्चित नहीं किया गया, पर ऐसा आदेश की तारिख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व या उस उपधारा के खंड (ख) में विनिदिष्ट तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, आदेश पारित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा 113 या धारा

117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा ।

(4) जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं और **यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा** अन्तरनिहित **है जिसमें अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय** ने **किसी अन्य कार्यवाही में अपना विनिश्चय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी।**

(5) उपधारा (1) के अधीन जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्‌वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि की परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दी जाएगी ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,–

(i) "अभिलेख" में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी **द्‌वारा परीक्षा के समय किसी कार्यवाही से संबंधित उपलब्धसभी अभिलेख सम्मिलित होंगे ;**

(ii) "विनिश्चय" में पुनरीक्षण प्राधिकारी से रैंक में न्यून किसी अधिकारी द्‌वारा दी गई सूचना सम्मिलित होगी ।

109. अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठें । (1) इस अध्याय **के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम के अधीनगठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्‌वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा ।**

(2) राज्य में अवस्थित राज्यन्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 109 या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी ।

110. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें आदि ।— राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदावधि, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार होगा ।

111. अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया ।—

(1) अपील अधिकरण, अपने समक्ष किसी कार्यवाहियों या अपील को निपटाते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्‌वारा बद्ध नहीं **होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अध्यधीन द्‌वारा निर्देशित होगा औरअपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।**

(2) अपील अधिकरण की **इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में**

यथा विहित शक्तियों के समान होगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद के विचारण के समय होगी, अर्थात् :--

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उपस्थितिको लागू करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की अपेक्षा;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) चूक की स्थिति में किसी प्रतिवेदन को खारिज करने अथवा एक पक्षीय आदेश से इसका निष्पादन करना ;

(छ) किसी अभ्यावेदन को चूक के लिए खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा पास किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना; और

(ज) कोई अन्य मामले जो विहित किए जाएं ।

(3) अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में लागू होगा जैसे न्यायालय द्वारा उसके यहां लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो और यह अपील अधिकरण के लिए विधि सम्मत होगा कि वह अपने आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय अधिकारिता के ऐसे न्यायालय में भेजे जो--

(क) कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां संबद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिएव्यापारिक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है ।

(4) अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों क लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगीऔर अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 25 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

112. अपील अधिकरण को अपील ।—

(1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा ।

(2) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जहां अंतर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय या कर और इनपुट कर में अंतरकीराशि या ऐसे आदेश द्वारा जुर्माने की रकम या अवधारित शास्ति पचास हजार रूपए से अधिक न हो ।

(3) आयुक्त, आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं के समाधान करने के प्रयोजन के लिए, स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर, इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को आदेशके वैधता और औचित्य

पर संतुष्ट होने के लिएपरीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को, उक्त आदेश से उदभुत ऐसे बिन्दुओं जिसका उल्लेख आयुक्त अपने आदेश में करेगा के विनिश्चय के लिए, उक्त आदेश पारित होने की तिथि से **छह**माह के भीतर अपीलीय अधिकरण में अपील करने का निदेश कर सकेगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील अधिकरण को आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन अपील अधिकरण इस प्रकार निपटाएगा जैसे वह धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो और इस अधिनियम के उपबंध आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन दाखिल **अपील के संबंध में लागू होते हैं ।**

(5) इस नोटिस की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन अपील हो चुकी है, पक्षकार जिसके विरुद्ध अपील हुई है किसी अन्य बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, नोटिस की प्राप्ति के 45 दिन में विहित रीति में सत्यापित प्रतिआक्षेपों का ज्ञापन, आदेश जिसके किसी भाग के विरुद्ध अपील की गई है, फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा ऐसे निस्तारित किया जाएगा जैसे यह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत की गई अपील हो ।

(6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् 45 दिन में प्रतिआक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था।

(7) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्रपत्र एवं ऐसी **रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित होगी**जैसा कि विहित किया जाय **।**

(8) कोई अपील, उपधारा (1) के अधीन तबतक फाइल नहीं की जाएगी जबतक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर दे,--

(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, ब्याज, जुर्माना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त विवाद में कर की शेष रकम के 20% के बराबर राशि ।

(9) जहां अपीलार्थी उपधारा (8) के अनुसार रकम संदत्त कर चुका है वहां शेष रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निस्तारण तक स्थगित **समझी जाएंगी ।**

(10) अपील अधिकरण के समक्ष--

(क) त्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अपील;

(ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु,

प्रत्येक आवेदन ऐसी शुल्क सहित होगा जो विहित किया जाए।

113. अपील अधिकरण के आदेश ।—

(1) अपीलीय अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है के पुष्टिकरण, उपांतरण या अपास्त **जैसा ठीक समझे, उस पर आदेश कर सकेगा या अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण या मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को ऐसे निदेशों, जिनको वह ठीक समझे** के

साथ **वापस नये न्यायनिर्णयन या अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् यदि आवश्यक हों, विनिश्चय के लिए वापस भेज सकेगा ।**

(2) अपीलीय अधिकरण, **यदि समुचित कारण दिए जाएं तो किसी अपील की सुनवाई की किसी प्रास्थिति पर उनके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों को समय प्रदान या अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा :**

परंतु यह कि इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार को तीन बार से अधिक नहीं प्रदान किया जाएगा ।

(3) अपीलीय अधिकरण, अपने आदेशमें ऐसी कोई त्रुटि जो अपने आप उसे संज्ञान में आती है या आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त या अपील के किसी पक्षकार द्वारा संज्ञान में लाई जाती है तो आदेश की तारीख से तीन माह की अवधि में अभिलेख पर किसी प्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिये उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा पारित आदेश को संशोधित कर सकेगा:

परंतु यह कि ऐसा कोई संशोधन जो करनिर्धारण की वृद्धि या वापसी याइनपुट कर प्रत्ययकी कमी या किसी पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करता है, इस अधिनियम के अधीन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पक्षकार को सुनने का अवसर न प्रदान किया जाए ।

(4) अपीलीय **अधिकरण जहां तक संभव हो अपील के फाइल होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक अपील सुने और विनिश्चय करेगा ।**

(5) अपीलीय **अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण** प्राधिकारया **मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकरण** यथास्थिति **अपीलार्थी और आयुक्त या** अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय कर आयुक्त को भेजेगा।

(6) जैसाकि धारा 117 या धारा 118 में उपबंधित है,अपीलीय **अधिकरण द्वारा किसी अपील पर पारित आदेश** अंतिम और पक्षकारों पर वाध्कारी होगा ।

114. राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां ।— **राज्य अध्यक्ष, राज्य में अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा विहित किया जाए:**

परंतु राज्य अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसावह ठीक समझे, राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों के किसी अन्य सदस्य या अन्य अधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

115. अपील के दाखिल करने के लिए संदत्त रकम की वापसी पर ब्याज ।— जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 112 की उपधारा (8) या धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम को अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप वापस किया जाना अपेक्षित है तो धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज की दर से ऐसी वापसी के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसे रकम की वापसी की तारीख तक ब्याज का संदाय किया जाएगा।

116. प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिरी ।—

(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, इस धारा के अन्य

उपबंधों के अध्ययधीन शपथ या कथन पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए इस अधिनियम के अधीन जब उससे अन्यथा अपेक्षित है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पद "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उपधारा (1) में निर्देशित व्यक्ति द्वारा उसके स्थान पर हाजिर होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति --

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी है; या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता जो भारत में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ; या

(ग) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत लेखाकारया कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस करने का प्रमाण-पत्र रखता है और जिसे प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है; या

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या बोर्ड के वाणिज्य कर विभाग का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की रैंक की पंक्ति से अन्यून के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि तक कीसेवा की हो :

परंतु यह कि ऐसा कोई अधिकारीअपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए अधिकारी नहीं होगा ; या

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए माल और सेवा कर प्रैक्टिसकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है ।

(3) कोई व्यक्ति--

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो ; या

(ख) जो इस अधिनियम,केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, समेकित माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या विद्यमान किसी विधि या माल के विक्रय या माल के प्रदाय या सेवाओं या दोनों पर कर लगाने से संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो ; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यावहार का दोषी पाया गया हो ;

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो,

उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्र नहीं होगा--

(i) खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए; और

(ii) खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो केन्द्रीयमाल और सेवा कर अधिनियम याकिसी अन्य राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन अयोग्य घोषित है इस अधिनियम के अधीन भीअयोग्य समझा जाएगा ।

117. उच्च न्यायालय को अपील । (1) राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायलय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अर्न्तनिहित **है ।**

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको व्यथित व्यक्ति द्वारा अपीलगत आदेश प्राप्त हुआ है से एक सो अस्सी **दिन की अवधि में फाइल की जा सकेगी और यह ऐसे प्रारूप में और** ऐसे **सत्यापित रीति में होगी जो विहित की जाए :**

परंतु यह कि उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को सुन सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न कर पाने का समुचित कारण था ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अर्न्तनिहित **है वहां वह उस प्रश्न को विनियमित करेगा और केवल इस प्रकार विनियमित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा** परिवादी **अपील की सुनवाई के दौरान कि मामले में ऐसा प्रश्न** अर्न्तनिहित **नहीं है पर बहस करने के लिए अनुज्ञेय होंगे :**

परंतु इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की, उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को तब समाप्त करता है या उसका अल्पीकरण करता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अर्न्तनिहित **है ।**

(4) उच्च न्यायालय इस प्रकार विनियमित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और ऐसे निर्णय को उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित हैं, प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो—

(क) राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा अवधारित न किया गया हो ; या

(ख) उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय के कारण राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारण किया गया हो ।

(6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई हो, वहां यह उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की पीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और ऐसे न्यायाधीशों यदि हों तो उनके बहुमत के मत के अनुसार विनिश्चय की जाएगी ।

(7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिंदु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिंदु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जाएगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित के बहुमत के मत के अनुसार ऐसे बिंदु पर विनिश्चय किया जाएगा ।

(8) जहां उच्च न्यायालय ने इस धारा के अधीन फाइल अपील में निर्णय दे दिया है तो ऐसे निर्णय को प्रभाव इसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी पक्ष द्वारा दिया जाएगा ।

(9) इस अधिनियम में जैसे पहले अन्यथा उपबंधित किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जो उच्च न्यायालय के अपील से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में, जहां तक संभव हो लागू होंगे ।

118. उच्चतम न्यायालय को अपील ।—

(1) ऐसी अपील जो उच्चतम न्यायालय में होगी--

(क) राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध ; या

(ख) किसी मामले में धारा 117 के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जो स्वत: या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके निमित्त के द्वारा किए गए आवेदन पर निर्णय या आदेश के पारित होने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए उचित मामला है ।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं जहां तक संभव हो इस धारा के अधीन अपील के मामलों में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिग्री की अपील के मामले में होते हैं ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में बदल या उल्ट गया हो वहां उच्च न्यायालय का आदेश उस प्रकार प्रभावी होगा, जैसे उच्च न्यायालय के निर्णय के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित रीति में उच्चतम न्यायालय का आदेश होता है ।

119. राशि जो अपील आदि के होने के बाद भी संदत्त किए जाने हैं । **किसी बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है, धारा 113 के उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों या धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों या धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय** होगी।

120. कतिपय मामलों में अपील फाइल नहीं की जा सकेगी ।—

(1) आयुक्तपरिषद् की सिफारिशों पर समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों से, जैसा ठीक समझे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राज्य कर अधिकारी द्वारा फाइल की जाने वाली **अपील या आवेदन के नियमन के प्रयोजन के लिए ऐसी किसी मौद्रिक सीमा को नियत कर सकेगा ।**

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर का अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन नहीं फाइल किया गया है, **यह राज्य कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में** अंर्तनिहित **समान या समतुल्य विवाद्यक या विधि के प्रश्न के विरुद्ध अपील या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा ।**

(3) किसी बात के होते हुए भी यह तथ्य कि उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति अपील में या आवेदन में पक्षकार होते हुए भी किसी अपील या आवेदन के फाइल न किए जाने पर विवादित बिंदु पर विनिश्चय से राज्य कर का अधिकारी अवगत था, आशयित नहीं करेगा ।

(4) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी

द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा ।

121. अपील न किए जाने वाले विनिश्चय और आदेश ।— इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी बात के होते हुए भी राज्य कर के अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी, यदि ऐसा लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संबंधित है अर्थात् :--

(क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सीधे अंतरित करने में सशक्त हो ; या

(ख) लेखा पुस्त रजिस्टर आदि अन्य दस्तावेजों को जब्त करने या रोके रखने से संबंधित कोई आदेश ; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाला कोई आदेश ; या

(घ) धारा 80 के अधीन पारित कोई आदेश ।

अध्याय 19

अपराध एवं शास्तियां

122. कतिपय अपराधों के लिए शास्ति । (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति जो—

(i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों का प्रदाय करता है या ऐसे किसी प्रदाय के लिए झूठा या गलत बीजक जारी करता है;

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के बिना बीजक या बिल जारी करता है ;

(iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रह कर उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे,उस तारीख से जब ऐसा संदाय देय था, असफल रहता है ;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी कर का संग्रह करता है लेकिन उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे, उस तारीख सेजब ऐसा संदाय देय था, करने में असफल रहता है ;

(v) धारा 51 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है ;

(vi) धारा 52 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है ;

(vii) इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत चाहे पूर्णत: या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है ;

(viii) इस अधिनियम के अधीन कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है ;

(ix) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत इनपुट कर प्रत्यय

प्राप्त करता है या बांटता है ;

(x) **इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय से बचने के आशय से वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों या किसी झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है ;**

(xi) **इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है ;**

(xii) **रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के विवरण के संबंध में गलत सूचना देता है ;**

(xiii) **इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को रोकता है या प्रवारित करता है ;**

(xiv) **इस निमित यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना कराधेय किसी माल का परिवहन करता है ;**

(xv) **इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने आवर्तको छिपाता है ;**

(xvi) **इस अधिनियम के या तद्धीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असफल रहता है ;**

(xvii) **इस अधिनियम के या तद्धीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है ;**

(xviii) **ऐसे किसी माल का प्रदाय, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि येइस अधिनियम के अधीन** प्रतिहरण **के लिए दायी हैं ;**

(xix) **अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग द्वारा किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है ;**

(xx) **किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है ;**

(xxi) **किसी माल को निष्पादित या छेड़छाड़ करता है जो इस अधिनियम के अधीन रोका, जब्त या कुर्क किया हुआ था,**

दस हजार रूपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदेय नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संगृहीत नहीं किए गए कर या कम संगृहीत या संग्रहीत परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या पारित या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गई वापसी के समतुल्य रकम, जो भी उच्चतर हो, को शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल का प्रदाय या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है जिन पर उसने कोई कर नहीं दिया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से वापस लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या प्रयोग किया है,--

(क) कपट या जानबूझकर मिथ्या अभिकथन या कर अपवंचना के लिए तथ्यों को छुपाया

जाने से भिन्न कारण की दशा में वह दस हजार रूपए या शोध्य कर का दस प्रतिशत जो उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा ।

(ख) कपट या जानबूझ कर मिथ्या अभिकथन या कर अपवंचना के लिए तथ्यों को छुपाया जाने केदशा में वह दस हजार रूपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर के समतुल्य राशी,जो उच्चतर हो, के शास्ति कादायी होगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो--

(क) उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (xxi) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन को हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, प्रदाय करने या विक्रय या अन्य किसी रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन प्रतिहरण के लिए दायी है;

(ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या इसके प्रदाय से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा के किसी प्रदाय को करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कियह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु सम्मन के जारी होने पर राज्य कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ङ) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक केप्रविष्टि करनेमें असमर्थ रहता है,

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी ।

123. **सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति** ।— यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 150 के अधीन सूचना के अधीन सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट सूचना विवरणी देने में असफल रहता है तो उचित अधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के प्रत्येक दिन जिसके लिए वह ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, के लिए सौ रूपए की शास्ति के लिए दायी होगा :

परंतु यह कि इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार से अधिक नहीं होगी ।

124. **आंकड़े देने में असमर्थ रहने पर जुर्माना** ।— यदि किसी व्यक्ति से धारा 151 के अधीन सूचना या विवरणी देना अपेक्षित है,--

(क) इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना युक्तियुक्त कारण देने में असमर्थ रहता है, या

(ख) कोई सूचना या विवरणी जिसे वह जानता है कि असत्य है, को जानबूझ कर प्रस्तुत करता है,

वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार तक हो सकेगा और अपराध जारी रहने की दशा में जो प्रथम दिन के पश्चात प्रत्येक दिन जिस के दौरान अपराध जारी रहती है, पच्चीस हजार की अधिकतम

सीमा के अध्यधीन एक सौ रूपए प्रतिदिन के जुर्माने से दंडनीय होगा।

125. साधारण शास्ति ।— कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित किन्हीं नियमों के किसी उपबंध जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति नहीं है, का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी ।

126. शास्ति से संबंधित साधारण विधाएं ।—

(1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी कर विनियमन या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के छोटे भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा जो बिना कपटपूर्ण आशय या समग्र लापरवाही के किए गए हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए--

(क) कोई भंग जिसमें पांच हजार रूपए से कम का कर अंतर्वलित है,"छोटा भंग" माना जाएगा;

(ख) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने वाली तब मानी जा सकेगी जब वह अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष त्रुटि है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति तथ्यों पर और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग के परिमाण और गंभीरता के अनुपात में होगी ।

(3) किसी व्यक्ति पर बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के आदेश में शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रियाएं जिनके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए शास्ति की रकम, विनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य पर न्यूनकारी घटक के रूप में विचार करेगा।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागु नहीं होंगे जहां शास्ति इस अधिनियम के अधीन नीयत राशि या नियत प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट है।

127. कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।— जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 याधारा 63 याधारा 64 याधारा 73 याधारा 74 याधारा 129 याधारा 130 के अधीन किसी कार्यवाही में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा।

128. शास्ति या शुल्क या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति ।— सरकार, अधिसूचना द्वारा कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब शुल्क का भाग में या

पूर्णतः और परिषद् की सिफारिश पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनीकरण परिस्थितियों के अधीन अधित्यजन कर सकेगी ।

129. अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण ।—

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे अभिवहन में इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में हैं, जबऐसेसभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त साधन और ऐसे माल से संबंधित दस्तावेज और अभिवहन, अभिरक्षा में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होगा तथा अभिरक्षा या अभिग्रहण निर्मुक्त हो सकेगा--

(क) ऐसे कराधेयमाल की दशा में पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) देय कर के और उस पर संदत्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति जो विहित की जाएं, में खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने पर :

परंतु यह कि इस प्रकार का माल या अभिवहन माल का परिवहन करने के लिए व्यक्ति पर अभिरक्षा या अभिग्रहण के आदेश के तामील कराए बिना अभिरक्षा मे या अभिग्रहण में नहीं लिया जाएगा ।

(2) धारा 67 की उपधारा (6) के उपबंध माल की अभिरक्षा और अभिग्रहण और प्रवहण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(3) माल या प्रवहण को स्तंभित या जब्त करने वाला उचितअधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संदेय कर और शास्ति के लिए एक आदेश पारित करेगा ।

(4) बिना संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए कर,ब्याज या शास्ति उपधारा (3) के अधीन अवधारित नहीं की जाएगी ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी ।

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिन के भीतर असफल रहता है तो अन्य कार्यवाहियां धारा 130 की शर्तों के अनुसार आरंभ की जाएंगी :

परंतु यह कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में ह्रास की प्रकृति का है तो उक्त सात दिन की अवधि उचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

130. माल या प्रवहरण की जब्ती और शास्ति का उद्ग्रहण ।—

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति--

(i) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उल्लंघन में माल का प्रदाय या प्राप्ति, कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(ii) किसी माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह उस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल का प्रदाय; या

(iv) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बने नियमों का उल्लंघन, कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(v) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में माल को ढोने के लिए परिवहन के रूप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक कि प्रवहण का मालिक यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके ऐजेंट की बिना जानकारी या गठजोड़ के यह कार्य हुआ है,

तब ऐसा सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा ।

(2) जब कभी किसी माल या प्रवहण की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो उसको न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को प्रतिग्रहण के बदले ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प दे सकेगा :

परंतु यह कि ऐसा जुर्माना प्रतिग्राहित माल पर प्रभारित कर घटाने के पश्चात् उसके **बाजार मूल्य से अधिकनहीं होगा :**

परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्ग्रहणीय शास्ति धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा :

परंतु यह भी कि जहां माल को ढोने या भाड़े पर यात्रियों को ढोने में प्रयुक्त किसीप्रवहरण का प्रतिग्रहण किया जाता हो तो ऐसा प्रवहण के मालिक को जब्त प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प किया जा सकेगा ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसीमाल या प्रवहण के प्रवहरण के बदले कोई शास्ति अधिरोपित की गयी है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, इसके अतिरिक्त **ऐसे माल या प्रवहण की बाबत** कर, शास्ति और एनी प्रभारों **के लिए दायी होगा ।**

(4) माल या प्रवहण की जब्ती या शास्ति का अधिरोपण का आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं जारी किया जाएगा ।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण को जब्त कर लिया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा ।

(6) प्रवहरण के न्यायनिर्णयन का समुचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसको सहयोग करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी स्वयं के समाधान के पश्चात्कि जब्त माल या प्रवहण इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और प्रवहरण के स्थान

पर जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनधिक युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या प्रवहण का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय राशि सरकार को जमा करेगा।

131. जब्ती या शास्ति अन्य दंडों से व्यतिरेक नहीं करेगा ।— दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम और तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई प्रवहरण या अधिरोपित शास्ति किसी अन्य दंड जो उससे प्रभावित व्यक्ति को इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, के दंड का व्यतिरेक नहीं करेगा।

132. कतिपय अपराधों के लिए दंड ।—

(1) जो निम्नलिखित में से किसी दंड को कारित करता है, अर्थात् :--

(क) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अपवंचन के आशय से करता है;

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में इनपुटकर प्रत्यय के प्रयोग या उपभोग या कर की वापसी के लिए माल या सेवा या दोनों का प्रदाय बीजक या बिल जारी कियेबिना करना;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल में प्रयोग से इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है;

(घ) कोई रकम कर के रूप में संगृहीत करता है किन्तु उसे उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तीन मास की अवधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता है ;

(ङ) कर अपवंचन, कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति या कपट से वापसी प्राप्त करना और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से (घ) में नहीं आता;

(च) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के आशय से या तो वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसी झूठी सूचना को प्रस्त्तुत करता है;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकता है या प्रवारित करता है;

(ज) किसी माल जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों को जब्त करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या परिवहन में स्वयं को किसी माध्यम से संबद्ध करता है, हटाता है या जमा करता है, रखता है, छिपाता है, प्रदाय करता है या क्रय करता है या किसी अन्य रीति में उनका संव्यवहार करता है;

(झ) किसी माल को प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रकार से उसके प्रदाय से संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा प्रदाय में लगा रहता है जिसको वह जानते हुए करता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है ;

(ञ) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(ट) किसी सूचना का प्रदाय करने में असफल रहता है जिसे उसे इस अधिनियम में या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन प्रदाय के लिए वह अपेक्षित है (बिना युक्तियुक्त विश्वास सहित, जिसे सिद्ध करने का भार जो उस पर है कि उसके

द्वारा प्रदाय की गई सूचना सत्य है) या झूठी सूचना देता है, या

(ठ) इस धारा के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है,

दंडनीय होगा–

(i) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई या प्रयोग की जा चुकी इनपुट के प्रत्यय की रकम या वापस प्राप्त की गई रकम पांच सौ लाख रूपए से अधिक हो, ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना सहित;

(ii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई या प्रयोग की जा चुकी इनपुट के प्रत्यय की रकम या वापस प्राप्त की गई रकम दो सौ लाख रूपए से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रूपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना सहित;

(iii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई या प्रयोग की जा चुकी इनपुट के प्रत्यय की रकम या वापस प्राप्त की गई रकम एक सौ लाख रूपए से अधिक लेकिन दो सौ लाख रूपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना सहित;

(iv) खंड (च) या खंड (छ) या खंड (त्र) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माना सहित या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुनः इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना सहित,

(3) उपधारा (1) के खंड (i), (ii) और (iii) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारावास विशेष और उचित कारण जिन्हें न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित की गई है की अनुपस्थिति में छह मास से कम अवधि का नहीं होगा ।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध उपधारा (5) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय असंज्ञेय और जमानतीय होगा ।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस उपधारा के खंड (i) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा ।

(6) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "कर" में अपवंचित कर की रकम या गलत रूप से रखी गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रयुक्त की गई इनपुट कर प्रत्ययय की रकम या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गलत रूप से ली गई कर वापसी की रकम जो इस अधिनियम अथवा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उदगृहीत उपकर सम्मिलित है।

133. अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व ।—

(1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 151 के अधीन सांख्यिकियों के संग्रहण या समेकन या उनके कंप्यूटरीकरण या यदि धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच के लिए राज्य कर का कोई अधिकारी लगा हुआ है या समान पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या यदि समान पोर्टल या अभिकर्ता जानबूझकर इस अधिनियम अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन किसी विवरणी के अंश उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन के लिए वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का होगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगा **या दोनों से दंडनीय होगा ।**

(2) कोई व्यक्ति,--

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा;

(ख) जो सरकारी सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा ।

134. अपराध का संज्ञान ।— न्यायालय इस अधिनियम या तद्वीन निर्मित नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध या संज्ञान बिना आयुक्त की पूर्व अनुमति के नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम का न्यायालय अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

135. आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान ।— इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन जो आपराधिक मानसिक दशा अभियुक्त के भाग पर अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता को अनुमान लगाएगा लेकिन अभियुक्त के लिए यह तथ्य सिद्ध करने के लिए यह बचाव होगा कि वह इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत इस मानसिक स्थिति का नहीं था ।

स्पष्टीकरण–

(i) "आपराधिक मानसिक दशा" पद में आशय, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान और उसमें विश्वास या विश्वास करने का कारण, एक तथ्य सम्मिलित है;

(ii) एक सिद्ध किया हुआ तथ्य केवल तब कहा जाएगा जब न्यायालय इस पर बिना युक्तयुक्त संदेय के विश्वास करता है और जब इसकी विद्यमानता केवल संभाव्यता की प्राथमिकता द्वारा स्थापित नहीं है ।

136. कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनो की सुसंगतता ।— इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा 70 के अधीन जारी किसी सम्मन के संदर्भ में हाजिर व्यक्ति द्वारा किया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, जिसमे तथ्य की सत्यता जिसमें होगा-

(क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था जिसकी मृत्यु हो गयी है या नहीं मिल पा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या विरोधी पक्ष द्वारा दूर रखा गया है या जिसकी बिना बिलम्ब के प्राप्त उपस्थिति नहीं की जा सकती है, मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अनौचित्यपूर्ण मानेगा; या

(ख) जब किसी व्यक्ति जिसने कथन किया है और न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में उसका परीक्षण किया गया है और न्यायालय का मत है कि

मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कथन को न्यायहित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।

137. कंपनियों द्वारा अपराध ।—

(1) जहां कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का प्रभारीऔर उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत मौनानुकूलता लापरवाही से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार या किसी न्यास के भागीदार या कर्ता या प्रबंध, न्यासी होने के कारण किया जाता है, उक्त अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए किए जाने के अधीन दायी होंगे । ऐसे व्यक्तियों पर उपधारा (2) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के रोकथाम लिए सम्यक् तत्परता बरती थी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य समूहहै ; और

(ii) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

138. अपराधों का प्रशमन ।—

(1) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित करने या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे प्रशमन रकम को ऐसी रीति से संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा प्रशमन होगा :

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित लागू नहीं होगी—

(क) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संदर्भ में प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था और खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराध जिससे उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध से संबंधित है ;

(ख) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या**किसी राज्य माल और सेवा कर**

अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन के अधीन एक करोड़ रूपए से अधिक मूल्य के प्रदाय के संबंध में, खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया था ;

(ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है, जोतत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी कोई अपराध है ;

(घ) कोई व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है ;

(ङ) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) या खंड (ञ) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है ; और

(च) कोई अन्य व्यक्तियों या अपराधों का वर्ग जो विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई प्रशमन अनुज्ञात होगा जो किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्रवाईयों, यदि कोई हों, पर प्रभाव नहीं डालता :

परंतु यह और भी कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् प्रशमन अनुज्ञात होगा ।

(2) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए न्यूनतम रकम अंतर्वलित करके पचास प्रतिशत या दस हजार रूपए इनमें से जो भी अधिकतम हों, और अधिकतम रकम तीस हजार रूपए से अन्यून या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हों, विहित की जा सकेगी।

(3) आयुक्त द्वारा अवधारित ऐसे प्रशमन रकम के संदाय पर अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के उसी अपराध के लिए संस्थित नहीं होंगी और किसी अन्य दांडिक कार्यवाहियां, यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही संस्थित है, समाप्त हो जांएगी।

अध्याय 20

संक्रमणकालीन उपबंध

139. विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन ।—

(1) नियत दिन से ही विद्यमान विधियों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अनंतिम आधार पर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होगा, जिसे जब तक कि उपधारा (2) के अधीनअंतिम प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता,रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है ।

(2) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में निरस्त होता है कि वह धारा 22 या धारा 24 के अधीन

रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था ।

140. निवेश प्रतिदेय कर के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं ।—

(1) धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्‌यमान विधि के अधीन उसके द्‌वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में, विहित की जाने वाली रीति में मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर की रकम, यदि कोई हो, के प्रत्यय को अपने इलैक्ट्रोनिकजमा खाते में अग्रनीत करने का हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में इनपुट कर प्रत्यय लेने हेतु अनुज्ञात नहीं होगा, अर्थात् :--

(i) जहां जमा की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुटकर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है;या

(ii) जहां वह नियत दिन के तत्काल पूर्व छह मास की अवधि के लिए विद्‌यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणी को नहीं देता है ; या

(iii) जहां जमा की उक्त रकम सरकार द्‌वारा अधिसूचित विमुक्ति अधिसूचना के अधीन निर्मित एवम मंजूर से सम्बंधित हों :

परंतु यह और कि उक्त प्रत्यय की उतनी रकम, जो केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6, धारा 6क या धारा 8 की उपधारा (8) से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम,1957 के नियम 12 में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में जमा किए जाने की पात्र नहीं होगी :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का उस समय विद्‌यमान विधि के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा जब उक्त दावों को केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम,1957 के नियम 12 में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है ।

(2) धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुटकर प्रत्यय की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में लेने का, जो विद्‌यमान विधि के अधीन नीयत तारीख के ठीक पूर्ववर्ती के दिन को समाप्त होने वाली अवधी के लिए दाखिल विवरणी में अग्रनीत नहीं है, ऐसी विहित रीति में लेने लिए हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्‌यमान विधि के अधीन इनपुटकर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय उक्त राशी को जब तक प्रत्यय करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय कर के रूप में भी अनुज्ञेय है ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए "अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय "पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि पूंजीगत मालों की बावत विद्यमान विधि के अधीन करधे व्यक्ति को अनुमान्य इनपुट कर प्रत्यय की रकम में से कराधेय व्यक्ति द्वारा उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय के घटाने के पश्चात शेष रहती है;

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो किसी विद्यमान विधि के अधीन ऐसे छूट प्राप्त या करमुक्त मालों या ऐसे मालों, जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है और जिनके पश्चातवर्ती विक्रय राज्य में कर के अध्यधीन नहीं है,चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के विक्रय में लगा है, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं (या जहां वयक्ति मालों के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए हकदार था), अपने इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध-निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिन को मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा, अर्थात्:--

(i) इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए ऐसे इनपुट या मालों के उपयोग या कराधेय प्रदाय करने के लिए उपयोग के आशयित है ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुटकर प्रत्यय केलिए पात्र होगा ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक याऐसे अन्य विहित दस्तावेज, जो ऐसे इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य स्वरूप है, रखता है ;

(iv) ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी नहीं किए गए थे ;

परंतु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुटों के संबंध में कर के संदाय का साक्ष्य कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है तब ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, जिसके अंतर्गत उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसी प्रत्यय के लाभ मूल्य की कमी के द्वारा प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित करे, ऐसी रीति में, जो विहित कीजाए, ऐसी दर पर प्रत्यय का अनुज्ञात होगा।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय मालों के साथ-साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों,चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं,के विनिर्माण में लगा है, अपने इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में लेने का हकदार होगा,--

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के

अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रनीत मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, के जमा की रकम ; और

(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूटप्राप्त मालों या कर मुक्त मालों,चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों,के संबंध में नियत दिन को स्टाक में रखे गए इनपुटों और अर्ध-निर्मित या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय की रकम ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों के सबंध में अपने इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किंतु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन प्रदाता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय संबंधी दस्तावेज को, नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखबद्ध किया गया था :

परंतु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण दर्शित करने पर और तीस दिन की अधिक अवधि आयुक्त द्वारा विस्तारित होगी :

परंतु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन जमा के संबंध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरण देगा ।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य करके बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टाक में निवेशों, अर्ध-निर्मित या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट निवेशों की बावत मूल्य वर्द्धित कर का प्रत्यय अपने इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात्:--

(i) इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेश या मालों काप्रयोग कराधेय प्रदाय करने या ऐसे प्रदाय करने के लिए आशयित है ;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करता है ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेशों पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है ;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निवेश के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज कब्जे में है ; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तारीख के तत्काल पूर्व बारह मास से पूर्व जारी नहीं किए गए थे ।

(7) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति

में प्रगणित होगी, जो विहित की जाए ।

141. फुटकर काम के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध ।—

(1) नियत दिन से पूर्व विद्‌यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, जहां कोई इनपुट,कारबार के एक स्थान पर प्राप्त होता है और उसे उसी रूप में आगे और प्रसंस्करण,जांच, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी कर्मकार को आंशिक रूप से प्रसंस्करण के पश्चात्‌ प्रेषित कर दिया जाता है और ऐसे इनपुटों को उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात्‌ वापस भेजा जाता है तो उस समय कोई कर संदेय नहीं होगा, यदि ऐसे इनपुटों को फुटकर काम के पूरा होने के पश्चात्‌ या अन्यथा नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस भेज दिया जाता है :

परंतु छह मास की अवधि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्‌वारा बढ़ायी जा सकेगी :

परंतु यह और कि यदि ऐसा निवेश छह मास की अवधि के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) केखण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किये जाने का दायी होगा।

(2) जहां कोई अर्द्ध तैयार माल कारबार के किसी स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्‌यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएँ करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात्‌ इस उपधारा में "उक्त माल" कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात्‌ उक्त स्थान को वापिस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने या अन्यथा के पश्चात्‌ नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छहमास की अवधि को दो मास से अनधिक अवधि तकबढाने के लिए आयुक्त द्‌वारा विस्तार किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्‌यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण मेंइस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतरनिर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अथवाभारत में करके संदाय पर प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को अंतरित कर सकेगा ।

(3) **(जहां कारबार के स्थान सेपरिक्षण कराए जानेयाअन्य प्रक्रियाके लिएकर के बिना संदाय के विद्‌यमान विधि के अनुसरण में नियत तारीखके पूर्व रजिस्ट्रीकृत अथवाअरजिस्ट्रीकृत किसी अन्य परिसर में हटा दिया गया था और ऐसे माल उक्त स्थान पर नियत तारीख के पूर्व अथवा पश्चात्‌ वापस किया जाता है, कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से नियुक्त तारीख से छहमास के भीतर उक्त स्थान पर वापस किया जाता है :**

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छहमास की अवधि को, आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिकअवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण मेंइस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतरनिर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अथवाभारत में करके संदाय पर प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को अंतरित कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर उस समय संदेय नहीं होगा, यदि विनिर्माता और कार्य-कर्मकार यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर और उस प्ररूप और रीति में नियत तारीख को विनिर्माता की ओर से कार्य-कर्मकार द्वारा स्टाक में रखे माल अथवा आगत के ब्यौरे में घोषणा करे।

142 **प्रकीर्ण संक्रमण कालीन उपबंध।—**

(1) जहां किसी माल पर कोई कर, यदि कोई है, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन देय किया गया था, जो नियत तारीख से छह मास पूर्व के समय का नहीं हो, नियत तारीख के पश्चात् कारबार के स्थान पर वापिस किया जाता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन देय कर के वापस किए जाने के लिए पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को वापस किया जाता है तथा ऐसे माल का उचित अधिकारी द्वारा संतोषजनक रूप में पहचान योग्य है ।

परन्तु यह कि उक्त माल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वापस किया जाता है, ऐसे माल की वापसी प्रदाय समझी जाएगी ।

(2) (क) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनो की कीमत नियत तारीख कोअथवा इसके पश्चात् उससे पूर्व ऊपर की ओर पुनरीक्षित की जाती है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे कीमत में ऐसे पुनरीक्षण होने के 30 दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट जारी किया जायेगा तथा इस अधिनियम के उदेदश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट को इस अधिनियम के अधीन की गई बाहरी प्रदाय के संबंध में जारी किया समझा जाएगा।

(ख) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनो की कीमत नियत तारीख कोअथवा इसके पश्चात् नीचे की ओर पुनरीक्षित की जाती है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसने मालों का विक्रय किया था, ऐसे कीमत में ऐसे पुनरीक्षण की 30 दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में

अंतर्विष्ट क्रेडिट नोट निर्गत करेगा तथा इस अधिनियम के उदेदश्य के लिए ऐसे अनुपूरक क्रेडिट नोट को इस नियम के अधीन की गई जावक प्रदाय के संबंध में जारी किया समझा जाएगा:

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल क्रेडिट नोट के जारी किए जाने पर दायी उसके कर को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि क्रेडिट नोट के पाने पर दायी करके ऐसे कम करने के लिए तत्स्थानी उसका इनपुट कर प्रत्यय घट जाता है ।

(3) नीयत तारीख के पूर्व, को या पश्चात विद्यमान विधि के अधीन भुगताये गए किसी निवेश कर प्रत्यय, कर, ब्याज अथवा कोई अन्य रकम के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति के द्वारा फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निष्पादित किया जायेगा और उसके लिए प्रोदभूत की गई पारिणामिक किसी रकम को विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट नगद संदेय किया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की रकम के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी:

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(4) नीयत तारीख के पूर्व या पश्चात निर्यात किए गए किसी माल या सेवा के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन संदेय कर के प्रतिदाय हेतु नियत तारीख के पश्चात् फाइल किए गए प्रतिदाय हेतु प्रत्येक दावा, विदयमान विधि के अनुसरण में निराकृत किया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां इनपुट करप्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी:

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख कोउक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है ।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नियत दिन से पूर्व उलट दिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कोई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर के प्रत्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी ।

(6) (क) इनपुट कर प्रत्यय के संबंध मेंप्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, पुनःर्विलोकन अथवा निदेश की विद्यमान विधि के अधीन कोई कार्यवाही चाहे वह नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो का निष्पादन विद्यमान विधि के अनुसार किया जायेगा तथा दावा करने वाले के लिए स्वीकार की गई पायी जाने वाली प्रत्यय की कोई रकम का विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह रकम जो अस्वीकार की जाएगी यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी:

परन्तु यह कि इनपुट करप्रत्यय की रकम का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है ।

(ख) इनपुट कर प्रत्यय के वसूली के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण अथवा निदेश की विद्यमान विधि के अधीन कोई कार्यवाही चाहे वह नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निराकृत की जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाएगी **और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।**

(7) (क) आउटपुट **कर के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनर्विलोकन अथवा निदेश की विद्यमान विधि के अधीन** कोईकार्यवाही **चाहे वह नियत तारीख** के **पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निराकृत की जाएगी तथा यदि कोई रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।**

(ख) आउटपुट **कर के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण अथवा निदेश की विद्यमान विधि के अधीन कोई कार्यवाही चाहे वह नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निराकृत की जाएगी तथा यदि कोई रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में कोई दावाकृत रकम स्वीकार योग्य पाई जाती है विद्यमान विधि के अधीन नगद प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।**

(8) (क) जहां विद्यमान विधि के अधीन संस्थित **किसी निर्धारण अथवा** न्यायानिर्नयन **की कार्यवाही चाहे वह नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो,** के अधीन **कोई कर, लाभ जुर्माना अथवा शास्ति की रकम व्यक्ति से वसूल योग्य हो,** इस अधिनियम के अधीन करके बकाया की तरह वसूली जाएगी यदि **विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर लिया गया तथा इस प्रकार वसूली योग्य रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।**

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन संस्थित **किसी निर्धारण अथवा** न्यायानिर्नयन **की कार्यवाही चाहे वह नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो,** के अधीन **कोई कर, लाभ जुर्माना अथवा शास्ति की रकम व्यक्ति प्रतिदाय योग्य हो, विद्यमान विधि के अधीन नकद प्रतिदाय की जाएगी तथा** अस्वीकृत राशि, यादो कोई हो, **इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर**

प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(9) (क) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन दाखिल की गई हो, नियत तारीख के पश्चात्पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूल योग्य पायी जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय की रकम अनुज्ञेय नहीं पायी जाती है,ता विद्यमान विधि के अधीन बकाया कर की वसूली, इस अधिनियम के अधीन बकाया कर के रूप में की जाएगी, यदि विद्यमान विधि के अधीन वसूली नहीं गयी है तो, तथा अस्वीकृत राशी, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन दाखिल की गई हो, नियत तारीख के पश्चात परन्तु विद्यमान विधि में पुनरीक्षण हेतु निर्दिष्ट समय सीमा के अधीन, पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम किसी कराधेय व्यक्ति को वापसी योग्य पायी जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय की रकम अनुज्ञेय पायी जाती है, तो उकता राशी विद्यमान विधि के अधीन वापस की जाएगी तथा अस्वीकृत राशी, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(10) इस अध्याय में यथा उपबंधित के सिवाय नियत तारीख के पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में नियत तारीख के पश्चात् माल या सेवा अथवा दोनो काप्रदाय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के लिए दायी होगा ।

(11) (क) धारा 12 में अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन मालपर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगाजिस सीमा तक वह कर बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन उक्त माल पर उद्ग्रहीत किया गया था ।

(ख) धारा 13 में अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवा पर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगा जिस सीमा तक वह वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्ग्रहीत किया गया था ।

(ग) जहां बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन दोनो के अधीन किसी आपूर्ति पर कर देय था, इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्रहीत किया जाएगा तथा कर योग्य व्यक्ति नियत तारीख के पश्चात्किए गए प्रदायों के विस्तारतक विद्यमान विधि के अधीन मूल्य वर्धित कर या सेवा कर को प्रत्यय के रूप में लेने का हकदार होगा तथा ऐसे प्रत्यय की उस रीति में जैसी विहित की जाए गणना कीजाएगी।

(12) जहां कोई माल नियत तारीख के पूर्व छह मास से पूर्व अनधिक अवधि के अनुमोदन के आधार पर भेजा जाता है, और क्रेता द्वारा अस्वीकृतकिया जाता है या अनुमोदित नहीं किया जाता है और नियत तारीख के पश्चात् अथवा उस तारीख को विक्रेता को वापस

किया जाता है, उस पर कोई कर नहीं देय होगा यदि ऐसा माल नियत तारीख से छहमासकी अवधि के भीतर वापस किया जाता है:

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को दो मास से अनधिक अवधि तकबढाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा:

परन्तु यह और कि माल वापस करने वाले व्यक्ति द्वारा कर देय होगा यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी होता है तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापसनहीं किया जाता है:

परन्तु यह भी कि कर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा संदेय किया जाएगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस किया नहीं जाता है ।

(13) जहां प्रदायकर्ता ने ऐसे माल का कोई विक्रय किया है जिस के संबंध में बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, **2005 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और नियत तारीख के पूर्व बीजक भी जारी किया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कटौतीकर्ता के द्वारा किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी जहां उक्त प्रदायकर्ता को संदाय नियत तारीख को या इसके पश्चात्किया जाता है।**

(14) जहां प्रधान के कोई माल या पूंजी माल नियत दिन को अभिकर्ता के परिसरों में रखे हैं, वहां अभिकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसे मालों पर संदत्त कर का प्रत्यय लेने के लिए हकदार होगा,अर्थात् :--

(i) अभिकर्ता इस अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है ;

(ii) प्रधान और अभिकर्ता, दोनों ही नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को ऐसे अभिकर्ता के पास रखे मालों या पूंजी मालों के स्टॉक के ब्यौरों की घोषणा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर करते हैं, जो इस निमित्त विहित किया जाए;

(iii) ऐसे मालों या पूंजी मालों के लिए बीजक नियत दिन से ठीक पूर्व के बारह मासों की अवधि से पूर्व जारी नहीं किए गए थे ; और

(iv) प्रधान ने या तो ऐसे,--

(क) मालों ; या

(ख) पूंजी मालों,

के संबंध में या तो इनपुट कर प्रत्यय को वापस कर दिया है या उसका फायदा नहीं लिया है या ऐसे प्रत्यय का फायदा ले लेने के पश्चात् उसे, उसके द्वारा लिए गए फायदे की सीमा तक वापस लौटा दिया है ।

स्पष्टीकरण--इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "पूंजी माल"पद का वही अर्थ होगा, जो उसका बिहारमूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 में है ।

अध्याय 21

प्रकीर्ण

143. छुटपुट कार्य की प्रक्रिया ।—

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (इसके पश्चात् इस धारा में "प्रधान" के रूप में निवेशित किया गया है), ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाएऔर सूचना के अधीन छुटपुट कार्य के लिए छुटपुट कार्य को बिना कर के संदाय के कोई इनपुट अथवा पूंजीमाल भेज सकता है तथा पश्चात्वर्ती रूप में अन्य छुटपुट कार्य को भेज सकता है, और—

(क) छुटपुट कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात्या अन्यथा निवेश या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजीगत मालकर के संदाय के बिना, उसके किसी भी कारबार के स्थान से उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, वापस लाएगा;

(ख) छुटपुट कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुट निवेश या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों से भिन्न पूंजी गत माल पर कर संदाय पर भारत के भीतर अथवा निर्यात के लिए कर संदाय अथवा बिना संदाय, जैसी स्थिति हो, कर के संदाय पर छुटपुट कर्मकार के कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, आप्रदाय करेगा:

परन्तु यह कि प्रधान खंड (ख) के निबंधनों में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से माल की आपूर्ति निम्न दशा के सिवाय तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान द्वारा उस स्थान को कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में की घोषणा नहीं करता है,

(i) **जहां छुटपुट कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; अथवा**

(ii) **जहां प्रधान ऐसे माल की आप्रदाय में लगा हुआ है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है ।**

(2) आगत अथवा पूंजीगत माल के लिए लेखाओं का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व प्रधान पर होगी ।

(3) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजा गया निवेश उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में छुटपुट कार्यों से भिन्न कार्य के पूरा होने के पश्चात् प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से आप्रदाय नहीं की जाती है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट की छुटपुट कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा आप्रदाय की गई थी उस दिन जब उक्त इनपुट बाहर भेजे गए थे ।

(4) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजे गए सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी माल उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से आप्रदाय नहीं की जाती है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे पूंजी मालछुटपुट कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा आप्रदाय की गई थी उस दिन जब उक्त पूंजी माल बाहर भेजे गए थे ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2**)में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपशिष्ट और छुटपुट कार्य के दौरान उत्पादित स्क्रेप पर के संदाय पर कारबार के उसके स्थान से सीधे छुटपुट कर्मकार के द्वारा आप्रदाय की जा सकती है, यदि ऐसा छुटपुट**

कर्मकार रजिस्ट्रीकृत है अथवा यदि छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो प्रधान द्वारा आपूर्ति जाएगी ।

स्पष्टीकरण--छुटपुट कार्य के उद्देश्य हेतु इनपुट में प्रधान या किसी छुटपुट कर्मकार द्वारा इनपुट पर लाए गए किसी उपाय या कार्रवाई से उद्भूत होने वाले मध्यवर्ती माल सम्मिलित है ।

144. कतिपय मामलों में दस्तावेजों के लिए उपधारणा, छूट प्राप्त करना।— **जहां कोई दस्तावेज—**

(i) **इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है; अथवा**

(ii) **इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रण किया गया है; अथवा**

(iii) **इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही के क्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है,**

और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसने उससे संयुक्त होने का प्रयास किया हो, के विरुद्ध न्यायालय--

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, उपधारणा की जाएगी ।

(i) **ऐसे दस्तावेज की अंर्तवस्तु की सत्यता;**

(ii) **यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जिसका तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित हो अथवा जिसे न्यायालय ने उचित कारणों के लिए हस्ताक्षर कराया हो अथवा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित किया गया हो और ऐसे** क्रियान्वित **या अभिप्रमाणित दस्तावेज की दशा में इस प्रकार उसका तात्पर्य** क्रियान्वित **या अभिप्रमाणन किया गया हो;**

(ख) यह होते हुए भी कि यह सम्यकतः स्टांपित नहीं है, में दस्तावेज स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में गृहीय है ।

145. दस्तावेज के रूप में और साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों और कम्प्युटर प्रिंट आउट की माईक्रो फिल्म, प्रतिकृति प्रतियों की ग्राह्यता ।—

(1) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए --

(क) ऐसे माईक्रोफिल्म में लगी हुई छाया या छायाओं के पुर्नउत्पादन या दस्तावेजों की माईक्रोफिल्म (चाहे वह बड़ी हो अथवा नहीं); या

(ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रति; या

(ग) किसी दस्तावेज में अर्न्तविष्ट कोई विवरण और जिसमें किसी कम्प्यूटर द्वारा जनित कोई मुद्रित सामग्री भी शामिल है, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित कीजाए; या

(घ) किसी युक्ति या संचार माध्यम में इलैक्ट्रोनिक रूप से भंडारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की हार्डप्रतियां भी शामिल है,

को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए एक दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्रवाई में, किसी और सबूत या मूल

दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ही ऐसे ग्राह्य होगा जैसे मूल दस्तावेज की कोई विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप में या उसमें कथित कोई तथ्य या साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाने गये नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कथन करने की अपेक्षा की गयी है, कोई ऐसा प्रमाणपत्र--

(क) जो ऐसे दस्तावेज को परिलक्षित करता है जिसमें कथन अर्न्तविष्ट है और उस रीति का वर्णन करता है जिसमें इसे लिया गया है;

(ख) जो उस दस्तावेज को बनाने में शामिल किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियों को देता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि दस्तावेज को किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था,

प्रमाणपत्र में कथित किसी मामलें का साक्ष्य होगा और इस उपधारा से प्रयोजन हेतु यह इसका कथन करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और विश्वास से कहा गया कथन होने के मामलें में पर्याप्त होगा ।

146. **सामान्य पोर्टल।**—सरकार, परिषद्की सिफारिशों पर प्रसुविधा हेतु रजिस्ट्रीकरण, कर के संदाय, विवरणी के प्रस्तुतीकरण, एकीकृत कर की संगणना और समाधान, इलैक्ट्रोनिक वे बिल और ऐसे प्रयोजनो के लिए जो विहित किए जाए के लिए सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकेगी।

147. **निर्यात समझा जाना।**— सरकार, परिषद्की सिफारिशों पर जहां प्रदाय किया गया माल भारत नहीं छोड़ता है और ऐसी प्रदाय के लिए संदाय भारतीय रुपए या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गया है, यदि ऐसा माल भारत में विर्निमित किया गया है, कतिपय माल की प्रदाय को निर्यात के रूप में समझा जाना अधिसूचित कर सकेगी।

148. **कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति।**—सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और सुरक्षा के अधीन जो विहित किए जाए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों द्वारा अनुसरण की जाने वाली विशेष पद्धति को अधिसूचित कर सकेगी, जिसमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित, विवरणी का प्रस्तुतीकरण, कर का संदाय और ऐसे कराधेय व्यक्तियों का प्रशासन भी शामिल है।

149. **माल और सेवाकर अनुपालन रेंटिग।**—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपालन के उसके अभिलेख पर आधारित सरकार द्वारा एक माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग समानुदेशित कर सकेगी।

(2) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को ऐसे मानकों के आधार पर जो विहित किए जाए, अवधारित किया जा सकेगा।

(3) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को अवधारित अन्तरालों पर अद्यतन किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकेगा तथा ऐसी रीति जो विहित की जाए पब्लिक डोमेन मे भी रखी जा सकेगी ।

150. **सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता ।** (1) कोई व्यक्ति--

(क) कोई कराधेय व्यक्ति होने के कारण ; या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संगम होने के कारण ; या

(ग) वर्द्धित कर या विक्रय कर या राज्य उत्पाद कर के संग्रहण के लिए

उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद-शुल्क या सीमा शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी होने के कारण ; **या**

(घ) **आय कर अधिनियम**, 1961 **के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आयकर प्राधिकारी होने के कारण** ; **या**

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) के अर्थ के अंतर्गत कोई बैकिंग **कंपनी** होने के कारण**; या**

(च) कोई राज्य विद्युत बोर्ड या विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन **कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त कोई इकाई**, होने के कारण**; या**

(छ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार होने के कारण**; या**

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार होने के कारण**; या**

(झ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण करने को सशक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी होने के कारण**; या**

(ञ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई समाहर्त्ता होने के कारण **; या**

(ट) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज होने के कारण**; या**

(ठ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड़) में निर्दिष्ट निक्षेपागार होने के कारण**; या**

(ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन यथागठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी होने के कारण**; या**

(ढ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कोई रजिस्ट्र्ड कंपनी, माल और सेवा कर नेटवर्क होने के कारण**; या**

(ण) धारा 25 की उपधारा (9) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया विशिष्ट पहचान संख्या प्रदत्त व्यक्ति होने के कारण**; या**

(त) सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति; जो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, रजिस्ट्रीकरण या लेखा विवरण या का अभिलेख **कोई आवधिक विवरणी या कर** संदाय **और माल या सेवा या दोनों के संव्यवहार के अन्य ब्यौरे** को **अंतर्विष्ट** करने वाले **दस्तावेज या किसी बैंक खाता या विद्युत खपत से संबंधित संव्यवहार या माल या संपत्ति का क्रय–विक्रय या आदान प्रदान के संव्यवहार या किसी संपत्ति** या सम्पत्ति **में अधिकार या हित के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए** उत्तरदायी है **ऐसी अवधि, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, और ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण के** समक्ष जो विहित की जाए एक **सूचना विवरणी** दाखिल करेगा**।**

(2) जहां आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना विवरणी में दी गई सूचना को त्रुटिपूर्ण समझता **है, वह सूचना** विवरणी **भरने वाले उस व्यक्ति को** ऐसी त्रुटि प्रज्ञापित **करेगा और उसको ऐसे** प्रज्ञापन **की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, या उसकी ओर से किए गए आवेदन पर ऐसी** अग्रसारित **अवधि के भीतर,**

त्रुटि के परिशोधन करने का एक अवसर देगा, और यदि त्रुटि का परिशोधन उक्त तीस दिन की अवधि या अग्रसारित अवधि के भीतर नहीं किया गया है तो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बाते के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी भरी हुई नहीं समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना विवरणी दिया जाना अपेक्षित है उसे वह उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उसे नोटिस परिदान की तारीख से नब्बे दिनों की अनधिक अवधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा का नोटिस दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी देगा ।

151. सांख्यिकी संग्रहण की शक्ति ।—

(1) आयुक्त यदि यह समझता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, या इस अधिनियम से संबंधित किसी मामले के सिलसिले में सांख्यिकी का संग्रहण करने को निदेश दे सकेगा ।

(2) ऐसी अधिसूचना जारी करने पर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति से यथा विहित, ऐसे प्रारूप और रीति में उन सांख्यिकियों के संग्रहण से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए अपेक्षा कर सकेगा।

152. सूचना के प्रकटन पर वर्जन ।—

(1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी भी बात की बावत किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की सूचना, अनुरूप या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी कि ऐसी विशिष्टियाँ किसी खास व्यक्ति के पहचान के प्रति निर्दिष्ट न हो और ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किसी प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकलन या उसके कंप्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को, धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यष्टि विवरणी को देखने या उस तक उस तक पहुँचने की अनुमति होगी ।

(3) इस धारा की कोई बात व्यक्ति के किसी वर्ग या संव्यवहार के किसी वर्ग से संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगी, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है ।

153. किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना ।— सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्युन कोई अधिकारी, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित के संबंध को ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संविक्षा, जांच अन्वेषण या किसी अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर किसी भी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकेगा ।

154. नमूनों को प्राप्त करने की शक्ति ।— आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जहां वह ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी कराधेय व्यक्ति के कब्जे से माल के नमूने ले सकेगा, और इस प्रकार लिए गए किसी भी नमुने की रसीद उपलब्ध कराएगा ।

155. सबूत का भार ।— जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह उस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा ।

156. व्यक्ति लोक सेवक समझा जाएगा ।— इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत आने वाले लोक सेवक समझे जाएंगे ।

157. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण ।—

(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भाव में की गई या किये जाने को आशयित कोई कृत्य **के लिए अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएगी।**

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभाव में की गई या किए जाने को आशयित कोई कृत्य **के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत** किसी अधिकारी **के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएगी ।**

158. लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना । (1) इस अधिनियम, के के अनुसरण में किए गए किसी कथन, दी गई विवरणी या पेश किए गए लेखाओं या दस्तावेजों में या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य के अभिलेख में (किसी दंडिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से भिन्न) या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से संबंधित या किसी अभिलेख में, उपधारा (3) में यथाउपबंधित के सिवाय, प्रकट नहीं करेगा।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) में यथाउपबंधित के सिवाय, कोई न्यायालय किसी इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी से उसके समक्ष उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं विशिष्टियों को प्रस्तुत करने या उनकी बावत उसके समक्ष साक्ष्य देने की अपेक्षा करने का हकदार होगा।

(3) इस धारा की **कोई बात,--**

(क) भारतीय दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी विवरण, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथपत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में; या

(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार को या राज्य सरकार को या इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कार्यकारी कोई व्यक्ति को; या

(ग) ऐसी विशिष्टियाँ जिनके प्रकटन का कारण इस अधिनियम के अधीन विधि पूर्ण कार्य द्वारा किसी नोटिस के तामिल या किसी मांग की वसूली के लिए कोई कार्यवाही हो, **के संबंध में; या**

(घ) किसी भी वाद या कार्यवाहयों में एक सिविल न्यायालय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन सरकार या कोई प्राधिकारी, एक पक्षकार है जो कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाहियों में उठने वाले किसी मामले से संबंधित है, इसके अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसा कोई प्राधिकारी को प्राधिकृत करता है, के संबंध में; या

(ङ) इस अधिनियम द्वारा कर प्राप्ति या अधिरोपित कर के प्रतिदाय **की लेखापरीक्षा** के **प्रयोजन** से **नियुक्त किसी अधिकारी को; या**

(च) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के आचरण के जाँच हेतु संगत **; या**

(छ) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी को किसी कर या शुल्क के अधिरोपण या वसूली हेतु समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए**; या**

(ज) ऐसी विशिष्टियाँ जिनके प्रकटन का कारण **तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन कोई लोक सेवक या कोई अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा उसकी या उसकी** शक्तियों के **विधिपूर्ण** प्रयोग में **; या**

(झ) किसी पेशारत अधिवक्ता, कर व्यवसायी, पेशारत लागत लेखाकार, पेशारत चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेशारत कंपनी सचिव के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में दुराचरण के अभियोग की जाँच हेतु विधि व्यवसाय, लागत लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव के पेशा में लगे हुए सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाई करने हेतु सशक्त किसी प्राधिकारी को सुसंगत किसी तथ्य का प्रकटन ; या

(ञ) नियुक्त किसी अभिकरण को डाटा प्रविष्टि या स्वचालित प्रणाली के प्रयोजन के लिए या संचालन, उन्नत करने या किसी स्वचालित प्रणाली के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए जहां ऐसे अभिकरण पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए को छोड़ ऐसी विशिष्टियों के प्रयोग या प्रकट नहीं करने की संविदा आबद्ध है ; या

(ट) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्रयोजन के लिए यथाआवश्यक सरकार के किसी अधिकारी को ; और

(ठ) कराधेय व्यक्तियों के या संव्यवहारों के किसी वर्ग से सम्बंधित प्रकाशन हेतु कोई सूचना, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोक हित में है,

किन्हीं विशिष्टियों के प्रकटन को लागू नहीं होगी।

159. कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन ।—

(1) यदि आयुक्त, या उसकी ओर से इस संबंध में **उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी की यह राय है कि किसी व्यक्ति का नाम और ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों या अभियोजन से संबंधित कोई अन्य विशिष्टियां का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समीचीन है** तो वह**, ऐसी रीति में ऐसे नाम और विशिष्टियां का प्रकाशन कर सकेगा ।**

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा जब तक अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के लिए धारा 107 के अधीन समय का अवसान कोई अपील प्रस्तुत किए बिना **हो जाता है या कोई अपील यदि प्रस्तुत की जाती है, का निपटारा** नहीं हो जाता है**।**

स्पष्टीकरण--यथास्थिति, फर्म, कंपनी या व्यक्तियों का संगम, फर्म के भागीदारों, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों का नाम या सदस्यों का संगम की दशा में, सदस्यों का नाम **प्रकाशित किया जा सकेगा, यदि आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थिति** में ऐसा करना **न्यायोचित** हो **।**

160. कतिपय बिन्दुओं पर निर्धारण कार्यवाहियां, आदि का अविधिमान्य न किया जाना ।—

(1) इस अधिनियम के किसी उपबंधों के अनुसरण में किए गए, प्रतिग्रहण किए गए

बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किया गया या कथित रूप में किए गए, प्रतिग्रहण किए गए प्रतिग्रहण किए गए **बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किया गया कोई निर्धारण पुन:निर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुन:विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या की गई अन्य कार्यवाहियां, बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किया गया उसमें किसी गलती, त्रुटि या लोप होने के कारण अविधिमान्य** नहीं होगा या **समझा जाएगा, यदि ऐसे निर्धारण, पुनःर्निधारण, न्यायनिर्णयन, पुनःर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम या विद्‌यमान किसी विधि के** सार एवं प्रभाव की दृष्टि से **आशय, प्रयोजन और अपेक्षा** के अनुरूप हो।

(2) किसी **नोटिस, आदेश या संचार की तामील, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यदि यथास्थिति, नोटिस, आदेश या संचार** के अनुसरण में **उस व्यक्ति** द्वारा **पहले ही** कार्यवाही की गयी **है जिसके नाम उसे जारी किया गया है,** या **जहां ऐसे तामिल** कार्यवाही या पूर्व के कार्यवाही के प्रारंभ करने, चालु करने या पूर्ण करने में **प्रश्नगत नहीं किया गया है।**

161. अभिलेख पर प्रकट त्रुटि का परिशोधन **।— धारा 160 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी अन्य बातों के होते हुए भी, कोई प्राधिकारी, जो किसी पारित या जारी कोई विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र था कोई अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के दौरान ऐसे किसी त्रुटि का परिशोधन कर सकेगा जिसमें ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में त्रुटी अभिलेख को देखने से ही प्रकट होता है, और जो उसके स्वप्रेरणा से या इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्रभावित व्यक्ति द्‌वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है,**

परंतु यह कि ऐसा परिशोधन ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य कोई दस्तावेज के जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि उक्त छह मास की अवधि दुर्घटनावश किसी चूक या लोप से उदभूत मात्र लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि के परिशोधन के मामले में लागु नहीं होगी, संशोधन के स्वरूप में शुद्धता की गई हो :

परंतु यह भी जहां कोई व्यक्ति ऐसे परिशोधन से प्रतिकूल रूप से **प्रभावित होता है,** वहां **परिशोधन करने वाले प्राधिकारी द्‌वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया** जायेगा।

162. सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन **।— धारा 117 और 118 में यथाउपबंधित के सिवाय कोई सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किये गए या तात्प्रयित किसी कृत्य से उदभूत किसी प्रश्न से निपटने या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी ।**

163. फीस उदग्रहण **।— जहां कहीं किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति आवेदन पर किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है, वहां यथाविहित फीस संदत्त की जाएगी ।**

164. नियमों को बनाने की सरकार की शक्ति **।—**

(1) सरकार, परिषद् की सिफारिशो पर, अधिसूचना द्‌वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, ऐसे

सभी या किसी मामले के लिए नियम बना सकेगी जिन्हें विहित करने की अपेछा इस अधिनियम द्वारा की गयी है या जिनकी बावत नियम प्रावधान किये जाते हैं ।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में उन्हें या उनमें से किन्ही को इस अधिनियम के उपबंधो की प्रविर्त होने की तारीख के पश्चात किसी तारीख में भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा उसके उल्लंघन पर दस हजार से अनाधिक शास्ति लगाए जाने का उपबंध किया जा सकेगा ।

165. विनियम बनाने की शक्ति ।— सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

166. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।—इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम तथा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाये या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र या उन आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम या अधिसूचना नहीं बनाई या नहीं जारी की जानी चाहिए तो, यथास्थिति ऐसा नियम या विनियम या ऐसी अधिसूचना, तत्पश्चात, यथास्थिति, केवल ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम या विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

167. शक्तियों का प्रत्यायोजन।— आयुक्त, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों, यदि हों तो, के अधीन रहते हुए, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी और प्राधिकरणी **या अधिकारी द्वारा भी प्रयोग करने का निदेश कर सकेगा ।**

168. अनुदेशों या निदेशों को जारी करने की शक्ति ।— आयुक्त, यदि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राज्य कर अधिकारियों को उसके द्वारा उचित समझा जाने वाला आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी ऐसे अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का अनुसरण और पालन करेंगे ।

169. कतिपय मामलों में नोटिस की तामील ।—

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना को निम्नलिखित किन्हीं पद्धतियों द्वारा तामील की जाएगी, अर्थात्:--

(क) प्रेषिती या कराधेय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या ऐसा कोई अधिवक्ता या कर व्यवसायी जिसके पास कराधेय व्यक्ति की ओर से कार्यवाहियों में पेश होने का प्राधिकार है या कारबार के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को या कराधेय व्यक्ति के साथ रह रहे परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को सीधे देकर या सुपुर्द करके या संदेशवाहक, जिसके अंतर्गत कुरियर भी है, के द्वारा ; या

(ख) जिसके लिए आशयित है उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, को उसके कारबार या निवास के अंतिम ज्ञात स्थान, पर अभिस्वीकृति देय रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा ; या

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर यथासंशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा ; या

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा ; या

(ङ) वह इलाका जहां, कराधेय व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया है, इससे पहले रहता था, कारबार करता था या अभिलाभ के लिए व्यैक्तिक तौर पर कार्य करता था में प्रचालित समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा ; या

(च) यदि उपर्युक्त कोई ढंग व्यवहारिक नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर किसी सहज दृश्य जगह चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसी पद्धति भी व्यवहारिक नहीं होती है तो ऐसा विनिश्चय या आदेश या समन या नोटिस जारी करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के द्वारा ।

(2) प्रत्येक विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना की उसी तारीख को तामील हुई समझी जाएगी जिस पर इसे सुपुर्द किया गया या प्रकाशित किया गया या उपधारा (1) में उपबंधित रीति से एक प्रति वहां चिपकाई गई ।

(3) जब ऐसे विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी, संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया, तो ऐसी डाक के पहुंचने में सामान्यतः लगने वाली अवधि के समाप्ति पर प्रेषिती द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं होता ।

170. कर का पूर्णांकन आदि ।— इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर की रकम, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य संदेय रकम और प्रतिदाय की रकम या कोई अन्य देय रकम निकटतम रुपए के लिए पूर्णांकित होगी और, इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम जिसमें रुपए का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो एक रूपए तक बढ़ाया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

171. मुनाफाखोरी निरोध उपाय ।—

(1) किसी माल या सेवाओं पर कर की दर में किसी कमी या ईनपुट कर प्रत्यय के फायदे को मूल्यों में सम्मेय कमी के तौर पर प्राप्तकर्ता को दे दी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार यह परीक्षण करने के लिए कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उप्मुक्त ईनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी से वास्तव में परिणामत: माल और सेवाओं या उसके द्वारा प्रदाय किए गए दोनों के मूल्यों में सम्मेय कमी हुई है, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण का गठन या उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी विद्ययमान प्राधिकरण को सशक्त कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा जो विहित की जाय ।

172. कठिनाइयों को दूर करना ।—

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती

है तो सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कोई साधारण या कोई विशेष आदेश कर या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से संगत ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

173. निरसन ।— इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, एवं धारा 174 के शर्तों के अधीन, **इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही निम्नलिखित अधिनियमों का निरसन किया जाता है**, **अर्थात्** :--

(क) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित मालों के सिवाय, **बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम**, **2005** ;

(ख) बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, ब्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर, अधिनियम,1993 ;

(ग) बिहार होटल विलासिता कर **अधिनियम**, 1988 ;

(घ) बिहार मनोरंजन कर **अधिनियम**, 1948 ;

(ङ) बिहार विज्ञापन कर **अधिनियम**, 2007 ;

(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) ।

174. व्यावृत्ति ।—

(1) धारा 173 में निर्दिष्ट अधिनियमों का निरसन, **धारा 173** में **उल्लिखित विस्तार तक-**

(क) ऐसे निरसन के समय किसी भी प्रवृत्त या विद्यमान को पुन: प्रवर्तित नहीं करेगा ; या

(ख) पूर्व प्रचालित निरसित अधिनियम और आदेश या उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या भुक्ती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ग) ऐसे निरसित के अधीन निरसित अधिनियम या आदेश किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, या अर्जित, प्रोदभूत या उपगत दायित्व को नहीं करेगा :

परंतु यह कि किसी अधिसूचना के द्वारा विनिवेश पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त कोई कर छूट, विशेषाधिकार के रूप मे जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिन पर या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है ;

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज जो देय हैं या देय हो सकते हैं या कोई समपहरण या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के खिलाफ किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा ;

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच, निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य कोई विधिक कार्यवाही या बकायों की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तित कर सकेगा और किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण

या दंड उद्गृहित या अधिरोपित हो सकेगा जैसे कि इन अधिनियम को इस प्रकार निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा ;

(च) कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत जिनका संबंध किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हे नियत दिन से पूर्व या उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त निरसित अधिनियम के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां उक्त निरसित अधिनियम के अधीन जारी रहेंगी जैसे कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियम को निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा ।

(2) निरसन के प्रभाव के संदर्भ में बिहार एवं उडीसा **साधारण खंड अधिनियम, 1917 की धारा 8 के साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव या प्रभावित करने के लिए उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को नहीं रखा जाएगा ।**

अनुसूची 1

[धारा 7 देखें]

प्रतिफल के बिना किये गए क्रियाकलाप जिन्हें प्रदाय माना जायेगा यदि बिना विचार के किया

1. कारबार आस्तियों का स्थाई अंतरण या निपटान, जहां ऐसी आस्तियों पर ईनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया गया है ।

2. धारा 25 में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय जहाँ ऐसा प्रदाय कारबार के अनुक्रम या अग्रसारण में किया गया है :

परंतु यह कि किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपयों से अनधिक मूल्य के दिए गए भेंट को माल या सेवा या दोनों का प्रदाय नहीं माना जाएगा ।

3. माल का प्रदाय--

(क) जो किसी मालिक द्वारा उसके अभिकर्ता को किया गया है, जहां अभिकर्ता मालिक की ओर से ऐसे माल का प्रदाय करने का वचन देता है ।

(ख) जो किसी अभिकर्ता द्वारा उसके मालिक को किया गया है, जहां अभिकर्ता मालिक की ओर से ऐसे माल को प्राप्त करने का वचन देता है ।

4. कारबार के अग्रसारण या अनुक्रम में, कराधेय व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर उससे संबंधित व्यक्ति या किसी अन्य स्थापना से सेवाओं का आयात ।

अनुसूची 2

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलापों को माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाना

1. अंतरण--

(क) माल में हक का कोई अंतरण, माल का प्रदाय है ;

(ख) उसके हक के अंतरण के बिना, माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का कोई अंतरण, सेवाओं का प्रदाय है ;

(ग) माल में हक़ का अंतरण जो किसी ऐसे करार के अधीन हुआ है जो अनुबंध करता है कि माल में संपत्ति का हस्तांतरण प्रतिफल के संदाय पर भविष्य की तारीख में होगी, माल का प्रदाय है ।

2. भूमि और भवन--

(क) कोई पट्टा, कास्तकारी, सुखाचार, भूमि के आधिपत्य की अनुज्ञप्ति, सेवाओं का प्रदाय है ;

(ख) किसी भवन, जिसके अंतर्गत कारबार या वाणिज्य के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय परिसर है, को पूर्णत: या अंशत: किसी पट्टा या किराए पर देना, सेवाओं का प्रदाय है ।

3. व्यवहार या प्रक्रिया--

कोई व्यवहार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्ति के माल पर लागू की जाती है, सेवाओं का प्रदाय है ।

(4) कारबार आस्तियों का अंतरण--

(क) जहाँ व्यवसाय चलानेवाले किसी व्यक्ति या उसके निदेश पर कारबार की आस्तियों के भाग किसी माल का, प्रतिफल हेतु या अन्यथा, इस प्रकार अंतरण या निपटाव कि उक्त माल ऐसी आस्तियों का भाग न रहे, की दशा में ऐसा अंतरण या निपटाव उस व्यक्ति द्वारा माल का प्रदाय है ;

(ख) जहाँ व्यवसाय चलानेवाले किसी व्यक्ति या उसके निदेश पर व्यवसाय के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त या धारित किसी माल का कोई निजी उपयोग किये जाने या, व्यसाय से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, प्रतिफल हेतु या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराये जाने की दशा में ऐसा उपयोग या उपलब्ध कराया जाना, सेवाओं का प्रदाय है ;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत हो जाता है, कोई माल जो उसके द्वारा चलाए जा रहे कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत होने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या अग्रसारण में उसके द्वारा प्रदाय किया गया समझा जाएगा, यदि:--

(i) **कारबार का अंतरण अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में** नहीं होता है; **या**

(ii) **कारबार ऐसे व्यैक्तिक प्रतिनिधि द्वारा** नहीं **चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जाए ।**

(5) सेवाओं का प्रदाय--

निम्नलिखित को सेवा का प्रदाय माना जाएगा, अर्थात्:--

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ;

(ख) जहाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समापन प्रमाण पत्र, जहाँ अपेक्षित हो, के जारी होने या इसके प्रथम आधिपत्य, जो भी पहले हो, के पश्चात संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त होता है के सिवाय, पुर्णतः या अंशतः किसी क्रेता को बिक्रय हेतु आशयित किसी परिसर या भवन समेत किसी परिसर, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का संनिर्माण ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए--

(1) अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण की ओर से ऐसा प्रमाणपत्र गैर अपेक्षित होने की दशा में, निम्नलिखित किन्ही में से, अर्थात्:--

(i) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद् ; या

(ii) इंजिनियरी संस्थान (भारत) के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड इंजिनियर ; या

(iii) क्रमश: शहर या कस्बा या गांव का स्थानीय निकाय या विकास या योजना प्राधिकरण का कोई अनुज्ञप्त सर्वेक्षक ;

(2) अभिव्यक्ति "सन्निर्माण" जिसके अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल संरचना में अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुन: प्रतिरूपण, है ;

(ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थाई अंतरण करना ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, क्रमादेशन, अनुकूलन, उन्नति, वृद्धि, क्रियान्वयन ;

(ङ) किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य का करना ; और

(च) किसी प्रयोजन के लिए नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अविधि के लिए हो या नहीं) किसी माल को उपयोग करने के अधिकार का कोई अंतरण ।

6. संयुक्त प्रदाय--

निम्नलिखित संयुक्त प्रदायों को सेवाओं का प्रदाय माना जाएगा, अर्थात्:--

(क) धारा 2 के खंड (119) में यथा परिभाषित कार्य संविदा ; और

(ख) ऐसे माल का, जो मानव उपभोग के लिए खाद्य या कोई अन्य वस्तु है या किसी पेय (मानव उपभोग हेतु मादक शराब के अतिरिक्त) किसी सेवा के रूप में या उसके भाग रूप में या किसी अन्य रीति से, कोई भी हो, कोई प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है।

7. माल का प्रदाय--

निम्नलिखित को माल के प्रदाय के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :--

किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का प्रदाय ।

अनुसूची 3
[धारा 7 देखें]

क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय माना जाएगा न ही सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा

1. किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजक को दी गयी **सेवाएं ।**

2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दी गयी **सेवाएं ।**

3. (क) संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों द्वारा पालन किए गए कृत्य ;

(ख) संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति द्वारा उस हैसियत में पालन किए गए कर्तव्य ; या

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित किसी निकाय में किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रूप में दी गयी सेवायें **और जिसे इस खंड के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा** गया हो **।**

4. अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर, जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन, की सेवाएं ।

5. भूमि का विक्रय और, अनुसूची-2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अध्यधीन, भवन का विक्रय ।

6. लाटरी, दांव और द्यूत के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे ।

स्पष्टीकरण-- कंडिका 2 के प्रयोजन के लिए शब्द "न्यायालय" के अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

---

8 मई 2017

सं० एल०जी०–01–12/2017/94/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 मई 2017 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझाा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 12, 2017]

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

AN

ACT

to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Bihar and the matters connected therewith or incidental thereto

BE it enacted by Legislature of Bihar in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. ***Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires :-***

(1) *"actionable claim"* shall have the same meaning asassigned to it in section 3 of the Transfer of Property Act, 1882;

(2) *"address of delivery"* means the address of the recipient of goods or services or both indicated on the tax invoice issued by a registered person for delivery of such goods or services or both;

(3) *"address on record"* means the address of the recipient as available in the records of the supplier;

(4) *"adjudicating authority"* means any authority, appointed or authorised to pass any order or decision under this Act, but does not include the Commissioner, Revisional Authority, the Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority and the Appellate Tribunal;

(5) *"agent"* means a person, including a factor, broker, commission agent, *arhatia*, *del credere* agent, an auctioneer or any other mercantile agent, by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on behalf of another;

(6) *"aggregate turnover"* means the aggregate value of all taxable supplies (excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis), exempt supplies, exports of goods or services or both and inter-State supplies of persons having the same Permanent Account Number, to be computed on all India basis but excludes central tax, State tax, Union territory tax, integrated tax andcess;

(7) *"agriculturist"* means an individual or a Hindu Undivided Family who undertakes cultivation of land–

- (a) by own labour,or
- (b) by the labour of family,or
- (c) by servants on wages payable in cash or kind or by hired labour under personal supervision or the personal supervision of any member of thefamily;

(8) *"Appellate Authority"* means an authority appointed or authorised to hear appeals as referred to in section 107;

(9) *"Appellate Tribunal"* means the Goods and Services Tax Appellate Tribunal constituted under section 109;

(10) *"appointed day"* means the date on which theprovisionsof this Act shall come into force;

(11) *"assessment"* means determination of tax liability under this Act and includes self-assessment, re-assessment, provisional assessment, summary assessment and best judgementassessment;

(12) *"associated enterprises"* shall have the samemeaningasassigned to it in section 92A of the Income-tax Act, 1961;

(13) *"audit"* means the examination of records, returns and other documents maintained or furnished by the registered person under this Act or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force to verify the correctness of turnover declared, taxes paid, refund claimed and input tax credit availed, and to assess his compliance with the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(14) *"authorised bank"* shall mean a bank or a branch of a bank authorised by the Central Government to collect the tax or any other amount payable under this Act;

(15) *"authorised representative"* means the representative as referred to under section116;

(16) *"Board"* means the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963;

(17) *"business"* includes—

- (a) any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit;
- (b) any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to sub-clause (a);
- (c) any activity or transaction in the nature of sub-clause (a), whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction;
- (d) supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business;
- (e) provision by a club, association, society, or any such body (for a subscription or any other consideration) of the facilities or benefits to its members;
- (f) admission, for a consideration, of person*s* to any premises;
- (g) services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation;
- (h) services provided by a race club by way of totalisator or a licence to book maker in such club; and
- (i) any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as publicauthorities;

(18) *"business vertical"* means a distinguishable component of an enterprise that is engaged in the supply of individual goods or services or a group of related goods or services which is subject to risks and returns that are different from those of the other business verticals.

Explanation.—For the purposes of this clause, factors that should be considered in determining whether goods or services are related include—

- (a) the nature of the goods or services;
- (b) the nature of the production processes;
- (c) the type or class of customers for the goods or services;
- (d) the methods used to distribute the goods or supply of services; and
- (e) the nature of regulatory environment (wherever applicable), including banking, insurance or publicutilities;

(19) *"capital goods"* means goods, the value of which is capitalized in the books of account of the person claiming the input tax credit and which are used or intended to be used in the course or furtherance of business;

(20) *"casual taxable person"* means a person who occasionally under takes transactions involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as principal, agent or in any other capacity, in the taxable territory where he has no fixed place of business;

(21) *"central tax"* means the central goods and services tax levied under section9 of the Central Goods and Services Tax Act;

(22) *"cess"* shall have the same meaning as assigned to it in the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act;

(23) *"chartered accountant"* means a chartered accountant as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949;

(24) *"Commissioner"* means the Commissioner of State tax appointed under section 3 and includes the Principal Commissioner or Chief Commissioner of State tax appointed under Section 3;

(25) *"Commissioner in the Board"* means the Commissioner refer redtoin section168 of the Central Goods and Services Tax Act;

(26) "common portal" means the common goods and services tax electronic portal referred to in section 146;

(27) *"common working days"* shall mean such days in succession which are not declared as gazetted holidays by the Central Government or the Government of Bihar;

(28) *"company secretary"* means a company secretaryas defined in clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Company Secretaries Act, 1980;

(29) "competent authority" means such authority as may be notified by the Government;

(30) *"composite supply"* means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply;

Illustration.— Where goods are packed and transported with insurance, the supply of goods, packing materials, transport and insurance is a composite supply and supply of goods is a principal supply.

(31) *"consideration"* inrelation to the supply of goods or services or both includes––

(a) any payment made or to be made, whether in money or otherwise, in respect of, in response to, or for the inducement of, the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by the Central Government or a State Government;

(b) the monetary value of any act or forbearance, in respect of, in response to, or for the in ducement of, the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by the Central Government or a State Government:

Provided that a deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply;

(32) *"continuous supply of goods"* means a supply of goods which is provided, or agreed to be provided, continuously or on recurrent basis, under a contract, whether or not by means of a wire, cable, pipeline or other conduit, and for which the supplier invoices the recipient on a regular or periodic basis and

includes supply of such goods as the Government may, subject to such conditions, as it may, by notification, specify;

(33) *"continuous supply of services"* means a supply of services which is provided, or agreed to be provided, continuously or on recurrent basis, under a contract, for a period exceeding three months with periodic payment obligations and includes supply of such services as the Government may, subject to such conditions, as it may, by notification,specify;

(34) *"conveyance"* include save ssel,anaircraftand a vehicle;

(35) *"costaccountant"* means a cost accountant as defined in clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Cost and Works Accountants Act, 1959;

(36) *"Council"* means the Goods and Services Tax Council established under article 279A of the Constitution;

(37) *"credit note"* means a document issued by a registered person under sub-section (1) of section 34;

(38) *"debit note"* means a document issued by a registered person under sub-section (3) of section 34;

(39) *"deemed exports"* means such supplies of goods as may be notified under section 147;

(40) *"designated authority"* means such authority as may be notified by the Commissioner;

(41) *"document"* includes written or printed record of any sort and electronic record as defined in clause (t) of section 2 of the Information Technology Act, 2000;

(42) *"draw back"* in relation to any goods manufactured in India and exported, means the rebate of duty, tax or cess chargeable on any imported inputs or on any domestic inputs or input services used in the manufacture of such goods;

(43) "electronic cash ledger" means the electronic cash ledger referred to insub-section (1) of section 49;

(44) "electronic commerce" means the supply of goods or services or both, including digital products over digital or electronic network;

(45) "electronic commerce operator" means any person who owns, operates or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce;

(46) "electronic credit ledger" means the electronic credit ledger referred to in sub-section (2) of section 49;

(47) "exempt supply" means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11, or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and includes non- taxablesupply;

(48) "existing law" means any law, notification, order, rule or regulation relating to levy and collection of duty or tax on goods or services or both passed or made before the commencement of this Act by the Legislature or any Authority or person having the power to make such law, notification, order, rule or regulation;

(49) **"family"means,—**

(i) the spouse and children of the person, and

(ii) the parents, grand-parents, brothers and sisters of the person if they are wholly or mainly dependent on the saidperson;

(50) *"fixed establishment"* means a place (other than the registered place of business) which is characterised by a sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply services, or to receive and use services for its own needs;

(51) *"Fund"* means the Consumer Welfare Fund established under section 57;

(52) *"goods''* means every kind of movable property other than money and securities but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply;

(53) "Government" means the Government of Bihar;

(54) "Goods and Services Tax (Compensation to States) Act" means the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017;

(55) "goods and services tax practitioner" means any person who has been approved under section 48 to act as such practitioner;

(56) "India" means the territory of India as referred to in article 1 of the Constitution, its territorial waters, seabed and sub-soil underlying such waters, continental shelf, exclusive economic zone or any other maritime zone as referred to in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976, and the air space above its territory and territorial waters;

(57) "Integrated Goods and Services Tax Act" means the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017;

(58) "integrated tax" means the integrated goods and services tax leviedunder the Integrated Goods and Services Tax Act;

(59) "input" means any goods other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business;

(60) "input service" means any service used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business;

(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices issued under section 31 towards the receipt of input services and issues a prescribed document for the purposes of distributing the credit of central tax, State tax, integrated tax or Union territory tax paid on the said services to a supplier of taxable goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the said office;

(62) "input tax" in relation to a registered person, means the central tax, State tax, integrated tax or Union territory tax chargedonanysupplyofgoodsorservicesorbothmadeto him andincludes–

(a) the integrated goods and services tax charged on import of goods;

(b) the tax payable under the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9;

(c) the tax payable under the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act; or

(d) the tax payable under the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, but does not include the tax paid under the composition levy;

(63) "input taxcredit"means the credit of input tax;

(64) "intra-State supply of goods" shall have the same meaning as assigned to it in section 8 of the Integrated Goods and Services TaxAct;

(65) "intra-State supply of services" shall have the same meaning as assigned to it in section 8 of the Integrated Goods and Services TaxAct;

(66) "invoice"or"taxinvoice"meansthetaxinvoicereferredto in section31;

(67) "inward supply" in relation to a person, shall mean receipt of goods or services or both whether by purchase, acquisition or any other means, with or without consideration;

(68) "job work" means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to a not her registered person and the expression "job worker" shall be construed accordingly;

(69) *"localauthority"means*—

(a) a *"Panchayat"* as defined in clause (d) of article 243 of the Constitution;

(b) a *"Municipality"* as defined in clause (e) of article 243P of theConstitution;

(c) a Municipal Committee, a Zilla Parishad, a District Board, and any other authority legally entitled to, or entrusted by the Central Government or any State Government with the control or management of a municipal or localfund;

(d) a Cantonment Board as defined in section 3 of the Cantonments Act, 2006;

(e) a Regional Council or a District Council constituted under the Sixth Schedule to theConstitution;

(f) a Development Board constituted under article 371 of the Constitution; or

(g) a Regional Council constituted under article 371A of the Constitution;

(70) "location of the recipient of services" means,-

(a) where a supply is received at a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business;

(b) where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained (a fixed establishment elsewhere), the location of such fixed establishment;

(c) where a supply is received at more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the receipt of the supply;and

(d) in absence of such places, the location of the usual place of residence of the recipient;

(71) "location of the supplier of services" means,-

(a) where a supply is made from a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business;

(b) where a supply is made from a place other than the place of business for which registration has been obtained (a fixed establishment elsewhere), the location of such fixed establishment;

(c) where a supply is made from more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the provisions of the supply; and

(d) in absence of such places, the location of the usual place of residence of the supplier;

(72) *"manufacture"* means processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term "manufacturer" shall be construed accordingly;

(73) *"market value"* shall mean the full amount which a recipient of a supply is required to pay in order to obtain the goods or services or both of like kind and quality at or about the same time and at the same commercial level where the recipientandthesupplierarenotrelated;

(74) *"mixed supply"* means two or more individual supplies of goods or services, or any combination thereof, made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply.

Illustration:— A supply of a package consisting of canned foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drinks and fruit juices when supplied for a single price is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately;

(75) *"money"* means the Indian legal tender or any foreign currency, cheque, promissory note, bill of exchange, letter of credit, draft, pay order, traveller cheque, money order, postal or electronic remittance or any other instrument recognized by the Reserve Bank of India when used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denomination but shall not include any currency that is held for its numismatic value;

(76) *"motor vehicle"* shall have the same meaning as assigned to it in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988;

(77) *"non-resident taxable person"* means any person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both, whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India;

(78) *"non-taxable supply''* means a supply of goods or services or both which is not leviable to tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act;

(79) *"non-taxable territory"* means the territory which is outside the taxable territory;

(80) *"notification"* means a notification published in the Official Gazette and the expressions 'notify' and 'notified' shall be construed accordingly;

(81) *"other territory"* includes territories other thanthose comprising in a State and those referred to in sub-clauses (a) to (e) of clause(114);

(82) *"output tax"* in relation to a taxable person, means the tax chargeable under this Act on taxable supply of goods or services or both made by him or by his agent but excludes tax payable by him on reverse charge basis;

(83) *"outward supply"* in relation to a taxable person, means supply of goods or services or both, whether by sale, transfer, barter, exchange, licence, rental, lease or disposal or any other mode, made or agreed to be made by such person in the course or furtherance of business;

(84) *"person"includes—*

(a) an individual;

(b) a Hindu Undivided Family;

(c) a company;

(d) a firm;

(e) a Limited Liability Partnership;

(f) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India;

(g) any corporation established by or under any Central Act, State Act or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013;

(h) any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India;

(i) a co-operative society registered under any law relating to co-operative societies;

(j) a local authority;

(k) Central Government or a State Government;

(l) society as defined under the Societies Registration Act, 1860;

(m) trust; and

(n) every artificial juridical person, not falling within any of the above;

(85) *"place of business"* includes—

(a) a place from where the business is ordinarily carried on, and includes a warehouse, a godown or any other place where a taxable person stores his goods, supplies or receives goods or services or both; or

(b) a place where a taxable person maintains his books of account; or

(c) a place where a taxable person is engaged in business through an agent, by whatever name called;

(86) *"place of supply"* means the place of supply as referred to in Chapter V of the Integrated Goods and Services Tax Act;

(87) *"prescribed''* means prescribed by rules made under this Act on the recommendations of the Council;

(88) *"principal"* means a person on whose behalf an agent carries on the business of supply or receipt of goods or services or both;

(89) *"principal place of business"* means the place of business specified as the principal place of business in the certificate of registration;

(90) *"principal supply"* means the supply of goods or services which constitutes the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary;

(91) *"proper officer"* in relation to any function to be performed under this Act, means the Commissioner or the officer of the State tax who is assigned that function by the Commissioner;

(92) *"quarter"* shall mean a period comprising three consecutive calendar months, ending on the last day of March, June, September and December of a calendar year;

(93) *"recipient"* of supply of goods or services or both, means—

(a) where a consideration is payable for the supply of goods or services or both, the person who is liable to pay that consideration;

(b) where no consideration is payable for the supply ofgoods, the person to whom the goods are delivered or made available, or to whom possession or use of the goods is given or made available; and

(c) where no consideration is payable for the supply of a service, the person to whom the service is rendered, and any reference to a person to whom a supply is made shall be construed as a reference to the recipient of the supply and shall include an agent acting as such on behalf of the recipient in relation to the goods or services or both supplied;

(94) *"registered person"* means a person who is registered under section 25 but does not include a person having a Unique Identity Number.

(95) *"regulations"* means the regulations made by the Government under this Act on the recommendations of the Council;

(96) "removal'' in relation to goods, means-

(a) despatch of the goods for delivery by the supplier there of or by any other person acting on behalf of such supplier; or

(b) collection of the goods by the recipient thereof or by any other person acting on behalf of such recipient;

(97) *"return"* means any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under this Act or the rules made thereunder;

(98) *"reverse charge''* means the liability to pay tax by the recipient of supply of goods or services or both instead of the supplier of such goods or services or both under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services TaxAct;

(99) *"Revisional Authority"* means an authority appointed or authorised for revision of decision or orders as referred to in section 108;

(100) *"Schedule"* means a Schedule appended to this Act;

(101) *"securities"* shall have the same meaning as assigned to it in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;

(102) *"services"* means anything other than goods, money and securities but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other

mode, from one form, currency or denomination, to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged;

(103) *"State"* means the State of Bihar;

(104) *"State tax"* means the tax levied under this Act;

(105) *"supplier"* in relation to any goods or services or both, shall mean the person supplying the said goods or services or both and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or services or both supplied;

(106) *"tax period''* means the period for which the return is required to be furnished;

(107) *"taxable person"* means a person who is registered or liable to be registered under section 22 or section 24;

(108) *"taxable supply''* means a supply of goods or services or both which is leviable to tax under this Act;

(109) *"taxable territory''* means the territory to which the provisions of this Act apply;

(110) *"telecommunication service"* means service of any description (including electronic mail, voice mail, data services, audio text services, video text services, radio paging and cellular mobile telephone services) which is made available to users by means of any transmission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature, by wire, radio, visual or other electromagneticmeans;

(111) *"the Central Goods and Services Tax Act"* means the Central Goods and Services Tax Act, 2017;

(112) *"turnover in State" or "turnover in Union territory"* means the aggregate value of all taxable supplies (excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis) and exempt supplies made within a State or Union territory by a taxable person, exports of goods or services or both and inter-State supplies of goods or services or both made from the State or Union territory by the said taxable person but excludes central tax, State tax, Union territory tax, integrated tax and cess;

(113) *"usual place of residence"* means—

(a) in case of an individual, the place where he ordinarily resides;

(b) in other cases, the place where the person is incorporated or otherwise legally constituted;

(114) *"Union territory"means the territory of,-*

(a) the Andaman and Nicobar Islands;

(b) Lakshadweep;

(c) Dadra and Nagar Haveli;

(d) Daman and Diu;

(e) Chandigarh; and

(f) Other territory;

Explanation.- For the purposes of this Act, each of the territories specified in sub-clauses (a) to (f) shall be considered to be a separate Union territory.

(115) *"Union territory tax"* means the Union territory goods and services tax levied under the Union Territory Goods and Services Tax Act;

(116) *"Union Territory Goods and Services Tax Act"* means the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017;

(117) *"validreturn"* meansareturnfurnishedundersub-section (1) of section 39 on which self-assessed tax has been paid in full;

(118) *"voucher"* means an instrument where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for a supply of goods or services or both

and where the goods or services or both to be supplied or the identities of their potential suppliers are either indicated on the instrument itself or in related documentation, including the terms and conditions of use of such instrument;

(119) "works contract" means a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration or commissioning of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) is involved in the execution of such contract;

(120) words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Integrated Goods and Services Tax Act, the Central Goods and Services Tax Act, the Union Territory Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

CHAPTER II
ADMINISTRATION

3. ***Officers under this Act.—***The Government shall, by notification, appoint the following classes of officers for the purposes of this Act, namely:—

(a) PrincipalCommissionerorChiefCommissionerofStatetax,

(b) Special Commissioners of Statetax,

(c) Additional Commissioners of Statetax,

(d) Joint Commissioners of Statetax,

(e) Deputy Commissioners of Statetax,

(f) Assistant Commissioners of State tax,and

(g) any other class of officers as it may deemfit:

Provided that, the officers appointed under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be deemed to be the officers appointed under the provisions of thisAct.

4. ***Appointment of officers.—***

(1) The Government may, in addition to the officers as may be notified under section 3, appoint such persons as it may think fit to be the officers under this Act.

(2) The Commissioner shall have jurisdiction over the whole of the State, the Special Commissioner and an Additional Commissioner in respect of all or any of the functions assigned to them, shall have jurisdiction over the whole of the State or where the State Government so directs, over any local area thereof, and all other officers shall, subject to such conditions as may be specified, have jurisdiction over the whole of the State or over such local areas as the Commissioner may, by order, specify.

5. ***Powers of officers.—***

(1) Subject to such conditions and limitations as the Commissioner may impose, an officer of State tax may exercise thepowersanddischargethedutiesconferredorimposedonhim under thisAct.

(2) An officer of State tax may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed under this Act on any other officer of State tax who is subordinate to him.

(3) The Commissioner may, subject to such conditions and limitations as may be specified in this behalf by him, delegate his powers to any other officer who is subordinate tohim.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, an Appellate Authority shall not exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on any other officer of Statetax.

6. ***Authorisation of officers of central tax as proper officer in certain circumstances.—***

(1) Without prejudice to the provisions of this Act, the officers appointed under the Central Goods and Services Tax Act are authorised to be the proper officers for the

purposes of this Act, subject to such conditions as the Government shall, on the recommendations of the Council, by notification, specify.

(2) Subject to the conditions specified in the notification issued under sub-section (1),-

(a) where any proper officer issues an order under this Act, he shall also issue an order under the Central Goods and Services Tax Act, as authorised by the said Act under intimation to the jurisdictional officer of central tax;

(b) where a proper officer under the Central Goods and Services Tax Act has initiated any proceedings on a subject matter, no proceedings shall be initiated by the proper officer under this Act on the same subject matter.

(3) Any proceedings for rectification, appeal and revision, wherever applicable, of any order passed by an officer appointed under this Act, shall not lie before an officer appointed under the Central Goods and Services Tax Act.

CHAPTER III
LEVY AND COLLECTION OF TAX

7. ***Scope of supply.—****(1) For the purposes of this Act, the expression "supply" includes—*

(a) all forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business;

(b) import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business;

(c) the activities specified in Schedule I, made or agreed to be made without a consideration; and

(d) the activities to be treated as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—

(a) activities or transactions specified in Schedule III; or

(b) such activities or transactions under taken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (1) and (2), the Government may, on the recommendations of the Council, specify, by notification, the transactions that are to be treated as—

(a) a supply of goods and not as a supply of services; or

(b) a supply of services and not as a supply of goods.

8. ***Tax liability on composite and mixed supplies.—***The tax liability on a composite or a mixed supply shall be determined in the following manner, namely: —

(a) a composite supply comprising two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply; and

(b) a mixed supply comprising two or more supplies shall be treated as a supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax.

9. ***Levy and collection.—***

(1) Subject to the provisions of sub-section (2), there shall be levied a tax called the Bihar goods and services tax on all intra- State supplies of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption, on the value determined under section 15 and at such rates, not exceeding twenty per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council and collected in such manneras may be prescribed and shall be paid by the taxable

person.

(2) The State tax on the supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel, shall be levied with effect from such date as may be notified by the Government on the recommendations of theCouncil.

(3) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services orboth.

(4) The State tax in respect of the supply of taxable goods or services or both by a supplier, who is not registered, to a registered person shall be paid by such person on reverse charge basis as the recipient and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both.

(5) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify categories of services the tax on intra-State supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all the provisions of this Act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services:

Provided that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax:

Providedfurtherthatwhereanelectroniccommerceoperatordoes not have a physical presence in the taxable territory and also he does not have a representative in the said territory, such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to paytax.

10. ***Composition levy.—***

(1) Notwith standing any thing to the contrary contained in this Act but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, whose aggregate turn over in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees may opt to pay, in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate as may be prescribed, but notexceeding,-

(a) one per cent. of the turnover in State in case of a manufacturer,

(b) two and a half per cent. of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to inclause

(b) of paragraph 6 of Schedule II, and

(c) half per cent. of the turnover in State in case of other suppliers, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed:

Provided that the Government may, by notification, increase the said limit of fifty lakh rupees to such higher amount, not exceeding one crore rupees, as may be recommended by the Council.

(2) The registered person shall be eligible to opt under sub- section (1), if—

(a) he is not engaged in the supply of services other than supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II;

(b) heisnotengagedinmakinganysupplyofgoodswhichare not leviable to tax under thisAct;

(c) he is not engaged in making any inter-State outward supplies of goods;

(d) he is not engaged in making any supply of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52; and

(e) he is not a manufacturer of such goods as may be notified by the Government on the recommendations of the Council:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number (issued under the Income-tax Act 1961), the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under sub-section (1) unless all such registered persons opt to pay tax under that sub-section.

(3) The option availed of by a registered person under sub- section (1) shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceeds the limit specified under sub-section (1).

(4) A taxable person to whom the provisions of sub-section (1) apply shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him nor shall he be entitled to any credit of input tax.

(5) If the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax under sub-section (1) despite not being eligible, such person shall, in addition to any tax that may be payable by him under any other provisions of this Act, be liable to a penalty and the provisions of section 73 or section 74 shall, mutatis mutandis, apply for determination of tax andpenalty.

11. ***Power to grant exemption from tax.—***

(1) Where the Government is satisfied that it is necessary in thepublic interest so to do, it may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt generally, either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein, goods or services or both of any specified description from the whole or any part of the tax leviable thereon with effect from such date as may be specified in such notification.

(2) Where the Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, on the recommendations of the Council, by special order in each case, under circumstances of an exceptional nature to be stated in such order, exempt from payment of tax any goods or services or both on which tax is leviable.

(3) The Government may, if it considers necessary or expedient so to do for the purpose of clarifying the scope or applicability of any notification issued under sub-section (1) or order issued under sub-section (2), insert an explanation in such notification or order, as the case may be, by notification at any time within one year of issue of the notification under sub-section (1) or order under sub-section (2), and every such explanation shall have effect as if it had always been the part of the first such notification or order, as the case maybe.

(4) Any notification issued by the Central Government, on the recommendations of the Council, under sub-section (1) of section 11 or order issued under sub-section (2) of the said section of the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a notification or, as the case may be, an order issued under thisAct.

Explanation.—For the purposes of this section, where an exemption in respect of any goods or services or both from the whole or part of the tax leviable thereon has been granted absolutely, the registered person supplying such goods or services or both shall not collect the tax, in excess of the effective rate, on such supply of goods or services or both.

CHAPTER IV
TIME AND VALUE OF SUPPLY

12. ***Time of supply of goods.—***

(1) The liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply, as determined in accordance with the provisions of this section.

(2) The time of supply of goods shall be the earlier of the following dates, namely:-

(a) the date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required, under sub-section (1) of section 31, to issue the invoice with respect to the supply; or

(b) the date on which the supplier receives the payment with respect to the supply:

Provided that where the supplier of taxable goods receives an amount up to one thousand rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice in respect of such excess amount.

Explanation 1.—For the purposes of clauses (a) and (b),"supply" shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or, as the case may be, thepayment.

Explanation 2.—Forthepurposesofclause(b),"thedateonwhich the supplier receives the payment" shall be the date on which the payment is entered in his books of account or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever isearlier.

(3) In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earliest of the following dates, namely:—

(a) the date of the receipt of goods; or

(b) the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier; or

(c) the date immediately following thirty days from the date of issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu there of by the supplier:

Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause (a) or clause (b) or clause (c), the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply.

(4) In case of supply of vouchers by a supplier, the time of supply shall be-

(a) the date of issue of voucher, if the supply is identifiable at that point; or

(b) the date of redemption of voucher, in all other cases.

(5) Where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4), the time of supply shall—

(a) in a case where a periodical return has to be filed, be the date on which such return is to be filed; or

(b) in any other case, be the date on which the tax is paid.

(6) The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value.

13.***Time of supply of services.—***

(1) The liability to pay tax on services shall arise at the time of supply, as determined in accordance with the provisions of this section.

(2) The time of supply of services shall be the earliest of the following dates, namely:–

(a) the date of issue of invoice by the supplier, if theinvoice is issued within the period prescribed under sub-section (2) of section 31 or the date of receipt of payment, whichever is earlier;or

(b) thedateofprovisionofservice,iftheinvoiceisnotissued within the period prescribed under sub-section (2) of section 31 or the date of receipt of payment, whichever is earlier; or

(c) thedateonwhichtherecipientshowsthereceiptofservicesinhis books of account, in a case where the provisions of clause (a) or clause (b) do notapply:

Providedthatwherethesupplieroftaxableservicereceivesan amount upto one thousand rupees in excess of the amount indicatedinthetaxinvoice,thetimeofsupplytotheextentofsuch excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice relating to such excessamount.

Explanation.—For the purposes of clauses (a) and (b)-

(i) the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or, as the case may be, the payment;

(ii) "the date of receipt of payment" shall be the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier.

(3) In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earlier of the following dates, namely:—

(a) the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier; or

(b) the date immediately following sixty days from the dateof issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu thereof by thesupplier:

Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause (a) or clause (b), the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply:

Provided further that in case of supply by associated enterprises, where the supplier of service is located outside India, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply or the date of payment, whichever is earlier.

(4) In case of supply of vouchers by a supplier, the time of supply shallbe—

(a) the date of issue of voucher, if the supply is identifiable at that point; or

(b) the date of redemption of voucher, in all other cases.

(5) Where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4), the time of supply shall—

(a) in a case where a periodical return has to be filed, be the date on which such return is to be filed; or

(b) in any other case, be the date on which the tax is paid.

(6) The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value.

14. Change in rate of tax in respect of supply of goods or services.—Notwithstanding anything contained in section 12 or section 13, the time of supply, where there is a change in the rate of tax in respect of goods or services or both, shall be determined in the following manner, namely:—

(a) in case the goods or services or both have been supplied before the change in rate of tax,—

(i) where the invoice for the same has been issued and the payment is also received after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment or the date of issue of invoice, whichever is earlier; or

(ii) where the invoice has been issued prior to the change in rate of tax but payment is received after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of invoice; or

(iii) where the payment has been received before the change in rate of tax, but the invoice for the same is issued after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment;

(b) in case the goods or services or both have been supplied after the change in rate of tax,—

(i) where the payment is received after the change in rate of tax but the invoice has been issued prior to the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment; or

(ii) where the invoice has been issued and payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment or date of issue of invoice, whichever is earlier; or

(iii) where the invoice has been issued after the change in rate of tax but the payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of invoice:

Provided that the date of receipt of payment shall be the date of credit in the bank account if such credit in the bank account is after four working days from the date of change in the rate of tax.

Explanation.—For the purposes of this section,"the date of receipt of payment" shall be the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever isearlier.

15. ***Value of taxable supply.—***

(1) The value of a supply of goods or services or both shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration for thesupply.

(2) The value of supply shall include——

(a) any taxes, duties, cesses, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this Act, the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, if charged separately by the supplier;

(b) any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable forthe goods or services orboth;

(c) incidental expenses, including commission and packing, charged by the supplier to the recipient of a supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or services or both at the time of, or before delivery of goods or supply of services;

(d) interest or late fee or penalty for delayed payment of any consideration for any supply; and

(e) subsidies directly linked to the price excluding subsidies provided by the Central Government and State Governments.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the amount of subsidy shall be included in the value of supply of the supplier who receives the subsidy.

(3) The value of the supply shall not include any discount which is given—

(a) before or at the time of the supply if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply; and

(b) after the supply has been effected, if -
  (i) such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply and specifically linked to relevant invoices; and
  (ii) input tax credit as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversedby the recipient of thesupply.

(4) Where the value of the supply of goods or services or both cannot be determined under sub-section (1), the same shall be determined in such manner as may be prescribed.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (4), the value of such supplies as may be notified by the Government on the recommendations of the Council shall be determined in such manner as may be prescribed.

Explanation.—For the purposes of this Act,-

(a) persons shall be deemed to be "related persons'' if-
  (i) such persons are officers or directors of oneanother's businesses;
  (ii) such persons are legally recognised partnersin business;
  (iii) such persons are employer andemployee;
  (iv) any person directly or indirectly owns, controls or holds twenty-five percent. or more of the outstanding voting stock or shares of both ofthem;
  (v) one of them directly or indirectly controls theother;
  (vi) both of them are directly or indirectly controlled bya thirdperson;
  (vii) together they directly or indirectly control athird person; or
  (viii) they are members of the samefamily;

(b) the term "person" also includes legalpersons

(c) persons who are associated in the business of one another in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire, howsoever described, of the other, shall be deemed to be related.

CHAPTER V
INPUT TAX CREDIT

16. Eligibility and conditions for taking input tax credit.—

(1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49, be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person.

(2) Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless,—
  (a) he is in possession of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this Act, or such other tax paying documents as may be prescribed;
  (b) he has received the goods or services or both.

Explanation.—For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;

  (c) subject to the provisions of section 41, the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the Government, either in cash or through utilisation of input tax credit admissible in respect of the said supply; and

(d) he has furnished the return under section 39:

Provided that where the goods against an invoice are received inlotsorinstalments,theregisteredpersonshallbeentitledtotake credit upon receipt of the last lot orinstalment:

Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with taxpayable there on within a period of one hundred and eighty days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability, along with interest thereon, in such manner as may be prescribed:

Provided also that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payablethereon.

(3) Where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provisions of the Income-tax Act, 1961, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed.

(4) A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

17. ***Apportionment of credit and blocked credits. —***

(1) Wherethegoodsorservicesorbothareusedbytheregistered person partly for the purpose of any business and partly forother purposes, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the purposes of hisbusiness.

(2) Where the goods or services or both are used by the registered person partly for effecting taxable supplies including zero-rated supplies under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act and partly for effecting exempt supplies under the said Acts, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the said taxable supplies including zero-rated supplies.

(3) The value of exempt supply under sub-section (2) shall be such as may be prescribed, and shall include supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis, transactions in securities, sale of land and, subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II, sale of building.

(4) A banking company or a financial institution including a non-banking financial company, engaged in supplying services by way of accepting deposits, extending loans or advances shall have the option to either comply with the provisions of sub-section (2), or avail of, every month, an amount equal to fifty per cent. of the eligible input tax credit on inputs, capital goods and input services in that month and the rest shall lapse:

Provided that the option once exercised shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year:

Provided further that the restriction of fifty per cent. shall not apply to the tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same Permanent Account Number.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 16 and sub-section (1) of section 18, input tax credit shall not be available in respect of the following, namely:-

(a) motor vehicles and other conveyances except when they are used—

(i) for making the following taxable supplies, namely:—
(A) further supply of such vehicles or conveyances; or
(B) transportation of passengers; or
(C) imparting training on driving, flying, navigating such vehicles or conveyances;
(ii) for transportation of goods;
(b) the following supply of goods or services or both:-
(i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery except where an inward supply of goods or services or both of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;
(ii) membership of a club, health and fitness centre;
(iii) rent-a-cab, life insurance and health insurance except where -
(A) the Government notifiestheserviceswhichareobligatory for an employer to provide to its employee sunder any law for the time being in force;or
(B) such inward supply of goods or services or both of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as part of a taxable composite or mixed supply;and
(iv) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession.
(c) works contract services when supplied for construction of an immovable property (other than plant and machinery) except where it is an input service for further supply of works contract service;
(d) goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property (other than plant or machinery) on his own account including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business.

Explanation.—For the purposes of clauses (c) and (d), the expression "construction" includes re-construction, renovation, additionsoralterationsorrepairs,totheextentofcapitalisation,to the said immovableproperty;

(e) goods or services or both on which tax has been paid under section 10;
(f) goodsorservicesorbothreceivedbyanon-residenttaxable person except on goods imported byhim;
(g) goods or services or both used for personal consumption;
(h) goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples; and
(i) any tax paid in accordance with the provisions of sections 74, 129 and 130.

(6) The Government may prescribe the manner in which the credit referred to in sub-sections (1) and (2) may be attributed.

Explanation.— For the purposes of this Chapter and Chapter VI, the expression "plant and machinery" means apparatus, equipment, and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services or bothand includes such foundation and structural supports butexcludes-

(i) land, building or any other civil structures;
(ii) telecommunication towers; and
(iii) pipelines laid outside the factory premises.

18. Availability of credit in special circumstances.

(1) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed–

(a) a person who has applied for registration under this Act within thirty days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under the provisions of this Act;

(b) a person who takes registration under sub-section (3) of section 25 shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished good sheldin stock on the day immediately preceding the date of grant of registration;

(c) whereanyregisteredpersonceasestopaytaxundersection 10, he shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay taxunder section9:

Provided that the credit on capital goods shall be reduced by such percentage points as may be prescribed;

(d) where an exempt supply of goods or services or both by a registered person becomes a taxable supply, such person shall be entitled to take credit of input tax in respect of input sheldin stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock relatable to such exempt supply and on capital goods exclusively used for such exempt supply on the day immediately preceding the date from which such supply becomes taxable:

Provided that the credit on capital goods shall be reduced by such percentage points as may be prescribed.

(2) A registered person shall not be entitled to take input tax credit under sub-section (1) in respect of any supply of goods or services or both to him after the expiry of one year from the date of issue of tax invoice relating to such supply.

(3) Where there is a change in the constitution of a registered person on account of sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of the business with the specific provisions for transfer of liabilities, the said registered person shall be allowed to transfer the input tax credit which remains unutilised in his electronic credit ledger to such sold, merged, demerged, amalgamated, leased or transferred business in such manner as may be prescribed.

(4) Where any registered person who has availed of input tax credit opts to pay tax under section 10 or, where the goods or services or both supplied by him become wholly exempt, he shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock andinputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods, reduced by such percentage points as may be prescribed, on the day immediately preceding the date of exercising of such option or, as the case may be, the date of such exemption:

Provided that after payment of such amount, the balance of input tax credit, if any, lying in his electronic credit ledger shall lapse.

(5) The amount of credit under sub-section (1) and the amount payable under sub-section (4) shall be calculated in such manner as may be prescribed.

(6) In case of supply of capital goods or plant and machinery, on which input tax credit has been taken, the registered person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods or plant and machinery

reduced by such percentage points as may be prescribed or the tax on the transaction value of such capital goods or plant and machinery determined under section15, whichever is higher:

Provided that where refractory bricks, moulds and dies, jigs and fixtures are supplied as scrap, the taxable person may pay tax on the transaction value of such goods determined under section 15.

19. ***Taking input tax credit in respect of inputs and capital goods sent for job work.—***

(1) Theprincipalshall,subjecttosuchconditionsandrestrictions as may be prescribed, be allowed input tax credit on inputs sent to a job worker for jobwork.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub- section (2) of section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on inputs even if the inputs are directly sent to a job worker for job work without being first brought to his place ofbusiness.

(3) Where the inputs sent for job work are not received back by the principal after completion of job work or otherwise or are not supplied from the place of business of the job worker in accordance with clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 143 within one year of being sent out, it shall be deemed that such inputs had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs were sent out:

Provided that where the inputs are sent directly to a job worker, the period of one year shall be counted from the date of receipt of inputs by the job worker.

(4) The principal shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be allowed input tax credit on capital goods sent to a job worker for job work.

(5) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub- section (2) of section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on capital goods even if the capital goods are directly sent to a job worker for job work without being first brought to his place of business.

(6) Where the capital goods sent for job work are not received back by the principal within a period of three years of being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said capital goods were sent out:

Provided that where the capital goods are sent directly to a job worker, the period of three years shall be counted from the date of receipt of capital goods by the job worker.

(7) Nothing contained in sub-section (3) or sub-section (6) shall apply to moulds and dies, jigs and fixtures, or tools sent out to a job worker for job work.

Explanation.- For the purpose of this section, "principal" means the person referred to in section 143.

20. ***Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.—***

(1) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax as State tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or State tax, by way of issue of document containingtheamountofinputtaxcreditbeingdistributedinsuch manner as may beprescribed.

(2) The Input Service Distributor may distribute the credit subject to the following conditions, namely:—

(a) the credit can be distributed to the recipients of credit against a document containing such details as may be prescribed;

(b) the amount of the credit distributed shall not exceed the amount of credit available for distribution;

(c) the credit of tax paid on input services attributable to a recipient of credit shall be distributed only to that recipient;

(d) the credit of tax paid on input services attributable to more than one

recipient of credit shall be distributed amongst such recipients to whom the input service is attributable and such distribution shall be *proration* the basis of the turn over in a State or turn over in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all such recipients to whom such input service is attributable and which are operational in the current year, during the said relevant period;

(e) the credit of tax paid on input services attributable to all recipients of credit shall be distributed amongst such recipients and such distribution shall be *pro rata* on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all recipients and which are operational in the current year, during the said relevant period.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(a) the "relevant period" shall be—

(i) if the recipients of credit have turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which credit is to be distributed, the said financial year; or

(ii) if some or all recipients of the credit do not have any turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which the creditis to be distributed, the last quarter for which details of such turnover of all the recipients are available, previous to the month during which credit is to bedistributed;

(b) the expression "recipient of credit" means the supplier of goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the Input Service Distributor;

(c) the term "turnover",inrelation to any registered person engaged in the supply of taxable goods as well as goods not taxable under this Act, means the value of turnover, reduced by the amount of any duty or tax levied under entry 84 of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entry 51 and 54 of List II of the said Schedule.

21. ***Manner of recovery of credit distributed in excess.—***Where the Input Service Distributor distributes the credit in contravention of the provisions contained in section 20 resulting inexcessdistributionofcredittooneormorerecipientsofcredit, the excess credit so distributed shall be recovered from such recipients along with interest, and the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, shall, *mutatis mutandis,* apply for determination of amount to be recovered.

CHAPTER - VI
REGISTRATION

22. ***Persons liable forregistration.—***

(1) Every supplier making a taxable supply of goods or servicesor both in the State shall be liable to be registered under this Act if his aggregate turnover in a financial year exceeds twenty lakh rupees:

Providedthatwheresuchpersonmakestaxablesuppliesofgoods or services or both from any of the special category States, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds ten lakhrupees.

(2) Every person who, on the day immediately preceding the appointed day, is registered or holds a license under an existing law, shall be liable to be registered under this Act with effect from the appointed day.

(3) Where a business carried on by a taxable person registered under this Act is transferred, whether on account of succession or otherwise, to another person as a going concern, the transferee or the successor, as the case may be, shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (3), in a case of transfer pursuant to sanction of a scheme or an arrangement for amalgamation or, as the case may be, de- merger of two or more companies pursuant to an order of a High Court, Tribunal or otherwise, the transferee shall be liable to be registered, with effect from the date on which the Registrar of Companies issues a certificate of incorporation giving effect to such order of the High Court or Tribunal.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(i) the expression "aggregate turnover" shall include all supplies made by the taxable person, whether on his own account or made on behalf of all his principals;

(ii) the supply of goods, after completion of job work, by a registered job worker shall be treated as the supply of goods by the principal referred to in section 143, and the value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registeredjobworker;

(iii) the expression"specia lcategory States"shall mean the States as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution.

23. Persons not liable for registration.—

(1) The following persons shall not be liable to registration, namely:—

(a) any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are notliable to tax or wholly exempt from tax under this Act or under the Integrated Goods and Services TaxAct;

(b) an agriculturist, to the extent of supply of produce out of cultivation of land.

(2) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.

24. ***Compulsory registration in certain cases.*****—**Notwith standing anything contained in sub-section (1) ofsection 22, the following categories of persons shall be required to be registered under thisAct,-

(i) persons making any inter-State taxable supply;

(ii) casual taxable persons making taxable supply;

(iii) persons who are required to pay tax under reverse charge;

(iv) person who are required to pay tax under sub-section (5) of section 9;

(v) non-resident taxable persons making taxable supply;

(vi) persons who are required to deduct tax under section 51, whether or not separately registered under this Act;

(vii) persons who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable persons whether as an agent or otherwise;

(viii) Input Service Distributor, whether or not separately registered under this Act;

(ix) personswhosupplygoodsorservicesorboth,otherthansupplies specified under sub-section (5) of section 9, through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section52;

(x) every electronic commerce operator;

(xi) every person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person; and

(xii) such other person or class of persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

25. ***Procedure for registration.—***

(1) Every person who is liable to be registered under section 22 or section 24 shall apply for registration within thirty days from the date on which he becomes liable to registration, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that a casual taxable person or a non-resident taxable person shall apply for registration at least five days prior to the commencement of business.

Explanation.—Every person who makes a supply from the territorial waters of India shall obtain registration in the coastalState where the nearest point of the appropriate baseline islocated.

(2) A person seeking registration under this Act shall be granted a single registration:

Provided that a person having multiple business verticals in the State may be granted separate registration for each business vertical, subject to such conditions as may beprescribed.

(3) A person, though not liable to be registered under section 22 or section 24 may get himself registered voluntarily, **and** all provisions of this Act, as are applicable to a registered person, shall apply to such person.

(4) A person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one State or Union territory or more than one State or Union territory shall, in respect of each such registration, be treated as distinct persons for the purposes of this Act.

(5) Where a person who has obtained or is required to obtain registration in a State or Union territory in respect of an establishment, has an establishment in another State or Union territory, then such establishments shall be treated as establishments of distinct persons for the purposes of this Act.

(6) Every person shall have a Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 in order to be eligible for grant ofregistration:

Providedthatapersonrequiredtodeducttaxundersection51may have, in lieu of a Permanent Account Number, a Tax Deduction and Collection Account Number issued under the said Act in order to be eligible for grant ofregistration.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), a non-resident taxable person may be granted registration under sub-section (1) on the basis of such other documents as may beprescribed.

(8) Where a person who is liable to be registered under this Act fails to obtain registration, the proper officer may, without prejudice to any action which may be taken under this Act or under any other law for the time being in force, proceed to register such person in such manner as may be prescribed.

(9) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—

(a) any specialised agency of the United NationsOrganisation or any Multilateral Financial Institution and Organisationnotified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947, Consulate or Embassy of foreign countries;and

(b) any other person or class of persons, as may be notified by the Commissioner, shall be granted a Unique Identity Number in such manner and for such purposes, including refund of taxes on the notified supplies of goods or services or both received by them, as may be prescribed.

(10) The registration or the Unique Identity Number shall be granted or rejected after due verification in such manner and within such period as may be prescribed.

(11) A certificate of registration shall be issued in such form and with effect from such date as may be prescribed.

(12) A registration or a Unique Identity Number shall be deemed to have been granted after the expiry of the period prescribed under sub-section (10), if no deficiency has been communicated to the applicant within that period.

26. ***Deemed registration.—***

(1)ThegrantofregistrationortheUniqueIdentityNumberunder the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a grantofregistrationortheUniqueIdentityNumberunderthisAct subject to the condition that the application for registration orthe Unique Identity Number has not been rejected under this Act within the time specified in sub-section (10) of section25.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (10) of section 25, any rejection of application for registration or the Unique Identity Number under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a rejection of application for registration under this Act.

27. ***Special provisionsrelating to casual taxable person and non-resident taxable person.—***

(1) The certificate of registration issued to a casual taxable personor a non-resident taxable person shall be valid for the period specified in the application for registration or ninety days from the effective date of registration, whichever is earlier and such person shall make taxable supplies only after the issuance of the certificate of registration:

Provided that the proper officer may, on sufficient cause being shown by the said taxable person, extend the said period of ninety days by a further period not exceeding ninety days.

(2) A casual taxable person or a non-resident taxable person shall, at the time of submission of application for registration under sub-section (1) of section 25, make an advance deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the registration is sought:

Provided that where any extension of time is sought under sub-section(1),suchtaxablepersonshalldepositanadditionalamountof tax equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the extension issought.

(3) The amount deposited under sub-section (2) shall be credited to the electronic cash ledger of such person and shall be utilised in the manner provided under section 49.

28. ***Amendment of registration.—***

(1) Every registered person and a person to whom a Unique Identity Number has been assigned shall inform the proper officer of any changes in the information furnished at the time of registration or subsequent thereto, in such form and manner and within such period as may beprescribed.

(2) The proper officer may, on the basis of information furnished under sub-section (1) or as ascertained by him, approve or reject amendments in the registration particulars in such manner and within such period as may be prescribed:

Provided that approval of the proper officer shall not be required in respect of amendment of such particulars as may be prescribed:

Providedfurtherthattheproperofficershallnotrejecttheapplication for amendment in the registration particulars without giving the person an opportunity of beingheard.

(3) Any rejection or approval of amendments under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a rejection or approval under this Act.

29. ***Cancellation of registration.—***

(1) The proper officer may, either on his own motion or on an application filed by the registered person or by his legal heirs, in case of death of such person, cancel the registration, in such manner and within such period as may be prescribed, having regard to the circumstances where,—

(a) the business has been discontinued, transferred fully for any reason including death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of; or

(b) there is any change in the constitution of the business; or

(c) the taxable person, other than the person registered under sub-section (3) of section 25, is no longer liable to be registered under section 22 or section 24.

(2) The proper officer may cancel the registration of a person from such date, including any retrospective date, as he may deem fit, where,—

(a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or

(b) a person paying tax under section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or

(c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period ofsix months;or

(d) anypersonwhohastakenvoluntaryregistrationundersub- section (3) of section 25 has not commenced business within six months from the date of registration;or

(e) registration has been obtained by means of fraud, wilful misstatement or suppression of facts:

Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of beingheard.

(3) The cancellation of registration under this section shall not affect the liability of the person to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

(4) ThecancellationofregistrationundertheCentralGoodsand Services Tax Act shall be deemed to be a cancellation of registrationunderthisAct.

(5) Every registered person whose registration is cancelled shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock or capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the date of such cancellation or the output tax payable on such goods, whichever is higher, calculated in such manner as may be prescribed:

Provided that incase of capital goods or plant and machinery, the taxable person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods or plant and machinery, reduced by such percentage points as may be prescribed or the tax on the transaction value of such capital goods or plant and machinery under section15, whichever is higher.

(6) The amount payable under sub-section (5) shall be calculated in such manner as may be prescribed.

30. ***Revocation of cancellation of registration.—***

(1) Subject to such conditions as may be prescribed, any registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order.

(2) The proper officer may, in such manner and within such period as may be prescribed, by order, either revoke cancellation of the registration or reject the application:

Provided that the application for revocation of cancellation of registration shall not be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

(3) The revocation of cancellation of registration under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a revocation of cancellation of registration under this Act.

CHAPTER- VII
TAX INVOICE, CREDIT AND DEBIT NOTES

31. *Tax invoice.—*

(1) A registered person supplying taxable goods shall, before or at the time of,—

(a) removal of goods for supply to the recipient, where the supply involves movement of goods; or

(b) delivery of goods or making available thereof to the recipient, in any other case, issue a tax invoice showing the description, quantity and value of goods, the tax charged thereon and such other particulars as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify the categories of goods or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, with in such time and in such manner as may be prescribed.

(2) A registered person supplying taxable services shall, before or after the provision of service but within a prescribed period, issue a tax invoice, showing the description, value, tax charged thereon and such other particulars as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification and subject to such conditions as may be mentioned therein, specify the categories of services in respect of which—

(a) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(b) tax invoice may not be issued.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2)—

(a) aregisteredpersonmay,withinonemonthfromthedateof issuance of certificate of registration and in such manner as may be prescribed, issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him;

(b) a registered person may not issue a tax invoice if thevalue of the goods or services or both supplied is less than two hundred rupees subject to such conditions and in such manner as may be prescribed;

(c) a registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under the provisions of section 10 shall issue, instead of a tax invoice, a bill of supply containing such particulars and in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person may not issue a bill of supply if the value of the goods or services or both supplied is less than two hundred rupees subject to such conditions and in such manner as may be prescribed;

(d) a registered person shall, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, issue a receipt voucher or any other document, containing such particulars as may be prescribed, evidencing

receipt of such payment;

(e) where, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both the registered person issues a receipt voucher, but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuance thereof, the said registered person may issue to the person who had made the payment, a refund voucher against such payment;

(f) a registered person who is liable to pay tax under sub- section (3) or sub-section (4) of section 9 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both;

(g) a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier.

(4) In case of continuous supply of goods, where successive statements of accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time each such statement is issued or, as the case may be, each such payment is received.

(5) Subject to the provisions of clause (d) of sub-section (3), in case of continuous supply of services,—

(a) where the due date of payment is ascertainable from the contract, the invoice shall be issued on or before the due date of payment;

(b) where the due date of payment is not ascertainable from the contract, the invoice shall be issued before or at the time when the supplier of service receives thepayment;

(c) where the payment is linked to the completion of anevent, the invoice shall be issued on or before the date of completion of thatevent.

(6) In a case where the supply of services ceases under a contract before the completion of the supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or six months from the date of removal, whichever is earlier.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "tax invoice" shall include any revised invoice issued by the supplier in respect of a supply made earlier.

32. ***Prohibition of unauthorised collection of tax—***

(1) A person who is not a registered person shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount by way of tax under thisAct.

(2) No registered person shall collect tax except in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

33. ***Amount of tax to be indicated in tax invoice and otherdocuments.—***Notwith standing anything contained in this Act or any other law for the time being in force, where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all documents relating to assessment, tax invoice and other like documents, the amount of tax which shall form part of the price at which such supply is made.

34. ***Credit and debit notes.—***

(1) Where a tax invoice has been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply, or where the goods supplied are returned by the recipient, or where goods or services or both supplied are found to be deficient, the registered person, who has supplied suchgoodsorservicesorboth,mayissuetotherecipientacredit note containing such

particulars as may beprescribed.

(2) Any registered person who issues a credit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued but not later than September following the end of the financial year in which such supply was made, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, and the tax liability shall be adjusted in such manner as may be prescribed:

Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the incidence of tax and interest on suchsupply has been passed on to any otherperson.

(3) Where a tax invoice has been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply, the registered person, who has supplied such goods or services or both, shall issue to the recipient a debit note containing such particulars as may beprescribed.

(4) Any registered person who issues a debit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such debit note in the return for the month during which such debit note has been issued and the tax liability shall be adjusted in such manner as may be prescribed.

***Explanation.—For the purposes of this Act, the expression "debit note" shall include a supplementary invoice*.**

CHAPTER VIII
ACCOUNTS AND RECORDS

35. Accounts and other records.—

(1) Every registered person shall keep and maintain, at his principal place of business, as mentioned in the certificate of registration, a true and correct accountof-

(a) production or manufacture ofgoods;

(b) inward and outward supply of goods or services orboth;

(c) stock ofgoods;

(d) input tax creditavailed;

(e) output tax payable and paid;and

(f) such other particulars as may beprescribed:

Provided that where more than one place of business is specified in the certificate of registration, the account srelating to each place of business shall be kept at such places of business:

Provided further that the registered person may keep and maintain such accounts and other particulars in electronic form in such manner as may be prescribed.

(2) Every owner or operator of warehouse or godown or any other place used for storage of goods and every transporter, irrespective of whether he is a registered person or not, shall maintain records of the consigner, consignee and other relevant details of the goods in such manner as may be prescribed.

(3) The Commissioner may notify a class of taxable persons to maintain additional accounts or documents for such purpose as may be specified therein.

(4) Where the Commissioner considers that any class of taxable persons is not in a position to keep and maintain accounts in accordance with the

provisions of this section, he may, for reasons to be recorded in writing, permit such class of taxable persons to maintain accounts in such manner as may beprescribed.

(5) Every registered person whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts, the reconciliation statement under sub-section (2) of section 44 and such other documents in such form and manner as may be prescribed.

(6) Subject to the provisions of clause (h) of sub-section (5) of section 17, where the registered person fails to account for the goods or services or both in accordance with the provisions of sub-section (1), the proper officer shall determine the amount of tax payable on the goods or services or both that are not accounted for, as if such goods or services or both had been supplied by such person and the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, shall, mutatis mutandis, apply for determination of such tax.

36. ***Period of retention of accounts.—***Every registered person required to keep and maintain books of accountorotherrecordsinaccordancewiththeprovisionsofsub-section (1) of section 35 shall retain them until the expiry of seventy two months from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining to such accounts andrecords:

Provided that a registered person, who is a party to an appeal or revision or any other proceedings before any Appellate Authority or Revisional Authority or Appellate Tribunal or court, whether filed by him or by the Commissioner, or is under investigation for an offence under Chapter XIX, shall retain the books of account and other records pertaining to the subject matter of such appeal or revision or proceedings or investigation for a period of one year after final disposal of such appeal or revision or proceedings or investigation, or for the period specified above, whichever islater.

CHAPTER- IX
RETURNS

37. ***Furnishing details of outward supplies.—***

(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a non-resident taxable person and apers on paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52, shall furnish, electronically, in such form and manner as may be prescribed, the details of outward supplies of goods or services or both effected during a tax period on or before the tenth day of the month succeeding the said tax period and such details shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed:

Providedthattheregisteredpersonshallnotbeallowedtofurnishthe details of outward supplies during the period from the eleventh day to the fifteenth day of the month succeeding the taxperiod:

Provided further that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing such details for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided also that any extension of time limit notified by the Commissioner of central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(2) Every registered person who has been communicated the details under sub-section (3) of section 38 or the details pertaining to inward supplies of Input Service Distributor under sub-section (4) of section 38, shall either accept or reject the details so communicated, on or before the seventeenth day, but not before the fifteenth day, of the month succeeding the tax period and the details furnished by him under sub-section (1) shall stand amended accordingly.

(3) Any registered person, who has furnished the details under sub-section (1) for

any tax period and which have remained unmatched under section 42 or section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in such manner as may be prescribed, and shall pay the tax and interest, if any, in case there is a short payment of tax on account of such error or omission, in the return to be furnished for such tax period:

Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of there turn under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such detailspertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

Explanation.—For the purposes of this Chapter, the expression "details of outward supplies" shall include details of invoices, debit notes, credit notes and revised invoices issued in relation tooutward supplies made during any taxperiod.

38. ***Furnishing detailsof inward supplies.—***

(1) Every registered person, other than an Input ServiceDistributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section10 or section51 or section 52, shall verify, validate, modify or delete, if required, the details relating to outward supplies and credit or debit notes communicated under sub-section (1) of section 37 to prepare the details of his inward supplies and credit or debit notes and may include therein, the details of inward supplies and credit or debit notes received by him in respect of such supplies that have not beendeclaredbythesupplierundersub-section(1)ofsection37.

(2) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52, shall furnish, electronically, the details of inward supplies of taxable goods or services or both, including inward supplies of goods or services or both on which the tax is payable on reverse charge basis under this Act and inward supplies of goods or services or both taxable under the Integrated Goods and Services Tax Act or on which integrated goods and services tax is payable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, and credit or debit notes received in respect of such supplies during a tax period after the tenth day but on or before the fifteenth day of the month succeeding the tax period in such form and manner as may beprescribed:

Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing such details for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(3) The details of supplies modified, deleted or included by the recipient and furnished under sub-section (2) shall be communicated to the supplier concerned in such manner and within such time as may be prescribed.

(4) The details of supplies modified, deleted or included by the recipient in the return furnished under sub-section (2) or sub- section (4) of section 39 shall be communicated to the supplier concerned in such manner and within such time as may be prescribed.

(5) Any registered person, who has furnished the details under sub-section (2) for any tax period and which have remained unmatched under section 42 or section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in the tax period during which such error or omission is noticed in such manner as may be prescribed, and shall pay the tax and interest, if any, in case there is a short payment of tax on account of such error or omission, in the return to be furnished for such tax period:

Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (2) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month ofSeptember following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever isearlier.

39. ***Furnishing of returns.—***

(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, ofinwardandoutwardsuppliesofgoodsorservicesorboth,input taxcreditavailed,taxpayable,taxpaidandsuchotherparticulars as may be prescribed on or before the twentieth day of themonth succeeding such calendar month or partthereof.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10 shall, for each quarter or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable and tax paid within eighteen days after the end of such quarter.

(3) Every registered person required to deduct tax at source under the provisions of section 51 shall furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, for the month in which such deductions have been made within ten days after the end of such month.

(4) Every taxable person registered as an Input Service Distributor shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, within thirteen days after the end of such month.

(5) Every registered non-resident taxable person shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, within twenty days after the end of a calendar month or within seven days after the last day of the period of registration specified under sub-section (1) of section 27, whichever is earlier.

(6) The Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the returns under this section for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided that any extension of time limit notified by the Commissioner of central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(7) Every registered person, who is required to furnish a return under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return.

(8) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1) or sub-section (2) shall furnish a return for every tax period whether or not any supplies of goods or services or both have been made during such tax period.

(9) Subject to the provisions of sections 37 and 38, if any registered person after furnishing a return under sub-section (1) or sub-section (2) sub-section (3) or sub-section (4) or sub-section (5) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the return to be furnished for the month or quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed, subject to payment of interest under this Act:

Provided that no such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter following the end of the financial year, or the actual date of furnishing of relevant annual return, whichever isearlier.

(10) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax periods has not been furnished by him.

40. ***First Return.*—**Every registered person who has made outward supplies in the period between the date on which he became liable to registration till the date on which registration has been granted shall declare the same in the first return furnished by him after grant of registration.

41. ***Claim of input tax credit and provisional acceptance thereof***.—

(1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to take the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited on a provisional basis to his electronic credit ledger.

(2) The credit referred to in sub-section (1) shall be utilised only for payment of self-assessed output tax as per the return referred to in the said sub-section.

42. ***Matching, reversal and reclaim of input tax credit.*—**

(1) The details of every inward supply furnished by a registered person (hereafter in this section referred to as the "recipient") for a tax period shall, in such manner and with in such time as may be prescribed, be matched—

(a) with the corresponding details of outward supply furnished by the corresponding registered person (hereafter in this section referred to as the "supplier") in his valid return for the same tax period or any preceding taxperiod;

(b) with the integrated goods and services tax paid under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 in respect of goods imported by him; and

(c) for duplication of claims of input tax credit.

(2) The claim of input tax credit in respect of invoices or debit notes relating to inward supply that match with the details of corresponding outward supply or with the integrated goods and services tax paid under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 in respect of goods imported by him shall be finally accepted and such acceptance shall be communicated, in such manner as may be prescribed, to the recipient.

(3) Where the input tax credit claimed by a recipient in respect of an inward supply is in excess of the tax declared by the supplier for the same supply or the outward supply is not declared by the supplier in his valid returns, the discrepancy shall be communicated to both such persons in such manner as may beprescribed.

(4) The duplication of claims of input tax credit shall be communicated to the recipient in such manner as may be prescribed.

(5) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (3) and which is not rectified by the supplier in his valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the recipient, in such manner as may be prescribed, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated.

(6) The amount claimed as input tax credit that is found to be in excess on account of duplication of claims shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month in which the duplication is communicated.

(7) The recipient shall be eligible to reduce, from his output tax liability, the amount added under sub-section (5), if the supplier declares the details of the invoice or debit note in his valid return within the time specified in sub-section (9) of section39.

(8) A recipient in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (5) or sub-section (6), shall be liable to pay interest at the rate specified under sub-section (1) of section 50 on the amount so added from the date of availing of credit till the corresponding additions are made under the said sub-sections.

(9) Where any reduction in output tax liability is accepted under sub-section (7), the interest paid under sub-section (8) shall be refunded to the recipient by crediting the amount in the corresponding head of his electronic cash ledger in such manner as may be prescribed:

Provided that the amount of interest to be credited in any case shall not exceed the amount of interest paid by the supplier.

(10) The amount reduced from the output tax liability in contravention of the provisions of sub-section (7) shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month in which such contravention takes place and such recipient shall be liable to pay interest on the amount so added at the rate specified in sub-section (3) of section 50.

43. ***Matching, reversal and reclaim of reduction in output tax liability.—***

(1) The details of every credit note relating to outward supply furnished by a registered person (here after in this section referred to as the "supplier") for a tax period shall, in such manner and within such time as may be prescribed, be matched—

(a) with the corresponding reduction in the claim for input tax credit by the corresponding registered person (hereafter in this section referred to as the "recipient") in his valid return for the same tax period or any subsequent tax period; and

(b) for duplication of claims for reduction in output tax liability.

(2) The claim for reduction in output tax liability by the supplier that matches with the corresponding reduction in the claim for input tax credit by the recipient shall be finally accepted and communicated, in such manner as may be prescribed, to the supplier.

(3) Where the reduction of output tax liability in respect of outward supplies exceeds the corresponding reduction in the claim for input tax credit or the corresponding credit note is not declared by the recipient in his valid returns, the discrepancy shall be communicated to both such persons in such manner as may be prescribed.

(4) The duplication of claims for reduction in output tax liability shall be communicated to the supplier in such manner as may be prescribed.

(5) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (3) and which is not rectified by the recipient in his valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the supplier, in such manner as may be prescribed, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated.

(6) The amount in respect of any reduction in output tax liability that is found to be on account of duplication of claims shall be added to the output tax liability of the supplier in his return for the month in which such duplication is communicated.

(7) The supplier shall be eligible to reduce, from his output tax liability, the amount added under sub-section (5) if the recipient declares the details of the

credit note in his valid return within the time specified in sub-section (9) of section 39.

(8) A supplier in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (5) or sub-section (6), shall be liable to pay interest at the rate specified under sub-section (1) of section 50 in respect of the amount so added from the date of such claim for reduction in the output tax liability till the corresponding additions are made under the said sub- sections.

(9) Where any reduction in output tax liability is accepted under sub-section (7), the interest paid under sub-section (8) shall be refunded to the supplier by crediting the amount in the corresponding head of his electronic cash ledger in such manner as may be prescribed:

Provided that the amount of interest to be credited in any case shall not exceed the amount of interest paid by the recipient.

(10) The amount reduced from output tax liability in contravention of the provisions of sub-section (7) shall be added to the output tax liability of the supplier in his return for the month in which such contravention takes place and such supplier shall be liable to pay interest on the amount so added at the rate specified in sub-section (3) of section 50.

44. ***Annual return.—***

(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year.

(2) Every registered person who is required to get his accounts audited in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 35 shall furnish, electronically, the annual return under sub-section (1) along with a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement, and such other particulars as may be prescribed.

45. ***Final return.—*** Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1) of section 39 and whose registration has been cancelled shall furnish a final return within three months of the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later, in such form and manner as may be prescribed.

46. ***Notice to return defaulters.—*** Where a registered person fails to furnish a return under section 39 or section 44 or section 45, a notice shall be issued requiring him to furnish such return within fifteen days in such form and manner as may be prescribed.

47. ***Levy of late fee.—***

(1) Any registered person who fails to furnish the details of outward or inward supplies required under section 37 or section 38 or returns required under section 39 or section 45 by the due date shall pay a late fee of one hundred rupees for every day during which such failure continues subject to a maximum amount of five thousand rupees.

(2) Any registered person who fails to furnish the return required under section 44 by the due date shall be liable to pay a late fee of one hundred rupees for every day during which such failure continues subject to a maximum of an amount calculated at a quarter per cent. of his turnover in the State.

48. ***Goods and services tax practitioners.—***

(1) The manner of approval of goods and services tax practitioners, their eligibility conditions, duties and obligations, manner of removal and other conditions relevant for their functioning shall be such as may be prescribed.

(2) A registered person may authorise an approved goods and services tax

practitioner to furnish the details of outward supplies under section 37, the details of inward supplies under section 38 and the return under section 39 or section 44 or section 45 in such manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the responsibility for correctness of any particulars furnished in the return or other details filed by the goods and services tax practitioners shall continue to rest with the registered person on whose behalf such return and details are furnished.

CHAPTER-X
PAYMENT OF TAX

49. ***Payment of tax, interest, penalty and other amounts.—***

(1) Every deposit made towards tax, interest, penalty, fee or any other amount by a person by internet banking or by using credit or debit cards or National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement or by such other mode and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, shall be credited to the electronic cash ledger of such person to be maintained in such manner as may be prescribed.

(2) The input tax credit as self-assessed in the return of a registered person shall be credited to his electronic credit ledger, in accordance with section 41, to be maintained in such manner as may be prescribed.

(3) The amount available in the electronic cash ledger may be used for making any payment towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the provisions of this Act or the rules made there under in such manner and subject to such conditions and within such time as may be prescribed.

(4) The amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act in such manner and subject to such conditions and within such time as may be prescribed.

(5) The amount of input tax credit available in the electronic credit ledger of the registered person on account of —

(a) integrated tax shall first be utilised towards payment of integrated tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of central tax and State tax, or as the case may be, Union territory tax, in that order;

(b) the central tax shall first be utilised to wards payment of central tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of integrated tax;

(c) the State tax shall first be utilized to wards payment of State tax and the amount remaining, if any, may be utilized towards the payment of integrated tax;

(d) the Union territory tax shall first be utilised towards payment of Union territory tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of integrated tax;

(e) the central tax shall not be utilised towards payment of State tax or Union territory tax; and

(f) the State tax or Union territory tax shall not be utilised towards payment of central tax.

(6) The balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger after payment of tax, interest, penalty, fee or any other amount payable under this Act or the rules made there under may be refunded in accordance with the provisions of section 54.

(7) All liabilities of a taxable person under this Act shall be recorded and maintained in an electronic liability register in such manner as may be prescribed.

(8) Every taxable person shall discharge his tax and other dues under this Act or the rules made there under in the following order, namely:—
   (a) self-assessed tax, and other dues related to returns of previous tax periods;
   (b) self-assessed tax, and other dues related to the return of the current tax period;
   (c) any other amount payable under this Act or the rules made there under including the demand determined under section 73 or section74.

(9) Every person who has paid the tax on goods or services or both under this Act shall, unless the contrary is proved by him, be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient of such goods or services or both

Explanation.—For the purposes of this section,
   (a) the date of credit to the account of the Government in the authorised bank shall be deemed to be the date of deposit in the electronic cashledger;
   (b) theexpression,-
      (i) "tax dues" means the tax payable under this Act and does not include interest, fee and penalty;and
      (ii) "other dues" means interest, penalty, fee or any other amount payable under this Act or the rules madethereunder.

50. ***Interest on delayed payment of tax.—***

(1) Every person who is liable to pay tax in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to the Government within the period prescribed, shall for the period for which the tax or any part there of remains unpaid, pay, on his own, interest at such rate, not exceeding eighteen percent., as may be notified by the Government on the recommendations of theCouncil.

(2) The interest under sub-section (1) shall be calculated, in such manner as may be prescribed, from the day succeeding the day on which such tax was due to be paid.

(3) A taxable person who makes an undue or excess claim of input tax credit under sub-section (10) of section 42 or undue or excess reduction in output tax liability under sub-section (10) of section 43, shall pay interest on such undue or excess claim or on such undue or excess reduction, as the case may be, at such rate not exceeding twenty-four per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of theCouncil.

51. Tax deduction at source.—

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Government may mandate,-
   (a) a department or establishment of the Central Government or State Government; or
   (b) local authority; or
   (c) Governmental agencies; or
   (d) such persons or category of persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, (here after in this section referred to as "the deductor"), to deduct tax at the rate of one per cent. from the payment made or credited to the supplier (hereafter in this section referred to as "the deductee") of taxable goods or services or both, where the total value of such supply, under a contract, exceeds two lakh and fifty thousand rupees:

   Provided that no deduction shall be made if the location of the supplier and the place of supply is in a State or Union territory which is different from the State or, as the case may be, Union territory of registration of the recipient.

Explanation.—For the purpose of deduction of tax specified above, the value of supply shall be taken as the amount excluding the central tax, State tax, integrated tax and cess indicated in the invoice.

(2) The amount deducted as tax under this section shall be paid to the Government by the deductor within ten days after the end of the month in which such deduction is made, in such manner as may be prescribed.

(3) The deductor shall furnish to the deductee a certificate mentioning therein the contract value, rate of deduction, amount deducted, amount paid to the Government and such other particulars in such manner as may be prescribed.

(4) If any deductor fails to furnish to the deductee the certificate, after deducting the tax at source, within five days of crediting the amount so deducted to the Government, the deductor shall pay, by way of a late fee, a sum of one hundred rupees per day from the day after the expiry of such five day period until the failure is rectified, subject to a maximum amount of five thousandrupees.

(5) The deductee shall claim credit, in his electronic cash ledger, of the tax deducted and reflected in the return of the deductor furnished under sub-section (3) of section 39, in such manner as may beprescribed.

(6) If any deductor fails to pay to the Government the amount deducted as tax under sub-section (1), he shall pay interest in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 50, in addition to the amount of tax deducted.

(7) The determination of the amount in default under this section shall be made in the manner specified in section 73 or section 74.

(8) The refund to the deductor or the deductee arising on account of excess or erroneous deduction shall be dealt with in accordance with the provisions of section 54:

Provided that no refund to the deductor shall be granted, if the amount deducted has been credited to the electronic cash ledger of the deductee.

52. ***Collection of tax at source.—***

(1) Notwith standing any thing to the contrary contained in this Act, every electronic commerce operator (here after in this section referred to as the "operator"), not being an agent, shall collect an amount calculated at such rate not exceeding one percent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, of the net value of taxable supplies made through it by other suppliers where the consideration with respect to such supplies is to be collected by theoperator.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "net value of taxable supplies" shall mean the aggregate value of taxable supplies of goods or services or both, other than services notified under sub-section (5) of section 9, made during any month by all registered persons through the operator reduced by the aggregate value of taxable supplies returned to the suppliers during the saidmonth.

(2) The power to collect the amount specified in sub-section (1) shall be without prejudice to any other mode of recovery from theoperator.

(3) The amount collected under sub-section (1) shall be paid to the Government by the operator within ten days after the end of the month in which such collection is made, in such manner as may be prescribed.

(4) Every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of suchmonth.

(5) Every operator who collects the amount specified in sub- section (1) shall furnish an annual statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under the said sub-section during the financial year, in such form and manner as may be prescribed, before the thirty first day of December following the end of such financialyear.

(6) If any operator after furnishing a statement under sub-section (4) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the statement to be furnished for the month during which such omission or incorrect particulars are noticed, subject to payment of interest, as specified in sub-section (1) of section 50:

Provided that no such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after the due date for furnishing of statement for the month of September following the end of the financial year or the actual date of furnishing of the relevant annual statement, whichever is earlier.

(7) The supplier who has supplied the goods or services or both through the operator shall claim credit, in his electronic cash ledger, of the amount collected and reflected in the statement of the operator furnished under sub-section (4), in such manner as may be prescribed.

(8) The details of supplies furnished by every operator under sub-section (4) shall be matched with the corresponding details of outward supplies furnished by the concerned supplier registered under this Act in such manner and within such time as may be prescribed.

(9) Where the details of outward supplies furnished by the operator under sub-section (4) do not match with the corresponding details furnished by the supplier under section 37, the discrepancy shall be communicated to both persons in such manner and within such time as may be prescribed.

(10) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (9) and which is not rectified by the supplier in his valid return or the operator in his statement for the month in which discrepancy is communicated, shall be added to the output tax liability of the said supplier, where the value of outward supplies furnished by the operator is more than the value of outward supplies furnished by the supplier, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated in such manner as may be prescribed.

(11) The concerned supplier, in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (10), shall pay the tax payable in respect of such supply along with interest, at the rate specified under sub-section (1) of section 50 on the amount so added from the date such tax was due till the date of its payment.

(12) Any authority not below the rank of Deputy Commissioner may serve a notice, either before or during the course of any proceedings under this Act, requiring the operator to furnish such details relating to—

(a) supplies of goods or services or both effected through such operator during any period; or

(b) stock of goods held by the suppliers making supplies through such operator in the godowns or warehouses, by whatever name called, managed by such operator and declared as additional places of business by such suppliers, as may be specified in the notice.

(13) Every operator on whom a notice has been served under sub-section (12) shall furnish the required information within fifteen working days of the date of service of such notice.

(14) Any person who fails to furnish the information required by the notice served under sub-section (12) shall, without prejudice to any action that may be taken under section122, be liable to a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "concerned supplier" shall mean the supplier of goods or services or both making supplies through the operator.

53. ***Transfer of input tax credit.—***On utilisation of input tax credit availed under this Act for paymentoftaxduesundertheIntegratedGoodsandServicesTax Act in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 49, as reflected in the valid return furnished under sub-section (1) of section 39, the amount collected as State tax shall stand reduced by an amount equal to such credit so utilised and the State Government shall transfer an amount equal to the amount so reduced from the State tax account to the integrated tax account in such manner and within such time as may be prescribed.

CHAPTER XI
REFUNDS

54. ***Refund of tax.—***

(1) Any person claiming refund of any tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid by him, may make an application before the expiry of two years from the relevant date in such form and manner as may be prescribed:

Provided that a registered person, claiming refund of any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub- section (6) of section 49, may claim such refund in the return furnished under section 39 in such manner as may beprescribed.

(2) A specialized agency of the United Nations Organization or any Multilateral Financial Institution and Organization notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947, Consulate or Embassy of foreign countries or any other person or class of persons, as notified under section 55, entitled to a refund of tax paid by it on inward supplies of goods or services or both, may make an application for such refund, in such form and manner as may be prescribed, before the expiry of six months from the last day of the quarter in which such supply was received.

(3) Subject to the provisions of sub-section (10), a registered person may claim refund of any unutilised input tax credit at the end of any tax period:

Provided that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases other than-

(i) zero-rated supplies made without payment of tax;

(ii) where the credit has accumulated on account of rate of tax on in puts being higher than the rate of tax on output supplies (other than nil rated or fully exempt supplies), except supplies of goods or services or both as may be notified by the Government on the recommendations of the Council:

Provided further that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases where the goods exported out of India are subjected to export duty:

Provided also that no refund of input tax credit shall be allowed, if the supplier of goods or services or both claims refund of the integrated tax paid on such supplies.

(4) The application shall be accompanied by—

(a) such documentary evidence as may be prescribed to establish that a refund is due to the applicant; and

(b) such documentary or other evidence (including thedocuments referred to in section33) as the applicant may furnishtoestablishthat the amount of tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid in relation to which such refund is claimed was collected from, or paid by, him and the incidence of such tax and interest had not been passed on to any othe rperson:

Provided that where the amount claimed as refund is less than two lakh rupees, it shall not be necessary for the applicant to furnish any documentary and other evidences but he may file a declaration, based

(2) A specialized agency of the United Nations Organization or any Multilateral Financial Institution and Organization notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947, Consulate or Embassy of foreign countries or any other person or class of persons, as notified under section 55, entitled to a refund of tax paid by it on inward supplies of goods or services or both, may make an application for such refund, in such form and manner as may be prescribed, before the expiry of six months from the last day of the quarter in which such supply was received.

(3) Subject to the provisions of sub-section (10), a registered person may claim refund of any unutilised input tax credit at the end of any tax period:

Provided that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases other than-

(i) zero-rated supplies made without payment oftax;

(ii) where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies (other than nil rated or fully exempt supplies), except supplies of goods or services or both as may be notified by the Government on the recommendations of the Council:

Provided further that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases where the goods exported out of India are subjected to export duty:

Provided also that no refund of input tax credit shall be allowed, if the supplier of goods or services or both claims refund of the integrated tax paid on such supplies.

(4) The application shall be accompanied by—

(a) such documentary evidence as may be prescribed to establish that a refund is due to the applicant; and

(b) such documentary or other evidence (including thedocuments refer redtoin section 33) as the applicant may furnish to establish that the amount of tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid inrelation to which such refund is claimed was collected from, or paid by, him and the incidence of such tax and interest had not been passed on to any other person:

Provided that where the amount claimed as refund is les sthan two lakh rupees, it shall not be necessary for the applicant to furnish any documentary and other evidences but he may file a declaration, based on the documentary or other evidences available with him, certifying that the incidence of such tax and interest had not been passed on to any other person.

(5) If, on receipt of any such application, the proper officer is satisfied that the whole or part of the amount claimed as refund is refundable, he may make an order accordingly and the amount so determined shall be credited to the Fund referred to in section57.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the proper officer may, in the case of any claim for refund on account of zero-rated supply of goods or services or both made by registered persons, other than such category of registered persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, refund on a provisional basis, ninety per cent. of the total amount so claimed, excluding the amount of input tax credit provisionally accepted, in such manner and subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed and thereafter make an order under sub-section (5) for final settlement of the refund claim after due verification of documents furnished by the applicant.

(7) The proper officer shall issue the order under sub-section (5) within sixty days from the date of receipt of application complete in allrespects.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the refundable amount shall, instead of being credited to the Fund, be paid to the applicant, if such amount is relatable to–

(a) refund of tax paid on zero-rated supplies of goods or services or both or on inputs or input services used in making such zero-rated supplies;

(b) refund of unutilised input tax credit under sub-section (3);

(c) refundoftaxpaidonasupplywhichisnotprovided,either wholly or partially, and for which invoice has not been issued, or where a refund voucher has beenissued;

(d) refund of tax in pursuance of section 77;

(e) the tax and interest, if any, or any other amount paid by the applicant, if he had not passed on the incidence of such tax and interest to any other person; or

(f) the tax or interest borne by such other class of applicants as the Government may, on the recommendations of the Council, by notification,specify.

(9) Notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree, order or direction of the Appellate Tribunal or any court or in any other provisions of this Act or the rules made thereunder or in any other law for the time being in force, no refund shall be made except in accordance with the provisions of sub-section (8).

(10) Where any refund is due under sub-section (3) to a registered person who has defaulted in furnishing any return or who is required to pay any tax, interest or penalty, which has not been stayed by any court, Tribunal or Appellate Authority by the specified date, the proper officer may—

(a) withhold payment of refund due until the said person has furnished the return or paid the tax, interest or penalty, as thecase maybe;

(b) deduct from the refund due, any tax, interest, penalty, fee or any other amount which the taxable person is liable to pay but which remains unpaid under this Act or under the existing law.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "specified date" shall mean the last date for filing an appeal under thisAct.

(11) Where an order giving rise to a refund is the subject matter of an appeal or further proceedings or where any other proceedings under this Act is pending and the Commissioner is of the opinion that grant of such refund is likely to adversely affect the revenue in the said appeal or other proceedings on account of malfeasance or fraud committed, he may, after giving the taxable person an opportunity of being heard, withhold the refund till such time as he may determine.

(12) Where are fund is with held under sub-section (11), the taxable person shall, notwith standing anything contained in section 56, be entitled to interest at such rate not exceeding six per cent. as may be notified on the recommendations of the Council, if as a result of the appeal or further proceedings he becomes entitled to refund.

(13) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, the amount of advance tax deposited by a casual taxable person or a non-resident taxable person under sub- section (2) of section 27, shall not be refunded unless such person has, in respect of the entire period for which the certificate of registration granted to him had remained in force, furnished all the returns required under section 39.

(14) Notwithstanding anything contained in this section, no refund under sub-section (5) or sub-section (6) shall be paid to an applicant, if the amount is less than one thousand rupees.

Explanation.—For the purposes of this section,–

(1) "refund"includesrefundoftaxpaidonzero-ratedsupplies of goods or services or both or on inputs or input services used in making such zero-rated supplies, or refund of tax on the supplyof goods regarded as deemed exports, or refund of unutilised input tax credit as provided under sub-section(3).

(2) "relevant date" means –

(a) in the case of goods exported out of India where a refund of tax paid is available in respect of goods themselves or, as the case may be, the inputs or input services used in such goods,—

(i) if the goods are exported by sea or air, the date on which the ship or the aircraft in which such goods are loaded, leaves India; or

(ii) if the goods are exported by land, the date on which such goods pass the frontier; or

(iii) if the goods are exported by post, the date of despatch of goods by the Post Office concerned to a place outside India;

(b) in the case of supply of goods regarded as deemed exports where a refund of tax paid is available in respect of the goods, the date on which the return relating to such deemed exports is furnished;

(c) in the case of services exported out of India where are fund of tax paid is available in respect of services themselves or, asthe case may be, the inputs or input services used in such services,the date of—

(i) receipt of payment in convertible foreign exchange, where the supply of services had been completed prior to the receipt of such payment; or

(ii) issue of invoice, where payment for the services had been received in advance prior to the date of issue of the invoice;

(d) in case where the tax becomes refundable as a consequence of judgment, decree, order or direction of the Appellate Authority, Appellate Tribunal or any court, the date of communication of such judgment, decree, order ordirection;

(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under sub-section (3), the end of the financial year in which such claim for refund arises;

(f) in the case where tax is paid provisionally under this Actor the rules made there under, the date of adjustment of tax after the final assessment thereof;

(g) in the case of a person, other than the supplier, the date of receipt of goods or services or both by such person; and

(h) in any other case, the date of payment of tax.

55. ***Refund in certain cases.—***The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify any specialized agency of the United Nations Organization or any Multilateral Financial Institution and Organization notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947, Consulate or Embassy of foreign countries and any other person or class of persons as may be specified in this behalf, who shall, subject to such conditionsand restrictions as may be prescribed, be entitled to claim a refund of taxes paid on the notified supplies of goods or services or both received by them.

56. ***Interest ondelayed refunds.—***If any tax ordered to be refunded under sub-section (5) of section54toanyapplicantisnotrefundedwithinsixtydaysfromthedate of receipt of application under sub-section (1) of that section, interest at such rate not exceeding six per cent. as may be specified in the notification issued by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub- section till the date of refund of suchtax:

Provided that where any claim of refund arises from an order passed by an adjudicating authority or Appellate Authority or Appellate Tribunal or court which has attained finality and the sameisnotrefundedwithinsixtydaysfromthedateofreceiptof application filed consequent to such order, interest at such rate not exceeding nine per cent. as may be notified by the Government on the recommendations of the Council shall be payableinrespectofsuchrefundfromthedateimmediatelyafter theexpiryofsixtydaysfromthedateofreceiptofapplication till the date ofrefund.

Explanation.—For the purposes of this section, where any order of refund is made by an Appellate Authority, Appellate Tribunal or any court against an order of the proper officer under sub-section(5) of section 54, the order passed by the Appellate Authority,Appellate Tribunal or by the court shall be deemed to be an order passedunder the said sub-section(5).

57. ***Consumer Welfare Fund.—***The Government shall constitute a Fund, to be called the Consumer Welfare Fund and there shall be credited to the Fund,–

(a) the amount referred to in sub-section (5) of section 54;

(b) any income from investment of the amount credited to the Fund; and

(c) such other monies received by it, in such manner as may be prescribed.

58. ***Utilisation of Fund.—***

(1) All sums credited to the Fund shall be utilised by the Government for the welfare of the consumers in such manner as may be prescribed.

(2) The Government or the authority specified by it shall maintain proper and separate account and other relevant records in relation to the Fund and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

CHAPTER– XII
ASSESSMENT

59. ***Self-assessment.—***Every registered person shall self-assess the taxes payable under thisActandfurnishareturnforeachtaxperiodasspecifiedunder section39.

60. ***Provisional assessment.—***

(1) Subject to the provisions of sub-section(2), where the taxable person is unable to determine the value of goods or services or both or determine the rate of tax applicable thereto, he may request the proper officer in writing giving reasons for payment of tax on a provisional basis and the proper officer shall pass an order, within a period not later than ninety days from the date of receipt of such request, allowing payment of tax on provisional basis at such rate or on such value as may be specified byhim.

(2) The payment of tax on provisional basis may be allowed, if the taxable person executes a bond in such form as may be prescribed, and with such surety or security as the proper officer may deem fit, binding the taxable person for payment of the difference between the amount of tax as may be finally assessed and the amount of tax provisionally assessed.

(3) The proper officer shall, within a period notexceeding six months from the date of

the communication of the order issued under sub-section (1), pass the final assessment order after taking into account such information as may be required for finalizing the assessment:

Provided that the period specified in this sub-section may, on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, be extended by the Joint Commissioner or Additional Commissioner for a further period not exceeding six months and by the Commissioner for such further period not exceeding four years.

(4) The registered person shall be liable to pay interest on any tax payable on the supply of goods or services or both under provisional assessment but not paid on the due date specified under sub-section (7) of section 39 or the rules made thereunder, at the rate specified under sub-section (1) of section 50, from the first day after the due date of payment of tax inrespect of the said supply of goods or services or both till the date of actual payment, whether such amount is paid before or after the issuance of order for final assessment.

(5) Where the registered person is entitled to a refund consequent to the order of final assessment under sub-section (3), subject tothe provisions of sub-section (8) of section 54, interest shall be paid on such refund as provided in section 56.

61. ***Scrutiny of returns.—***

(1) The proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return and inform him of the discrepancies noticed, if any, in such manneras may be prescribed and seek his explanation here to.

(2) In case the explanation is found acceptable, the registered person shall be informed accordingly and no further action shall be taken in this regard.

(3) Incase no satisfactory explanation is furnished with in a period of thirty days of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted by him or where the registered person, after accepting the discrepancies, fails to take the corrective measure in his return for the month in which the discrepancy is accepted, the proper officer may initiate appropriate action including those under section 65 or section 66 or section 67, or proceed to determine the tax and other dues under section 73 or section74.

62. ***Assessment of non-filers of returns.—***

(1) Notwithstandinganythingtothecontrarycontainedinsection 73 or section 74, where a registered person fails to furnish the return under section 39 or section 45, even after the service of a notice under section 46, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgement taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to whichthe tax not paidrelates.

(2) Where the registered person furnishes a valid return within thirty days of the service of the assessment order under sub-section (1), the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn but the liability for payment of interest under sub-section (1) of section 50 or for payment of late fee under section 47 shallcontinue.

63. ***Assessment of unregistered persons.—*** Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so or whose registration has been cancelled under sub-section (2) of section 29 but who was liable to pay tax, the proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgement for the relevant tax periods and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates:

Provided that no such assessment order shall be passed without giving the person an opportunity of being heard.

64. ***Summary assessment in certain special cases.—***

(1) The proper officer may, on any evidence showing a tax liability of a person coming to his notice, with the previous permission of Additional Commissioner or Joint Commissioner, proceed to assess the tax liability of such person to protect the interest of revenue and issue an assessment order, if he has sufficient grounds to believe that any delay in doing so may adversely affect the interest of revenue:

Provided that where the taxable person to whom the liability pertains is not ascertainable and such liability pertains to supply of goods, the person in charge of such goods shall be deemed to be the taxable person liable to be assessed and liable to pay tax and any other amount due under this section.

(2) On an application made by the taxable person within thirty days from the date of receipt of order passed under sub-section (1) or on his own motion, if the Additional Commissioner or Joint Commissioner considers that such order is erroneous, he may withdraw such order and follow the procedure laid down in section 73 or section 74.

CHAPTER XIII
AUDIT

65. ***Audit by taxauthorities.—***

(1) The Commissioner or any officer authorised by him, by wayof a general or a specific order, may undertake audit of any registered person for such period, at such frequency and in such manner as may be prescribed.

(2) The officers referred to in sub-section (1) may conduct audit at the place of business of the registered person or in their office.

(3) The registered person shall be informed by way of a notice not less than fifteen working days prior to the conduct of audit in such manner as may be prescribed.

(4) The audit under sub-section (1) shall be completed within a period of three months from the date of commencement of theaudit:

Provided that where the Commissioner is satisfied that audit in respect of such registered person cannot be completed within three months, he may, for the reasons to be recorded in writing, extendthe period by a further period not exceeding sixmonths.

Explanation.—Forthe purposes of this sub-section, the expression "commencement of audit" shall mean the date on which the records and other documents, called for by the tax authorities, are made available by the registered person or the actual institution of audit at the place of business, whichever islater.

(5) During the course of audit, the authorised officer may require the registered person,—

(i) to afford him the necessary facility to verify the books of account or other documents as he may require;

(ii) to furnish such information as he may require and render assistance for timely completion of the audit.

(6) On conclusion of audit, the proper officer shall, within thirty days, inform the registered person, whose records are audited, about the findings, his rights and obligations and the reasons for suchfindings.

(7) Where the audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under section 73 or section 74.

66. ***Special audit.—***

(1) If at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other proceedings before him, any officer not below the rank of Assistant Commissioner, having regard to the nature and complexity of the case and the interest of revenue, is of the

opinionthatthevaluehasnotbeencorrectlydeclaredorthecredit availed is not within the normal limits, he may, with the prior approval of the Commissioner, direct such registered person bya communication in writing to get his records including books of accountexaminedandauditedbyacharteredaccountantoracost accountant as may be nominated by theCommissioner.

(2) The chartered accountant or cost accountant so nominated shall, within the period of ninety days, submit a report of such audit duly signed and certified by him to the said Assistant Commissioner mentioning therein such other particulars as may be specified:

Provided that the Assistant Commissioner may, on an application made to him in this behalf by the registered person or the chartered accountant or cost accountant or for any material and sufficient reason, extend the said period by a further period of ninety days.

(3) The provisions of sub-section (1) shall have effect notwithstanding that the accounts of the registered person have been audited under any other provisions of this Act or any other law for the time being in force.

(4) The registered person shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of special audit under sub-section (1) which is proposed to be used in any proceedings against him under this Act or the rules madethereunder.

(5) The expenses of the examination and audit of records under sub-section (1), including the remuneration of such chartered accountant or cost accountant, shall be determined and paid by the Commissioner and such determination shall be final.

(6) Where the special audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under section 73 or section74.

CHAPTER XIV
INSPECTION, SEARCH, SEIZURE AND ARREST

67. ***Power of inspection, search and seizure.—***

(1) Where the proper officer, not below the rank of Joint Commissioner, has reasons to believe that—

(a) a taxable person has suppressed any transaction relating to supply of goods or services or both or the stock of goods in hand, or has claimed input tax credit in excess of his entitlement under this Act or has indulged in contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder to evade tax under this Act; or

(b) any person engaged in the business of transporting goods or an owner or operator of a warehouse or a godown or any other place is keeping goods which have escaped payment of tax or has kept his accounts or goods in such a manner as is likely to cause evasion of tax payable under this Act, he may authorise in writing any other officer of State tax to inspect any places of business of the taxable person or the persons engaged in the business of transporting goods or the owner or the operator of warehouse or godown or any other place.

(2) Where the proper officer, not below the rank of Joint Commissioner, either pursuant to an inspection carried out under sub-section (1) or otherwise, has reasons to believe that any goods liable to confiscation or any documents or books or things, which in his opinion shall be useful for or relevant to any proceedings under this Act, are secreted in any place, he may authorise in writing any other officer of State tax to search and seize or may himself search and seize such goods, documents or books or things:

Provided that where it is not practicable to seize any such goods, the proper officer, or any officer authorised by him, may serve on the owner or the custodian of the goods an order that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods except with the previous permission of such officer:

Provided further that the documents or books or things so seized Shall be retained by such officer only for so longas may be necessary for their examination and for any inquiry or proceedings under this Act.

(3) The documents, books or things referred to in sub-section (2) or any other documents, books or things produced by a taxable person or any other person, which have not been relied upon for the issue of notice under this Act or the rules made thereunder, shall be returned to such person within a period not exceeding thirty days of the issue of the said notice.

(4) The officer authorised under sub-section (2) shall have the power to seal or break open the door of any premises or to break open any *almirah*, electronic devices, box, receptacle in which any goods, accounts, registers or documents of the person are suspected to be concealed, where access to such premises, *almirah*, electronic devices, box or receptacle is denied.

(5) The person from whose custody any documents are seized under sub-section (2) shall be entitled to make copies thereof or take extracts therefrom in the presence of an authorised officer at such place and time as such officer may indicate in this behalf except where making such copies or taking such extracts may, in the opinion of the proper officer, prejudicially affect the investigation.

(6) The goods so seized under sub-section (2) shall be released, on a provisional basis, upon execution of a bond and furnishing of a security, in such manner and of such quantum, respectively, as may be prescribed or on payment of applicable tax, interest and penalty payable, as the case maybe.

(7) Where any goods are seized under sub-section (2) and no notice in respect thereof is given within six months of the seizure of the goods, the goods shall be returned to the person from whose possession they were seized:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the proper officer for a further period not exceeding six months.

(8) The Government may, having regard to the perishable or hazardous nature of any goods, depreciation in the value of the goods with the passage of time, constraints of storage space for the goods or any other relevant considerations, by notification, specify the goods or class of goods which shall, as soon as may be after its seizure under sub-section (2), be disposed of by the proper officer in such manner as may be prescribed.

(9) Where any goods, being goods specified under sub-section (8), have been seized by a proper officer, or any officer authorised by him under sub-section (2), he shall prepare an inventory of such goods in such manner as may be prescribed.

(10) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and seizure, shall, so far as may be, apply to search and seizure under this section subject to the modification that sub-section (5) of section 165 of the said Code shall have effect as if for the word "Magistrate", wherever it occurs, the word "Commissioner" were substituted.

(11) Where the proper officer has reasons to believe that any person has evaded or is attempting to evade the payment of any tax, he may, for reasons to be recorded in writing, seize the accounts, registers or documents of such person produced before him and shall grant a receipt for the same, and shall retain the same for so long as may be necessary in connection with any proceedings under this Act or the rules made thereunder for prosecution.

(12) The Commissioner or an officer authorised by him may cause purchase of any goods or services or both by any person authorised by him from the business premises of any taxable person, to check the issue of tax invoices or bills of supply by such taxable person, and on return of goods so purchased by such officer, such taxable person or any person in charge of the business premises shall refund the amount so paid towards the goods after cancelling any tax invoice or bill of supply issued earlier.

68. ***Inspection of goods in movement.—***

(1) The Government may require the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed.

(2) The details of documents required to be carried under sub-section (1) shall be validated in such manner as may be prescribed.

(3) Where any conveyance referred to in sub-section (1) is intercepted by the proper officer at any place, he may require the person in charge of the said conveyance to produce the documents prescribed under the said sub-section and devices for verification, and the said person shall be liable to produce the documents and devices and also allow the inspection of goods.

69. ***Power to arrest.—***

(1) Where the Commissioner has reasons to believe that a person has committed any offence specified in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 132whichispunishableunderclause(i)or(ii)ofsub-section(1), or sub-section (2) of the said section, he may, by order,authorise any officer of State tax to arrest suchperson.

(2) Where a person is arrested under sub-section (1) for an offence specified under sub-section (5) of section 132, the officer authorised to arrest the person shall inform such person of the grounds of arrest and produce him before a Magistrate within twenty four hours.

(3) Subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973,--

(a) where a person is arrestedundersub-section (1) for any offence specified under sub-section (4) of section 132, he shall be admitted to bail or in default of bail, forwarded to the custody of the Magistrate;

(b) in the case of a non-cognizable and bailable offence, the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner shall, for the purpose of releasing an arrested person on bail or other wise, have the same powers and be subject to the same provisions as an officer-in- charge of a police station

70. ***Power to summon persons to give evidence and produce documents.—***

(1) The proper officer under this Act shall have power to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in any inquiry in the same manner, as provided in the case of a civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908.

(2) Every such inquiry referred to in sub-section (1) shall be deemed to be a "judicial proceedings "within the meaning of section 193 and section 228 of the Indian Penal Code.

71. ***Access to business premises.—***

(1) Any officer under this Act, authorised by the proper officer not below the rank of Joint Commissioner, shall have access to any place of business of a registered person to inspect books of account, documents, computers, computer programs, computer software whether installed in a computer or otherwise and such other things as he may require and which may be available at such place, for the purposes of carrying out any audit, scrutiny, verification and checks as may be

necessary to safe guard the interest of revenue.

(2) Every person in charge of place referred to in sub-section (1) shall, on demand, make available to the officer authorised under sub-section (1) or the audit party deputed by the proper officer or a cost accountant or chartered accountant nominated under section 66—

(i) such records as prepared or maintained by the registered person and declared to the proper officer in such manner as may be prescribed;

(ii) trial balance or its equivalent;

(iii) statements of annual financial accounts, duly audited, wherever required;

(iv) cost audit report, if any, under section 148 of the Companies Act, 2013;

(v) the income-tax audit report, if any, under section 44AB of the Income-tax Act, 1961; and

(vi) any other relevant record, for the scrutiny by the officer or audit party or the chartered accountant or cost accountant within a period not exceeding fifteen working days from the day when such demand is made, or such further period as may be allowed by the said officer or the audit party or the chartered accountant or cost accountant.

72. *Officers to assist proper officers.—*

(1) All officers of Police, Railways, Customs, and those officers engaged in the collection of land revenue, including village officers, officers of central tax and officers of the Union territory tax shall assist the proper officers in the implementation of this Act.

(2) The Government may, by notification, empower and require any other class of officers to assist the proper officers in the implementation of this Act when called upon to do so by the Commissioner.

CHAPTER XV
DEMANDS AND RECOVERY

73. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason other than fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.—

(1) Whereitappearstotheproperofficerthatanytaxhasnotbeen paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilfulmis statement or suppression of facts to evade tax, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of thisAct or the rules made there under.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) at least three months prior to the time limit specified in sub-section (10) for issuance of order.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub- section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub- section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The person chargeable with tax may, before service of notice under sub-section (1) or, as the case may be, the statement under sub-section (3), pay the amount of tax along with interest payable thereon under section 50 on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of suchpayment.

(6) The proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1) or, as the case may be, the statement under sub-section (3), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(7) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under sub-section (5) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(8) Where any person chargeable with tax under sub-section (1) or sub-section (3) pays the said tax along with interest payable under section 50 within thirty days of issue of show cause notice, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and a penalty equivalent to ten per cent. of tax or ten thousand rupees, whichever is higher, due from such person and issue an order.

(10) The proper officer shall issue the order under sub-section (9) within three years from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within three years from the date of erroneous refund.

(11) Notwithstanding anything contained in sub-section (6) or sub-section (8), penalty under sub-section (9) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

74. ***Determination oftax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised by reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.—***

(1) Where it appearsotheproperofficerthatanytaxhas not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, he shallservenoticeonthepersonchargeablewithtaxwhichhasnot been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised in put tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable the reonunder section50 andapenaltyequivalent to the tax specified in thenotice.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) at least six months prior to the time limit specified in sub- section (10) for issuance of order.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub- section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub- section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of statement under sub-section (3) shall be deemed to be service of notice under sub-section (1) of section 73, subject to the condition that the grounds relied upon in the said statement, except the ground of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, for periods other

than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The person chargeable with tax may, before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of suchpayment.

(6) The proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(7) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under sub-section (5) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(8) Where any person chargeable with tax under sub-section (1) pays the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty five per cent. of such tax within thirty days of issue of the notice, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to beconcluded.

(9) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue anorder.

(10) The proper officer shall issue the order under sub-section (9) within a period of five years from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within five years from the date of erroneous refund.

(11) Where any person served with an order issued under sub- section (9) pays the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within thirty days of communication of the order, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to beconcluded.

Explanation 1.– For the purposes of section 73 and this section, —

(i) the expression "all proceedings inrespect of the said notice" shall not include proceedings under section132;

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under section 73 or section 74, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122, 125, 129 and 130 are deemed to be concluded.

Explanation 2.—For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made there under, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.

75. ***General provisions relating to determination of tax.—***

(1) Where the service of notice or issuance of order is stayed by an order of a court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period specified in sub- sections (2) and (10) of section 73 or sub-sections (2) and (10) of section 74, as the case maybe.

(2) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the notice issued under sub-section (1) of section 74 is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the proper officer shall determine the tax

payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73.

(3) Where any order is required to be issued in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, such order shall be issued within two years from the date of communication of the said direction.

(4) An opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty, or where any adverse decision is contemplated against suchperson.

(5) The proper officer shall, if sufficient cause is shown by the person chargeable with tax, grant time to the said person and adjourn the hearing for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such adjournment shall be granted for more than three times to a person during the proceedings.

(6) The proper officer, in his order, shall set out the relevant facts and the basis of his decision.

(7) The amount of tax, interest and penalty demanded in the order shall not be in excess of the amount specified in the notice and no demand shall be confirmed on the grounds other than the grounds specified in the notice.

(8) Where the Appellate Authority or Appellate Tribunal or court modifies the amount of tax determined by the proper officer, the amount of interest and penalty shall stand modified accordingly, taking into account the amount of tax so modified.

(9) The interest on the tax short paid or not paid shall be payable whether or not specified in the order determining the tax liability.

(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within three years as provided for in sub-section (10) of section 73 or within five years as provided for in sub-section (10) of section 74.

(11) An issue on which the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court has given its decision which is prejudicial to the interest of revenue in some other proceedings and an appeal to the Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court against such decision of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court is pending, the period spent between the date of the decision of the Appellate Authority and that of the Appellate Tribunal or the date of decision of the Appellate Tribunal and that of the High Court or the date of the decision of the High Court and that of the Supreme Court shall be excluded in computing the period referred to in sub- section (10) of section 73 or sub-section (10) of section 74 where proceedings are initiated by way of issue of a show cause notice under the said sections.

(12) Notwithstanding anything contained in section 73 or section 74, where any amount of self-assessed tax in accordance with a return furnished under section 39 remains unpaid, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of section 79.

(13) Where any penalty is imposed under section 73 or section 74, no penalty for the same act or omission shall be imposed on the same person under any other provision of this Act.

76. ***Tax collected but not paid to Government.—***

(1) Notwithstanding any thing to the contrary contained in any order or direction of any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court orinany other provisions of this Act or the rules made there under or any other law for the time being in force, every person who has collected from any other person any amount as

representing the tax under this Act, and has not paid the said amount to the Government, shall forthwith pay the said amount to the Government, irrespective of whether the supplies in respect of which such amount was collected are taxable or not.

(2) Where any amount is required to be paid to the Government under sub-section (1), and which has not been so paid, the proper officer may serve on the person liable to pay such amount a notice requiring him to show cause as to why the said amount as specified in the notice, should not be paid by him to the Government and why a penalty equivalent to the amount specified in the notice should not be imposed on him under the provisions of this Act.

(3) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person on whom the notice is served under sub-section (2), determine the amount due from such person and thereupon such person shall pay the amount so determined.

(4) The person referred to in sub-section (1) shall in addition to paying the amount referred to in sub-section (1) or sub- section (3) also be liable to pay interest thereon at the rate specified under section 50 from the date such amount was collected by him to the date such amount is paid by him to theGovernment.

(5) An opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person to whom the notice was issued to show cause.

(6) The proper officer shall issue an order within one year from the date of issue of the notice.

(7) Where the issuance of order is stayed by an order of the court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of one year.

(8) The proper officer, in his order, shall set out the relevant facts and the basis of his decision.

(9) The amount paid to the Government under sub-section (1) or sub-section (3) shall be adjusted against the tax payable, if any, by the person in relation to the supplies referred to in sub-section (1).

(10) Where any surplus is left after the adjustment under sub- section (9), the amount of such surplus shall either be credited to the Fund or refunded to the person who has borne the incidence of such amount.

(11) The person who has borne the incidence of the amount, may apply for the refund of the same in accordance with the provisions of section 54.

77. ***Tax wrongfully collected and paid to Central Government or State Government.—***

(1) A registered person who has paid the central tax and State tax on a transaction considered by him to be an intra-State supply, but which is subsequently held to be an inter-State supply, shall be refunded the amount of taxes so paid in such manner and subject to such conditions as may beprescribed.

(2) A registered person who has paid integrated tax on a transaction considered by him to be an inter-State supply, but which is subsequently held to be an intra-State supply, shall not be required to pay any interest on the amount of State tax payable.

78. ***Initiation of recovery proceedings.*** Any amount payable by a taxable person in pursuance of an order passed under this Act shall be paid by such person within a period of three months from the date of service of such order failing which recovery proceedings shall be initiated:
Provided that where the proper officer considers it expedient in the interest of revenue, he may, for reasons to be recorded in writing, require the said taxable person to make such payment within such period less than a period of three months as may be specified by him.

79. ***Recovery of tax.—***

(1) Where any amount payable by a person to the Government under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder is not paid, the proper officer

shall proceed torecover the amount by one or more of the following modes, namely:—

(a) the proper officer may deduct or may require any other specified officer to deduct the amount so payable from any money owing to such person which may be under the control of the proper officer or such other specified officer;

(b) the proper officer may recover or may require any other specified officer to recover the amount so payable by detaining and selling any goods belonging to such person which are under the control of the proper officer or such other specified officer;

(c)(i) the proper officer may, by a notice in writing, require any other person from whom money is due or may become due to such person or who holds or may subsequently hold money for or on account of such person, to pay to the Government either forthwith upon the money becoming due or being held, or within the time specified in the notice not being before the money becomes due or is held, so much of the money as is sufficient to pay the amount due from such person or the whole of the money when it is equal to or less than thatamount;

(ii) every person to whom the notice is issued under sub- clause (i) shall be bound to comply with such notice, and in particular, where any such notice is issued to a post office, banking company or an insurer, it shall not be necessary to produce any pass book, deposit receipt, policy or any other document for the purpose of any entry, endorsement or the like being made before payment is made, notwithstanding any rule, practice or requirement to the contrary;

(iii) in case the person to whom a notice under sub-clause (i) has been issued, fails to make the payment in pursuance there of to the Government, he shall be deemed to be a defaulter in respect of the amount specified in the notice and all the consequences of this Act or the rules made thereunder shall follow;

(iv) the officer issuing a notice under sub-clause (i) may, at any time, amend or revoke such notice or extend the time for making any payment in pursuance of the notice;

(v) any person making any payment in compliance with a notice issued under sub-clause (i) shall be deemed to have made the payment under the authority of the person in default and such payment being credited to the Government shall be deemed to constitute a good and sufficient discharge of the liability of such person to the person in default to the extent of the amount specified in the receipt;

(vi) any person discharging any liability to the person in default after service on him of the notice issued under sub- clause (i) shall be personally liable to the Government to the extent of the liability discharged or to the extent of the liability of the person in default for tax, interest and penalty, whichever is less;

(vii) where a person on whom a notice is served under sub- clause (i) proves to the satisfaction of the officer issuing the notice that the money demanded or any part thereof was not due to the person in default or that he did not hold any money for or on account of the person in default, at the time the notice was served on him, nor is the money demanded or any part thereof, likely to become due to the said person or be held for or on account of such person, nothing contained in this section shall be deemed to require the person on whom the notice has been served to pay to the Government any such money or

part thereof;

(d) the proper officer may, in accordance with the rules to be made in this behalf, distrain any movable or immovable property belonging to or under the control of such person, and detain the same until the amount payable is paid; and in case, any part ofthe said amount payable or of the cost of the distress or keeping of the property, remains unpaid for a period of thirty days next after any such distress, may cause the said property to be sold and with the proceeds of such sale, may satisfy the amount payable and the costs including cost of sale remaining unpaid and shall render the surplus amount, if any, to suchperson;

(e) the proper officer may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from such person and send it to the Collector of the district in which such person owns any property or resides or carries on his businesss or to any officer authorised by the Government and the said Collector or the said officer, on receipt of such certificate, shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue;

(f) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the proper officer may file an application to the appropriate Magistrate and such Magistrate shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were a fine imposed byhim.

(2) Where the terms of any bond or other instrument executed under this Act or any rules or regulations made thereunder provide that any amount due under such instrument may be recovered in the manner laid down in sub-section (1), the amount may, without prejudice to any other mode of recovery, be recovered in accordance with the provisions of that sub-section.

(3) Where any amount of tax, interest or penalty is payable by a person to the Government under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder and which remains unpaid, the proper officer of central tax, during the course of recovery of said tax arrears, may recover the amount from the said person as if it were an arrear of central tax and credit the amount so recovered to the account of the Government.

(4) Where the amount recovered under sub-section (3) is less than the amount due to the Central Government and State Government, the amount to be credited to the account of the respective Governments shall be in proportion to the amount due to each such Government.

80. ***Payment of tax and other amount in instalments.—***On an application filed by a taxable person, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, extend the time for payment or allow payment of any amount due under this Act, other than the amount due as per the liability self-assessed inany return, by such person in monthly instalments not exceeding twenty four, subject to payment of interest under section 50 and subject to such conditions and limitations as may beprescribed:

Provided that where there is default in payment of any one instalment on its due date, the whole outstanding balance payableon such date shall become due and payable forthwith and shall, without any further notice being served on the person, be liable for recovery.

81. ***Transfer of property to be void in certain cases.—***Where a person, after any amount has become due from him, creates a charge on or parts with the property belonging to him or in his possession by way of sale, mortgage, exchange, or any other mode of transfer whatsoever of any of his properties in favour of any other person with the intention of defrauding the Government revenue, such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of any tax or any other sum payable by the saidperson:

Provided that, such charge or transfer shall not be void if it is made for adequate consideration, in good faith and without notice of the pendency of such proceedings under this Act or without notice of such tax or other sum payable by the said person, or with the previous

permission of the proper officer.

82. ***Tax to be first charge on property.—***Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, any amount payable by a taxable person or any other person on account of tax, interest or penalty which he is liable to pay to the Government shall be a first charge on the property of such taxable person or such person.

83. ***Provisional attachment to protect revenue in certain cases.—***

(1) Where during the pendency of any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 67 or section 73 or section 74, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue, it is necessary so to do, he may, by order in writing attach provisionally any property, including bank account, belonging to the taxable person in such manner as may be prescribed.

(2) Every such provisional attachment shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of the order made under sub-section (1).

84. ***Continuation and validation of certain recovery proceedings.—***Where any notice of demand in respect of any tax, penalty, interest or any other amount payable under this Act, (hereafterin this section referred to as "Government dues"), is served upon any taxable person or any other person and any appeal or revision application is filed or any other proceedings is initiated in respect of such Government dues, then—

(a) where such Government dues are enhanced in such appeal, revision or other proceedings, the Commissioner shall serve upon the taxable person or any other person another notice of demand in respect of the amount by which such Government dues are enhanced and any recovery proceedings in relation to such Government dues as are covered by the notice of demand served upon him before the disposal of such appeal, revision or other proceedings may, without the service of any fresh notice of demand, be continued from the stage at which such proceedings stood immediately before suchdisposal;

(b) where such Government dues are reduced in such appeal, revision or in other proceedings—

(i) it shall not be necessary for the Commissioner to serve upon the taxable person a fresh notice of demand;

(ii) the Commissioner shall give intimation of such reduction to him and to the appropriate authority with whom recovery proceedings is pending;

(iii) any recovery proceedings initiated on the basis of the demand served upon him prior to the disposal of such appeal, revision or other proceedings may be continued in relation to the amount so reduced from the stage at which such proceedings stood immediately before such disposal.

CHAPTERXVI
LIABILITY TO PAY IN CERTAIN CASES

85. ***Liability in case of transfer of business.—***

(1) Where a taxable person, liable to pay tax under this Act, transfers his business in whole or in part, by sale, gift, lease, leave and license, hire or in any other manner whatsoever, the taxable person and the person to whom the business is so transferred shall, jointly and severally, be liable wholly or to the extent of such transfer, to pay the tax, interest or any penalty due from the taxable person upto the time of such transfer, whether such tax, interest or penalty has been determined before such transfer, but has remained unpaid or is determined thereafter.

(2) Where the transferee of a business referred to in sub-section (1) carries on such business either in his own name or in some other name, he shall be liable to pay tax on the supply of goods or services or both effected by him with effect from the date of such transfer and shall, if he is a registered person under this Act, apply within the prescribed time for amendment of his certificate of registration.

86. ***Liability of agent and principal.—***Where an agent supplies or receives any taxable goods on behalf of his principal, such agent and his principal shall, jointly and severally, be liable to pay the tax payable on such goods under this Act.

87. ***Liability in case of amalgamation or merger of companies.—***

(1) When two or more companies are amalgamated or merged in pursuance of an order of court or of Tribunal or otherwise and the order is to take effect from a date earlier to the date of the order and any two or more of such companies have supplied or received any goods or services or both to or from each other during the period commencing on the date from which the order takes effect till the date of the order, then such transactions of supply and receipt shall be included in the turnover of supply or receipt ofthe respective companies and they shall be liable to pay tax accordingly.

(2) Notwithstanding anything contained in the said order, for the purposes of this Act, the said two or more companies shall be treated as distinct companies for the period up to the date of the said order and the registration certificates of the said companies shall be cancelled with effect from the date of the saidorder.

88. ***Liability in case of company in liquidation.—***

(1) When any company is being wound up whether under the orders of a court or Tribunal or otherwise, every person appointed as receiver of any assets of a company (hereafter in this section referred to as the "liquidator"), shall, within thirty days after his appointment, give intimation of his appointment to the Commissioner.

(2) The Commissioner shall, after making such inquiry or calling for such information as he may deem fit, notify the liquidator within three months from the date on which he receives intimation of the appointment of the liquidator, the amount which in the opinion of the Commissioner would be sufficient to provide for any tax, interest or penalty which is then, or is likely thereafter to become, payable by the company.

(3) When any private company is wound up and any tax, interest or penalty determined under this Act on the company for any period, whether before or in the course of or after its liquidation, cannot be recovered, then every person who was a director of such company at any time during the period for which the tax was due shall, jointly and severally, be liable for the payment of such tax, interest or penalty, unless he proves to the satisfaction of the Commissioner that such non- recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on his part in relation to the affairs of thecompany.

89. ***Liability of directors of private company.—***

(1) Notwithstanding anything contained in the Companies Act, 2013, where any tax, interest or penalty due from a private company in respect of any supply of goods or services or both for any period cannot be recovered, then, every person who was a director of the private company during such period shall, jointly and severally, be liable for the payment of such tax, interest or penalty unless he proves that the non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on his part in relation to the affairs of the company.

(2) Where a private company is converted into a public company and the tax, interest or penalty in respect of any supply of goods or services or both for any period during which such company was a private company cannot be recovered before such conversion, then, nothing contained in sub-section (1) shall apply to any person who was a director of such private company in relation to any tax, interest or penalty in respect of such supply of goods or services or both of such private company:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any personal penalty imposed on such director.

90. ***Liability of partners of firm to pay tax.—***Notwithstanding any contract to the contrary and any other law for the time being in force, where any firm is liable to pay any tax, interest or penalty under this Act, the firm and each of the partners of the firm shall, jointly and severally, be liable forsuch payment:

Provided that where any partner retires from the firm, he or the firm, shall intimate the date of retirement of the said partner to the Commissioner by a notice in that behalf in writing and such partner shall be liable to pay tax, interest or penalty due upto the date of his retirement whether determined or not, on that date:

Provided further that if no such intimation is given within one month from the date of retirement, the liability of such partner under the first proviso shall continue until the date on which such intimation is received by the Commissioner.

91. Liability of guardians, trustees etc.— Where the business in respect of which any tax, interest or penalty ispayable under this Act is carried on by any guardian, trustee or agent of a minor or other incapacitated person on behalf of and for the benefit of such minor or other incapacitated person, the tax, interest or penalty shall be levied upon and recoverable from such guardian, trustee or agent in like manner and to the same extent as it would be determined and recoverable from any such minor or other incapacitated person, as if he were a major or capacitated person and as if he were conducting the business himself, and all the provisions of this Act or the rules made thereunder shall apply accordingly.

92. ***Liability of Courtof Wards, etc.—***Where the estate or any portion of the estate of a taxable person owning a business in respect of which any tax, interest or penalty is payable under this Act is under the control of the Court of Wards, the Administrator General, the Official Trustee or any receiver or manager (including any person, whatever be his designation, who in fact manages the business) appointed by or under any order of a court, the tax, interest or penalty shall be levied upon and be recoverable from such Court of Wards, Administrator General, Official Trustee, receiver or manager in like manner and to the same extent as it would be determined and be recoverable from the taxable person as if he were conducting the business himself, and all the provisions of this Act or the rules made thereunder shall apply accordingly.

93. ***Special provisions regarding liability to pay tax, interest or penalty in certain cases.—***

(1) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, where a person, liable to pay tax, interest or penalty under this Act, dies,then—

(a) if a business carried on by the person is continued afte rhis death by his legal representative or any other person, such legal representative or other person, shall be liable to pay tax, interest or penalty due from such person under this Act;and

(b) if the business carried on by the person is discontinued, whether before or after his death, his legal representative shall be liable to pay, out of the estate of the deceased, to the extent to which the estate is capable of meeting the charge, the tax, interest or penalty due from such person under this Act,

whether such tax, interest or penalty has been determined before his death but has remained unpaid or is determined after his death.

(2) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, where a taxable person, liable to pay tax, interest or penalty under this Act, is a Hindu Undivided Family or an association of persons and the property of the Hindu Undivided Family or the association of persons is partitioned amongst the various members or groups of members, then, each member or group of members shall, jointly and severally, be liable to pay the tax, interest or penalty due from the taxable person under this Act upto the time of the partition whether such tax, penalty or interest has been determined before partition but has remained unpaid or is determined after the partition.

(3) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, where a taxable person, liable to pay tax, interest or penalty under this Act, is a firm, and the firm is dissolved, then, every person who was a partner shall, jointly and severally, be liable to pay the tax, interest or penalty due from the firm under this Act upto the time of dissolution whether such tax, interest or penalty has been determined before the dissolution, but has remained unpaid or is determined after dissolution.

(4) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, where a taxable person liable to pay tax, interest or penalty under this Act,—

(a) is the guardian of a ward on whose behalf the business is carried on by the guardian; or

(b) is a trustee who carries on the business under a trust for a beneficiary, then, if the guardianship or trust is terminated, the ward or the beneficiary shall be liable to pay the tax, interest or penalty due from the taxable person upto the time of the termination of the guardianship or trust, whether such tax, interest or penalty has been determined before the termination of guardianship or trust but has remained unpaid or is determined thereafter.

94. ***Liability in other cases.—***

(1) Where a taxable person is a firm or an association of persons or a Hindu Undivided Family and such firm, association or family has discontinued business—

(a) the tax, interest or penalty payable under this Act by such firm, association or family upto the date of such discontinuance may be determined as if no such discontinuance had taken place; and

(b) every person who, at the time of such discontinuance, was a partner of such firm, or a member of such association or family, shall, notwithstanding such discontinuance, jointly and severally, be liable for the payment of tax and interest determined and penalty imposed and payable by such firm, association or family, whether such tax and interest has been determined or penalty imposed prior to or after such discontinuance and subject as aforesaid, the provisions of this Act shall, so far as may be, apply as if every such person or partner or member were himself a taxable person.

(2) Where a change has occurred in the constitution of a firm or an association of persons, the partners of the firm or members of association, as it existed before and as it exists after the reconstitution, shall, without prejudice to the provisions of section 90, jointly and severally, be liable to pay tax, interest or penalty due from such firm or association for any period before its

reconstitution.

(3) The provisions of sub-section (1) shall, so far as may be, apply where the taxable person, being a firm or association of persons is dissolved or where the taxable person, being a Hindu Undivided Family, has effected partition with respect to the business carried on by it and accordingly references in that sub-section to discontinuance shall be construed as reference to dissolution or to partition.

Explanation.—For the purposes of this Chapter,–

(i) a “Limited Liability Partnership” formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 shall also be considered as a firm;

(ii) “court” means the District Court, High Court or Supreme Court.

CHAPTER XVII
ADVANCE RULING

95. *Definitions.—* *In this Chapter, unless the context otherwise requires,—*

(a) “advance ruling” means a decision provided by the Authority or the Appellate Authority to an applicant on mattersor on questions specified in sub-section (2) of section 97 or sub- section (1) of section 100, in relation to the supply of goods or services or both being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant;

(b) "Appellate Authority" means the Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 99***;***

(c) “applicant” means any person registered or desirous of obtaining registration under this Act;

(d) “application” means an application made to theAuthority under sub-section (1) of section 97;

(e) “Authority” means the Authority for Advance Ruling, constituted under section 96.

96. Constitution of Authority for Advance Ruling.—

(1) The Government shall, by notification, constitute an Authority to be known as the Bihar Authority for Advance Ruling:

Provided that the Government may, on the recommendation of the Council, notify any Authority located in another State to act as the Authority for the State.

(2) The Authority shall consist of-

(i) One member from amongst the officers of central tax; and

(ii) one member from amongst the officers of State tax, to be appointed by the Central Government and the State Government respectively.

(3) The qualifications, the method of appointment of the members and the terms and conditions of their services shall be such as may be prescribed.

97. *Application for advance ruling.—*

(1) An applicant desirous of obtaining an advance ruling under this Chapter may make an application in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed, stating the question on which the advance ruling is sought.

(2) The question on which the advance ruling is sought under this Act, shall be in respect of, -

(a) classification of any goods or services or both;

(b) applicability of a notification issued under the provisions of this Act;

(c) determination of time and value of supply of goods or services or both;

(d) admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid;

(e) determination of the liability to pay tax on any goods or services or both;

(f) whether applicant is required to be registered;

(g) whether any particular thing done by the applicant with respect to any goods or services or both amounts to or results in a supply of goods or services or both, within the meaning of that term.

98. ***Procedure on receipt of application.—***

(1) On receipt of an application, the Authority shall cause a copy thereof to be forwarded to the concerned officer and, if necessary, call upon him to furnish the relevant records:

Provided that where any records have been called for by the Authority in any case, such records shall, as soon as possible, be returned to the said concerned officer.

(2) The Authority may, after examining the application and the records called for and after hearing the applicant or his authorised representative and the concerned officer or his authorised representative, by order, either admit or reject the application:

Provided that the Authority shall not admit the application wherethe question raised in the application is already pending or decided in any proceedings in the case of an applicant under any of the provisions of this Act:

Provided further that no application shall be rejected under this sub-section unless an opportunity of hearing has been given to the applicant:

Provided also that where the application is rejected, the reasons for such rejection shall be specified in the order.

(3) A copy of every order made under sub-section (2) shall be sent to the applicant and to the concerned officer.

(4) Where an application is admitted under sub-section (2), the Authority shall, after examining such further material as may be placed before it by the applicant or obtained by the Authority and after providing an opportunity of being heard to the applicant or his authorised representative as well as to the concerned officer or his authorised representative, pronounce its advance ruling on the question specified in the application.

(5) Where the members of the Authority differ on any question on which the advance ruling is sought, they shall state the point or points on which they differ and make a reference to the Appellate Authority for hearing and decision on such question.

(6) The Authority shall pronounce its advance ruling in writing within ninety days from the date of receipt of application.

(7) A copy of the advance ruling pronounced by the Authority duly signed by the members and certified in such manner as may be prescribed shall be sent to the applicant, the concerned officer and the jurisdictional officer after such pronouncement.

99. Constitution of Appellate Authority for Advance Ruling.—

(1) The Government shall, by notification, constitute an Authority to be known as Bihar Appellate Authority for Advance Ruling for Goods and Services Tax for hearing appeals against the advance ruling pronounced by the Advance RulingAuthority:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify any Appellate Authority located in another State or Union territory to act as the Appellate Authority for the State.

(2) The Appellate Authority shall consist of-

(i) the Chief Commissioner of central tax as designated by the Board;Band

(ii) the Commissioner of State tax having jurisdiction over theapplicant.

100. ***Appeal to the Appellate Authority.—***

(1) The concerned officer, the jurisdictional officer or an applicant aggrieved by any advance ruling pronounced under sub-section (4) of section 98, may appeal to the Appellate Authority.

(2) Every appeal under this section shall be filed within a period of thirty days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer, the jurisdictional officer and the applicant:

Provided that the Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said period of thirty days, allow it to be presented within a further period not exceeding thirty days.

(3) Every appeal under this section shall be in such form, accompanied by such fee and verified in such manner as may be prescribed.

101. ***Orders of Appellate Authority.—***

(1) The Appellate Authority may, after giving the parties to the appeal or reference an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the ruling appealed against or referred to.

(2) The order referred to in sub-section (1) shall be passed within a period of ninety days from the date of filing of the appeal under section 100 or a reference under sub-section (5) of section 98.

(3) Where the members of the Appellate Authority differ on any point or points referred to in appeal or reference, it shall be deemed that no advance ruling can be issued in respect of the question under the appeal or reference.

(4) A copy of the advance ruling pronounced by the Appellate Authority duly signed by the Members and certified in such manner as may be prescribed shall be sent to the applicant, the concerned officer, the jurisdictional officer and to the Authority after such pronouncement.

102. ***Rectification of advance ruling.—***The Authority or the Appellate Authority may amend any order passed by it under section98 or section101, so as to rectify any error apparent on the face of the record, if such error is noticed by the Authority or the Appellate Authority on its own accord, or is brought to its notice by the concerned officer, the jurisdictional officer, or the applicant or the appellant within a period of six months from the date of theorder:

Provided that no rectification which has the effect of enhancing the tax liability or reducing the amount of admissible input tax credit shall be made unless the applicant or the appellant has been given an opportunity of being heard.

103. ***Applicability of advance ruling.—***

(1) The advance ruling pronounced by the Authority orthe Appellate Authority under this Chapter shall be binding only-

(a) on the applicant who had sought it in respect of any matter referred to in sub-section (2) of section 97 for advance ruling;

(b) on the concerned officer or the jurisdictional officer in respect of the applicant.

(2) The advance ruling referred to in sub-section (1) shall be binding unless the law, facts or circumstances supporting the original advance ruling have changed.

104. ***Advance rulingto be void in certain circumstances.—***

(1) Where the Authority or the Appellate Authority findsthat advance ruling pronounced by it under sub-section (4) of section 98 or under sub-section (1) of section 101 has been obtained by the applicant or the appellant by fraud or suppression of material facts or misrepresentation of facts, it may, by order, declare such ruling to be void *ab-initio* and there upon all the provisions of this Act or the rules made thereunder shall apply to the applicant or the appellant as if such advance ruling had never beenmade:

Provided that no order shall be passed under this sub-section unless an opportunity of being heard has been given to the applicant or the appellant.

Explanation.—The period beginning with the date of such advance ruling and ending with the date of order under this sub- section shall be excluded while computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of section73 or sub-sections (2) and (10) of section 74.

(2) A copy of the order made under sub-section (1) shall be sent to the applicant, the concerned officer and the jurisdictional officer.

105. *Powers of Authority and Appellate Authority.—*

(1) The Authority or the Appellate Authority shall, for the purpose of exercising its powers regarding–

(a) discovery and inspection;

(b) enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(c) issuing commissions and compelling production of books of account and other records, have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908.

(2) The Authority or the Appellate Authority shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195, but not for the purposes of Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973, and every proceeding before the Authority or the Appellate Authority shall be deemed to be a judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228, and for the purpose of section 196 of the Indian Penal Code.

106. *Procedure of Authority and Appellate Authority.—*The Authority or the Appellate Authority shall, subject to the provisions of this Chapter, have power to regulate its own procedure.

CHAPTER–XVIII
APPEALS AND REVISION

107. *Appeals to Appellate Authority.—*

(1) Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act or the Central Goods and Services Tax Act by an adjudicating authority may appeal to such Appellate Authority as may be prescribed within three months from the date on which the said decision or order is communicated to suchperson.

(2) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any proceeding in which an adjudicating authority has passed any decision or order under this Act or the Central Goods and Services Tax Act, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said decision or order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Authority within six months from the date of communication of the said decision or order for the determination of such points arising out of the said decision or order as may be specified by the Commissioner in his order.

(3) Where, in pursuance of an order under sub-section (2), the authorised officer makes an application to the Appellate Authority, such application shall be dealt with by the Appellate Authority as if it were an appeal made against the decision or order of the adjudicating authority and such authorised officer were an appellant and the provisions of this Act relating to appeals shall apply to such application.

(4) The Appellate Authority may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months or six months, as the case may be, allow it to be presented within a further period of one month.

(5) Every appeal under this section shall be in such form and shall be verified in such manner as may be prescribed.

(6) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid–

(a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and

(b) a sum equal to ten percent. of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, in relation to which the appeal has been filed.

(7) Where the appellant has paid the amount under sub-section (6), the recovery proceedings for the balance amount shall be deemed to bestayed.

(8) The Appellate Authority shall give an opportunity to the appellant of being heard.

(9) The Appellate Authority may, if sufficient cause is shown at any stage of hearing of an appeal, grant time to the parties or any of them and adjourn the hearing of the appeal for reasons to be recorded inwriting:

Provided that no such adjournment shall be granted more than three times to a party during hearing of the appeal.

(10) The Appellate Authority may, at the time of hearing of an appeal, allow an appellant to add any ground of appeal not specified in the grounds of appeal, if it is satisfied that the omission of that ground from the grounds of appeal was not wilful or unreasonable.

(11) The Appellate Authority shall, after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as it thinks just and proper, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against but shall not refer the case back to the adjudicating authority that passed the said decision or order:

Provided that an order enhancing any fee or penaltyor fine in lieu of confiscation or confiscating goods of greater value or reducing the amount of refund or input tax credit shall not be passed unless the appellant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order:

Provided further that where the Appellate Authority is of the opinion that any tax has not been paid or short-paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, no order requiring the appellant to pay such tax or input tax credit shall be passed unless the appellant is given notice to show cause against the proposed order and the order is passed within the time limit specified under section 73 or section 74.

(12) The order of the Appellate Authority disposing of the appeal shall be in writing and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for such decision.

(13) The Appellate Authority shall, where it is possible to do so, hear and decide every appeal within a period of one year from the date on which it is filed:

Provided that where the issuance of order is stayed by an order of a court or Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of one year.

(14) On disposal of the appeal, the Appellate Authority shall communicate the order passed by it to the appellant, respondent and to the adjudicating authority.

(15) A copy of the order passed by the Appellate Authority shall also be sent to the Commissioner or the authority designated by him in this behalf and the jurisdictional Commissioner of central tax or an authority designated by him in this behalf.

(16) Every order passed under this section shall, subject to the provisions of section 108 or section 113 or section 117 or section 118 be final and binding on the parties.

108. ***Powers of Revisional Authority.—***

(1) Subject to the provisions of section 121 and any rules made thereunder, the Revisional Authority may, on his own motion, or upon information received by him or on request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any proceedings, and if he considers that any decision or order passed under this Act or under the Central Goods and Services Tax Act by any officer subordinate to him is erroneous in so far as it is prejudicial to the interest of

revenue and is illegal or improper or has not taken into account certain material facts, whether available at the time of issuance of the said order or not or in consequence of an observation by the Comptroller and Auditor General of India, he may, if necessary, stay the operation of such decision or order for such period as he deems fit and after giving the person concerned an opportunity of being heard and after making such further inquiry as may be necessary, passsuch order, as he thinks just and proper, including enhancing or modifying or annulling the said decision ororder.

(2) The Revisional Authority shall not exercise any power under sub-section (1),if—

(a) the order has been subject to an appeal under section 107 or section 112 or section 117 or section 118; or

(b) the period specified under sub-section (2) of section 107 has not yet expired or more than three years have expired after the passing of the decision or order sought to be revised; or

(c) the order has already been taken for revision under this section at an earlier stage; or

(d) the order has been passed in exercise of the powers under sub-section (1):

Provided that the Revisional Authority may pass an order under sub-section (1) on any point which has not been raised and decided in an appeal referred to in clause (a) of sub-section (2), before the expiry of a period of one year from the date of the order in such appeal or before the expiry of a period of three years referred to in clause (b) of that sub-section, whichever is later.

(3) Every order passed in revision under sub-section (1) shall, subject to the provisions of section 113 or section 117 or section 118, be final and binding on the parties.

(4) If the said decision or order involves an issue on which the Appellate Tribunal or the High Court has given its decision in some other proceedings and an appeal to the High Court or the Supreme Court against such decision of the Appellate Tribunal or the High Court is pending, the period spent between the date of the decision of the Appellate Tribunal and the date of the decision of the High Court or the date of the decision of the High Court and the date of the decision of the Supreme Court shall be excluded in computing the period of limitation referred to in clause (b) of sub-section (2) where proceedings for revision have been initiated by way of issue of a notice under this section.

(5) Where the issuance of an order under sub-section (1) is stayed by the order of a court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of limitation referred to in clause (b) of sub-section (2).

(6) For the purposes of this section, the term,—

(i) "record" shall include all records relating to any proceedings under this Act available at the time of examination by the Revisional Authority;

(ii) "decision" shall include intimation given by any officer lower in rank than the Revisional Authority.

109. ***Appellate Tribunal and Benches thereof.—***

(1) Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.

(2) The constitution and jurisdiction of the State Bench and the Area Benches located in the State shall be in accordance withthe provisions of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act or the rules madethereunder.

110. President andMembers of Appellate Tribunal, their qualification, appointment, conditions of service, etc.—The qualifications, appointment, salary and allowances, terms of office, resignation and removal of the President and Members of the State Bench and Area Benches shall be in accordance with the provisions of section 110 of the Central Goods and Services Tax Act.

111. ***Procedure before Appellate Tribunal.—***

(1) The Appellate Tribunal shall not, while disposing of any proceedings before it or an appeal before it, be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908, but shall be guided by the principles of natural justice and subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Appellate Tribunal shall have power to regulate its own procedure.

(2) The Appellate Tribunal shall, for the purposes of discharging its functions under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872, requisitioning any public record or documentor a copy of such record or document from anyoffice;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;

(f) dismissing a representation for default or deciding it *ex parte*;

(g) setting aside any order of dismissal of any representation for default or any order passed by it *ex parte*; and

(h) any other matter which may be prescribed.

(3) Any order made by the Appellate Tribunal may be enforced by it in the same manner as if it were a decree made by a court in a suit pending therein, and it shall be lawful for the Appellate Tribunal to send for execution of its orders to the court within the local limits of whose jurisdiction,—

(a) in the case of an order against a company, the registered office of the company is situated; or

(b) in the case of an order against any other person, the person concerned voluntarily resides or carries on business or personally works for gain.

(4) All proceedings before the Appellate Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228, and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code, and the Appellate Tribunal shall be deemed to be civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure,1973.

112. ***Appeals to Appellate Tribunal.—***

(1) Any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or section 108 of this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal.

(2) The Appellate Tribunal may, in its discretion, refuse to admit any such appeal where the tax or input tax credit involved or the difference in tax or input tax credit involved or the amount of fine, fee or penalty determined by such order, does not exceed fifty thousand rupees.

(3) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act

or under the Central Goods and Services Tax Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order.

(4) Where in pursuance of an order under sub-section (3) the authorised officer makes an application to the Appellate Tribunal, such application shall be dealt with by the Appellate Tribunal as if it were an appeal made against the order under sub-section (11) of section 107 or under sub- section (1) of section 108 and the provisions of this Act shall apply to such application, as they apply in relation to appeals filed under sub-section (1).

(5) On receipt of notice that an appeal has been preferred under this section, the party against whom the appeal has been preferred may, notwithstanding that he may not have appealed against such order or any part thereof, file, within forty five days of the receipt of notice, a memorandum of cross-objections, verified in the prescribed manner, against any part of the order appealed against and such memorandum shall be disposed of by the Appellate Tribunal, as if it were an appeal presented within the time specified in sub-section(1).

(6) The Appellate Tribunal may admit an appeal within three months after the expiry of the period referred to in sub- section (1), or permit the filing of a memorandum of cross- objections within forty five days after the expiry of the period referred to in sub-section (5), if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting it within that period.

(7) An appeal to the Appellate Tribunal shall be in such form, verified in such manner and shall be accompanied by such fee, as may be prescribed.

(8) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid–

(a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him, and

(b) a sum equal to twenty percent. Of the remaining amount of tax in dispute, in addition to the amount paid under sub-section (6) of the section107, arising from the said order, in relation to which the appeal has been filed.

(9) Where the appellant has paid the amount as per sub-section (8), the recovery proceedings for the balance amount shall be deemed to be stayed till the disposal of the appeal.

(10) Every application made before the Appellate Tribunal, —

(a) in an appeal for rectification of error or for any other purpose; or

(b) for restoration of an appeal or an application, shall be accompanied by such fees as may be prescribed.

113. ***Orders of Appellate Tribunal.—***

(1) The Appellate Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against or may refer the case back to the Appellate Authority, or the Revisional Authority or to the original adjudicating authority, with such directions as it may think fit, for a fresh adjudication or decision after taking additional evidence, if necessary.

(2) The Appellate Tribunal may, if sufficient cause is shown, at any stage of hearing of an appeal, grant time to the parties or any of them and adjourn the hearing of the appeal for reasons to be recorded inwriting:

Provided that no such adjournment shall be granted more than three times to a party during hearing of the appeal.

(3) The Appellate Tribunal may amend any order passed by it under sub-section (1) so as to rectify any error apparent on the face of the record, if such error is noticed by it on its own accord, or is brought to its notice by the Commissioner or the Commissioner of central tax or the other party to the appeal within a period of three months from the date of the order:

Provided that no amendment which has the effect of enhancing an assessment or reducing a refund or input tax credit or other wise increasing the liability of the other party, shall be made under this sub-section, unless the party has been given an opportunity of being heard.

(4) The Appellate Tribunal shall, as far as possible, hear and decide every appeal within a period of one year from the date on which it is filed.

(5) The Appellate Tribunal shall send a copy of every order passed under this section to the Appellate Authority or the Revisional Authority, or the original adjudicating authority, as the case may be, the appellant and the Commissioner or the jurisdictional Commissioner of central tax.

(6) Save as provided in section 117 or section 118, orders passed by the Appellate Tribunal on an appeal shall be final and binding on theparties.

114. ***Financial and administrative powers of State President.—***The State President shall exercise such financial and administrative powers over the State Bench and Area Benchesof the Appellate Tribunal in a State, as may beprescribed:

Provided that the State President shall have the authority to delegate such of his financial and administrative powers as he may think fit to any other Member or any officer of the State Bench or Area Benches, subject to the condition that such Member or officer shall, while exercising such delegated powers, continue to act under the direction, control and supervision of the State President.

115. Interest on refund of amount paid for admission of appeal.—Where an amount paid by the appellant under sub-section (6) of section 107 or sub-section (8) of section 112 is required to be refunded consequent to any order of the Appellate Authority or of the Appellate Tribunal, interest at the rate specified under section 56 shall be payable in respect of such refund from the date of payment of the amount till the date of refund of such amount.

116. ***Appearance by authorised representative.—***

(1) Any person who is entitled or required to appear before an officer appointed undert his Act, or the Appellate Authority or the Appellate Tribunal in connection with any proceedings under this Act, may, otherwise than when required under this Act to appear personally for examination on oath or affirmation, subject to the other provisions of this section, appear by an authorised representative.

(2) For the purposes of this Act, the expression "authorised representative "shall mean a person authorised by the person referred to in sub-section (1) to appear on his behalf, being—

(a) his relative or regular employee; or

(b) an advocate who is entitled to practice in any court in India, and who has not been debarred from practicing before any court in India; or

(c) any chartered accountant, a cost accountant or a company secretary, who holds a certificate of practice and who has not been debarred from practice; or

(d) a retired officer of the Commercial Tax Department of any State Government or Union territory or of the Board who, during his service under the Government, hadworked in a post not below the rank than that of a Group-B Gazetted officer for a period of not less than two years:

Provided that such officer shall not be entitled to appear before any proceedings under this Act for a period of one year from the date of his retirement or resignation; or

(e) any person who has been authorised to act as a goods and services tax practitioner on behalf of the concerned registered person.

(3) No person, —

(a) who has been dismissed or removed from Government service; or

(b) who is convicted of an offence connected with any proceedings under this Act, the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act, or under the existing law or under any of the Acts passed by a State Legislature dealing with the imposition of taxes on sale of goods or supply of goods or services or both; or

(c) who is found guilty of misconduct by the prescribed authority;

(d) who has been adjudged as an insolvent, shall be qualified to represent any person under sub-section (1)—

(i) for all times in case of persons referred to in clauses (a), (b) and (c); and

(ii) for the period during which the insolvency continues in the case of a person referred to in clause (d).

(4) Any person who has been disqualified under the provisions of the Central Goods and Services Tax Act or the Goods and Services Tax Act of any other State or the Union Territory Goods and Services Tax Act shall be deemed to be disqualified under this Act.

117. ***Appeal to High Court.—***

(1) Any person aggrieved by any order passed by the State Bench or Area Benches of the Appellate Tribunal may file an appeal to the High Court and the High Court may admit such appeal, if it is satisfied that the case involves a substantial question of law.

(2) An appeal under sub-section (1) shall be filed within a period of one hundred and eighty days from the date on which the order appealed against is received by the aggrieved person and it shall be in such form, verified in such manner as may be prescribed:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within such period.

(3) Where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question and the appeal shall be heard only on the question so formulated, and the respondents shall, at the hearing of the appeal, be allowed to argue that the case does not involve such question:

Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to take away or abridge the power of the court to hear, for reasons to be recorded, the appeal on any other substantial question of law not formulated by it, if it is satisfied that the case involves such question.

(4) The High Court shall decide the question of law so formulated and deliver such judgment thereon containing the grounds on which such decision is founded and may award such cost as it deemsfit.

(5) The High Court may determine any issue which–

(a) has not been determined by the State Bench or Area Benches; or

(b) has been wrongly determined by the State Bench or Area Benches, by reason of a decision on such question of law as herein referred to in sub-section (3).

(6) Where an appeal has been filed before the High Court, it shall be heard by a Bench of not less than two Judges of the High Court, and shall be decided in accordance with the opinion of such Judges or of the majority, if any, of such Judges.

(7) Where there is no such majority, the Judges shall state the point of law upon which they differ and the case shall, then, be heard upon that point only, by one or more of the other Judges of the High Court and such point shall be decided according to the opinion of the majority of the Judges who have heard the case including those who first heard it.

(8) Where the High Court delivers a judgment in an appeal filed before it under this section, effect shall be given to such judgment by either side on the basis of a certified copy of the judgment.

(9) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, relating to appeals to the High Court shall, as far as may be, apply in the case of appeals under this section.

118. ***Appeal to Supreme Court.—***

(1) An appeal shall lie to the SupremeCourt-

(a) from any order passed by the National Bench or Regional Benches of the Appellate Tribunal;or

(b) from any judgment or order passed by the High Court in an appeal made under section 117 in any case which, on its own motion or on an application made by or on behalf of the party aggrieved, immediately after passing of the judgment or order, the High Court certifies to be a fit one for appeal to the SupremeCourt.

(2) The provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, relating to appeals to the Supreme Court shall, so far as may be,apply in the case of appeals under this section as they apply in the case of appeals from decrees of a High Court.

(3) Where the judgment of the High Court is varied or reversed in the appeal, effect shall be given to the order of the Supreme Court in the manner provided in section 117 in the case of a judgment of the High Court.

119. ***Sums due to be paid notwithstanding appeal etc.—***Notwithstanding that an appeal has been preferred to the High Court or the Supreme Court, sums due to the Government as a result of an order passed by the National or Regional Benches of the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 113 or an order passed by the State Bench or Area Benches of the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 113 or an order passed by the High Court under section117, as the case may be, shall be payable in accordance with the order so passed.

120. ***Appeal not to be filed in certain cases.—***

(1) The Commissioner may, on the recommendations of the Council, from time to time, issue orders or instructions or directions fixing such monetary limits, as he may deem fit, for the purposes of regulating the filing of appeal or application by the officer of the State tax under the provisions of this Chapter.

(2) Where, in pursuance of the orders or instructions or directions issued under sub-section (1), the officer of the State tax has not filed an appeal or application against any decision or order passed under the provisions of this Act, it shall not preclude such officer of the State tax from filing appeal or application in any other case involving the same or similar issues or questions of law.

(3) Notwithstanding the fact that no appeal or application has been filed by the officer of the State tax pursuant to the orders or instructions or directions issued under sub-section (1), no person, being a party in appeal or application shall contend that the officer of the State tax has acquiesced in the decision on the disputed issue by not filing an appeal or application.

(4) The Appellate Tribunal or court hearing such appeal or application shall have regard to the circumstances under which appeal or application was not filed by the officer of the State tax in pursuance of the orders or instructions or directions issued under sub-section (1).

121. ***Non appealable decisions and orders.—***Notwithstanding anything to the contrary in any provisions of this Act, no appeal shall lie against any decision taken or order passed by an officer of State tax if such decision taken or order passed relates to any one or more of the following matters, namely:–

(a) an order of the Commissioner or other authority empowered to direct transfer of proceedings from one officer to another officer; or

(b) an order pertaining to the seizure or retention of books of account, register and other documents; or

(c) an order sanctioning prosecution under this Act; or

(d) an order passed under section 80.

CHAPTER XIX
OFFENCES AND PENALTIES

122. ***Penalty for certain offences.—***

(1) Where a taxable person who—

(i) supplies any goods or services or both without issue ofany invoice or issues an incorrect or false invoice with regard to any suchsupply;

(ii) issues any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(iii) collects any amount as tax but fails to pay the same tothe Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomesdue;

(iv) collects any tax in contravention of the provisions of this Act but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;

(v) fails to deduct the tax in accordance with the provisionsof sub-section (1) of section 51, or deducts an amount which is less than the amount required to be deducted under the said sub- section, or where he fails to pay to the Government under sub- section (2) thereof, the amount deducted astax;

(vi) fails to collect tax in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 52, or collects an amount which is less than the amount required to be collected under the said sub-section or where he fails to pay to the Government the amount collected as tax under sub-section (3) of section 52;

(vii) takes or utilizes input tax credit without actual receipt of goods or services or both either fully or partially, in contravention of the provisions of this Act or the rules made there under;

(viii) fraudulently obtains refund of tax under this Act;

(ix) takes or distributes input tax credit in contravention of section 20, or the rules made thereunder;

(x) falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information or return with an intention to evade payment of tax due under this Act;

(xi) is liable to be registered under this Act but fails to obtain registration;

(xii) furnishesanyfalseinformationwithregardtoregistration particulars, either at the time of applying for registration, or subsequently;

(xiii) obstructs or prevents any officer in discharge of his duties under this Act;

(xiv) transports any taxable goods without the cover of documents as may be specified in this behalf;

(xv) suppresses his turnover leading to evasion of tax under this Act;

(xvi) fails to keep, maintain or retain books of account and other documents in accordance with the provisions of this Act or the rules made

thereunder;

(xvii) fails to furnish information or documents called for by anofficerinaccordancewiththeprovisionsofthisActortherules made thereunder or furnishes false information or documents during any proceedings under thisAct;

(xviii) supplies, transports or stores any goods which he has reasons to believe are liable to confiscation under this Act;

(xix) issues any invoice or document by using the registration number of another registered person;

(xx) tampers with, or destroys any material evidence or documents;

(xxi) disposes off or tampers with any goods that have been detained, seized, or attached under this Act,

he shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees or an amount equivalent to the tax evaded or the tax not deducted under section51 or short deducted or deducted but not paid to the Government or tax not collected under section 52 or short collected or collected but not paid to the Government or input tax credit availed of or passed on or distributed irregularly, or the refund claimed fraudulently, whichever is higher.

(2) Any registered person who supplies any goods or services or both on which any tax has not been paid or short-paid or erroneously refunded, or where the input tax credit has been wrongly availed or utilized,-

(a) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be liable to a penalty of ten thousand rupees or ten per cent. of the tax due from such person, whichever is higher;

(b) for reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be liable to a penalty equal to ten thousand rupees or the tax due from such person, whichever is higher.

(3) Any person who—

(a) aids or abets any of the offences specified in clauses (i) to (xxi) of sub-section (1);

(b) acquires possession of, or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, or purchasing or in any other manner deals with any goods which he knows or has reasons to believe are liable to confiscation under this Act or the rules made thereunder;

(c) receives or is in any way concerned with the supply of, or in any other manner deals with any supply of services which he knows or has reasons to believe are in contravention of any provisions of this Act or the rules made thereunder;

(d) fails to appear before the officer of State tax, when issued with a summon for appearance to give evidence or produce a document in an inquiry;

(e) fails to issue invoice in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder or fails to account for an invoice in his books of account, shall be liable to a penalty which may extend to twenty five thous and rupees.

123. ***Penalty for failure to furnish information return.*****—**If a person who is required to furnish an information return under section 150 fails to do so within the period specified in the noticeissuedundersub-section(3)thereof,theproperofficermay direct, that such person shall be liable to pay a penalty of one hundredrupeesforeachdayoftheperiodduringwhichthefailure to furnish such returncontinues:

Provided that the penalty imposed under this section shall not exceed five thousand rupees.

124. ***Fine for failure to furnish statistics.*—**If any person required to furnish any information orreturn under section151,—

(a) without reasonable cause fails to furnish such information or return as may be required under that section, or

(b) wilfully furnishes or causes to furnish any information or return which he knows to be false,

he shall be punishable with a fine which may extend to ten thousand rupees and in case of acontinuing offence to a further fine which may extend to one hundred rupees for each day after the first day during which the offence continues subject to a maximum limit of twenty five thousand rupees.

125. ***General penalty.*—**Any person, who contravenes any of the provisions of this Act or any rules made thereunder for which no penalty is separately provided for in this Act, shall be liable to a penalty which may extend to twenty five thousand rupees.

126. ***General disciplines related to penalty*.—**

(1) No officer under this Act shall impose any penalty for minor breaches of tax regulations or procedural requirements and in particular, any omission or mistake in documentation which is easily rectifiable and made without fraudulent intent or gross negligence.

Explanation.—For the purpose of this sub-section,—

(a) a breach shall be considered a 'minor breach' if the amount of tax involved is less than five thousand rupees;

(b) an omission or mistake in documentation shall be considered to be easily rectifiable if the same is an error apparent on the face of record.

(2) The penalty imposed under this Act shall depend on the facts and circumstances of each case and shall commensurate with the degree and severity of the breach.

(3) No penalty shall be imposed on any person without giving him an opportunity of being heard.

(4) The officer under this Act shall while imposing penalty in an order for a breach of any law, regulation or procedural requirement, specify the nature of the breach and the applicable law, regulation or procedure under which the amount of penalty for the breach has been specified.

(5) When a person voluntarily discloses to an officer under this Act the circumstances of a breach of the tax law, regulation or procedural requirement prior to the discovery of the breach by the officer under this Act, the proper officer may consider this fact as a mitigating factor when quantifying a penalty for that person.

(6) The provisions of this section shall not apply in such cases where the penalty specified under this Act is either a fixed sum or expressed as a fixed percentage.

127. ***Power to impose penalty in certain cases.*—**Where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not covered under any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 73 or section 74 or section 129 or section 130, he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person.

128. ***Power to waive penalty or fee or both.*—**The Government may, by notification, waive in part or full, any penalty referred to in section 122 or section 123 or section 125 or any late fee referred to in section 47 for such class of taxpayers and under such mitigating circumstances as may be specified therein on the recommendations of the Council.

129. ***Detention, seizure and release of goods and conveyances in transit.*—**

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person transports any goods or stores any goods while they are in transit in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, all such goods and conveyance used as a means of transport for carrying the said goods and documents relating to such goods and conveyance shall be liable to detention or

seizure and after detention or seizure, shall be released,—

(a) on payment of the applicable tax and penalty equal to one hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two percent of the value of goods or twenty five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such tax and penalty;

(b) on payment of the applicable tax and penalty equal to the fifty per cent. of the value of the goods reduced by the taxamount paid thereon and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent of the value of goods or twenty five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such tax and penalty;

(c) upon furnishing a security equivalent to the amount payable under clause (a) or clause (b) in such form and manner as may be prescribed:

Provided that no such goods or conveyance shall be detained or seized without serving an order of detention or seizure on the person transporting the goods.

(2) The provisions of sub-section (6) of section 67 shall, *mutatis mutandis*, apply for detention and seizure of goods and conveyances.

(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyances shall issue a notice specifying the tax and penalty payable and thereafter, pass an order for payment of tax and penalty under clause (a) or clause (b) or clause (c).

(4) No tax, interest or penalty shall be determined under sub-section (3) without giving the person concerned an opportunity of being heard.

(5) On payment of amount referred in sub-section (1), all proceedings in respect of the notice specified in sub-section (3) shall be deemed to be concluded.

(6) Where the person transporting any goods or the owner of the goods fails to pay the amount of tax and penalty as provided in sub-section (1) within seven days of such detention or seizure, further proceedings shall be initiated in accordance with the provisions of section 130:

Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of seven days may be reduced by the proper officer.

130. ***Confiscation of goods or conveyances and levy of penalty.—***

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, ifany person–

(i) supplies or receives any goods in contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder with intent to evade payment of tax; or

(ii) does not account for any goods on which he is liable to pay tax under this Act; or

(iii) supplies any goods liable to tax under this Act without having applied for registration; or

(iv) contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder with intent to evade payment of tax; or

(v) uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder unless the owner of the conveyance proves that it was so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person in charge of the conveyance,

then, all such goods or conveyances shall be liable to confiscation and the person shall be liable to penalty under section 122.

(2) Whenever confiscation of any goods or conveyance is authorised by this Act, the officer adjudging it shall give to the owner of the goods an option to pay in lieu

of confiscation, such fine as the said officer thinks fit:

Provided that such fine leviable shall not exceed the market value of the goods confiscated, less the tax chargeable thereon:

Provided further that the aggregate of such fine and penalty leviable shall not be less than the amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129:

Provided also that where any such conveyance is used for the carriage of the goods or passengers for hire, the owner of the conveyance shall be given an option to pay in lieu of the confiscation of the conveyance a fine equal to the tax payable on the goods being transported thereon.

(3) Where any fine in lieu of confiscation of goods or conveyance is imposed under sub-section (2), the owner of such goods or conveyance or the person referred to in sub-section (1), shall, in addition, be liable to any tax, penalty and charges payable in respect of such goods or conveyance.

(4) No order for confiscation of goods or conveyance or for imposition of penalty shall be issued without giving the person an opportunity of being heard.

(5) Where any goods or conveyance are confiscated under this Act, the title of such goods or conveyance shall thereupon vest in the Government.

(6) The proper officer adjudging confiscation shall take and hold possession of the things confiscated and every officer of Police, on the requisition of such proper officer, shall assist him in taking and holding such possession.

(7) The proper officer may, after satisfying himself that the confiscated goods or conveyance are not required in any other proceedings under this Act and after giving reasonable time not exceeding three months to pay fine in lieu of confiscation, dispose of such goods or conveyance and deposit the sale proceeds thereof with the Government.

131. ***Confiscation or penalty not to interfere with other punishments.—***Without prejudice to the provisions contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, no confiscation made or penalty imposed under the provisions of this Act or the rules made thereunder shall prevent the infliction of any other punishmentto which the person affected thereby is liable under the provisions of this Act or under any other law for the time being inforce.

132. ***Punishment forcertain offences.—***

(1) Whoever commits any of the following offences, namely:—

(a) supplies any goods or services or both without issue of any invoice, in violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder, with the intention to evade tax;

(b) issues any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this Act, or the rules made thereunder leading to wrongful availment or utilisation of input tax credit or refund of tax;

(c) avails input tax credit using such invoice or bill referred to in clause (b);

(d) collects any amount as tax but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;

(e) evades tax, fraudulently avails input tax credit or fraudulently obtains refund and where such offence is not covered under clauses (a) to (d);

(f) falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information with an intention to evade payment of tax due under this Act;

(g) obstructs or prevents any officer in the discharge of his duties under this Act;

(h) acquires possession of, or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, purchasing or in any other manner deals with, any goods which he knows or has reasons

to believe are liable to confiscation under this Act or the rules made thereunder;

(i) receives or is in any way concerned with the supply of, or in any other manner deals with any supply of services which he knows or has reasons to believe are in contravention of any provisions of this Act or the rules made thereunder;

(j) tampers with or destroys any material evidence or documents;

(k) fails to supply any information which he is required to supply under this Act or the rules made thereunder or (unless with a reasonable belief, the burden of proving which shall be upon him, that the information supplied by him is true) supplies false information; or

(l) attempts to commit, or abets the commission of any of the offences mentioned in clauses (a) to (k) of this section,

shall be punishable—

(i) in cases where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds five hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to five years and withfine;

(ii) in cases where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds two hundred lakh rupees but does not exceed five hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to three years and withfine;

(iii) in the case of any other offence where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds one hundred lakh rupees but does not exceed two hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine;

(iv) in cases where he commits or abets the commission of an offence specified in clause (f) or clause (g) or clause (j), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

(2) Where any person convicted of an offence under this section is again convicted of an offence under this section, then, he shall be punishable for the second and for every subsequent offence with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine.

(3) The imprisonment referred to in clauses (i), (ii) and (iii) of sub- section (1) and sub-section (2) shall, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be recorded in the judgment of the Court, be for a term not less than six months.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, all offences under this Act, except the offences referred to in sub-section (5) shall be non-cognizable and bailable.

(5) The offences specified in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (1) and punishable under clause (i) of that sub-section shall be cognizable and non-bailable.

(6) A person shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Commissioner.

Explanation.- For the purposes of this section, the term "tax" shall include the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or refund wrongly taken under the provisions of this Act, the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act, and cess levied under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act.

133. ***Liability of officers and certainother persons.—***

(1) Where any person engaged in connection with the collection of statistics under section 151 or compilation or computerisation thereof or if any officer of State tax having access to information specified under sub-section (1) of section 150, or if any person engaged in connection with the provision of service on the common portal or the agent of common portal, wilfully discloses any information or the contents of any return furnished under this Actor rules made thereunder otherwise than in execution of his duties under the said sections or for the purposes of prosecution for an offence under this Act or under any other Act for the time being in force, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty five thousand rupees, or with both.

(2) Any person –

(a) who is a Government servant shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Government;

(b) who is not a Government servant shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Commissioner.

134. ***Cognizance of offences.—***No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or the rules made thereunder except with the previous sanction of the Commissioner, and no court inferior to that of a Magistrate of the First Class, shall try any suchoffence.

135. ***Presumption of culpable mental state.—***In any prosecution for an offence under this Act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the court shall presume the existence of such mental state but itshall be a defence for the accused to prove the fact that he had nosuch mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution.

Explanation.—For the purposes of this section,–

(i) the expression "culpable mental state" includes intention, motive, knowledge of a fact, and belief in, or reason to believe, a fact;

(ii) a fact is said to be proved only when the court believes it to exist beyond reasonable doubt and not merely when its existence is established by a preponderance of probability.

136. ***Relevancy of statements under certain circumstances.—***A statement made and signed by a person on appearance in response to any summons issued under section 70 during the course of any inquiry or proceedings under this Act shall be relevant, for the purpose of proving, in any prosecution for an offence under this Act, the truth of the facts which it contains,—

(a) whenthepersonwhomadethestatementisdeadorcannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or whose presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, the court considers unreasonable;or

(b) when the person who made the statement is examined as a witness in the case before the court and the court is of theopinion that, having regard to the circumstances of the case, the statement should be admitted in evidence in the interest ofjustice.

137. ***Offences by Companies.—***

(1) Where an offence committed by a person under this Act is a company, every person who, at the time the offence was committed was incharge of, and was responsible to, the company for the conduct of business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any negligence on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such

director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(3) Where an offence under this Act has been committed by a taxable person being a partnership firm or a Limited Liability Partnership or a Hindu Undivided Family or a trust, the partner or *karta* or managing trustee shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly and the provisions of sub- section (2) shall *mutatis mutandis* apply to such persons.

(4) Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

Explanation.—For the purposes of this section,–

(i) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(ii) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

138. *Compounding of offences.—*

(1) Any offence under this Act may, either before or after the institution of prosecution, be compounded by the Commissioner on payment, by the person accused of the offence, to the Central Government or the State Government, as the case may be, of such compounding amount in such manner as may be prescribed:

Provided that nothing contained in this section shall apply to –

(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f) of sub- section (1) of section 132 and the offences specified in clause (l) which are relatable to offences specified in clauses (a) to (f) of the said sub-section;

(b) a person who has been allowed to compound once in respect of any offence, other than those in clause (a), under this Act or under the provisions of any State Goods and Services Tax Act or the Central Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act in respect of supplies of value exceeding one crore rupees;

(c) a person who has been accused of committing an offence under this Act which is also an offence under any other law for the time being inforce;

(d) a person who has been convicted for an offence under this Act by a court;

(e) a person who has been accused of committing an offence specified in clause (g) or clause (j) or clause (k) of sub-section (1) of section 132;and

(f) any other class of persons or offences as may be prescribed:

Provided further that any compounding allowed under the provisions of this section shall not affect the proceedings, if any, instituted under any other law:

Provided also that compounding shall be allowed only after making payment of tax, interest and penalty involved in such offences.

(2) The amount for compounding of offences under this section shall be such as may be prescribed, subject to the minimum amount not being less than ten thousand rupees or fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher.

(3) On payment of such compounding amount as may be determined by the Commissioner, no further proceedings shall be initiated under this Act against the accused person in respect of the same offence and any criminal proceedings, if already initiated in respect of the said offence, shall stand abated.

CHAPTER XX
TRANSITIONAL PROVISIONS

139. ***Migration of existing taxpayers.—***

(1) On and from the appointed day, every person registeredunder any of the existing laws and having a valid Permanent Account Number shall be issued a certificate of registration on provisional basis, subject to such conditions and in such form and manner as may be prescribed, which unless replaced by a final certificate of registration under sub-section (2), shall be liable to be cancelled if the conditions so prescribed are not complied with.

(2) The final certificate of registration shall be granted in such form and manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(3) The certificate of registration issued to a person under sub- section (1) shall be deemed to have not been issued if the said registration is cancelled in pursuance of an application filed by such person that he was not liable to registration under section 22 or section 24.

140. ***Transitional arrangements for input tax credit.—***

(1) A registered person, other than a person opting to pay tax under section 10, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the amount of Value Added Tax, and EntryTax, if any, carried forward in the return relating to the period ending with the day immediately preceding the appointed day,furnished by him under the existing law in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to take credit in the following circumstances, namely: –

(i) where the said amount of credit is not admissible as inputtax credit under this Act;or

(ii) where he has not furnished all the returns required under the existing law for the period of six months immediately preceding the appointed date;or

(iii) where the said amount of credit relates to goods manufactured and cleared under such exemption notifications as are notified by the Government:

Provided further that so much of the said credit as is attributable to any claim related to section 3, sub-section (3) of section 5, section6, section 6A or sub-section (8) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 which is not substantiated in the manner, and within the period, prescribed in rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 shall not be eligible to be credited to the electronic creditledger:

Provided also that an amount equivalent to the credit specified in the second proviso shall be refunded under the existing law when the said claims are substantiated in the manner prescribed in rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules,1957.

(2) A registered person, other than a person opting to pay tax under section 10, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the unavailed input tax credit in respect of capital goods, not carried forward in a return, furnished under the existing law by him, for the period ending with the day immediately preceding the appointed day in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to take credit unless the said credit was admissible as input tax credit under the existing law and is also admissible as input tax credit under this Act.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "unavailed input tax credit" means the amount that remains after subtracting the amount of input tax credit already availed in respect of capital goods by the taxable person under the existing law from the aggregate amount of input tax credit to which the said person was entitled in respect of the said capital goods under the existing law.

(3) A registered person, who was not liable to be registered under the existing law or who was engaged in the sale of exempted goods or tax free goods, by

whatever name called, or goods which have suffered tax at the first point of their sale in the State and the subsequent sales of which are not subject to tax in the State under the existing law but which are liable to tax under this Act or where the person was entitled to the credit of input tax at the time of sale of goods, if any, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the value added tax and entry tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day subject to the following conditionsnamely:—

(i) such inputs or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under this Act;

(ii) the said registered person is eligible for input tax credit on such inputs under this Act;

(iii) the said registered person is in possession of invoice or other prescribed documents evidencing payment of tax under the existing law in respect of such inputs; and

(iv) such invoices or other prescribed documents were issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day:

Provided that where a registered person, other than a manufacturer or a supplier of services, is not in possession of an invoice or any other documents evidencing payment of tax in respect of inputs, then, such registered person shall, subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed, including that the said taxable person shall pass on the benefit of such credit by way of reduced prices to the recipient, be allowed to take credit at such rate and in such manner as may be prescribed.

(4) A registered person, who was engaged in the sale of taxable goods as well as exempted goods or tax free goods, by whatever name called, under the existing law but which are liable to tax under this Act, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger,-

(a) the amount of credit of the value added tax and entry tax, if any carried forward in a return furnished under the existing law by him in accordance with the provisions of sub-section (1);and

(b) the amount of credit of the value added tax and entry tax, if any, in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day, relating to such exempted goods or tax free goods, by whatever name called, in accordance with the provisions of sub-section(3).

(5) A registered person shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of value added tax and entry tax, if any, in respect of inputs received on or after the appointed day but the tax in respect of which has been paid by the supplier under the existing law, subject to the condition that the invoice or any other tax paying document of the same was recorded in the books of account of such person within a period of thirty days from the appointed day:

Provided that the period of thirty days may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding thirty days:

Provided further that the said registered person shall furnish a statement, in such manner as may be prescribed, in respect of credit that has been taken under this sub-section.

(6) A registered person, who was either paying tax at a fixed rate or paying a fixed amount in lieu of the tax payable under the existing law shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of value added tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day subject to the following conditions,namely:—

(i) such inputs or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under this Act;

(ii) the said registered person is not paying tax under section 10;

(iii) the said registered person is eligible for input tax credit on such inputs under this Act;

(iv) the said registered person is in possession of invoice or other prescribed documents evidencing payment of tax under the existing law in respect of inputs; and

(v) such invoices or other prescribed documents were issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day.

(7) The amount of credit under sub-sections (3), (4) and (6) shall be calculated in such manner as may be prescribed.

141. ***Transitional provisions relating to job work.—***

(1) Where any inputs received at a place of business had been despatched as such or despatched after being partially processed to a job worker for further processing, testing, repair, reconditioning or any other purpose in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such inputs are returned to the said place on or after the appointed day, no tax shall be payable if such inputs, after completion of the job work or otherwise, are returned to the said place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if such inputs are not returned within the period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of section 142.

(2) Where any semi-finished goods had been despatched from the place of business to any other premises for carrying out certain manufacturing processes in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such goods (hereafter in this sub-section referred to as "the said goods") are returned to the said place on or after the appointed day, no tax shall be payable if the said goods, after undergoing manufacturing processes or otherwise, are returned to the said place within six months from the appointedday:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if the said goods are not returned within a period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of section 142:

Provided also that the person despatching the goods may, in accordance with the provisions of the existing law, transfer the said goods to the premises of any registered person for the purpose of supplying therefrom on payment of tax in India or without payment of tax for exports within the period specified in thissub-section.

(3) Where any goods had been despatched from the place of business without payment of tax for carrying out tests or any other process, to any other premises, whether registered or not, in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such goods, are returned to the said place of business on or after the appointed day, no tax shall be payable if the said goods, after undergoing tests or any other process, are returned to such place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if the said goods are not returned within the period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of

clause (a) of sub-section (8) of section 142:

Provided also that the person despatching the goods may, in accordance with the provisions of the existing law, transfer the said goods from the said other premises on payment of tax in India or without payment of tax for exports within the period specified in this sub-section.

(4) The tax under sub-sections (1), (2) and (3) shall not be payable, only if the person despatching the goods and the job worker declare the details of the inputs or goods held in stock by the job worker on behalf of the said person on the appointed day in such form and manner and within such time as may beprescribed.

142. ***Miscellaneous transitional provisions.—***

(1) Where any goods on which tax, if any, had been paid under the existing law at the time of sale thereof, not being earlier than six months prior to the appointed day, are returned to any place of business on or after the appointed day, the registered person shall be eligible for refund of the tax paid under the existing law where such goods arereturned by a person, other than a registered person, to the said place of business within a period of six months from the appointed day and such goods are identifiable to the satisfaction of the proper officer:

Provided that if the said goods are returned by a registered person, the return of such goods shall be deemed to be a supply.

(2) (a) where, in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day, the price of any goods is revised upwards on or after the appointed day, the registered person who had sold such goods shall issue to the recipient a supplementary invoice or debit note, containing such particulars as may be prescribed, within thirty days of such price revision and for the purposes of this Act, such supplementary invoice or debit note shall be deemed to have been issued in respect of an outward supply made under this Act;

(b) where, in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day, the price of any goods is revised downwards on or after the appointed day, the registered person who had sold such goods may issue to the recipient a credit note, containing such particulars as may be prescribed, within thirty days of such price revision and for the purposes of this Act such credit note shall be deemed to have been issued in respect of an outward supply made under this Act:

Provided that the registered person shall be allowed to reduce his tax liability on account of issue of the credit note only if the recipient of the credit note has reduced his input tax credit corresponding to such reduction of tax liability.

(3) Every claim for refund filed by any person before, on or after the appointed day for refund of any amount of input tax credit, tax, interest or any other amount paid under the existing law, shall be disposed of in accordance with the provisions of existing law and any amount eventually accruing to him shall be refunded to him in cash in accordance with the provisions of the said law:

Provided that where any claim for refund of the amount of input tax credit is fully or partially rejected, the amount so rejected shall lapse:

Provided further that no refund shall be allowed of any amount of input tax credit where the balance of the said amount as on the appointed day has been carried forward under this Act.

(4) Every claim for refund filed after the appointed day for refund of any tax paid under the existing law in respect of the goods exported before or after the appointed day, shall be disposed of in accordance with the provisions of the existinglaw:

Provided that where any claim for refund of input tax credit is fully or partially rejected, the amount so rejected shall lapse:

Provided further that no refund shall be allowed of any amount of input tax credit where the balance of the said amount as on the appointed day has been carried forward under this Act.

(5) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, any amount of input tax credit reversed prior to the appointed day shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(6) (a) every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to a claim for input tax credit initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and any amount of credit found to be admissible to the claimant shall be refunded to him in cash in accordance with the provisions of the existing law, and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under thisAct:

Provided that no refund shall be allowed of any amount of input tax credit where the balance of the said amount as on the appointed day has been carried forward under this Act;

(b) every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to recovery of input tax credit initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and if any amount of credit becomes recoverable as a result of such appeal, revision, review or reference, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(7) (a) every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to any output tax liability initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law, shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and if any amount becomes recoverable as a result of such appeal, revision, review or reference, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(b) every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to any output tax liability initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law, shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and any amount found to be admissible to the claimant shall be refunded to him in cash in accordance with the provisions of the existing law and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under thisAct.

(8) (a) where in pursuance of an assessment or adjudication proceedings instituted, whether before, on or after the appointed day under the existing law, any amount of tax, interest, fine or penalty becomes recoverable from the person, the same shall, unless recovered under the existing law, be

recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under thisAct;

(b) where in pursuance of an assessment or adjudication proceedings instituted, whether before, on or after the appointed day under the existing law, any amount of tax, interest, fine or penalty becomes refundable to the taxable person, the same shall be refunded to him in cash under the said law, and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(9) (a) where any return, furnished under the existing law, is revised after the appointed day and if, pursuant to such revision, any amount is found to be recoverable or any amount of input tax credit is found to be inadmissible, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under thisAct;

(b) where any return, furnished under the existing law, is revised after the appointed day but within the time limit specified for such revision under the existing law and if, pursuant to such revision, any amount is found to be refundable or input tax credit is found to be admissible to any taxable person, the same shall be refunded to him in cash under the existing law, and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(10) Save as otherwise provided in this Chapter, the goods or services or both supplied on or after the appointed day in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day shall be liable to tax under the provisions of this Act.

(11)(a) notwithstanding anything contained in section 12, no tax shall be payable on goods under this Act to the extent the tax was leviable on the said goods under the Bihar Value Added Tax Act,2005;

(b) notwithstanding anything contained in section13, no tax shall be payable on services under this Act to the extent the tax was leviable on the said services under Chapter V of the Finance Act, 1994;

(c) where tax was paid on any supply, both under the BiharValue Added Tax Act, 2005 and under Chapter V of the Finance Act, 1994, tax shall be leviable under this Act and the taxable person shall be entitled to take credit of value added tax or service tax paid under the existing law to the extent of supplies made after the appointed day and such credit shall be calculated in such manner as may beprescribed.

(12) Where any goods sent on approval basis, not earlier than six months before the appointed day, are rejected or not approved by the buyer and returned to the seller on or after the appointed day, no tax shall be payable thereon if such goods are returned within six months from the appointed day:

Provided that the said period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that the tax shall be payable by the person returning the goods if such goods are liable to tax under this Act, and are returned after the period specified in this sub-section:

Provided also that tax shall be payable by the person who has sent the goods on approval basis if such goods are liable to tax under this Act, and are not returned within the period specified in thissub-section.

(13) Where a supplier has made any sale of goods in respect of which tax was required to be deducted at source under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 and has also issued an invoice for the same before the appointed day,

no deduction of tax at source under section 51 shall be made by the deductor under the said section where payment to the said supplier is made on or after the appointed day.

(14) Where any goods or capital goods belonging to the principal are lying at the premises of the agent on the appointed day, the agent shall be entitled to take credit of the tax paid on such goods or capital goods subject to fulfilment of the following conditions:

(i) the agent is a registered taxable person under this Act;

(ii) both the principal and the agent declare the details of stock of goods or capital goods lying with such agenton the day immediately preceding the appointed day in such
form and manner and within such time as may be prescribed in this behalf;

(iii) the invoices for such goods or capital goods hadbeen issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day;and

(iv) the principal has either reversed or not availed of the input tax credit in respect ofsuch,-

(a) goods; or

(b) capital goods or, having availed of such credit,has reversed the said credit, to the extent availed of by him.

Explanation.- For the purposes of this Chapter, the expression "capital goods" shall have the same meaning as assigned to it in the Bihar Value Added Tax Act, 2005.

CHAPTER XXI
MISCELLANEOUS

143. ***Job work procedure.—***

(1) A registered person (hereafter in this section referred toas the "principal") may, under intimation and subject to such conditions as may be prescribed, send any inputs or capital goods, without payment of tax, to a job worker for job work and from there subsequently send to another job worker and likewise, and shall,—

(a) bring back inputs, after completion of job work or otherwise, or capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, within one year and three years, respectively, of their being sent out, to any of his place of business, without payment of tax;

(b) supply such inputs, after completion of job work or otherwise, or capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, within one year and three years, respectively,of their being sent out from the place of business of a job worker on payment of tax within India, or with or without payment of tax for export, as the case maybe:

Provided that the principal shall not supply the goods from the place of business of a job worker in accordance with the provisions of this clause unless the said principal declares the place of business of the job worker as his additional place of business except in a case-

(i) where the job worker is registered under section 25; or

(ii) where the principal is engaged in the supply of such goods as may be notified by the Commissioner.

(2) The responsibility for keeping proper accounts for the inputs or capital goods shall lie with the principal.

(3) Where the inputs sent for job work are not received back by the principal after completion of job work or otherwise in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) or are not supplied from the place of business of the job worker in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (1) within a period of one year of their being sent out, it shall be deemed that such inputs had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs were sentout.

(4) Where the capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, sent for job work are not received back by the principal in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) or are not supplied from the place of business of the job worker in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (1) within a period of three years of their being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said capital goods were sent out.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), any waste and scrap generated during the job work may be supplied by the job worker directly from his place of business on payment of tax, if such job worker is registered, or by the principal, if the job worker is not registered.

Explanation. - For the purposes of job work, input includes intermediate goods arising from any treatment or process carried out on the inputs by the principal or the job worker.

144. ***Presumption as to documents in certain cases.—****Where any document-*

(i) is produced by any person under this Act or anyother lawfor the time being in force; or

(ii) has been seized from the custody or control of any person under this Act or any other law for the time being in force; or

(iii) has been received from any place outside India in the course of any proceedings under this Act or any other law for the time being inforce,

and such document is tendered by the prosecution in evidence against him or any other person who is tried jointly with him, the court shall--

(a) unless the contrary is proved by such person, presume—

(i) the truth of the contents of suchdocument;

(ii) that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person or which the court may reasonably assume to have been signed by, or to be in the handwriting of, any particular person, is in that person's hand writing, and in the case of a document executed or attested, that it was executed or attested by the person by whom it purports to have been so executed or attested;

(b) admit the document in evidence notwithstanding that it is not duly stamped, if such document is otherwise admissible in evidence.

145. ***Admissibility of micro films, facsimile copies of documents and computer printouts as documents and as evidence.—***

(1) Notwithstanding anything contained in any otherlawfor the time being in force,—

(a) a micro film of a document or the reproduction of the image or images embodied in such micro film (whether enlarged or not); or

(b) a facsimile copy of a document; or

(c) a statement contained in a document and included in a printed material produced by a computer, subject to such conditions as may be prescribed; or

(d) any information stored electronically in any device or media, including any hard copies made of such information,

shall be deemed to be a document for the purposes of this Act and the rules made thereunder and shall be admissible in any proceedings thereunder, without further proof or production of the original, as evidence of any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible.

(2) In any proceedings under this Act and or the rules made thereunder, where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate, —

(a) identifying the document containing the statement and describing the manner in which it was produced;

(b) giving such particulars of any device involved in the production of that document as may be appropriate for the purpose of showing that the document was produced by acomputer,

shall be evidence of any matter stated in the certificate and for the purposes of this sub-section it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and belief of the person statingit.

146. ***Common Portal.—***The Government may, on the recommendations of the Council, notify the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax, electronic way bill and for carrying out such other functions and for such purposes as may beprescribed.

147. ***Deemed Exports.—***The Government may, on the recommendations of the Council, notify certain supplies of goods as "deemed exports", where goods supplied do not leave India, and payment for such supplies is received either in Indian rupees or in convertible foreign exchange, if such goods are manufactured inIndia.

148. ***Special procedure for certain processes.—***The Government may, on the recommendations of the Council, and subject to such conditions and safeguards as may be prescribed, notify certain classes of registered persons, and the special procedures to be followed by such persons including those with regard to registration, furnishing of return, payment of tax and administration of such persons.

149. ***Goods andservices tax compliance rating.—***

(1) Every registered person may be assigned a goods andservices tax compliance rating score by the Government based on his record of compliance with the provisions of this Act.

(2) The goods and services tax compliance rating score may be determined on the basis of such parameters as may be prescribed.

(3) The goods and services tax compliance rating score may be updated at periodic intervals and intimated to the registered person and also placed in the public domain in such manner as may be prescribed.

150. ***Obligation to furnish information return.****(1) Any person,being—*

(a) a taxable person; or

(b) a local authority or other public body or association; or

(c) any authority of the State Government responsible for the collection of value added tax or sales tax or State excise duty or an authority of the Central Government responsible for the collection of excise duty or customs duty; or

(d) an income tax authority appointed under the provisions of the Income-tax Act, 1961; or

(e) a banking company within the meaning of clause (a) of section 45A of the Reserve Bank of India Act, 1934; or

(f) a State Electricity Board or an electricity distribution or transmission licensee under the Electricity Act, 2003, or any other entity entrusted with such functions by the Central Government or the State Government;or

(g) the Registrar or Sub-Registrar appointed under section 6 of the Registration Act, 1908; or

(h) a Registrar within the meaning of the Companies Act, 2013; or

(i) the registering authority empowered to register motor vehicles under the Motor Vehicles Act, 1988; or

(j) the Collector referred to in clause (c) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013;or

(k) the recognised stock exchange referred to in clause (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956; or

(l) a depository referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996; or

(m) an officer of the Reserve Bank of India as constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934; or

(n) the Goods and Services Tax Network, a company registered under the Companies Act, 2013; or

(o) a person to whom a Unique Identity Number has been granted under sub-section (9) of section 25; or

(p) any other person as may be specified, on the recommendations of the Council, by the Government,

Who is responsible for maintaining record of registration or statement of accounts or any periodic return or document containing details of payment of tax and other details of transaction of goods or services or both or transactions related to a bank account or consumption of electricity or transaction of purchase, sale or exchange of goods or property or right or interest in a property under any law for the time being in force, shall furnish an information return of the same in respect of such periods, within such time, in such form and manner and to such authority or agency as may be prescribed.

(2) Where the Commissioner, or an officer authorised by him in this behalf, considers that the information furnished in the information return is defective, he may intimate the defect to the person who has furnished such information return and give him an opportunity of rectifying the defect within a period of thirty days from the date of such intimation or within such further period which, on an application made in this behalf, the said authority may allow and if the defect is not rectified within the said period of thirty days or, the further period so allowed, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, such information return shall be treated as not furnished and the provisions of this Act shall apply.

(3) Where a person who is required to furnish information return has not furnished the same within the time specified in sub- section (1) or sub-section (2), the said authority may serve upon him a notice requiring furnishing of such information return within a period not exceeding ninety days from the date of service of the notice and such person shall furnish the informationreturn.

151. ***Power to collect statistics.—***

(1) The Commissioner may, if he considers that it is necessary so to do, by notification, direct that statistics may be collected relating to any matter dealt with by or in connection with this Act.

(2) Upon such notification being issued, the Commissioner, or any person authorised by him in this behalf, may call upon the concerned persons to furnish such information or returns, in such form and manner as may be prescribed, relating to any matter in respect of which statistics is to be collected.

152. ***Bar on disclosure of information.—***

(1) No information of any individual return or part thereof with respect to any matter given for the purposes of section 150 or section 151 shall, without the previous consent in writing of the concerned person or his authorised representative, be published in such manner so as to enable such particulars to be identified as referring to a particular person and no such information shall be used for the purpose of any proceedings under thisAct.

(2) Except for the purposes of prosecution under this Act or any other Act for the time being in force, no person who is not engaged in the collection of statistics

under this Act or compilation or computerisation thereof for the purposes of this Act, shall be permitted to see or have access to any information or any individual return referred to in section 151.

(3) Nothing in this section shall apply to the publication of any information relating to a class of taxable persons or class of transactions, if in the opinion of the Commissioner, it is desirable in the public interest to publish such information.

153. ***Taking assistance from an expert.—***Any officer not below the rank of Assistant Commissioner may, having regard to the nature and complexity of the case and the interest of revenue, take assistance of any expert at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other proceedings before him.

154. ***Power to take samples.—***The Commissioner or an officer authorised by him may take samples of goods from the possession of any taxable person, where he considers it necessary, and provide a receipt for any samples so taken.

155. ***Burden of Proof.—***Where any person claims that he is eligible for input tax credit under this Act, the burden of proving such claim shall lie on such person.

156. ***Persons deemed to be public servants.—***All persons discharging functions under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21of the Indian PenalCode.

157. ***Protection of action taken under this Act.—***

(1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the President, State President, Members, officers orother employees of the Appellate Tribunal or any other person authorised by the said Appellate Tribunal for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules madethereunder.

(2) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer appointed or authorised under this Act for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or the rules made thereunder.

158. ***Disclosure of information by a public servant.—***

(1) All particulars contained in any statement made, return furnished or accounts or documents produced in accordancewith this Act, or in any record of evidence given in the course of any proceedings under this Act (other than proceedings beforea criminal court), or in any record of any proceedings under this Act shall, save as provided in sub-section (3), not be disclosed.

(2) Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872, no court shall, save as otherwise provided in sub- section (3), require any officer appointed or authorised under this Act to produce before it or to give evidence before it in respect of particulars referred to in sub-section (1).

(3) Nothing contained in this section shall apply to the disclosure of,—

(a) any particulars in respect of any statement, return, accounts, documents, evidence, affidavit or deposition, for the purpose of any prosecution under the Indian Penal Code or the Prevention of Corruption Act, 1988, or any other law for the time being in force; or

(b) any particulars to the Central Government or the State Government or to any person acting in the implementation of this Act, for the purposes of carrying out the objects of this Act; or

(c) any particulars when such disclosure is occasioned by the lawful exercise under this Act of any process for the service of any notice or recovery of any demand; or

(d) any particulars to a civil court in any suit or proceedings, to which the Government or any authority under this Act is a party, which relates to any matter arising out of any proceedings under this Act or under any other law for the time being in force authorising any such authority to exercise any powersthereunder; or

(e) any particulars to any officer appointed for the purpose of audit of tax receipts or refunds of the tax imposed by this Act; or

(f) any particulars where such particulars are relevant for the purposes of any inquiry into the conduct of any officer appointed or authorised under this Act, to any person or persons appointed as an inquiry officer under any law for the time being in force; or

(g) any such particulars to an officer of the Central Government or of any State Government, as may be necessary for the purpose of enabling that Government to levy or realise any tax or duty; or

(h) any particulars when such disclosure is occasioned by the lawful exercise by a public servant or any other statutory authority, of his or its powers under any law for the time being in force;or

(i) any particulars relevant to any inquiry into a charge of misconduct in connection with any proceedings under this Act against a practising advocate, a tax practitioner, a practising cost accountant, a practising chartered accountant, a practising company secretary to the authority empowered to take disciplinary action against the members practising the profession of a legal practitioner, a cost accountant, a chartered accountant or a company secretary, as the case may be;or

(j) any particulars to any agency appointed for the purposesof data entry on any automated system or for the purpose of operating, upgrading or maintaining any automated systemwhere such agency is contractually bound not to use or disclose such particulars except for the aforesaid purposes;or

(k) any such particulars to an officer of the Government as may be necessary for the purposes of any other law for the time being in force;and

(l) any information relating to any class of taxable persons or class of transactions for publication, if, in the opinion of the Commissioner, it is desirable in the public interest, to publish such information.

159. ***Publication of information in respect of persons in certain cases.—***

(1) If the Commissioner, or any other officer authorised by him in this behalf, is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest to publish the name of any person and any other particulars relating to any proceedings or prosecution under this Act in respect of such person, it may cause to be published such name and particulars in such manner as it thinksfit.

(2) No publication under this section shall be made in relation to any penalty imposed under this Act until the time for presenting an appeal to the Appellate Authority under section 107 has expired without an appeal having been presented or the appeal, if presented, has been disposed of.

Explanation.—In the case of firm, company or other association of persons, the names of the partners of the firm, directors, managing agents, secretaries and treasurers or managers of the company, or the members of the association, as the case may be, may also be published if, in the opinion of the Commissioner, or any other officer authorised by him in this behalf, circumstances of the case justify it.

160. ***Assessment proceedings, etc. not to be invalid on certain grounds.—***

(1) No assessment, re-assessment, adjudication, review, revision, appeal, rectification, notice, summons or other proceedings done, accepted, made, issued, initiated, or purported to have been done, accepted, made, issued, initiated inpursuance of any of the provisions of this Act shall be invalid or deemed to be invalid merely by reason of any mistake, defect or omission therein, if such assessment, re-assessment, adjudication, review, revision, appeal, rectification, notice, summons or other proceedings are in substance and effect in conformity with or according to the intents, purposes and requirements of this Act or any existing law.

(2) The service of any notice, order or communication shall not be called in question, if the notice, order or communication, as the case may be, has already been acted upon by the person to whom it is issued or where such service has not been called in question at or in the earlier proceedings commenced, continued or finalised pursuant to such notice, order orcommunication.

161. ***Rectification of errors apparent on the face of record.—***Without prejudice to the provisions of section 160, and not with standing anything contained in any other provisions of this Act, any authority, who has passed or issued any decision or order or notice or certificate or any other document, may rectify any error which is apparent on the face of record in such decision or order or notice or certificate or any other document, either on its own motion or where such error is brought to its notice by any officer appointed under this Act or an officer appointed under the Central Goods and Services Tax Act or by the affected person within a period of three months from the date of issue of such decision or order or notice or certificate or any other document, as the case maybe:

Provided that no such rectification shall be done after a period of six months from the date of issue of such decision or order or notice or certificate or any other document:

Provided further that the said period of six months shall notapply in such cases where the rectification is purely in the nature of correction of a clerical or arithmetical error, arising from any accidental slip oromission:

Provided also that where such rectification adversely affects any

person, the principles of natural justice shall be followed by the authority carrying out such rectification.

162. ***Bar on jurisdiction of civil courts.—***Save as provided in sections 117 and 118, no civil court shall have jurisdiction to deal with or decide any question arising from or relating to anything done or purported to be done under this Act.

163. *Levy of fee.*—Wherever a copy of any order or document is to be provided to any person on an application made by him for that purpose, there shall be paid such fee as may be prescribed.

164. ***Power of Government to make rules.***—

(1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub- section (1), the Government may make rules for all or any of the matters which by this Act are required to be, or may be, prescribed or in respect of which provisions are to be or may be made by rules.

(3) The power to make rules conferred by this section shall include the power to give retrospective effect to the rules or any of them from a date not earlier than the date on which the provisions of this Act come into force.

(4) Any rules made under sub-section(1) or sub-section(2) may provide that a contravention thereof shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees.

165. ***Power to make regulations.—***The Government may, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act.

166. ***Laying of rules, regulations and notifications.***— Every rule made by the Government, every regulation made by the Government and every notification issued by the Government under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before the State Legislature, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the State Legislature agrees in making any modification in the rule or regulation or in the notification, as the case may be,or the State Legislature agrees that the rule or regulation or the notification should not be made, the rule or regulation or notification, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form

or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule orregulation or notification, as the case maybe.

167. ***Delegation of powers.—*** The Commissioner may, by notification, direct that subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, any power exercisable by any authority or officer under this Act may be exercisable also by another authority or officer as may be specified in such notification.

168. ***Power toissue instructions or directions.***—The Commissioner may, if he considers it necessary or expedient so to do for the purpose of uniformity in the implementation of this Act, issue such orders, instructions or directions to the State tax officers as it may deem fit, and thereupon all such officers and all other persons employed in the implementation of this Act shall observe and follow such orders, instructions or directions.

169. ***Service of notice in certain circumstances.—***

(1) Any decision, order, summons, notice or other communication under this Act or the rules made thereundershall be served by any one of the following methods,namely:--

(a) by giving or tendering it directly or by a messenger including a courier to the addressee or the taxable person or tohis manager or authorised representative or an advocate or a tax practitioner holding authority to appear in the proceedings on behalf of the taxable person or to a person regularly employed by him in connection with the business, or to any adult member of family residing with the taxable person;or

(b) by registered post or speed post or courier with acknowledgement due, to the person for whom it is intended or his authorised representative, if any, at his last known place of business or residence; or

(c) by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time; or

(d) by making it available on the common portal; or

(e) by publication in a newspaper circulating in the locality in which the taxable person or the person to whom it is issued is last known to have resided, carried on business or personally worked for gain; or

(f) if none of the modes aforesaid is practicable, by affixing it in some conspicuous place at his last known place of business or residence and if such mode is not practicable for any reason, then by affixing a copy thereof on the notice board of the office of the concerned officer or authority who or which passed suchdecision or order or issued such summons ornotice.

(2) Every decision, order, summons, notice or any communication shall be deemed to have been served on the date on which it is tendered or published or a copy thereof is affixed in the manner provided in sub-section (1).

(3) When such decision, order, summons, notice or any communication is sent by registered post or speed post, it shall be deemed to have been received by the addressee at the expiry of the period normally taken by such post in transit unless the contrary is proved.

170. ***Rounding off of tax etc.—***The amount of tax, interest, penalty, fine or any other sum payable, and the amount of refund or any other sum due, under the provisions of this Act shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise it shall beignored.

171. ***Anti-profiteering Measure.—***

(1) Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction inprices.

(2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

(3) The Authority referred to in sub-section (2) shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed.

172. *Removal of difficulties.—*

(1) If any difficulty arises in giving effect to any provisions of this Act, the Government may, on the recommendations ofthe Council, by a general or a special order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the rovisions of this Act or the rules or regulations made there under, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

173. *Repeal.—*

(1) Save as otherwise provided in this Act and subject to the provisions of section174, on and from the date of commencement of this Act,

(a) The Bihar Value Added Tax Act, 2005,except inrespect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution;

(b) the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale There in Act,1993;

(c) the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act,1988;

(d) the Bihar Entertainment Tax Act, 1948;and

(e) the Bihar Advertisement Tax Act,2007,

(here after referred to as the repealed Acts) are hereby repealed.

174. ***Saving.—***

(1) The repeal of the said Acts specified in section 173 to the extent mentioned in section 173 shall not—

(a) revive anything not in force or existing at the time of such repeal; or

(b) affect the previous operation of the repealed Acts and orders or anything duly done or suffered thereunder; or

(c) affect any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Acts or orders under such repealed Acts:

Provided that any tax exemption granted as an incentive against investment through a notification shall not continue as privilege if the said notification is rescinded on or after the appointed day; or

(d) affect any tax, surcharge, penalty, fine, interest as are due or may become due or any forfeiture or punishment incurred or inflicted in respect of any offence or violation committed against the provisions of the repealed Acts; or

(e) affect any investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudicationand any other legal proceedings or recovery of arrears or remedy in respect of any such tax, surcharge, penalty, fine, interest, right, privilege, obligation, liability, forfeiture or punishment, as aforesaid, and any such investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and other legal proceedings or recovery of arrears or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such tax, surcharge,

penalty, fine, interest, forfeiture or punishment may be levied or imposed as if these Acts had not been sorepealed;

(f) affect any proceedings including that relating to an appeal, revision, review or reference, instituted before, on or after the appointed day under the said repealed Acts and such proceedings shall be continued under the said repealed Acts as if this Act had not come into force and the said Acts had not been repealed.

(2) The mention of the particular matters referred to in section 173 and sub-section (1) shall not be held to prejudice or affect the general application of section 8 of the Bihar and Orissa General Clauses Act, 1917 with regard to the effect of repeal.

SCHEDULE I

[*See section 7*]

ACTIVITIES TO BE TREATED AS SUPPLY EVEN IF MADE WITHOUT CONSIDERATION

1. Permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been availed on suchassets.

2. Supply of goods or services or both between related persons or between distinct persons as specified in section 25, when made in the course or furtherance of business:

Provided that gifts not exceeding fifty thousand rupees in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both.

3. Supply ofgoods—

(a) by a principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal;or

(b) by an agent to his principal where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal.

4. Import of services by a taxable person from a related person or from any of his other establishments outside India, in the course or furtherance of business.

SCHEDULE II

[*See section* 7]

ACTIVITIES TO BE TREATED AS SUPPLY OF GOODS OR SUPPLY OF SERVICES

1. ***Transfer***

(a) any transfer of the title in goods is a supply ofgoods;

(b) any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof, is a supply of services;

(c) any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed, is a supply of goods.

2. ***Land and Building***

(a) any lease, tenancy, easement, licence to occupy land is a supply ofservices;

(b) any lease or letting out of the building including a commercial, industrial or residential complex for business or commerce, either wholly or partly, is a supply of services.

3. ***Treatment or process.—***Any treatment or process which is applied to another person's goods is a supply of services.

4. ***Transfer of business assets.—***

(a) where goods forming part of the assets of a business are transferred or disposed of by or under the directions of the person carrying on the business so as no longer to form part of those assets, whether or not for a consideration, such transfer or disposal is a supply of goods by the person;

(b) where, by or under the direction of a person carrying on a business, good sheld or used for the purposes of the business areput to any private use or are used, or made available to any person for use, for any purpose other than a purpose of the business, whether or not for a consideration, the usage or making available of such goods is a supply of services;

where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the assets of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person, unless—

(i) the business is transferred as a going concern to another person; or

(ii) the business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person.

5. ***Supply of services.—The following shall be treated as supply of service, namely:--***

(a) renting of immovable property;

(b) construction of a complex, building, civil structure or a part there of, including a complex or building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier.

Explanation.—For the purposes of this clause—

(1) the expression "competent authority" means the Government or any authority authorised to issue completion certificate under any law for the time being in force and in case of non-requirement of such certificate from such authority, from any of the following, namely:–

(i) an architect registered with the Council of Architecture constituted under the Architects Act, 1972;or

(ii) a chartered engineer registered with the Institution of Engineers (India);or

(iii) a licensed surveyor of the respective local body of the city or town or village or development or planningauthority;

(2) the expression "construction" includes additions, alterations, replacements or remodeling of any existing civil structure;

(c) temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any intellectual property right;

(d) development, design, programming, customisation, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of information technology software;

(e) agreeing to the obligation to refrain from an act, or to tolerate an act or a situation, or to do an act; and

(f) transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.

6. ***Composite supply—***The following composite supplies shall be treated as a supply of services, namely:—

(a) works contract as defined in clause (119) of section 2;and

(b) supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (other than alcoholic liquor for human consumption), where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration.

7. ***Supply of Goods***.— The following shall be treated as supply of goods, namely:--
Supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration.

SCHEDULE III

[*See section* 7]

ACTIVITIES OR TRANSACTIONS WHICH SHALL BE TREATED NEITHER AS A SUPPLY OF GOODS NOR A SUPPLY OF SERVICES

1. Services by an employee to the employer in the course of or in relation to hisemployment.

2. Services by any court or Tribunal established under any law for the time being inforce.

3. (a) the functions performed by the Members of Parliament, Members of State Legislature, Members of Panchayats, Members of Municipalities and Members of other local authorities;

(b) the duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the Constitution in that capacity;or

(c) the duties performed by any person as a Chairperson or a Member or a Director in a body established by the Central Government or a State Government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause.

4. Services of funeral, burial, crematorium or mortuary including transportation of the deceased.

5. Sale of land and, subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II, sale of building.

6. Actionable claims, other than lottery, betting and gambling.

Explanation.—For the purposes of paragraph 2, the term "court" includes District Court, High Court and Supreme Court.

By Order of the Governor of Bihar,
SURENDRA PRASAD SHARMA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 377-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण 1940 (श0)

(सं0 पटना 1039) पटना, सोमवार, 10 दिसम्बर 2018

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

10 दिसम्बर 2018

सं0 एल0जी0-01-12/2018/9749/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल **दिनांक 06 दिसम्बर**, 2018 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

[बिहार अधिनियम 14, 2018]

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**–(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2. **बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में,–**

(1) खंड (4) में, ''अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण'' शब्दों के स्थान पर ''अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(2) खंड (16) में, "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(3) खंड (17) में, उपखंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, यथाः–

''(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब की गतिविधियाँ, जिसमें योगक या अनुज्ञप्ति से बुकमेकर के रूप में ऐसे क्लब की गतिविधियाँ शामिल है, अथवा ऐसे क्लब में अनुज्ञप्तिधारी बुकमेकर की गतिविधियाँ ;और'';

(4) खंड (18) का लोप किया जाएगा ;

(5) खंड (35) में, ''खंड (ग)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर ''खंड (ख)'' शब्द कोष्ठक और अक्षर रखा जाएगा ;

(6) खंड (69) में, उपखंड (च) में ''अनुच्छेद 371'' शब्द और अंक के पश्चात् ''और अनुच्छेद 371ञ'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(7) खंड (102) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

'**स्पष्टीकरण**–शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ''सेवा'' पद में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या प्रबंध करना सम्मिलित है ;'।

3. **मूल अधिनियम की धारा 7 में संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 7 में, 1 जुलाई, 2017 से,–

(1) उपधारा (1) में,–

(क) खंड (ख) में, ''चाहे वह कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं;'' शब्दों के पश्चात्, ''और'' शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा ;

(ख) खंड (ग) में, ''क्रियाकलाप;'' शब्द के पश्चात्, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा ;

(ग) खंड (घ) का लोप किया जाएगा और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा ;

(2) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और सदैव अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थातः–

"(1क) जहां कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई पूर्ति हैं, उन्हें अनुसूची 2 में यथानिर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवा की पूर्ति माना जाएगा।'';

(3) उपधारा (3) में, ''उपधारा (1) और उपधारा (2)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

4. **मूल अधिनियम की धारा 9 में संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''(4) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्त्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे मानो वह माल या सेवा या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति है।''।

5. **मूल अधिनियम की धारा 10 में संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 10 में,–

(1) उपधारा (1) में,–

(क) ''उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर,'' शब्दों के स्थान पर, ''धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे :

(ख) परंतुक में, ''एक करोड़ रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक करोड़ पचास लाख रूपए'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः––

''परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, किसी राज्य में पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की सेवा (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रूपए, जो भी अधिक हो, की पूर्ति कर सकेगा।'';

(2) उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः–

''(क) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवा की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;''।

6. **मूल अधिनियम की धारा 12 में संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में, ''की उपधारा (1)'' शब्द कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।

7. **मूल अधिनियम की धारा 13 में संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, दोनों स्थानों पर आने वाले ''की उपधारा (2)'' के शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।

8. **मूल अधिनियम की धारा 16 में संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में,–

(1) खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थातः–

''**स्पष्टीकरण**–इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है–

(i) जहां माल का परिदान किसी प्रदायकर्त्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को,चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा कार्य कर रहा हो, माल के संचलन के पूर्व या दौरान, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा किया गया है,;

(ii) जहां सेवा का उपबंध प्रदायकर्त्ता द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर और उसके मद्दे किया जाता है।'';

(2) खंड (ग) में, "धारा 41" शब्द और अंक के स्थान पर, "धारा 41 या धारा 43क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

9. **मूल अधिनियम की धारा 17 में संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 17 में,–

(1) उपधारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

'स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''छूट–प्राप्त प्रदाय का मूल्य'' पद में अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।';

(2) उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(क) तेरह से अनधिक (चालक सहित) बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय प्रदाय करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :–

(अ) ऐसे मोटरयान की और प्रदाय ; या

(आ) यात्रियों का परिवहन ; या

(इ) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग–

(i) निम्नलिखित कराधेय प्रदाय करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :––

(अ) ऐसे जलयान और वायुयान का और प्रदाय ; या

(आ) यात्रियों का परिवहन ; या

(इ) ऐसे जलयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ; या

(ई) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(ii) माल के परिवहन के लिए ;

(कख) साधारण बीमा, मोटरयानों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां उनका संबंध खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है :

परंतु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा ––

(i) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है ;

(ii) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो–

(I) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है ; या

(II) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है :

(ख) माल या सेवा या दोनों का निम्नलिखित का प्रदाय–

(i) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान को किराया अथवा भाड़ा पर लिया जाना, सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक प्रदाय का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय समिश्र प्रदाय या मिश्रित प्रदाय के एक तत्व के रुप में किया जाता है ;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेट केन्द्र की सदस्यता ; और

(iii) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत, जैसे छुट्टियों पर कर्मचारियों को विस्तारित यात्रा फायदे :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो ।''।

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 20 में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) में, ''प्रविष्टि 84'' शब्दों और अंक के स्थान पर, ''प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

11. मूल अधिनियम की धारा 22 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 22 में, ––

(1) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्,निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

''परंतु यह और कि जहाँ ऐसा व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के किसी राज्य से जिसके संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट संकलित आवर्त्त को बढ़ाया गया है, माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करता है, रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी होगा, यदि एक वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त्त ऐसे वर्द्धित आवर्त के समतुल्य राशि से अधिक है।;'';

(2) स्पष्टीकरण में, खंड (iii) में, ''यथाविनिर्दिष्ट राज्य'' शब्दों के पश्चात् '',जम्मू–कश्मीर राज्य और अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य को छोड़कर,'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

12. मूल अधिनियम की धारा 24 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 24 के खंड (x) में ''वाणिज्य ऑपरेटर'' शब्दों के पश्चात् ''जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

13. मूल अधिनियम की धारा 25 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 25 में,–

(1) उपधारा (1) में, पहले परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु यह और कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में यथा परिभाषित किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास, विशेष आर्थिक जोन के बाहर परंतु राज्य के अन्दर उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न, विशेष आर्थिक जोन में कोई यूनिट है को, पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा।'';

(2) उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास किसी राज्य में कारबार के बहु स्थान हैं, वहां विहित की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।''।

14. मूल अधिनियम की धारा 29 में संशोधन।–मूल अधिनियम की धारा 29 में,––

(1) शीर्ष में, ''रद्दीकरण'' शब्द के पश्चात् ''या निलंबन'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के संबंध में फाइल की गई कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।'';

(3) उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।''।

15. मूल अधिनियम की धारा 34 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 34 में,––

(1) उपधारा (1) में,––

(क) ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' शब्दों के स्थान पर ''एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए है'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''जमा पत्र जारी'' शब्दों के स्थान पर ''किसी वित्तीय वर्ष में की गई प्रदायों के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी'' शब्द रखे जाएंगे;

(2) उपधारा (3) में,––

(क) ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' शब्दों के स्थान पर ''एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए है'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ''नामे पत्र'' शब्दों के स्थान पर ''किसी वित्तीय वर्ष में की गई प्रदायों के लिए एक या अधिक नामे पत्र जारी'' शब्द रखे जाएंगे।

16. मूल अधिनियम की धारा 35 में संशोधन।–मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

''परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकार को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकार के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन हैं।''।

17. मूल अधिनियम की धारा 39 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 39 में,––

(1) उपधारा (1) में,––

(क) ''ऐसे प्ररुप और रीति में, जो विहित की जाए'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे प्ररुप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के 20वें दिन या इससे पूर्व'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

''परंतु सरकार परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।'';

(2) उपधारा (7) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

''परंतु सरकार परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, ऐसी विवरणी के अनुसार, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सरकार को, शोध्य कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे।'';

(3) उपधारा (9) में,––

(क) ''उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे प्ररुप और रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''परंतुक में ''वित्तीय वर्ष की समाप्ति'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, की समाप्ति'' शब्द रखे जाएंगे।

18. मूल अधिनियम में नयी धारा 43क का अंतःस्थापन।–मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''43क. विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय के प्राप्यता के लिए प्रक्रिया।–

(1) धारा 16 की उपधारा (2), धारा 37 या धारा 38 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, प्रदायकर्त्ताओं द्वारा किए गए प्रदायों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उसमें उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उस प्रकार किया जाएगा, जो विहित किया जाए।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर प्रदायकर्त्ता द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

(4) ऐसे जावक प्रदायों जो उपधारा (3) के अधीन दाखिल नहीं किए गए हैं, के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की अधिकतम रकम, जो उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के 20 प्रतिशत से अनधिक हो, सम्मिलित हो सकेगी।

(5) ऐसी जावक प्रदायों में, जिसके लिए प्रदायकर्त्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, विनिर्दिष्ट कर की रकम को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रुप में माना जाएगा।

(6) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिनकी बावत विवरणी दाखिल नहीं की गयी है, के सम्बन्ध में कर या, यथास्थिति, लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के संदाय हेतु प्रदायकर्त्ता तथा प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः, दायी होंगे।

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलती से प्राप्त की गई एक हजार रूपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकेगा।

(8) (क) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर; या

(ख) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहाँ ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय की अंतिम तारीख से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है–

द्वारा उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, सुरक्षोपाय एवं कर राशि की अवसीमा वह होगी, जो विहित की जाए।''

19. मूल अधिनियम की धारा 48 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, ''प्रस्तुत करने के लिए'' शब्दों के पश्चात् ''और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए'' शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे।

20. मूल अधिनियम की धारा 49 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 49 में, ––

(1) उपधारा (2) में, ''धारा 41'' षब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 41 या धारा 43क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(2) उपधारा (5) में, ––

(क) खंड (ग) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

''परंतु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहाँ किया जाएगा, जहाँ केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है,'';

(ख) खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;–

''परंतु संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहाँ किया जाएगा, जहाँ केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;''।

21. मूल अधिनियम में नयी धारा 49क और 49ख का अंतःस्थापन।– मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

''**49क. कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग।**– धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी राज्य कर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर या राज्य कर के संदाय के मद्दे, केवल तब किया जाएगा, जब एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

49ख. इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का आदेश।– इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उपधारा (5) के खंड (ड.) और खंड (च) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद् की सिफारिशों से, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का, ऐसे कर के संदाय के मद्दे उपयोग किए जाने के क्रम और रीति को विहित कर सकेगी।''।

22. मूल अधिनियम की धारा 52 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (9) में, ''धारा 37'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 37 या धारा 39'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

23. मूल अधिनियम की धारा 54 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 54 में, ––

(1) उपधारा (8) के खंड (क) में ''शून्य दरवाले मालों या सेवाओं या दोनों'' शब्दों, के स्थान पर, ''निर्यात'' शब्द तथा ''शून्य दर वाले प्रदायों'' शब्दों के स्थान पर ''निर्यातों'' शब्द रखे जाएंगे।

(2) स्पष्टीकरण के खंड (2) में, –

(क) उपखंड (ग) की मद (i) में, ''विदेशी मुद्रा में'' शब्दों के पश्चात् ''या भारतीय रूपए में, जहाँ कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाए,'', शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपखंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(ड.) उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख;''।

24. मूल अधिनियम की धारा 79 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 79 में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

'**स्पष्टीकरण**– इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''व्यक्ति'' शब्द में, यथास्थिति, धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट ''विशिष्ट व्यक्ति'' सम्मिलित होंगे।'।

25. मूल अधिनियम की धारा 107 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के खंड (ख) में, ''बराबर राशि का'' शब्दों के पश्चात्,'', अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए,'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

26. मूल अधिनियम की धारा 112 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) के खंड (ख) में, ''बराबर राशि'' शब्दों के पश्चात्,'', अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अधीन रहते हुए, '' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

27. मूल अधिनियम की धारा 129 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (6) में, दो स्थलों पर अंकित ''सात दिन'' शब्दों के स्थान पर, ''चौदह दिन'' शब्द रखे जाएंगे।

28. मूल अधिनियम की धारा 143 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

''परंतु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जा सकेगा।''।

29. मूल अधिनियम की अनुसूची 1 में संशोधन।– मूल अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 4 में, ''कराधेय व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर ''व्यक्ति'' शब्द रखा जाएगा।

30. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन।– मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के शीर्षक में, ''क्रियाकलापों'' शब्द के पश्चात् ''या संव्यवहार'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

31. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन।– मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में, –

(1) पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

''7. भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर माल का, ऐसे माल का भारत में प्रवेश किए बिना, प्रदाय।

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल का प्रदाय।

(ख) परेषिति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को माल का, भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात् किंतु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व, माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल का प्रदाय।''

(2) स्पष्टीकरण को, ''स्पष्टीकरण 1'' के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

स्पष्टीकरण 2 – पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए, ''भांडागार में रखे गए माल'' पद का वही अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम, 52) में उसका है।''।

32. निरसन एवं व्यावृत्ति।– (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (बिहार अध्यादेश संख्या 1, 2018) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) व्यावृत्ति– (*i*) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 सभी प्रयोजनों हेतु इसके प्रभावी होने की तारीख के प्रभाव से सभी तात्विक समय से विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से, प्रवृत्त एवं सदैव प्रवत्त समझा जायेगा।

(*ii*) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन कृत कोई कार्रवाई अथवा किया गया कुछ भी या किए जाने के लिए तात्पार्यित कुछ भी या कोई अन्य कार्रवाई, कर निर्धारण, कर संग्रह, समायोजन, कर में कटौती या की गई गणना सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से की गई समझी जाएगी या किया गया समझा जाएगा एवं सदैव समझी जायेगी या समझा जाएगा मानों इस अध्यादेश द्वारा संशोधित अधिनियम सभी तात्विक समय में प्रवृत्त था तथा, तद्नुसार, कृत कोई कार्रवाई अथवा किया गया कुछ भी किये जाने के लिए तात्पार्यित कुछ भी या कोई कार्रवाई, कर निर्धारण, कर संग्रह, समायोजन, कर में कटौती या की गई गणना सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से की गई समझी जायेगी या किया गया समझा जाएगा एवं किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में किसी बात के होते हुए भी–

(क) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार में ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति के रूप में प्राप्त की गई अथवा भुगतायी गयी किसी राशि की वापसी हेतु कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई न तो प्रारम्भ की जायेगी, न चलायी जायेगी और न ही जारी रखी जायेगी;

(ख) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा प्राप्त या वसूले गए ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति की राशि की वापसी हेतु डिक्री अथवा आदेश का प्रवर्तन नहीं कराया जायेगा।

(ग) ऐसी सभी राशि की, जो बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के फलस्वरूप संग्रहित की जा सकती थी परन्तु जिनका संग्रहण नहीं किया गया हो, वसूली जा सकेगी।

(*iii*) शंकाओं के निराकरण हेतु एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप जो इस अध्यादेश के प्रवृत्त नहीं होने की दशा में दंडनीय नही होता, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

10 दिसम्बर 2018

सं0 एल0जी0-01-12/2018/9750/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक **6 दिसम्बर** 2018 को अनुमत **बिहार माल सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2018

[Bihar Act 14, 2018]

AN ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows :-

1. **Short title and commencement.-**(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. **Amendment of section 2.-** In section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act),—

(1) in clause (4), for the words "the Appellate Authority and the Appellate Tribunal", the words, brackets and figures "the Appellate Authority, the Appellate Tribunal and the Authority referred to in sub-section (2) of section 171" shall be substituted;

(2) in clause (16), for the words "Central Board of Excise and Customs", the words "Central Board of Indirect Taxes and Customs" shall be substituted;

(3) in clause (17), for sub-clause (h), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(h) activities of a race club including by way of totalisator or a license to book maker or activities of a licensed book maker in such club; and";

(4) clause (18) shall be omitted;

(5) in clause (35), for the word, brackets and letter "clause (c)", the word, brackets and letter "clause (b)" shall be substituted;

(6) in clause (69), in sub-clause (f), after the word and figures "article 371", the words, figures and letter "and article 371J" shall be inserted;

(7) in clause (102), the following Explanation shall be inserted, namely:—

'*Explanation*.—For the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression "services" includes facilitating or arranging transactions in securities;'.

3. **Amendment of section 7.-** In section 7 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,—

(1) in sub-section (1), —

(a) in clause (b), after the words "or furtherance of business;", the word "and" shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted;

(b) in clause (c), after the words "a consideration", the word "and" shall be omitted and shall always be deemed to have been omitted;

(c) clause (d) shall be omitted and shall always be deemed to have been omitted;

(2) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted, namely:—

"(1A) where certain activities or transactions, constitute a supply in accordance with the provisions of sub-section (1), they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II.";

(3) in sub-section (3), for the words, brackets and figures "sub-sections (1) and (2)", the words, brackets, figures and letter "sub-sections (1), (1A) and (2)" shall be substituted.

4. **Amendment of section 9.-** In section 9 of the principal Act, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(4) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify a class of registered persons who shall, in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both.".

5. **Amendment of section 10.-** In section 10 of the principal Act,-

(1) in sub-section (1) –

(a) for the words "in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate", the words, brackets and figures "in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate" shall be substituted;

(b) in the proviso, for the words "one crore rupees,as may be recommended by the Council." the words "one crore and fifty lakh rupeesas may be recommended by the Council." shall be substituted;

(c) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that a person who opts to pay tax under clause (a) or clause (b) or clause (c) may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II), of value not exceeding ten per cent. of turnover in the State in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher.";

(2) in sub-section (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) save as provided in sub-section (1), he is not engaged in the supply of services;".

6. **Amendment of section 12.-** In section 12 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (a), the words, brackets and figure "sub-section (1) of" shall be omitted.

7. **Amendment of section 13.-** In section 13 of the principal Act, in sub-section (2), the words, brackets and figure "sub-section (2) of" occurring at both the places, shall be omitted.

8. **Amendment of section 16.-** In section 16 of the principal Act, in sub-section (2),—

(1) in clause (b), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-

"*Explanation*.-For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or, as the case may be, services–

(i) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;

(ii) where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person.";

(2) in clause (c), for the word and figures "section 41", the words, figures and letter "section 41 or section 43A" shall be substituted.

9. **Amendment of section 17.-** In section 17 of the principal Act,—

(1) in sub-section (3), the following Explanation shall be inserted, namely:—

'*Explanation*.-For the purposes of this sub-section, the expression ''value of exempt supply'' shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III, except those specified in paragraph 5 of the said Schedule.';

(2) in sub-section (5), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than thirteen persons (including the driver), except when they are used for making the following taxable supplies, namely:-

(A) further supply of such motor vehicles; or

(B) transportation of passengers; or

(C) imparting training on driving such motor vehicles;

(aa) vessels and aircraft except when they are used—

(i) for making the following taxable supplies, namely:-

(A) further supply of such vessels or aircraft; or

(B) transportation of passengers; or

(C) imparting training on navigating such vessels; or

(D) imparting training on flying such aircraft;

(ii) for transportation of goods;

(ab) services of general insurance, servicing, repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa):

Provided that the input tax credit in respect of such services shall be available-

(i) where the motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) are used for the purposes specified therein;

(ii) where received by a taxable person engaged-

(I) in the manufacture of such motor vehicles, vessels or aircraft; or

(II) in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicles, vessels or aircraft insured by him;

(b) the following supply of goods or services or both-

(i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) except when used for the purposes specified therein, life insurance and health insurance:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;

(ii) membership of a club, health and fitness centre; and

(iii) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available, where it is obligatory for an employer to provide to its employees under any law for the time being in force.".

10. **Amendment of section 20.-** In section 20 of the principal Act, in the Explanation, in clause (c), for the words and figures "under entry 84,", the words, figures and letter "under entries 84 and 92A" shall be substituted.

11. **Amendment of section 22.-** In section 22 of the principal Act,—

(1) in sub-section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from a special category State in respect of which the Central Government has enhanced the aggregate turnover referred to in the first proviso, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds the amount equivalent to such enhanced turnover.";

(2) in the Explanation, in clause (iii), after the word "Constitution", the words "except the State of Jammu and Kashmir and States of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim and Uttarakhand" shall be inserted.".

12. **Amendment of section 24.-** In section 24 of the principal Act, in clause (x), after the words "commerce operator", the words and figures "who is required to collect tax at source under section 52" shall be inserted.

13. **Amendment of section 25.-** In section 25 of the principal Act,—

(1) in sub-section (1), after the proviso and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that a person having a unit, as defined in the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act. 28 of 2005), in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall have to apply for a separate registration, as distinct from his place of business located outside the Special Economic Zone in the State.";

(2) in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that a person having multiple places of business in the State may be granted a separate registration for each such place of business, subject to such conditions as may be prescribed.".

14. **Amendment of section 29.-** In section 29 of the principal Act,—

(1) in the heading after the word "Cancellation", the words "or suspension" shall be inserted;

(2) in sub-section (1), after clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner as may be prescribed.";

(3) in sub-section (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration, the proper officer may suspend the registration for such period and in such manner as may be prescribed.".

15. **Amendment of section 34.-** In section 34 of the principal Act,—

(1) in sub-section (1),—

(a) for the words "Where a tax invoice has", the words "Where one or more tax invoices have" shall be substituted;

(b) for the words "a credit note", the words "one or more credit notes for supplies made in a financial year" shall be substituted;

(2) in sub-section (3),—

(a) for the words "Where a tax invoice has", the words "Where one or more tax invoices have" shall be substituted;

(b) for the words "a debit note", the words "one or more debit notes for supplies made in a financial year" shall be substituted.

16. **Amendment of section 35.-** In section 35 of the principal Act, in sub-section (5), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.".

17. **Amendment of section 39.-** In section 39 of the principal Act,—

(1) in sub-section (1),—

(a) for the words "in such form and manner as may be prescribed,", the words "in such form, manner and within such time as may be prescribed," shall be substituted;

(b) the words "on or before the twentieth day of the month succeeding such calendar month or part thereof" shall be omitted;

(c) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall furnish return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein.";

(2) in sub-section (7), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall pay to the Government the tax due or part thereof as per the return on or before the last date on which he is required to furnish such return, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein.";

(3) in sub-section (9),—

(a) for the words "in the return to be furnished for the month or quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed", the words "in such form and manner as may be prescribed" shall be substituted;

(b) in the proviso, for the words "the end of the financial year", the words "the end of the financial year to which such details pertain" shall be substituted.

18. **Insertion of section 43A.-** After section 43 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"43A. Procedure for furnishing return and availing input tax credit.-

(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 16, section 37 or section 38, every registered person shall in the returns furnished under sub-section (1) of section 39 verify, validate, modify or delete the details of supplies furnished by the suppliers.

(2) Notwithstanding anything contained in section 41, section 42 or section 43, the procedure for availing of input tax credit by the recipient and verification thereof shall be such as may be prescribed.

(3) The procedure for furnishing the details of outward supplies by the supplier on the common portal, for the purposes of availing input tax credit by the recipient shall be such as may be prescribed.

(4) The procedure for availing input tax credit in respect of outward supplies not furnished under sub-section (3) shall be such as may be prescribed and such procedure may include the maximum amount of the input tax credit which can be so availed, not exceeding twenty per cent. of the input tax credit available, on the basis of details furnished by the suppliers under the said sub-section.

(5) The amount of tax specified in the outward supplies for which the details have been furnished by the supplier under sub-section (3) shall be deemed to be the tax payable by him under the provisions of the Act.

(6) The supplier and the recipient of a supply shall be jointly and severally liable to pay tax or to pay the input tax credit availed, as the case may be, in relation to outward supplies for which the details have been furnished under sub-section (3) or sub-section (4) but return thereof has not been furnished.

(7) For the purposes of sub-section (6), the recovery shall be made in such manner as may be prescribed and such procedure may provide for non-recovery of an amount of tax or input tax credit wrongly availed not exceeding one thousand rupees.

(8) The procedure, safeguards and threshold of the tax amount in relation to outward supplies, the details of which can be furnished under sub-section (3) by a registered person,-

(a) within six months of taking registration;

(b) who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for more than two months from the due date of payment of such defaulted amount,

shall be such as may be prescribed.".

19. **Amendment of section 48.-** In section 48 of the principal Act, in sub-section (2), after the word and figures "section 45", the words "and to perform such other functions" shall be inserted.

20. **Amendment of section 49.-** In section 49 of the principal Act,—

(1) in sub-section (2), for the word and figures "section 41", the words, figures and letter "section 41 or section 43A" shall be substituted;

(2) in sub-section (5),—

(a) in clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;";

(b) in clause (d), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the input tax credit on account of Union territory tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;".

21. **Insertion of section 49A and section49B.-** After section 49 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

"49A. Utilisation of input tax credit subject to certain conditions.- Notwithstanding anything contained in section 49, the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax or State tax, as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilised fully towards such payment.

49B. Order of utilisation of input tax credit.- Notwithstanding anything contained in this Chapter and subject to the provisions of clause (e) and clause (f) of sub-section (5) of section 49, the Government may, on the recommendations of the Council, prescribe the order and manner of utilisation of the input tax credit on account of integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, towards payment of any such tax.".

22. **Amendment of section 52.-** In section 52 of the principal Act, in sub-section (9), for the word and figures "section 37", the words and figures "section 37 or section 39" shall be substituted.

23. **Amendment of section 54.-** In section 54 of the principal Act,-

(1) in sub-section (8), in clause (a), for the words "zero-rated supplies", the words "export" and "exports" shall respectively be substituted;

(2) in the Explanation, in clause (2),—

(a) in sub-clause (c), in item (i), after the words "foreign exchange", the words "or in Indian rupees wherever permitted by the Reserve Bank of India" shall be inserted;

(b) for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3), the due date for furnishing of return under section 39 for the period in which such claim for refund arises;".

24. **Amendment of section 79.-** In section 79 of the principal Act, after sub-section (4), the following Explanation shall be inserted, namely:-

'Explanation.—For the purposes of this section, the word person shall include "distinct persons" as referred to in sub-section (4) or, as the case may be, sub-section (5) of section 25.'.

25. **Amendment of section 107.-** In section 107 of the principal Act, in sub-section (6), in clause (b), after the words "arising from the said order,", the words "subject to a maximum of twenty-five crore rupees," shall be inserted.

26. Amendment of section 112.- In section 112 of the principal Act, in sub-section (8), in clause (b), after the words "arising from the said order," the words "subject to a maximum of fifty crore rupees," shall be inserted.

27. **Amendment of section 129.-** In section 129 of the principal Act, in sub-section (6), for the words "seven days", occurring at both the places, the words "fourteen days" shall be substituted.

28. **Amendment of section 143.-** In section 143 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the period of one year and three years may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding one year and two years respectively.".

29.Amendment of Schedule I.- In Schedule I of the principal Act, in paragraph 4, for the words "taxable person", the word "person" shall be substituted.

30.Amendment of Schedule II.- In Schedule II of the principal Act, in the heading, after the word "activities", the words "or transactions" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017.

31. **Amendment of Schedule III.-** In Schedule III of the principal Act, –

(1) after paragraph 6, the following paragraphs shall be inserted, namely:—

"7. Supply of goods from a place outside India to another place outside India without such goods entering into India.

8. (a) Supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption;

(b) Supply of goods by the consignee to any other person, by endorsement of documents of title to the goods, after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption.";

(2) The Explanation shall be numbered as Explanation 1 and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation 2.—For the purposes of paragraph 8, the expression "warehoused goods" shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962(Central Act 52 of 1962).".

32. **Repeal and Saving –** (1) Save as otherwise provided in this Act, on and from the date of commencement of this Act, the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2018 (Bihar Ordinance No. 1, 2018) is hereby repealed.

(2) **Saving.**—(i) Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2018 shall be deemed to be in force and always be in force, for all purposes, validly and effectively for all material times with effect from the date of being effective.

(ii) Notwithstanding such repeal any assessment, collection, adjustment, reduction or computation made or any other action taken or anything done or purported to have been taken or done under the powers conferred by or under the said ordinance shall be deemed to be taken or done and always be taken or done, for all purposes, validly and effectively, assessed, collected, adjusted, reduced, computed or taken or done as if the said Act, as amended by this ordinance, had been in force for all material times and, notwithstanding anything contained in any judgment, decree, or order of any Court, or Tribunal or other Authority:-

(a) no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any Court or Tribunal or other Authority for the refund of any amount received or paid as such tax, interest or penalty;

(b) no Court, Tribunal or other Authority shall enforce any decree or order directing the refund of any amount received or paid as such tax, interest or penalty;

(c) recoveries may be made, in accordance with the provisions of Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2018 of all amounts which could have been collected as tax under the said Ordinance but which had not been collected.

(iii) For the removal of doubts, it is hereby declared that no act or omission on the part of any person shall be punishable as an offence which would not have been so punishable if this Ordinance had not come into force.

By order of the Governor of Bihar,
AKHILESH KUMAR JAIN,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1039-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 अग्रहायण 1941 (श0)
(सं0 पटना 1329) पटना, बृहस्पतिवार, 12 दिसम्बर 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

12 दिसम्बर 2019

सं० एल०जी०–01–16/2019–8872/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 10 दिसम्बर 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 21, 2019]

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**–(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 में संशोधन,।**– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''**मूल अधिनियम**'' कहा गया है) की धारा 2 के खंड (4) में, "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी," शब्दों के पश्चात्, "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," शब्द रखे जाएंगे।

3. **मूल अधिनियम की धारा 10 में संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 10 में, –

(क) उपधारा (1) में दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"**स्पष्टीकरण** –दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदशित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।",

(ख) उपधारा (2) में, –

(i) खंड (घ) के अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ङ.) में "अधिसूचित किया जाए"; शब्दों के स्थान पर, "अधिसूचित किया जाए; और" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ङ.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,–

(क) किसी ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर लगाने योग्य नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ.) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय–कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।" :

(घ) उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ.) उपधारा (4) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(छ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण 1**– इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके संकलित आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, "संकलित

आवर्त" पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2 – इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, "राज्य में आवर्त" में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात् :–

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 22 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, बीस लाख रुपए के संकलित आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाए।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 25 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा :

परंतु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आवंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां ऐसे व्यष्टि को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गो द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गों या राज्य के किसी ऐसे भाग पर लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधार संख्यांक" पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसका है।"।

6. मूल अधिनियम में नई धारा 31क का अंतःस्थापन।– मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"**31क. प्राप्तिकर्त्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा**— सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।"।

7. **मूल अधिनियम की धारा 39 में संशोधन।**— मूल अधिनियम की धारा 39 में,— (क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, राज्य में आवर्त, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा।";

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस तारीख से पूर्व करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है :

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, राज्य में आवर्त, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।"।

8. **मूल अधिनियम की धारा 44 में संशोधन।**— मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय—सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय—सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"।

9. **मूल अधिनियम की धारा 49 में संशोधन।**— मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर या उपकर संबंधी इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।"।

10. **मूल अधिनियम की धारा 50 में संशोधन।**— मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा

74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है।"।

11. मूल अधिनियम की धारा 52 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 52 में,–

(क) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"।

(ख) उपधारा (5) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"।

12. मूल अधिनियम में नई धारा 53क का अंतःस्थापन।– मूल अधिनियम अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"**53क. कतिपय रकमों का अंतरण–** जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से केन्द्रीय कर या एकीकृत कर या उपकर के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार केन्द्रीय कर या एकीकृत कर या उपकर खाते को, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम का ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी"।

13. मूल अधिनियम की धारा 54 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 54 में उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा दिनांक 01 सितम्बर, 2019 के प्रभाव से अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(8क) जहां केन्द्र सरकार ने राज्य कर के रिफंड को वितरित कर दिया है, सरकार रिफंड की गयी धनराशि के बराबर राशि केन्द्र सरकार को हस्तांतरित करेगी।"।

14. मूल अधिनियम की धारा 95 में संशोधन।–मूल अधिनियम की धारा 95 में, –

(i) खंड (क) में,–

(क) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "धारा 100 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101ग" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(च) 'राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण' से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।"।

15. मूल अधिनियम में नई धारा 101क, धारा 101ख और धारा 101ग का अंतःस्थापन।– मूल अधिनियम अधिनियम की धारा 101 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"**101क. राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन–** इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जायेगा।

101ख. राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील–

(1) जहां धारा 97 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में, धारा 99 के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण और किसी अन्य राज्य या राज्यों या किसी केन्द्र शासित प्रदेश या केन्द्र शासित प्रदेशों या दोनों के अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (3) के अधीन विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिये जाते हैं, वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, जो धारा 25 में यथाविर्निदिष्ट सुभिन्न व्यक्ति है और जो ऐसे अग्रिम विनिर्णय से व्यथित है तो वह राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, आवेदकों, संबंधित अधिकारियों और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किया गया है, तीस दिन की अवधि के भीतर फाईल की जाएगी :

परन्तु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को संसूचित किया गया है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर फाइल कर सकेगा :

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

स्पष्टीकरण— शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति तीस दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिसको अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय को, जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, संसूचित किया गया था।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी, उसके साथ ऐसी फीस होगी और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा, जो विहित की जाए।

101ग. राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का आदेश—

(1) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त तथा सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त और आयुक्त और सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस विनिर्णय को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित करने वाला ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) यदि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर भिन्न राय है, तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से यथासंभव रूप से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अवधारित किया जाएगा।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाएगा, जो विहित की जाए, और उसे सुनाए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड, सभी राज्यों के राज्य कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त को और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को भेजा जाएगा।''।

16. मूल अधिनियम की धारा 102 में संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 102 में,—

(क) ''अपील प्राधिकरण'' शब्दों के पश्चात् दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगेः

(ख) "धारा 98 या धारा 101" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "यथास्थिति, धारा 98 या धारा 101 या धारा 101ग" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) "या अपीलार्थी" शब्दों के स्थान पर " ,अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएगें।

17. मूल अधिनियम की धारा 103 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 103 में,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा—

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वही स्थायी खाता संख्यांक है (आय—कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया);

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका आय—कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया समान स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी।";

(ii) उपधारा (2) में "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

18. मूल अधिनियम की धारा 104 में संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 104 में, उपधारा (1) में, —

(क) "प्राधिकारण या अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात् "या धारा 101ग के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

19. मूल अधिनियम की धारा 105 में संशोधन।— मूल अधिनियम की की धारा 105 में,—

(क) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां";

(ख) उपधारा (1) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

20. मूल अधिनियम की धारा 106 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 106 में, –

(क) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :–

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया";

(ख) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

21. मूल अधिनियम की धारा 171 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "मुनाफाखोरी" पद से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरुपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है।"।

22. मूल अधिनियम की धारा 174 में संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 174 में, 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (1क) अंतःस्थापित की जायेगी और हमेशा अंतःस्थापित की हुई समझी जाएगी–

''(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी –

(क) उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रावधान वाणिज्य–कर विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस०ओ० 391, दिनांक 10 नवम्बर, 2011 पर लागू नहीं होंगे, और

(ख) वाणिज्य–कर विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस०ओ० 391, दिनांक 10 नवम्बर, 2011 की वैधता दिनांक 30 जून, 2017 तक विस्तारित की जाती है।''

23. बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं० 545 का भूतलक्षी रूप से संशोधन।– (1) बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या 02/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या– 545, दिनांक 29 जून 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, की अनुसूची में क्रम सं. 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रुप से अंतःस्थापित की हुई समझी जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3
"103क	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र"।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सरकार के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रुप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो सरकार के पास उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रुप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।

(3) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संग्रहित किया गया है, किंतु जो संग्रहित नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

12 दिसम्बर 2019

सं० एल०जी०–01–16/2019–8873/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2019 को अनुमत **बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 21, 2019]

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2019

AN ACT

further to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019.

(2) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 2.- In section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause *(4)*, after the words "the Appellate Authority for Advance Ruling,", the words "the National Appellate Authority for Advance Ruling," shall be inserted.

3. Amendment of section10.- In section 10 of the principal Act,-

(a) in sub-section *(1),* after second proviso, the following *Explanation* shall be inserted, namely :-

"*Explanation.*- For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in State.";

(b) in sub-section (2),-

(*i*) in clause (*d*), the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(*ii*) in clause (*e*), for the word "Council:", the words "Council; and" shall be substituted;

(*iii*) after clause (*e*), the following clause shall be inserted, namely:-

"(*f*) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:";

(c) after sub-section (*2*), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (*3*) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (*1*) and sub-section (*2*),whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (*1*) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three per cent. of the turnover in State, if he is not–

(*a*) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

(*b*) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

(*c*) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;

(*d*) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and

(*e*) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section.";

(*d*) in sub-section (*3*), after the words, brackets and figure "under sub-section (*1*)" at both the places where they occur, the words, brackets, figure and letter "or sub-section (*2A*), as the case may be," shall be inserted.

(*e*) in sub-section (*4*), after the words, brackets and figure "of sub-section (*1*)", the words, brackets, figure and letter "or, as the case may be, sub-section (*2A*)" shall be inserted.

(*f*) in sub-section (*5*), after the words, brackets and figure "under sub-section (*1*)", the words, brackets, figure and letter "or sub-section (*2A*), as the case may be," shall be inserted.

(*g*) after sub-section (*5*), the following *Explanations* shall be inserted, namely:—

'*Explanation* 1.—For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.—For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State" shall not include the value of following supplies, namely:—

(*i*) supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and

(*ii*) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.'.

4. Amendment of section 22.- In section 22 of the principal Act, in sub-section (*1*), after the second proviso, the following shall be inserted, namely:—

"Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

5. **Amendment of section 25.-** In section 25 of the principal Act, after sub-section (*6*), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

"(*6A*) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(*6B*) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(*6C*) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorised signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(*6D*) The provisions of sub-section (*6A*) or sub-section (*6B*) or sub-section (*6C*) shall not apply to such person or class of persons or such part of the State, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.".

6. Insertion of new section 31A.- After section 31 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"**31A. Facility of digital payment to recipient** - The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

7. **Amendment of section 39.-** In section 39 of the principal Act,–

(a) for sub-sections (*1*) and (*2*), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

''(*1*) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit

availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(*2*) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.'';

(*b*) for sub-section (*7*), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(*7*) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (*1*), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (*3*) or sub-section (*5*), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (*1*) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (*2*) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.".

8. Amendment of section 44.- In the principal Act, in section 44, in sub-section (*1*), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

9. Amendment of section 49.- In section 49 of the principal Act, after sub-section (*9*), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(*10*) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax, or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(*11*) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (*1*).".

10. Amendment of section 50.- In section 50 of the principal Act, in sub-section (*1*), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.".

11. Amendment of section 52.- In section 52 of the principal Act,–

(a) in sub-section (*4*), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.";

(b) in sub-section (*5*), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

12. Insertion of new section 53A.- After section 53 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"**53A. Transfer of certain amounts** - Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger for central tax or integrated tax or cess, the Government shall, transfer to the central tax account or integrated tax account or cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.".

13. Amendment of section 54.- In section 54 of the principal Act, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted with effect from 1st day of September, 2019, namely:—

"(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of the State tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.".

14. Amendment of section 95.- In section 95 of the principal Act,-

(*i*) in clause (*a*),-

(*a*) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

(*b*) after the words and figures "of section 100", the words, figures and letter "or of section 101C" shall be inserted;

(*ii*) after clause (*e*) , the following clause shall be inserted, namely:-

'(*f*) "National Appellate Authority" means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A.'.

15. Insertion of new sections 101A, 101B and 101C.- After section 101 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

"**101A. Constitution of National Appellate Authority for Advance Ruling**- Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.

101B. Appeal to National Appellate Authority.-

(1) Where, in respect of the questions referred to in sub-section (2) of section 97, conflicting advance rulings are given by the Appellate Authority constituted under section 99 and the Appellate Authority of any other State or States or of a Union territory or Union territories or both under sub-

section (1) or sub-section (3) of section 101, any officer authorised by the Commissioner or an applicant, being distinct person referred to in section 25 aggrieved by such advance ruling, may prefer an appeal to National Appellate Authority.

(2) Every appeal under this section shall be filed within a period of thirty days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the applicants, concerned officers and jurisdictional officers:

Provided that the officer authorised by the Commissioner may file appeal within a period of ninety days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer or the jurisdictional officer:

Provided further that the National Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said period of thirty days, or as the case may be, ninety days, allow such appeal to be presented within a further period not exceeding thirty days.

Explanation.— For removal of doubts, it is clarified that the period of thirty days or as the case may be, ninety days shall be counted from the date of communication of the last of the conflicting rulings sought to be appealed against.

(3) Every appeal under this section shall be in such form, accompanied by such fee and verified in such manner as may be prescribed.

101C. Order of National Appellate Authority.-

(1) The National Appellate Authority may, after giving an opportunity of being heard to the applicant, the officer authorised by the Commissioner, all Principal Chief Commissioners, Chief Commissioners of Central tax and Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the rulings appealed against.

(2) If the members of the National Appellate Authority differ in opinion on any point, it shall be decided according to the opinion of the majority.

(3) The order referred to in sub-section (1) shall be passed as far as possible within a period of ninety days from the date of filing of the appeal under section 101B.

(4) A copy of the advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be duly signed by the Members and certified in such manner as may be prescribed and shall be sent to the applicant, the officer authorised by the Commissioner, the Board, the Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories and to the Authority or Appellate Authority, as the case may be, after such pronouncement.".

16. Amendment in section 102.- In section 102 of the principal Act, in the opening portion,-

(*a*) after the words "Appellate Authority", at both the places where they occur, the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

(*b*) after the words and figures "or section 101", the words, figures and letter "or section 101C respectively," shall be inserted;

(*c*) for the words "or the appellant", the words ", appellant, the Authority or the Appellate Authority" shall be substituted.

17. Amendment in section 103.- In section 103 of the principal Act,-

(*i*) after sub-section (*1*), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(*1A*) the Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on-

(a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (*1*) of section 101B and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961.";

(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (*a*) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961.";

(*ii*) in sub-section (*2*), after the words, brackets and figure "in sub-section (*1*)", the words, brackets, figure and letter "and sub-section (*1A*)" shall be inserted.

18. Amendment in section 104.- In section 104 of the principal Act, in sub-section (*1*),-

(*a*) after the words "Authority or the Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

(*b*) after the words and figures "of section 101", the words, figures and letter "or under section 101C" shall be inserted.

19. Amendment in section 105.- In section 105 of the principal Act,-

(*a*) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.";

(*b*) in sub-section (*1*), after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

(*c*) in sub-section (*2*), after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

20. Amendment in section 106.- In section 106 of the principal Act,-

(*a*) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.";

(*b*) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

21. Amendment in section 171.- In section 171 of the principal Act, after sub-section (*3*), the following shall be inserted, namely:-

'(*3A*) Where the Authority referred to in sub-section (*2*), after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion

that any registered person has profiteered under sub-section (*1*), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent. of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both.".

22. Amendment in section 174.- In section 174 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017, after sub-section (1) the following new sub-section (1A) shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted-

"(1A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1)-

(a) nothing contained in the proviso to clause (c) of sub-section (1) shall apply to notification number S.O 391, dated 10th November, 2011 issued by the Commercial Taxes Department, Government of Bihar, Patna, and

(b) the validity of notification number S.O 391, dated 10th November, 2011 issued by the Commercial Taxes Department, Government of Bihar, Patna is extended till the 30th day of June, 2017."

23. Amendment in notification no. 545 issued under sub-section (*1*) of section 11of Bihar Goods and Services Tax Act, retrospectively. - In the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 02/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 545, dated the 29 June, 2017, issued by the State Government on the recommendations of the Council, under sub-section (*1*) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, in the Schedule, after S.No.103 and the entries relating thereto, the following S.No. and the entries shall be inserted and shall deemed to have been inserted retrospectively with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

(1)	*(2)*	*(3)*
"103A	26	Uranium Ore Concentrate".

(2) For the purposes of sub-section (*1*), the Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in sub-section (*1*) with retrospective effect as if the Government had the power to amend the said notification under sub-section (*1*) of section 11 of the said Act, retrospectively, at all material times.

(3) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, if the notification referred to in sub-section (*1*) had been in force at all material times.

By Order of the Governor of Bihar,
Madan Kishore Kaushik,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1329-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श0)
(सं0 पटना 481) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

सं० एल0जी0-01-07/2020/4376/लेजः।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 07, 2020]

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**–(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंध दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रभावी हुये माने जायेंगे।

2. **मूल अधिनियम में नयी धारा 168क का अंतःस्थापन।**–मूल अधिनियम की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''168क. विशेष परिस्थितियों में समय–सीमा के विस्तार हेतु सरकार की शक्तियाँ।–

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, वैसे कार्यों, जिन्हें अप्रत्याशित घटना के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है या अनुपालन नहीं किया जा सकता है, की बावत इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट, या विहित या अधिसूचित समय–सीमा का विस्तार कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, इस अधिनियम के प्रवृत होने की तारीख के पश्चात किसी तारीख से, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''अप्रत्याशित घटना'' पद का अर्थ युद्ध, महामारी, बाढ़, सुखा, आग, चक्रवात, भूकम्प या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा या इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में प्रभाव डालने वाला अन्यथा कोई कारण होगा।''।

3. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**– (i) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–3, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

10 अगस्त 2020

सं० एल0जी0-01-07/2020/4377/लेजः।––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 07, 2020]

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2020

AN

ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy first year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) The provisions of this Act shall deemed to have come into force with effect from 31st March, 2020.

2. Insertion of new section 168A in Act 12 of 2017.- After section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, the following section shall be inserted, namely:-

'168A. Power of Government to extend time limit in special circumstances—

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or

prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure*.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression "*force majeure*" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.'.

3. Repeal and Savings.- (i) The Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No.-3, 2020) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

By order of the Governor of Bihar,
P. C. CHOUDHARY,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 481-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श0)

(सं0 पटना 479) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

सं० एल0जी0-01-15/2020/4370/लेजः।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

पी0 सी0 चौधरी,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 09, 2020]

बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**–(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2. **धारा 2 का संशोधन,।**– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खंड (114) में उपखंड (ग) और उपखंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;

(घ) लद्दाख,''।

3. **धारा 10 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में, ''माल'' शब्द के पश्चात् ''या सेवाओं'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. **धारा 16 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में, ''से संबंधित बीजक'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. **धारा 29 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने का आशय रहा हो;''।

6. **धारा 30 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से,–

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए; और

(ख) आयुक्त द्वारा खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए,

बढ़ाई जा सकेगी।''।

7. **धारा 31 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,–

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा;

(ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में–

(i) पूर्ति के संबंध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जाएगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।''।

8. **धारा 51 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 51 में,–

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''(3) श्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।''।

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

9. **धारा 122 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार

किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रांत इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति का दायी होगा।''।

10. धारा 132 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में, –

(i) ''जो निम्नलिखित में से किसी दंड को कारित करता है'' शब्दों के स्थान पर, ''जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और उससे उद्भूत फायदों का प्रतिधारण करेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है;'';

(iii) उपखंड (ड.) में ''कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

11. धारा 140 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 140 में 1 जुलाई, 2017 से,–

(क) उपधारा (1) में, ''विहित की जाने वाली रीति में'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, ''ऐसी विहित रीति में'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में, ''नियत दिन'' शब्दों के स्थान पर ''नियत दिन पर, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(घ) उपधारा (5) में, ''विद्यमान विधि के अधीन प्रदाता द्वारा'' शब्दों के स्थान पर ''विद्यमान विधि के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार द्वारा'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ड़) उपधारा (6) में, ''नियत दिन को'' शब्दों के पश्चात् ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

12. धारा 172 का संशोधन।– मूल अधिनियम अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (1) के परंतुक में, ''तीन वर्षों'' शब्दों के स्थान पर ''पांच वर्षों'' शब्द रखे जाएंगे।

13. अनुसूची 2 का संशोधन।– मूल अधिनियम की अनुसूची 2 की प्रविष्टि 4 में, ''प्रतिफल हेतु या अन्यथा'' दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा।

14. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट।– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार परिषद् की सिफारिशों पर जारी वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 65, तारीख 29 जून, 2017 में किसी बात के होते हुए भी, –

(i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्ष 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय से संबंध में कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा;

(ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाले) घिर्नी, पहिए और अन्य पुर्जों के संबंध में और (शीर्ष 8432, 8433 और 8436 के अंतर्गत आने वाले) कृषि संबंधी मशीनरी के पुर्जों के उपयोग के संबंध में छह प्रतिशत की दर पर राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति।– (i) बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–09, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

10 अगस्त 2020

सं० एल0जी0-01-15/2020/4371/लेजः।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 09, 2020]

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2020

AN ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy first year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2020.

(2) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2.-In section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (114), for sub-clauses (c) and (d), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(d) Ladakh;".

3. Amendment of section 10.-In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) and (d), after the words "of goods", the words "or services" shall be inserted.

4. Amendment of section 16.-In section 16 of the principal Act, in sub-section (4), the words "invoice relating to such" shall be omitted.

5. Amendment of section 29.-In section 29 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25:"

6. Amendment of section 30.-In section 30 of the principal Act, in sub-section (*1*), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,—

(a)by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;

(b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (*a*).".

7. Amendment of section 31.-In section 31 of the principal Act, in sub-section (*2*), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by

notification,—

(a)specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;

(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which—

(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(ii) tax invoice may not be issued.".

8. Amendment of section 51.- In section 51 of the principal Act,—

(a)for sub-section (*3*), the following sub-section shall be substituted, namely:— "(*3*) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form

and in such manner as may be prescribed.";

(b) sub-section (*4*) shall be omitted.

9. Amendment of section 122.-In section 122 of the principal Act, after sub-section (*1*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*1A*) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (*i*), (*ii*), (*vii*) or clause (*ix*) of sub-section (*1*) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.".

10. Amendment of section 132.-In section 132 of the principal Act, in sub-section (*1*),—

(i) for the words "Whoever commits any of the following offences", the words "Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences'' shall be substituted;

(ii) for clause (*c*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*c*) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (*b*) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;";

(iii) in clause (*e*), the words ", fraudulently avails input tax credit" shall be omitted.

11. Amendment of section 140.-In section 140 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,—

(a)in sub-section (*1*), after the words "existing law", the words "within such time and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(b) in sub-section (*2*), after the words "appointed day", the words "within such time and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(c) in sub-section (*3*), for the words "goods held in stock on the appointed day subject to", the words "goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

(d) in sub-section (*5*), for the words "existing law", the words "existing law, within such time and in such manner as may be prescribed" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

(e) in sub-section (*6*), for the words "goods held in stock on the appointed day subject to", the words "goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

12. Amendment of section 172.-In section 172 of the principal Act, in sub-section (*1*), in the proviso, for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.

13. Amendment to Schedule II.- In Schedule II to the principal Act, in paragraph 4, the words "whether or not for a consideration," at both the places where they occur, shall be

omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

14. Retrospective exemption from, or levy or collection of, State tax in certain cases.- (*1*) Notwithstanding anything contained in the notification of the Commercial Taxes Department notification number S.O. 65, dated the 29th June, 2017, issued by the State Government, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (*1*) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017,—

(i) no state tax shall be levied or collected in respect of supply of fishmeal (falling under heading 2301), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive);

(ii) state tax at the rate of six percent. shall be levied or collected in respect of supply of pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as parts of agricultural machinery (falling under headings 8432, 8433 and 8436), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 31st day of December, 2018 (both days inclusive).

(*2*) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (*1*) been in force at all material times.

15. **Repeal and Savings**- (i) Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No.-09, 2020) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

By order of the Governor of Bihar,
P. C. CHOUDHARY,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 479-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1943 (श0)

(सं0 पटना 673) पटना, सोमवार, 9 अगस्त 2021

fof/k foHkkx

अधिसूचना

9 अगस्त 2021

सं० एल०जी०–01–19/2021–4278/लेज।––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 06 अगस्त 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

fcgkj&jkT;iky d vkns'k ls]

पी०सी०चौधरी,

ljdkj d lfpoA

[fcgkj vf/kfu;e 16] 2021]

fcgkj eky vkj lok dj ¼l'kks/ku½ vf/kfu;e] 2021

fcgkj eky vkj lok dj vf/kfu;e] 2017 ¼fcgkj vf/kfu;e&12] 2017½ dk l'kks/ku djus ds fy, vf/kfu;eA

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1- lf{kIr uke vkj izkjEHkA&

(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2- /kkjk 7 dk l'kks/ku]A& बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘‘मूल अधिनियम’’ कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) में, खंड (क) के पश्चात, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :

‘‘(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न है, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्येन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहारः’’।

Li"Vhdj.k& इस खंड के प्रयोजनों के लिए , यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतिर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटको को दो पृथक् व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे।

3- /kkjk 16 dk l'kks/kuA& मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

‘‘(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बर्हिगामी पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं।’’

4- /kkjk 35 dk l'kks/kuA& मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।

5- /kkjk 44 ds LFkku ij] ubl /kkjk dk izfrLFkkiuA& मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

‘‘44. वार्षिक विवरणी– किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमितिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जिसे विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगाः

परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफरिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छुट प्रदान कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस धारा में की कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अधीन है या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी।’’

6- /kkjk 50 dk l'kks/kuA& मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

‘‘परंतु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोध्य तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में

धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से विकलन करके संदत किया जाता है।''

7- /kkjk 74 dk l'kk/kuA& मूल अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण (1) के खंड (ii) में, ''तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''तो धारा 122 और धारा 125 के'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

8. /kkjk 75 dk l'kk/kuA& मूल अधिनियम की धारा 75 में, उपधारा (12) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''स्वनिर्धारित कर'' पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।''

9- /kkjk 83 dk l'kk/kuA& मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक हैं, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।''

10- /kkjk 107 dk l'kk/kuA& मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।''।

11- /kkjk 129 dk l'kk/kuA& मूल अधिनियम की धारा 129 में,——

(i) उपधारा (1) में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखें जाऐंगे, अर्थात् :—

''(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है:

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है:'':

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा :

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थातः—

''(3) माल या वाहनों को निरूद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, यथास्थिति, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात् उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।'':

(iv) उपधारा (4) में, ''कर, ब्याज या शास्ति'' शब्दों के स्थान पर, ''शास्ति'' शब्द रखा जाएगाः

(v) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) में यथाउपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरूद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन,

उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परंतु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रूपए, इनमें से जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां निरूद्ध या अभिगृहीत किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि समुचित अधिकारी द्वारा, ऐसे समय के लिए जो वह ठीक समझे, कम की जा सकेगी ।''।

12- /kkjk 130 dk la'kks/kuA& मूल अधिनियम की धारा 130 में,––

(क) उपधारा (1) में, ''इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई'' शब्दों के स्थान पर, ''जहां'' शब्द रखा जाएगाः

(ख) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, ''धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, ''ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति'' शब्द रखे जाएंगे :

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

13- /kkjk 151 ds LFkku ij] ubZ /kkjk dk izfrLFkkiuA& मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''151. सूचना मांगने की शक्ति – आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।''।

14- /kkjk 152 dk la'kks/kuA& मूल अधिनियम की धारा 152 में,––

(क) उपधारा (1) में,––

(i) ''कोई व्यष्टिक विवरणी या उसके भाग की'' शब्दों का लोप किया जाएगाः

(ii) ''ऐसी सूचना'' शब्दों के पश्चात् ''संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे :

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

15- vuqlwph 2 dk la'kks/kuA& मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, पैरा 7 का 1 जुलाई, 2017 से लोप किया जाएगा और उक्त तारीख से उसका लोप हुआ समझा जाएगा।

16- okf.kT;&dj foHkkx dh vf/klwpuk la[;k ,l0vks0 183] fnukad 25 uoEcj] 2020 dk Hkwry{kh #i ls çHkkoh fd;k tkukA& वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 183, दिनांक 25 नवम्बर, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या– 909, दिनांक 25 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को 1 अक्टूबर, 2020 से आरंभ होने वाली और 24 नवम्बर, 2020 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान भूतलक्षी रुप से प्रभावी समझा जाएगा।

ihŒlhŒpk/kjh]
ljdkj ds lfpoA

9 अगस्त 2021

सं० एल०जी०–01–19/2021&4279@yst—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2021 को अनुमत fcgkj eky vkSj lsok dj ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2021 ¼fcgkj vf/kfu;e&16] 2021½ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
ihŒlhŒpk/kjh]
ljdkj ds lfpoA

[Bihar Act 16, 2021]

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2021

AN

ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement.—

(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act , 2021.

(2) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. ***Amendment of section 7.—*** In the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 7, in sub-section (*1*), after clause (*a*), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"*(aa)* the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration.

Explanation.—For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions *inter se* shall be deemed to take place from one such person to another;".

3. ***Amendment of section 16.—*** In section 16 of the principal Act, in sub-section (*2*), after clause (*a*), the following clause shall be inserted,namely:—

"*(aa)* the details of the invoice or debit note referred to in clause *(a)* has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;".

4. ***Amendment of section 35.—***In section 35 of the principal Act, sub-section *(5)* shall be omitted.

5. ***Substitution of new section for section 44.—***For section 44 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"44. Annual Return- Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.".

6. ***Amendment of section 50.*****—**In section 50 of the principal Act, in sub-section (*1*), for the proviso, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.".

7. ***Amendment of section 74.*****—**In section 74 of the principal Act, in *Explanation* 1, in clause (*ii*), for the words and figures "sections 122, 125,129 and 130", the words and figures "sections 122 and 125" shall be substituted.

8. ***Amendment of section 75.*** **—**In section 75 of the principal Act, in sub-section *(12)*, the following Explanation shall be inserted, namely:—

'*Explanation.*—For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.'.

9. ***Amendment of section 83.*****—**In section 83 of the principal Act, for sub-section (*1*), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(*1*) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (*1A*) of section 122, in such manner as may be prescribed.".

10. ***Amendment of section 107.*****—**In section 107 of the principal Act, in sub-section (*6*), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (*3*) of section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent. of the penalty has been paid by the appellant.".

11. ***Amendment of section 129.*****—**In section 129 of the principal Act,—

(i) in sub-section (*1*), for clauses (*a*) and (*b*), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(*a*) on payment of penalty equal to two hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;

(*b*) on payment of penalty equal to fifty per cent. of the value of the goods or two hundred per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;";

(ii) sub-section (*2*) shall be omitted;

(iii) for sub-section (*3*), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(*3*) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (*a*) or clause (*b*) of sub-section (*1*).";

(iv) in sub-section (*4*), for the words "No tax, interest or penalty",the words "No penalty" shall be substituted;

(v) for sub-section (*6*), the following sub-section shall be substituted, namely:–

"(*6*) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (*3*), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (*3*):

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (*3*) or one lakh rupees, whichever is less:

Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.".

12. ***Amendment of section 130.—***In section 130 of the principal Act, —

(a) in sub-section (*1*), for the words "Notwithstanding anything contained in this Act, if ", the word "Where" shall be substituted;

(b) in sub-section (*2*), in the second proviso, for the words, brackets and figures "amount of penalty leviable under sub-section (*1*) of section 129", the words "penalty equal to hundred per cent. of the tax payable on such goods" shall be substituted;

(c) sub-section (*3*) shall be omitted.

13. ***Substitution of new section for section 151.—***For section 151 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"151. Power to call information- The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein.".

14. ***Amendment of section 152.*****—**In section 152 of the principal Act, —

(a) in sub-section (*1*),—

(i) the words "of any individual return or part thereof" shall be omitted;

(ii) after the words "any proceedings under this Act", the words "without giving an opportunity of being heard to the person concerned" shall be inserted;

(b) sub-section (*2*) shall be omitted.

15. ***Amendment to Schedule II.*****—** In Schedule II of the principal Act, paragraph 7 shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

16. ***Retrospective effect to the Commercial Taxes Department notification number S.O. 183, dated the 25th November, 2020.*****—** Commercial Taxes Department notification number S.O. 183, dated the 25th November, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 909, dated the 25th November, 2020 shall deemed to have been effective retrospectively during the period commencing from the 1st day of October, 2020 and ending with the 24th day of November, 2020 (both days inclusive).

P.C.CHOUDHARY,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 673-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1944 (श0)

(सं0 पटना 03) पटना सोमवार 2 जनवरी 2023

विधि विभाग

अधिसूचना

2 जनवरी 2023

सं० एल०जी०–01–15/2022–35/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 दिसम्बर 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022
[बिहार अधिनियम 01, 2023]
बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।–**
   (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
   (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।
   परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2. **धारा 16 का संशोधन।–** बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् **''मूल अधिनियम''** कहा गया है) की धारा–16 में :– (क) उपधारा (2) में,–
   (i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–
   ''(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों''
   (ii) खंड (ग) में, ''या धारा 43क'' शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगाः
   (ख) उपधारा (4) में, ''सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की अंतिम तारीख'' शब्दों के स्थान पर, ''30 नवंबर'' शब्द रखे जाएंगे।

3. **धारा 29 का संशोधन।–** मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में,–
   (क) खंड (ख) में, ''तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी'' शब्दों के स्थान पर, ''उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी'' शब्द रखे जायेंगे :
   (ख) खंड (ग) में, ''लगातार छह मास की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी लगातार कर अवधियों, जो विहित की जाए, के लिए'' शब्द रखे जाएंगे।

4. **धारा 34 का संशोधन।–** मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में ''सितंबर मास'' शब्द के स्थान पर ''30 नवंबर'' शब्द रखे जाएंगे।

5. **धारा 37 का संशोधन।–** मूल अधिनियम की धारा 37 में,–
   (क) उपधारा (1) में,–
      (i) ''इलैक्ट्रॉनिक रूप में'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी शर्तो और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए इलैक्ट्रोनिक रूप में और'' शब्द रखे जाएंगे :
      (ii) ''उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्त्ता को ऐस समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जायेंगे'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी शर्तो और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए और ऐसे समय के भीतर उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएं'' शब्द रखे जाएंगे :
      (iii) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा :
      (iv) दूसरे परंतुक में, ''परंतु यह और कि'' शब्दों के स्थान पर, ''परंतु'' शब्द रखा जाएगा :
      (v) तीसरे परंतुक में, ''परंतु यह और भी कि'' शब्दों के स्थान पर, ''परंतु यह और कि'' शब्द रखा जाएंगे :
   (ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा :
   (ग) उपधारा (3) में,–
      (i) ''जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन सुमेलित नहीं हो सके हैं'' शब्दों का लोप किया जाएगा :
      (ii) पहले परंतुक में, ''सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्'' शब्दों के स्थान पर ''30 नवंबर के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्'' शब्द रखे जाएंगे :

(घ) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्त्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए है :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्त्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं''।

6. धारा 38 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।– मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :–

''38 आवक पूर्तियों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना–

(1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसे अन्य पूर्तियों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्त्तो और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसे पूर्तियों के प्राप्तकर्त्ताओं को इलैक्ट्रोनिक ढंग से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :–

(क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्त्ता को उपलब्ध हो सकेगा, और

(ख) पूर्तियों के ब्यौरे जिनकी बावत प्राप्तकर्ता द्वारा, चाहे पूर्णतः या अंशतः, ऐसे प्रत्यय का लाभ नहीं लिया जा सकेगा, चूँकि अधिनियम की धारा 37 की उप–धारा (1) के अधीन उक्त ब्यौरे,–

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के भीतर प्रस्तुत किये गये हैं ; या

(ii) कर के संदाय में व्यतिक्रम करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है; या

(iii) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसके द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार विहित की जाने वाली अवधि हेतु संदेय आउटपुट कर उसी अवधि हेतु उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से ऐसी सीमा से अधिक है जो विहित की जाय ; या

(iv) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है जो खंड (क) के अनुसार उपलब्ध प्रत्यय से ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए; या

(v) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसने, ऐसी शर्तो और निर्बंधनों के अधीन जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या

(vi) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग, जो विहित किए जाए, द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं।''

7. धारा 39 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 39 में :–

(क) उपधारा (5) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर, ''तेरह'' शब्द रखा जाएगा :

(ख) उपधारा (7) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात–

''परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए –

(क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, अवधारित रकम, का संदाय करेगा।'',

(ग) उपधारा (9) में,–

(i) ''धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''जहां'' शब्द रखा जाएगा,

(ii) परंतुक में, ''सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''30 नवम्बर'' अंक और शब्द रखे जाएंगे,

(घ) उपधारा (10) में, ''विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।'' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

''पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए है :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो ओर निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये हों।''।

8. धारा 41 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।– मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :–

''**41 इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग**–

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, अपनी विवरणी में स्वःनिर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्त्ता द्वारा संदत नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ रिवर्स करेगा :

परंतु जहां ऐसा पूर्तिकर्त्ता पूर्वोक्त पूर्ति की बाबत संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा यथा पूर्वोक्त रिवर्स की गयी रकम ऐसी रीति में जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा।''।

9. धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप। – मूल अधिनियम की धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप किया जाएगा।''।

10. धारा 47 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में,–

(क) ''या आवक'' शब्दों का लोप किया जाएगा :

(ख) ''या धारा 38'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा :

(ग) ''धारा 39 या धारा 45'' शब्दों और अंकों के पश्चात् ''या धारा 52'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जायेंगे।

11. धारा 48 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, '',धारा 38 के अधीन आवक पूर्तियों के ब्यौरे'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

12. धारा 49 का संशोधन।– मूल अधिनियम अधिनियम की धारा 49 में,–

(क) उपधारा (2) में, ''या धारा 43क'' शब्दों, अंको और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (4) में, ''ऐसी शर्तों'' शब्दों के पश्चात, ''और निर्बंधनों'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

''(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, इलैक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा।''।

13. धारा 50 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :–

''(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, सरकार द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।''।

14. धारा 52 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में, ''आने वाले सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख'' शब्दों के स्थान पर, ''30 नवंबर'' अंक और शब्द रखे जाएंगे।

15. धारा 54 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 54 में, –

(क) उपधारा (1) के परंतुक में, ''धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''दो वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (10) में, ''उपधारा (3) के अधीन'' शब्दों, कोष्ठकों ओर अंक का लोप किया जाएगा;

(घ) स्पष्टीकरण के खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथना दोनों की पूर्ति की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं की बाबत संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों की बाबत धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख ;''।

16. मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।–

(1) मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर जारी वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 128, तारीख 23 जनवरी, 2018 में संशोधन किए जाएंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे अर्थात्:–

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानो कि राज्य सरकार को, मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

17. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।–

(1) मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना सं. एस0ओ0 101 तारीख 29 जून, 2017 में संशोधन किए जाएंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, द्वितीय अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, मानो राज्य सरकार को मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

18. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट।–

(1) राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 65, तारीख 29 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के, सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की पूर्ति के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर, 30 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।

19. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव।–

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्यां एस0 ओ0 371, तारीख 30 सितंबर, 2019, राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, जो मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, 1 जुलाई 2017 से प्रवृत हुई समझी जाएगी।

(2) ऐसे सभी राज्य–कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।

20. निरसन एवं व्यावृत्ति।—

(1) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (बिहार अध्यादेश संख्या 02, 2022) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2.) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

प्रथम अनुसूची

[धारा 16(1) देखें।]

अधिसूचना संख्या और तारीख	**संशोधन**	**संशोधन की प्रभावी तारीख**
(1)	(2)	(3)
वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना सं० एस0ओ0 128, तारीख 23 जनवरी, 2018	उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, ''विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण'' शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— ''विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा निपटारे और जैसे अधिसूचना सं० एस0ओ0 401, तारीख 26 दिसंबर, 2019 में अन्यथा उपबधित के सिवाय, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अधीन उपबंधित सभी कृत्य।''।	22 जून, 2017

द्वितीय अनुसूची

[धारा 17(1) देखें।]

अधिसूचना संख्या और तारीख	**संशोधन**	**संशोधन की प्रभावी तारीख**
1	**2**	**3**
वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना सं० एस0ओ0 101, तारीख 29 जून, 2017	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 2 के सामने, स्तंभ (3) में, ''24'' अंकों के स्थान पर, ''18'' अंक रखे जाएंगे।	1 जुलाई, 2017

रूद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

2 जनवरी 2023

सं० एल०जी०—01—15/2022—**36/लेज**——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2022 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम 01, 2023) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2022
(Bihar Act 01, 2023)
AN
ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy third year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement.—

(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. ***Amendment of section 16.***— In the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 16, —

(a) in sub-section *(2)*,—

(i) after clause *(b)*, the following clause shall be inserted, namely:—

"(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;";

(ii) in clause *(c)*, the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted;

(b) in sub-section *(4)*, for the words and figures "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

3. ***Amendment of section 29.*—** In section 29 of the principal Act, in sub-section (*2*), —

(a) in clause (*b*), for the words "returns for three consecutive tax periods", the words "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return" shall be substituted;

(b) in clause (*c*), for the words "a continuous period of six months", the words "such continuous tax period as may be prescribed" shall be substituted.

4. ***Amendment of section 34.*—** In section 34 of the principal Act, in sub-section *(2)*, for the word "September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted.

5. ***Amendment of section 37.*—** *In section 37 of the principal Act,* —

(a) in sub-section (*1*), —

(i) after the words "shall furnish, electronically,", the words "subject to such conditions and restrictions and" shall be inserted;

(ii) for the words "shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed", the words "shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies" shall be substituted;

(iii) the first proviso shall be omitted;

(iv) in the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be substituted;

(v) in the third proviso, for the words "Provided also that", the words "Provided further that" shall be substituted;

(b) sub-section (*2*) shall be omitted;

(c) in sub-section (*3*),—

(i) the words and figures "and which have remained unmatched under section 42 or section 43" shall be omitted;

(ii) in the first proviso, for the words and figures "furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;

(d) after sub-section (*3*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*4*) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (*1*) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (*1*), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods. ".

6. ***Substitution of new section for section 38.*** *–For section 38 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—*

"38. Communication of details of inward supplies and input tax credit.

(*1*) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (*1*) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(2) The auto-generated statement under sub-section (*1*) shall consist of—

(a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and

(b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (*1*) of section 37,—

(i) by any registered person within such period of taking registrationas may be prescribed; or

(ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or

(iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or

(iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (*a*), by such limit as may be prescribed; or

(v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (*12*) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or

(vi) by such other class of persons as may be prescribed. ".

7. *Amendment of section 39.*-*In section 39 of the principal Act,* —

(a) in sub-section (*5*), for the word "twenty", the word "thirteen" shall be substituted;

(b) in sub-section (*7*), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (*1*) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,—

(a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or

(b) in lieu of the amount referred to in clause (*a*), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. ";

(c) in sub-section (*9*), —

(i) for the words and figures "Subject to the provisions of sections 37 and 38, if", the word "Where" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the words "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;

(d) in sub-section (*10*), for the words "has not been furnished by him", the following shall be substituted, namely:—

"or the details of outward supplies under sub-section (*1*) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (*1*)of section 37 for the said tax period. ".

8. *Substitution of new section for section 41.* –For section 41 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"41. Availment of input tax credit

(1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section *(1)* in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed. ".

9. *Omission of sections 42, 43 and 43A.*— Sections 42, 43 and 43A of the principal Act shall be omitted.

10. *Amendment of section 47.*— In section 47 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) the words "or inward" shall be omitted;

(b) the words and figures "or section 38" shall be omitted;

(c) after the words and figures "section 39 or section 45", the words and figures "or section 52" shall be inserted.

11. Amendment of section 48.-In section 48 of the principal Act, in sub-section (2), the words and figures ", the details of inward supplies under section 38" shall be omitted.

12.Amendment of section 49.-In section 49 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted;

(b) in sub-section (4), after the words "subject to such conditions", the words "and restrictions" shall be inserted;

(c) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed.".

13. ***Amendment of section 50.—*** In section 50 of the principal Act, for sub-section (*3*), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"(*3*) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four percent. as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed.".

14. ***Amendment of section 52.—*** In section 52 of the principal Act, in sub-section (*6*), in the proviso, for the words "due date for furnishing of statement for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

15. ***Amendment of section 54.—*** *In section 54 of the principal Act,* —

(a) in sub-section (*1*), in the proviso, for the words and figures "the return furnished under section 39 in such", the words "such form and" shall be substituted;

(b) in sub-section (*2*), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted;

(c) in sub-section (*10*), the words, brackets and figure "under sub-section (*3*) " shall be omitted;

(d) in the *Explanation*, in clause (*2*), after sub-clause (*b*), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(*ba*) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;".

16. ***Amendment of notification issued under section 146 of the principal Act retrospectively.—***

(*1*) The notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 128, dated the 23rd January, 2018 issued by the State Government on the recommendations of the Council, under section 146 of the principal Act, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the First Schedule, on and from the date specified incolumn (3) of that Schedule.

(*2*) For the purposes of sub-section (*1*), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under section 146 of the principal Act, retrospectively, at all material times.

17. *Amendment of notification issued under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the principal Act retrospectively.—*

(*1*) The notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O.101, dated the 29th June, 2017, issued by the State Government on the recommendations of the Council, under sub-sections (*1*) and (*3*) of section 50, sub-section (*12*) of section 54 and section 56 of the principal Act, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the Second Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(*2*) For the purposes of sub-section (*1*), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-sections (*1*) and (*3*) of section 50, sub-section (*12*) of section 54 and section 56 of the principal Act, retrospectively, at all materialtimes.

18. *Retrospective exemption from, or levy or collection of State tax in certain cases*.—

(*1*) Notwithstanding anything contained in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 65, dated the 29th June, 2017 issued by the State Government, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (*1*) of section 9 of the principal Act, no state tax shall be levied or collected in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil, during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive) .

(*2*) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (*1*) been in force at all material times.

19. *Retrospective effect to notification issued under sub-section (2) of section 7 of the principal Act.—*

(*1*) Subject to the provisions of sub-section (*2*), the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 371, dated the 30th September, 2019, issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub- section (*2*) of section 7 of the principal Act, shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 1st day of July, 2017

(2) No refund shall be made of all such state tax which has been collected, but which would not have been so collected, had the notification referred to in sub-section (*1*) been inforce at all material times.

20. *Repeal and Savings.—*

(1) Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2022 (Bihar Ordinance No.02, 2022) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

THE FIRST SCHEDULE

[*See* section 16(*1*)]

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
(1)	(2)	(3)
Commercial Taxes Department Notification No. S.O. 128, dated the 23rd January, 2018	In the said notification, in paragraph 1, for the words "furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax", the following shall be substituted, namely:— "furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and save as otherwise provided in the notification number S.O. 401, dated the 26th December, 2019, all functions provided under the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017."	22nd June, 2017.

THE SECOND SCHEDULE

[*See* section 16(*1*)]

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
(1)	(2)	(3)
Commercial Taxes Department Notification No. S.O.101, dated the 29th June, 2017	In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (3), for the figures "24", the figures "18" shall be substituted.	1st July, 2017.

Rudra Prakash Mishra,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 3-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण 1945 (श0)

(सं0 पटना 604) पटना, मंगलवार, 25 जुलाई 2023

विधि विभाग

अधिसूचना

25 जुलाई 2023

सं० एल०जी०–01–05/2023–**5502**/लेज।––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 19 जुलाई 2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रमेश चन्द मालवीय,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 12, 2023]

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**—
   (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
   (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **धारा 10 का संशोधन।**— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् **''मूल अधिनियम''** कहा गया है) की धारा 10 में :—
   (क) उपधारा (2) के खंड (घ) में, ''माल या'' शब्दों का लोप किया जाएगा,
   (ख) उपधारा (2क) के खंड (ग) में, ''माल या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. **धारा 16 का संशोधन।**— मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में,—
   (i) दूसरे परन्तुक में, ''उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर, ''धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
   (ii) तीसरे परंतुक में, ''उसके द्वारा किए गए संदाय'' शब्दों के पश्चात् ''उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. **धारा 17 का संशोधन।**— मूल अधिनियम की धारा 17 में,—
   (क) उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में, ''अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।'' शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
      '' (i) अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य ; और
      (ii) अनुसूची 3 के पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किए जाए के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा'',
   (ख) उपधारा (5) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
      ''(चक) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा **135** में निर्दिष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं ;''।

5. **धारा 23 का संशोधन।**— मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी एवं दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित समझी जायेगी अर्थात :—

''(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुये भी सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाय, उन व्यक्तियों की श्रेणी निर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने से छूट हो।''

6 **धारा 30 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में**,—
   (क) शब्दों ''30 दिनों के अन्दर विहित तरीके से निबंधन के रद्दीकरण आदेश के सेवा की तारीख की अवधि'' को शब्दों ''ऐसे तरीके एवं ऐसे समय और विहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
   (ख) परंतुक का लोप किया जायेगा।

7. **धारा 37 का संशोधन।**— मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।''।

8. **धारा 39 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :––

''(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।''।

9. **धारा 44 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उपधारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।''।

10. **धारा 52 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(15) किसी प्रचालक को, उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् भी उक्त विवरण प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगी।''।

11. **धारा 54 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) में, ''जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है,'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

12. **धारा 56 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 56 में, ''आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक'' शब्दों के स्थान पर ''आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के पश्चात् की तारीख से हुए विलम्ब की अवधि के लिए, ऐसी रीति से एवं ऐसी शर्तों एवं निर्बधनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायें,'' शब्द रखे जाएंगे।

13. **धारा 62 का संशोधन।**–मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) में,–

(क) शब्द **''ती**स दिन'' को शब्द ''साठ दिन'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''परंतु यह कि जहाँ निबंधित व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण आदेश के संसूचन के साठ दिनों के अन्दर वैध विवरणी दाखिल करने में विफल रहा हो, वहाँ वह उक्त विवरणी उक्त कर निर्धारण के संसूचन के साठ दिनों के पश्चात् अगले साठ दिनों की अवधि तक ऐसे विलम्ब की अवधि हेतु एक सौ रूपये प्रतिदिन के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के साथ दाखिल कर सकेगा एवं यदि वह इस विस्तारित अवधि की समाप्ति के पूर्व वैध विवरणी दाखिल कर देता है तो उक्त कर निर्धारण आदेश को वापस लिया जाना माना जाएगा परंतु अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज भुगतान करने अथवा अधिनियम की धारा 47 के अधीन विलम्ब शुल्क का दायित्व लागू रहेंगे।''।

14. धारा 109 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।–मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

''109. अपीलीय न्यायाधिकरणों और उनकी पीठों का गठन।–इस अध्याय के प्रावधानों के अध्यधीन, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत गठित माल एवं सेवा कर न्यायाधिकरण इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण होगा।''

15. धारा 110 एवं 114 का लोप।– मूल अधिनियम की धारा 110 एवं धारा 114 का लोप किया जाएगा।

16. धारा 117 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 117 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्दों ''राज्य पीठ या अपीलीय प्राधिकरण की क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''राज्य पीठों'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएगें।

(ख) उपधारा (5) के खंड (क) एवं (ख) में शब्दों ''राज्य पीठ एवं क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''राज्य पीठों'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

17. **धारा 118 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (1) के खंड (क) में शब्दों ''राष्ट्रीय पीठ या अपीलीय प्राधिकरण की प्रांतीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''प्रधान पीठ'' प्रतिस्थापित की जाएगी।

18. **धारा 119 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 119 में,–

(क) शब्दों ''राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''प्रधान पीठ'' प्रतिस्थापित की जाएगी।

(ख) शब्दों ''राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''राज्य पीठों'' प्रतिस्थापित कि**या जाएगा।**

19. **धारा 122 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1ख) कोई इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो –

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है :

(ii) इसके माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है ; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के सही ब्यौरे धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में प्रस्तुत करने में विफल रहता है,

तो वह दस हजार रूपए या अंतर्वलित कर की रकम, यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, के समतुल्य रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।''।

20. **धारा 132 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,–

(क) खंड (छ), खंड (ञ) और खंड (ट) का लोप किया जाएगा :

(ख) खंड (ठ) में, ''खंड (क) से खंड (ट)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, ''खंड (क) से खंड (च) और खंड (ज) तथा खंड (झ)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) खंड (iii) में, ''जहां कर अपवंचन'' शब्दों के स्थान पर, ''खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां कर अपवंचन'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (iv) में, ''या खंड (छ) या खंड (ञ)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

21. **धारा 138 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 138 में,–

(क) उपधारा (1) के पहले परंतुक में,–

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(क) किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च), खंड (ज) और खंड (झ) तथा खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्हीं के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया है;'',

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है ;'',

(iv) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में ''न्यूनतम दस हजार रूपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी उच्चतर हों, के अधीन रहते हुए और अधिकतम रकम तीस हजार रूपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी उच्चतर हो,'' शब्दों के स्थान पर ''अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम रकम अंतर्वलित कर के सौ प्रतिशत से अनधिक'' शब्द रखे जाएंगे।

22. **नई धारा 158क का अंतःस्थापन।**– मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''158क. कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मति के आधार पर साझा करना।– (1) धारा 133, धारा 152 और धारा 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित ब्यौरों को, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, सामान्य पोर्टल द्वारा सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, साझा किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रस्तुत या धारा 39 या धारा 44 के अधीन दाखिल की गई विवरणी में प्रस्तुत की गयी विशिष्टियाँ;

(ख) बीजक के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियाँ, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियाँ;

(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्यौरों को साझा करने के प्रयोजनों के लिए,–

(क) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में पूर्तिकर्ता की सहमति; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की सहमति केवल जहां ऐसे ब्यौरों के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी भी है,

ऐसे प्ररूप और रीति में अभिप्राप्त की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के पारिणामिक उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।''।

23. **मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट।**– मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 7 और पैरा 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (बिहार अधिनियम 14, 2018, की धारा 31 द्वारा यथा अंतःस्थापित) को 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

(2) ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संग्रहित किया गया है किन्तु जिसे संग्रहित नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत हुई होती।

रमेश चन्द मालवीय,
सरकार के सचिव।

25 जुलाई 2023

सं० एल०जी०–01–05/2023–**5503/लेज**––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2023 को अनुमत **बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023** (**बिहार अधिनियम 12, 2023**) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रमेश चन्द मालवीय,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 12, 2023]

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2023

AN

ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India as follows :-

***1. Short title and commencement**.—*

(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

***2. Amendment of section 10**.—In the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 10, —*

(a) in sub-section (2), in clause (d), the words "goods or" shall be omitted;

(b) in sub-section (2A), in clause (c), the words "goods or" shall be omitted.

3. ***Amendment of section 16***.*—In section 16 of the principal Act, in sub-section (2), –*

(i) in the second proviso, for the words "added to his output tax liability, along with interest thereon", the words and figures "paid by him along with interest payable under section 50" shall be substituted;

(ii) in the third proviso, after the words "made by him", the words "to the supplier" shall be inserted.

4. ***Amendment of section 17***.*—In section 17 of the principal Act, —*

(a) in sub-section (3), in the Explanation, for the words and figure "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be substituted, namely:—

"except,—

(i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and

(ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.";

(b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*fa*) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;".

5. ***Amendment of section 23***.—In section 23 of the principal Act, for sub-section (*2*), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"(*2*) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (*1*) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.".

6. ***Amendment of section 30***.*—In section 30 of the principal Act, for sub-section (1),—*

(a) for the words "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:", the words "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be substituted;

(b) the proviso shall be omitted.

7. ***Amendment of section 37***.—In section 37 of the principal Act,after sub-section (*4*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*5*) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (*1*) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (*1*), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details.".

8. ***Amendment of section 39***.—In section 39 of the principal Act,after sub-section (*10*), the following sub-section shall be inserted, namely

"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return.".

9. ***Amendment of section 44***.—Section 44 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (*1*) thereof, and after sub-section (*1*) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*2*) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (*1*) for a financial year after the expiry of a period of three years from thedue date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return."

10. ***Amendment of section 52***.—*In section 52 of the principal Act, after sub-section (14), the following sub-section shall be inserted, namely:—*

"(*15*) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (*4*) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (*4*), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishingthe said statement.".

11. ***Amendment of section 54***.—In section 54 of the principal Act, in sub-section (*6*), the words "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be omitted.

12. ***Amendment of section 56***.—In section 56 of the principal Act, for the words "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the words "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be substituted.

13. ***Amendment of section 62***.—*In section 62 of the principal Act, in sub-section (2),—*

(a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (*1*), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay

beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (*1*) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue.".

14. ***Substitution of new section for section 109.*** **–**For section 109 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"**109.** ***Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof*—**Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.

15. ***Omission of sections 110 and 114***.—Section 110 and Section 114 of the principal Act shall be omitted.

16. ***Amendment of section 117****.—In section 117 of the principal Act,—*

(a) in sub-section (*1*), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted;

(b) in sub-section (*5*), in clauses (*a*) and (*b*), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.

17. ***Amendment of section 118***.—In section 118 of the principal Act, in sub-section (*1*), in clause (*a*), for the words "National Bench or Regional Bench", the words "Principal Bench" shall be substituted.

18. ***Amendment of section 119****.—In section 119 of the principal Act,—*

(a) for the words "National or Regional Benches", the words "Principal Bench" shall be substituted;

(b) for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.

19. ***Amendment of section 122****.—In section 122 of the principal Act, after sub-section (1A), the following sub-section shall be inserted, namely:—*

"(*1B*) Any electronic commerce operator who—

(i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;

(ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or

(iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (*4*) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act, shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher."

20. ***Amendment of section 132.—****In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),—*

(a) clauses (*g*), (*j*) and (*k*) shall be omitted;

(b) in clause (*l*), for the words, brackets and letters "clauses (*a*) to (*k*)", the words, brackets and letters "clauses (*a*) to (*f*) and clauses (*h*) and (*i*)" shall be substituted;

(c) in clause (*iii*), for the words "any other offence", the words, brackets and letter"an offence specified in clause (*b*)," shall be substituted;

(d) in clause (*iv*), the words, brackets and letters "or clause (*g*) or clause (*j*)" shall be omitted.

21. ***Amendment of section 138.-*** *In section 138 of the principal Act,—*

(a) in sub-section (*1*), in the first proviso,—

(i) for clause (*a*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*a*) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (*a*) to (*f*), (*h*), (*i*) and (*l*) of sub-section (*1*) of section 132;";

(ii) clause (*b*) shall be omitted;

(iii) for clause (*c*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*c*) a person who has been accused of committing an offence under clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 132;";

(iv) clause (*e*) shall be omitted;

(b) in sub-section (*2*), for the words "ten thousand rupees or fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher", the words "twenty-five per cent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved" shall be substituted.

22. ***Insertion of new section 158A.- After section 158 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—***

"158A. Consent based sharing of information furnished by taxable person*.—*

(*1*) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (*2*), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—

(a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;

(b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;

(c) such other details as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—

(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of sub-section (*1*); and

(b) the recipient, in respect of details furnished under clause (*b*) of sub-section (*1*), and under clause (*c*) of sub-section (*1*) only where such details include identity information of the recipient, in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return.".

23. ***Retrospective exemption to certain activities and transactions in schedule III to the principal Act.—***

(*1*) In Schedule III to the principal Act, paragraphs 7 and 8 and the *Explanation* 2 thereof (as inserted *vide* section 32 of Bihar Act 14, 2018) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.

(*2*) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (*1*) been in force at all material times.

Ramesh Chand Malviya,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)604-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1945 (श0)
(सं0 पटना 968) पटना, शुक्रवार, 17 नवम्बर 2023

विधि विभाग

अधिसूचना
17 नवम्बर 2023

सं०—एल०जी०—01—07/2023—8957/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक—16 नवम्बर 2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व—साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव (प्र०)।

(बिहार अधिनियम 16, 2023)
बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**– (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।

   (2) यह अधिनियम दिनांक 01 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा।

2. **धारा 2 का संशोधन।**– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,–

   (क) खंड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

   '(80क) ''ऑनलाइन गेम खेलना'' से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है :

   (80ख) ''ऑनलाइन धनीय गेम खेलना'' से ऐसा ऑनलाईन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं ;';

   (ख) खंड (102) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

   '(102क) ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे'' से,–

   (i) दांव लगाने ;
   (ii) कैसिनो ;
   (iii) द्यूतक्रीडा ;
   (iv) घुड़दौड ;
   (v) लाटरी ; या
   (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।';

(ग) खंड (105) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस विधेयक के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो।'';

(घ) खंड (117) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(117 क) ''आभासी डिजिटल आस्ति'' का वही अर्थ होगा, जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसका है;'।

3. **धारा 24 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 24 में,–

   (क) खंड (xi) में, अंत में, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

   (ख) खंड (xi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

   ''(xi क) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और''।

4. **अनुसूची–3 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 6 में, ''लाटरी, दांव और द्यूत'' शब्दों के स्थान पर, ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों'' शब्द रखे जाएंगे।

5. **संक्रमणकालीन उपबंध।**– इस विधेयक के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

6. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**– (i) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (बिहार अध्यादेश संख्या–01, 2023) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग के किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव (प्र०)।

17 नवम्बर 2023

सं०—एल०जी०—01—07/2023—8958/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा dated-16th November, **2023** को अनुमत बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम 16, 2023) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव (प्र०),।

(Bihar Act 16, 2023)

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2023

AN

ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Fourth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force from 1st day of October 2023.

2. Amendment of Section 2.- In section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act),-

(a) after clause (80), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;';

(b) after clause (102), the following clause shall be inserted, namely:-

'(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of-

(i) betting;
(ii) casinos;
(iii) gambling;
(iv) horse racing;
(v) lottery; or
(vi) online money gaming;';

(c) in clause (105), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that a person who organizes or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates

or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;";

(d) after clause (117), the following clause shall be inserted, namely:-

'(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961;'.

3. Amendment of Section 24.- In section 24 of the principal Act,-

(a) in clause (xi), the word "and" occurring at the end, shall be omitted;

(b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:-

"(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and".

4. Amendment of Schedule III.- In the principal Act, in Schedule III, in paragraph 6, for the words "lottery, betting and gambling" the words "specified actionable claims" shall be substituted.

5. Transitory Provision.- The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

6. Repeal and Savings- (i) Bihar Goods and Service Tax (Amendment) Ordinance, 2023 (Bihar Ordinance No.-01, 2023) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

Jyoti Swaroop Srivastava,
Secretary (IC).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 968-571+400-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1946 (श0)
(सं0 पटना 736) पटना, मंगलवार, 6 अगस्त 2024

विधि विभाग

अधिसूचना
6 अगस्त 2024

सं० एल०जी०–01–14/2024–**4826**/लेजः ।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 05 अगस्त, 2024 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 15, 2024)

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**—
 (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
 (2) यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **धारा 2 का संशोधन।**— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (61) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

 '(61) ''इनपुट सेवा वितरक'' से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अन्तर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है '।

3. **धारा 20 का प्रतिस्थापन।**— मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

 ''20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति।

 (1) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अन्तर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा।

 (2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर प्रभारित राज्य कर या एकीकृत कर प्रत्यय का, जिसके अन्तर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उदग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, वितरण करेगा।

 (3) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा।

4. **नई धारा 122क का अन्तःस्थापन।**— मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

 ''122क. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति।

 (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रूपये की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा।

 (2) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी :

 परन्तु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा, जहाँ,—

 (क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है, और

 (ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विश्सोष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।''।

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

6 अगस्त 2024

सं० एल०जी०–01–14/2024–4827/लेजः।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा dated-05th August, 2024 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 15, 2024) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान क अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 15, 2024)

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2024

AN

ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Fifth year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title and commencement.—*

(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. *Amendment of Section 2.—* In the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, for clause (61), the following clause shall be substituted, namely:-

'(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;'.

3. *Substitution of Section 20.—* For section 20 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"20. Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.

(1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Service Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.

(2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of State or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

(3) The credit of State tax shall be distributed as State tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or State tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner as may be prescribed.”.

4. ***Insertion of New Section 122A.—*** After section 122 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“122A. Penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure.

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under section 148, acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.

(2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where—

(a) the penalty so imposed is paid; and

(b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty.”.

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 736-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in